



ECONOMIC REVIEW

OF

HIMACHAL PRADESH

1982

NIEPA DC



D00285

(ECONOMIC CONDITIONS AND DEVELOPMENT ACTIVITIES)

Ministry of Educational
Planning and Administration
17-B, SriAurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....285.....
Date.....7/7/82.....

CONTENTS

	Page
PREFACE	(v)
PART—I REVIEW OF PROGRESS DURING 1981-82 AND PROGRAMME FOR 1982-83	
1. GENERAL ECONOMIC SITUATION	1
2. AGRICULTURAL PROGRAMMES	
2.1 Agriculture	5
2.2 Horticulture	9
2.3 Minor and Medium Irrigation and Flood Control	12
2.4 Soil Conservation	13
2.5 Animal Husbandry	15
2.6 Forests	18
2.7 Fisheries	21
2.8 Consolidation of Holdings	22
2.9 Land Reforms	22
3. CO-OPERATION AND RURAL INTEGRATED DEVELOPMENT	
3.1 Co-operation	25
3.2 Rural Integrated Development	25
3.3 Panchayats	27
4. MULTIPURPOSE PROJECTS AND POWER	
4.1 Multipurpose Projects and Power	30
5. INDUSTRIES AND MINERAL DEVELOPMENT	
5.1 Industries	33
5.2 Mineral Development	36
6. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS	
6.1 Roads and Buildings	38
6.2 Road Transport	39
6.3 Tourism	40
7. SOCIAL SERVICES	
7.1 Education	42
7.2 Technical Education	45
7.3 Health and Family Welfare	45

CONTENTS—concl'd.

	Page
7.4 Ayurveda	47
7.5 Homoeopathy	48
7.6 Medical College	49
7.7 Housing	50
7.8 Drinking Water Supply	51
7.9 Welfare of Backward Classes	52
7.10 Social Welfare	52
7.11 Nutrition Programme	53
7.12 Employment, Training and Labour Welfare	53
7.13 Urban Development and Country Planning	56
7.14 Languages and Culture	56
7.15 Mountaineering	58
8. MISCELLANEOUS	
8.1 Excise and Taxation	60
8.2 Food and Supplies	61
8.3 Plan Publicity	63
8.4 Local Bodies	64
8.5 Gazetteers	65
8.6 Statistics	65
8.7 Institute of Public Administration	67

P R E F A C E

This Publication aims at presenting a bird's eye-view of the economic situation of the State. It is divided into two parts. The first part gives achievements in various sectors of the economy of the Pradesh during 1981-82 and a brief description of plan programmes for the year 1982-83. The second part contains a few statistical tables on important economic sectors. It is hoped that this Review will serve as a useful prelude to the budget being presented to the Vidhan Sabha.

I am highly thankful to all the Departments but for whose positive co-operation, it would not have been possible to bring out this publication within such a short span of time. The burden of collection of the huge and voluminous data and of compilation of the Review in English and Hindi languages fell mainly on Shri R. S. Bhatnagar, Director of Economics and Statistics, Himachal Pradesh, who was chiefly assisted in the preparation of this publication by Shri Naval Kishore, Deputy Director, and Shri B. C. Thakur, Technical Assistant. I highly appreciate and commend the hard work done by them.

S. K. ALOK,

I.A.S.,

Commissioner-cum-Secretary

(20 Point Programme, Planning and Economics and Statistics)
to the Government of Himachal Pradesh.

PART I

**REVIEW OF PROGRESS DURING
1981-82 AND PROGRAMME FOR
1982-83**

1. GENERAL ECONOMIC SITUATION

1.1 Introductory

The year 1981-82 can be depicted as an year of dynamic progress. The major achievements of the period were an effective control on inflationary tendencies in the economy as also a remarkable recovery in the production of agricultural Commodities. According to the quick estimates of national income for the year 1980-81, the economic growth in real terms (at 1970-71 prices) recorded an increase of 7.5% while the corresponding figures for the Pradesh was 8.9%. The per capita income at current prices at the national level increased from Rs. 1,316 in 1979-80 to Rs. 1,537 in 1980-81. At the Pradesh level the increase in per capita income was from Rs. 1,288 to Rs. 1,458 during the same period. In the matter of foodgrains production an increase of 18.4% at national level and 27.4% at the Pradesh level was recorded during 1980-81. For the year 1981-82 the foodgrains production has been 11.91 lakh tonnes, an all time high in spite of wide-spread damages caused by persistent rains and hailstorms. The fruit production in the Pradesh during 1981-82 recorded an increase of nearly 150% over the previous year and 3.42 lakh tonnes of fruit was produced as against 1.39 lakh tonnes in 1980-81. In the field of power generation, a growth of about 76.2% was recorded in 1981-82 (431.6 million units) over the previous year (245 million units).

The improvement in the price situation is reflected in the index number of wholesale prices at all India level. On the basis of which the rate of inflation was effectively contained to 22.7% (Jan. 1979 to Jan. 1980), 15.6% (Jan. 1980 to Jan. 1981) and 5.9% (Jan. 1981 to Jan. 1982). This rate was actually around 2% in March, 1982 and became negative during April, 1982 on point to point basis.

1.2 Population Trend

During the year 1981, the decennial census of human population was taken. According to this, the population of India was counted as 683.81 million showing per annum growth of around 2.48%. On the other hand, the population of Himachal Pradesh was recorded as 4.24 million (7,98,062 households), depicting per annum growth of 2.25%. In Himachal Pradesh the density per square kilometre thus increased from 62 in 1971 to 76 in 1981. During the same period the literacy increased from 31.96% to 41.94%. In the field of urbanisation the proportion of urban population increased to 7.7% in 1981 from 7% in 1971. The number of main workers was 14.36 lakhs (33.9 per cent of total population). Their occupational distribution shows a pre-dominance of agricultural workers (72.36%). In the field of household industry, manufacturing, processing, servicing and repairs, the percentage of workers was only 2.65%. The remaining 24.99% were categorised as other workers.

1.3 Net Domestic Product

At 1970-71 prices, according to quick estimates, the net national product during 1980-81 increased by 7.7% as against a decline of 5.4% during the previous year. In Himachal Pradesh, the increase in 1980-81 was of the order of 8.9% as against (-) 11.2% in the previous year. Thus the progress made at the Pradesh level was far higher. The per capita income at constant prices increased to Rs. 696 in 1980-81 from Rs. 661 in the previous year at all India level, as compared to corresponding figure of Rs. 691 (1980-81) and Rs. 646 (1979-80) for Himachal Pradesh. The sectoral distribution of net domestic product (at 1970-71 prices) at all India level and Himachal Pradesh is as given below for the years 1979-80 and 1980-81:—

Net National Product and Net State Domestic Product (at 1970-71 prices)

Sector	All India (Rs. crores)		Himachal Pradesh (Rs. lakhs)		Sector
	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81	
1. Primary	17,865 (40.8)	20,065 (42.5)	12,853 (48.3)	14,847 (51.2)	1. Primary
2. Secondary	9,819 (22.4)	10,035 (21.3)	4,661 (17.5)	4,602 (15.9)	2. Secondary
3. Tertiary	16,120 (36.8)	17,093 (36.2)	9,085 (34.2)	9,528 (32.9)	3. Tertiary
4. Net Domestic Product	43,804 (100.0)	47,193 (100.0)	26,599 (100.0)	28,977 (100.0)	4. Net State Domestic Product
5. Net factor Income from Abroad	(+)18 (-)	(+)18 (-)	—	—	
6. Net National Product	43,822 (100.0)	47,211 (100.0)	—	—	

(Figures in the brackets indicate percentage to total).

As is clear from the table given above, during 1980-81 in Himachal Pradesh the contribution to net State Domestic Product from Primary sector was 51.2 % as against 42.5% at all India level. Similarly, in the Secondary sector, percentage contribution in Himachal Pradesh was 15.9% as against 21.3% at all India level. It can be inferred from this that to bring the State at level with the all India average in the industrial field great efforts are required to be made. This would also assist the State's economy by shifting the heavy pressure from land. It would, therefore, be appropriate to process the raw materials within the Pradesh so that more benefits could flow to the inhabitants. For this purpose processing units for timber, fruit, vegetables, etc. need be set up in the Pradesh. There is room for setting up of small scale units for the production of consumer articles like electronic equipments, textiles, toiletry & cosmetics, art and craft articles, etc.

1.4 Price Situation

Inflation is a universal phenomenon. In India, the main factors responsible for this can be broadly taken as heavy expenditure on imports, scarcity of petroleum products, deficit financing, increase in money supply, excessive liquidity with banks, rising cost of living and consequent compensatory rise in money incomes of the salaried class which subsequently sets into motion the action and reaction towards spiralling prices. According to the wholesale price index numbers, the peak was recorded during the month of August, 1981 after which a regular decline has been recorded for subsequent eight months. In April, 1982 a negative rate of inflation has been achieved. The behaviour of index number of wholesale prices during 1981 and 1982 would be clear from the following figures:—

Month	1981	1982
January	263.2	278.7
February	268.8	277.2
March	270.0	275.2 (P)
April	275.7	274.8 (P)
May	276.9	

Monthly Average Wholesale Price Indices for 1981 and 1982

Month	1981	1982
June	278.9	..
July	285.7	..
August	287.4	..
September	284.6	..
October	283.8	..
November	279.8	..
December	277.8	..

Weekly wholesale price indices during March and April, 1982

Date	Index	Date	Index
6-3-82	275.0	3-4-82	275.8
13-3-82	275.2	10-4-82	275.7
20-3-82	275.3	17-4-82	273.3
27-3-82	275.3	24-4-82	274.3
		1-5-82	274.6

1.5 Industry

At the all India level, the index of industrial production is expected to show a growth of about 8% during the year 1981-82 as compared to 4% in 1980-81. In Himachal Pradesh, the secondary sector contributes about 15.9 per cent of the States' Domestic Product. There is thus great scope to develop the industrial sector in view of assured availability of power and an excellent climate of industrial relations. To process the horticultural products, a big factory for food processing was set up by hpmc last year. As a result of various concessions/incentives, the pace of industrialisation picked up and 43 medium and large scale projects were approved involving an investment of Rs. 83.73 crores and an employment potential of 7,760 persons.

For the encouragement of industries in the Pradesh, Industrial areas at Parwanoo, Brotiwala, Paonta, Bilaspur, Shamshi and Mehatpur have been setup. Industrial estates have been provided at Solan, Dharampur, Kangra, Jawali, Dehra-Gopipur and Peo. In Solan an Electronics Complex has been developed.

1.6 Power

The development of power sector holds the key for the development of the Pradesh as a whole. For the exploitation of the Pradesh's hydro-electric potential, the Himachal Pradesh Govt. is prepared to enter into collaboration with the neighbouring States. The States of Haryana and Himachal Pradesh have decided to construct the 1,020 MW Nathpa Jhakri Project, in collaboration with Govt. of India. Jointly with Rajasthan, understanding has been reached for execution of the Kol Hydel Project in Mandi district which will generate 600 MW of power. The H.P. Govt. is also concentrating on the construction of quick maturing micro-hydel schemes in various parts of H.P. to feed the rural areas.

In the field of rural electrification a target of 11,217 villages was achieved upto the end of March 1982 as against the coverage of 10,050 villages upto the end of March, 1981. The percentage of inhabited villages electrified thus increased to 66.3

1.7 Plan Outlay

The solution to the problems of poverty, under employment and un-employment can be found only in the framework of a rapidly expanding economy. The objectives of the State Plan are aimed at helping the economy to attain an average growth rate of 5% in the initial year of the Plan and 5.3% towards the last year of the Plan. The State's Sixth Plan for 1980-85 envisages a total outlay of Rs. 560 crores in which the highest priority has been accorded to water and power development followed by agriculture and allied services, transport and communications and social and community services.

For the year 1982-83, the Plan outlay of Rs. 120 crores has been approved as against Rs. 101 crores for the previous year. Special emphasis has been laid on the earmarking funds for the development of scheduled castes and scheduled tribes and backward areas besides the minimum needs programme. The outlays provided are as under:—

	Outlays (Rs. in crore)	
	1981-82 (Anticipated)	1982-83
1. State Plan flow to tribal sub-plan	8.94	10.97
2. Special component plan for scheduled castes	10.36	13.28

3. Special earmarked plan outlays for backward areas	2.23	2.76
4. Outlay on minimum needs programme	18.55	21.60
5. Special central assistance for:—		
(i) Tribal sub-plan	1.08	1.35
(ii) Special component plan for scheduled castes	1.21	1.10

1.8 Employment Situation

During the period from 1st April, 1981 to 31st March 1982 in all 68,135 applicants were registered and 7,731 placements done. The various employers notified 10,929 vacancies, out of which 5,162 were filled. The consolidated live register of all employment exchanges stood at 1,60,666 as on 31st March, 1982.

At the end of the third quarter i.e., July to September 1981, the total employment in the Pradesh was 2,41,871 (Public sector 2,29,668 and Private sector 12,203) as against 2,35,097 (Public sector 2,22,786 and Private sector 12,311) during the corresponding period of the last year. Of the total employment in public sector, 72.56 per cent were employees of the State Government, 10.15 per cent of the Central Government, 12.09 per cent were quasi-government state employees, 3.41 per cent were the quasi government Central employees and the rest 1.79 per cent were employees of local bodies. For estimating this employment in the public sector, all establishments irrespective of size are covered. In the private sector, only those establishments which employ 10 or more workers are covered.

1.9 Poverty Level Surveys

As a welfare State the Government is committed towards progressive reduction in the incidence of poverty and un-employment. With a view to identifying the poor households living below the level of Rs. 700 per head per annum or Rs. 3,500 per family of five, the work regarding identification of families living below this level was taken up by the Directorate of Economics and Statistics in the urban areas. In the rural areas this was done by the Rural Integrated Development Department. In the urban areas 5.0% of households and 6.4% of the population was found to be living below this level. In the rural areas 42.18% of the households were identified as falling in the target group. The identification of these families would enable effective and meaningful steps being taken under various anti-poverty measures for bringing these families above this level.

1.10 20-Point Programme

The New 20-point Programme, was announced by the Prime Minister in January, 1982, in the context of the effective implementation of the old 20-Point Programme, originally introduced in the year 1975. It was necessitated by the changed economic conditions, and the compulsions of the growth requirements and felt need for certain changes in priorities. The New 20-Point Programme outlines the focus of our developmental efforts as the speedy econo-

mic amelioration of the people living in sub-poverty conditions and also simultaneously envisages creation of developmental infrastructure for heralding new growth impulses in our economy. In fact, the New 20-Point Programme is a package of socio-economic measures to accelerate productivity and lighten the hardships of weaker sections of the society. Himachal Pradesh has been extremely alive to the challenge and has geared itself up for the effective implementation of the New 20-point Programme in the State.

The achievements made under this programme during 1981-82 are as under:—

Item	Unit	1981-82		Item	Unit	198182-	
		Target	Achievement			Target	Achievement
1. Increase in irrigation(hect.)		6,990	8,397	12. House sites allotted (No.)		547	491
2. Pulses production (tonnes)		50,000	40,000	13. Constructed houses (one room tenaments) provided (No.)		800	800
3. Oilseed production (tonnes)		14,000	14,000	14. Village electrified (No.)		1,080	1,167
4. Families assisted (IRD) (No.)		41,400	34,877	15. Pump sets energised (No.)		100	203
5. Addl. employment generated mandays (lakh)		12.5	12.39	16. Trees planted (crore)		4.00	4.05
6. Surplus land assumed (acres)		94,200	93,400	17. Area brought under forest cover (hect.)		12,800	14,346
7. Landless families given land (No.)		1,234	1,107	18. Sterilisations done (No.)		15,800	22,564
8. Minimum wage rate (Rs.)		Revised to Rs. 8.25 per day w.e.f. 1-4-82		19. Health sub-centres opened (No.)		150	63
9. Bonded labour		Problem does not exist in H.P.		20. Additional enrolment in 6—11 years age-group under elementary education (No.)		20,000	20,000
10. Dev. of SC/ST		24,802 SC and 4,637 ST families assisted.		21. Adult literacy (persons)		19,500	19,000
11. Coverage of problem villages (No.)		1,270	1,270				

2. AGRICULTURAL PROGRAMMES

2.1 AGRICULTURE

Agriculture being the largest single industry and the main occupation of the people of Himachal Pradesh, its importance in the economy of the State can hardly be over-emphasised. It provides direct employment to about 76 per cent of the total working population of the Pradesh. Income from agriculture sector accounts for about 45 per cent of the net State Domestic Product. Out of this, agriculture proper alone contributes 27 per cent to the net State Domestic Product. Himachal Pradesh is a model of hill farming in the country where cultivation is carried out at altitudes ranging from 300 metres to 4,000 metres above mean sea level. Owing to this, there is a wide divergence in the systems of cultivation, cropping patterns and cropping seasons.

In Himachal Pradesh, which is located in the North-Western Himalayas, the agro-climatic conditions vary from sub-tropical to humid temperate. The alpine desert conditions prevail in some areas bordering Tibet. Holdings of farmers are small, scattered and slopy and soil erosion is quite rampant. Excessive torrential rains and floods usually wash away top fertile soil. Wind erosion is also a feature in the desert areas of Lahaul and Spiti district. There are other natural factors which stand in the way of adoption of the package of improved practices and introduction of intensive cultivation due mainly to State's hilly terrain and peculiar agroclimatic conditions. Inadequacy of irrigation facilities is another stumbling block. The success of crops, by and large, depends upon rains which are often erratic and not well spread. On the other hand, nature has gifted to the Pradesh congenial agro-climatic conditions conducive to the production of cash crops, namely, disease-free seed potato, ginger, temperate vegetables, chicory etc. The Government has prepared ambitious programmes for the exploitation of this gift

and made an appreciable achievement particularly in the field of production of seed potato, fresh vegetables, green ginger, cauliflower seed and sugarcane.

The programme wise achievements made during the year 1981-82 are enumerated below :—

A. Foodgrains production—With a view to making the State self-sufficient in foodgrains, the Department of Agriculture has regularly been rendering effective technical know-how to the farmers regarding adoption of improved practices of intensive cultivation, mixed farming and multiple cropping, besides arranging adequate and timely supply of necessary inputs like seeds, fertilizers and plant protection material, etc. for the farmers. As a result of these efforts, the foodgrains production which was 10.60 lakh tonnes in 1978-79 has approximately increased to 11.91 lakh tonnes during 1980-81. The production of foodgrains during the year 1981-82 is expected to exceed the previous achievement. A production target of 12.60 lakh tonnes of foodgrains has been kept for the year 1982-83. This includes 60 thousand tonnes of pulses. The production of pulses has been given a new dimension as a result of the implementation of the new 20-point programme. A brief account of the steps taken during 1981-82 to achieve the targets is detailed below:—

(i) *High yielding varieties programme*—With an advancement in farm technology, the Department of Agriculture has been continuing its endeavours to increase production by bringing more and more area under the high-yielding improved varieties of cereals mainly maize, paddy and wheat. The achievements made in regard to area brought under the high yielding varieties and targets envisaged for the year 1982-83 are tabulated below :—

Crop	Unit	Achievements					
		1966-67	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83 (Target)
Maize	'000 hect.	1.10	64.95	70.00	74.00	80.00	85.00
Paddy	"	7.10	62.94	65.00	70.66	85.00	86.50
Wheat	"	4.80	252.88	246.80	269.29	280.00	282.00

(ii) *Fertilizers and manures*

(a) *Fertilizers*.— Chemical fertilizers play an important role in increasing the agricultural production particularly when associated with high yielding varieties which are responsive to the recommended doses of fertilizers. The

agricultural extension workers of the Department are making all out efforts to popularise among the farmers the timely and balanced use of fertilizers. As a result of this, there has been a significant increase in the consumption of fertilizers, as would be revealed by the table given below :—

(Consumption in terms of nutrients)

Item	Unit	Achievements			
		1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
Nitrogenous (N)	'000 tonnes	8.30	9.76	12.34	13.23
Phosphatic (P)	"	1.94	2.29	2.30	2.85
Potassic (K)	"	1.66	1.90	1.55	2.13
Total		11.90	13.95	16.19	18.21

In view of the enhanced costs of fertilizers which have gone beyond the economic means of the farmers, the State Government have subsidised the cost of all types of fertilizers to the extent of 33½ per cent for all farmers from 6th October, 1981 to 31st March, 1982. The extent of subsidy on cost of all types of fertilizers in case of scheduled castes and scheduled tribes was 50% during the whole year.

(b) *Local manurial resources*—Apart from the use of fertilizers, emphasis is also being laid on the preparation of compost enriched with nutrients by the farmers. During each crop season, campaigns are organised to guide the farmers for the best utilisation of local manurial resources. About 28 lakh tonnes of compost is expected to be prepared during 1981-82. It is proposed to prepare 33 lakh tonnes of compost during 1982-83. Emphasis has also been laid on green manuring and about 35 thousand hectares of area has been covered under green manuring practices during 1981-82. It is proposed to cover about 40 thousand hectares of area under the said practices during 1982-83.

(c) *Bio-gas plants*—Besides these programmes, it is envisaged to install 250 bio-gas plants in the State during 1982-83 under the new 20-point programme.

(iii) *Plant protection*—With a view to increasing the production of crops, it is of paramount importance that the crops are saved from crop diseases, pests and insects. During kharif and rabi seasons, adequate stocks of plant protection materials were arranged in time for distribution to the farmers throughout the State. Apart from it, plant protection campaigns were organised throughout the State to educate and mobilize the farmers to adopt various plant protection measures against crop diseases. The achievements made during 1981-82 and proposed to be made during 1982-83 are given below :—

Item	Unit	Likely achievement during 1981-82	Targets proposed for 1982-83
Area to be covered under plant protection measures:—			
(a) Cash crops	'000 hect.	70.00	78.00
(b) Food crops	"	240.00	240.00

(iv) *Soil testing*—In order to know the fertility status of the soil, samples are

collected from the farmers and analysed in the soil testing laboratories established in the State. The results of analysis alongwith recommendations are communicated to the farmers well before the sowing of crops. Apart from these laboratories, a soil testing mobile van is also rendering similar service to the farmers on the spot. About 50 thousand soil samples have been analysed during the year 1981-82, while the target proposed for analysis during 1982-83 is 70 thousand samples.

(v) *Multiple cropping*—In view of the limited land for further extension, it is imperative that the production per unit area is increased. Solution of this problem lies in the adoption of multiple cropping system and the farmers for that purpose are being guided accordingly. About 32 thousand hectares of area is estimated to have been brought under the multiple cropping system during 1981-82. The target proposed for the same purpose for the year 1982-83 is 35 thousand hectares.

B. Commercial crops

(i) *Potato*.—Seed potato is one of the most important crops of the Pradesh on which the economy of the farmers especially of Simla, Lahaul-Spiti districts and of Pooch Sub-Division of Kinnaur district depends to a great extent. An area of about 16,000 hectares is covered under this crop. During kharif 1981, the production of potato is estimated at about 1.20 lakh tonnes. Potato of Himachal Pradesh, being free from various virus diseases and for possessing high yielding quality, is in great demand in a number of States in the country for seed purposes. In order to ensure remunerative prices to the growers and quality seed to the purchasers, the Himachal Pradesh Seed Potato (Control) Order was enforced in the State. Under this Order, quality, grading, purity of seed and proper weighments were ensured. The farmers were also rendered timely technical, know-how besides the supply of foundation and certified seed potato. For supply of good quality seed to the growers, the channel of producing seed from the breeder seed procured from the C. P. R. I. Simla and its multiplication as F.I. and F.II seed potato at the various Government Seed Farms and then supply to the certified growers for export to the consuming States was followed. The Seed Certification programme of the potato crop was taken up through the Himachal Pradesh Seed Certification Agency and the results have been very encouraging. During kharif 1981, the said Agency certified potato seed crop of the farmers in an area of 575 hectares and certified 400 t of seed potato.

In order to dispose off seed potato, all round timely arrangements in well co-ordinated manner were made which resulted in getting remunerative prices to the growers. There had been no difficulty in procurement, grading and transportation of seed potato. The Co-operative bodies like HIMFED, KDF and Lahaul Potato Growers Society, carried out procurement of seed potato during kharif 1981. The market rates opened at Rs.125-150 per quintal of seed potato depending upon the variety and grade. These rates continued till the end of the marketing season. The rates of certified seed potato ranged from Rs. 160 to Rs. 180 per quintal. These rates in comparison with previous years were quite encouraging.

(ii) *Ginger*—Ginger is another important cash crop of the Pradesh. The cultivation of this crop was previously limited to the districts of Sirmur, Solan and Simla which has now been extended to other suitable belts in the Pradesh. In order to encourage the cultivation of ginger, Agriculture Department is rendering technical know-how and also supplying necessary inputs to the growers. Green ginger to the tune of 20,000 tonnes was produced during 1981-82 while the production target of the said crop for the year 1982-83 is kept at 22,000 tonnes.

(iii) *Vegetables*—The agro-climatic conditions in the Pradesh are very much conducive for the production of temperate vegetables and their seeds. These vegetables are capsicum, tomato, beans, peas, cauliflower, cabbage, turnip and onion etc. These vegetables are produced during that period in the State when these are not available in the plains of northern India and as such the growers of the Pradesh get good returns for their produce. With a view to increasing the production of vegetables, the Department is rendering all technical guidance and supplying necessary inputs to the farmers. About 1.45 lakh tonnes of fresh vegetables is estimated to have been produced during 1981-82. Target for 1982-83 is proposed at 1.65 lakh tonnes. Cauliflower seed being produced in Solan district in collaboration with the National Seed Corporation, has assumed significant importance and the producers are getting good returns for their produce. During 1981-82, the Agriculture Department introduced onion as a off season cash crop in Lahaul-Spiti and Kinnaur districts and other areas of the State ranging from 350 m to 1600 m height above sea level and the results are highly encouraging. The yield of onion was 120 to 200 qn per hectare under rainfed and irrigated conditions, respectively, which was better than the yield of potato in that area. To popularise onion as a cash crop among the farmers of Lahaul and Spiti, Kinnaur districts and other suitable areas of the State, efforts are being made for

cultivation of this crop on large scale by the introduction of suitable varieties and area of 420 hectares is proposed to be covered during kharif 1982. Arkal peas crop has been introduced in the State as a catch and cash crop in areas ranging from 600 m. to 1700 m. height above sea level. This crop has been included in the rotation viz. Maize-Arkal Peas-late sown wheat. During 1982-83 an area of 2500 hectares is proposed to be covered exclusively by taking Arkal Peas as a catch crop. As a result of cultivation of this catch crop the farmers will get additional income of Rs. 12,000 to Rs. 20,000 per hectare.

C. Agricultural marketing :

With a view to ensuring remunerative prices to growers for their produce, the work relating to the regulation of markets under the Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Act, 1969 was further continued. The Market Committees of Nalagarh, Solan, Simla, Paonta, Kulu, Una, Kangra and Bilaspur continued to function during the year under report and steps are being taken to extend the regulation programme of marketing to the districts of Mandi and Hamirpur. The Marketing infrastructures were also provided at Baijnath and Dhaliara in Kangra district, Theog in Simla district, Kunihar in Solan district and additional infrastructural facilities in the principal and sub yards of Paonta and Nalagarh were also provided. The State Government has also vacated the stay orders on the levy of market fee on the notified agricultural commodities which was a hurdle in the implementation of Market Act.

D. Other programmes :

During the year 1981-82, the service schemes like Agriculture Information, Agricultural Statistics, GSTC Mashobra, Seed Testing and Certification, Farmer Training Centre and Agriculture Engineering Section, etc. continued rendering useful services to the farmers of the Pradesh.

E. Centrally sponsored schemes :

(i) *Eradication of pests and diseases in endemic areas (late blight of potato).*—Under the scheme farmers are provided subsidy at the rate of Rs. 3 per acre per spray of chemical for eradication of late blight of potato.

(ii) *Control of phalaris minor and avenua fatua.*—The object of this scheme is to eradicate the spread of weeds like Phalaris Minor and Avenua Fatua. The farmers are given 25 per cent subsidy for the purchase of the chemicals used for the control of these weeds.

(iii) *Timely reporting scheme (TRS) for estimation of area and production of crops.*—This scheme was started with an object to know in advance estimates of area and production of crops being so essential for planning and policy formulations. Under this scheme, advance enumeration and crop cutting experiments are done in 20 per cent of the selected villages.

(iv) *Improvement of crop statistics.*—The scheme aims at improving the crop statistics so as to ensure quality of data. Under this scheme, physical verification of the crop area enumerated in the sample village and comparison with those figures which were recorded by the Patwaris in the basic village records are done. The supervision is exercised by the staff of the NSSO and the office of the State Agricultural Statistical Officer in sub samples of TRS sample villages.

(v) *Development of oil seeds.*—Under this scheme, the farmers are educated through demonstrations to adopt improved package of practices for the cultivation of oilseeds and also to take up timely plant protection measures to save the crops from pests and diseases. An amount of Rs. 500 per demonstration (in the shape of inputs) is being spent under this scheme besides distribution of mini kits of seeds free of cost to the farmers. About 15000 tonnes of oil seeds shall be produced during 1982-83.

(vi) *Development of pulses.*—Under this scheme, besides rendering technical know-how to the farmers, demonstrations are laid on the holdings of the farmers with a view to acquaint them with the latest technology of raising pulses and also saving the crops from pests and diseases. In addition to the supply of quality seeds, plant protection material is also being made available to the farmers. Certified seeds of pulses are supplied to the farmers at subsidised rate.

F. Special assistance :

Hail storm relief.—The Government of India have sanctioned an amount of Rs. 50 lakhs for hail storm relief measures during 1981-82. Under this scheme, affected farmers were provided 40 per cent subsidy on cost of all types of fertilisers and 50 per cent subsidy on cost of cereal seeds.

G. Dry farming :

In Himachal Pradesh the irrigation facilities are scanty and 81 per cent of the area is rainfed. But the rainfall is not uniformly spread for the Rabi crops. As such dry land farming has been taken up on an extensive scale in the State. Under the new 20-point programme, it is proposed to cover 40 thousand hectares of area under dry farming. Demonstrations will be laid

out on farmers field and training camps to disseminate dry farming technology to them will be organised extensively.

Plan for 1982-83.—The plan programme envisaged for implementation during 1982-83 has since been described briefly in the above paragraphs. The targets proposed during 1982-83 are, however, tabulated below :—

Item	Unit	Targets for 1982-83
A. Production:—		
(i) Foodgrains	Lakh tonnes	12.60
(ii) Potato	„	1.24
(iii) Green ginger	Tonnes	22,000
(iv) Vegetables	Lakh tonnes	1.65
(v) Oil seeds	Tonnes	15,000
B. Fertilizers distribution (in terms of nutrients) :		
(i) Nitrogenous (N)	1,000 tonnes	16.00
(ii) Phosphatic (P)	„	3.00
(iii) Potassic (K)	„	2.60
C. Rural compost to be prepared		
	Lakh tonnes	30.00
D. Area to be covered under High Yielding Varieties :		
(i) Maize	'000 hectares	85.00
(ii) Paddy	„	86.50
(iii) Wheat	„	282.00
E. Area to be covered under plant protection measures :		
(i) Commercial Crops	.. '000 hectares	78.00
(ii) Food crops	„	240.00
F. Soil samples to be analysed		
	'000 Nos.	70.00
G. Area to be covered under multiple cropping		
	'000 hectares	35.00

2.2 HORTICULTURE

Horticulture constitutes as a major thrust in the development programmes envisaged for the betterment of the agriculture based population of the State. It not only provides higher returns per unit area compared to traditional agriculture but also enable better utilization of natural resources consisting of agro-climatic conditions and the wild fruit wealth besides helping to generate additional sources of income and employment in the rural areas. Developmental efforts made in this direction during the last three decades have yielded highly encouraging results and today Himachal is better known as a leading horticultural State in the country.

The strategy for horticultural development in Himachal Pradesh has been framed in such a manner as would integrate all factors of production for increasing the productivity in the existing area and accentuate the pace of development in areas which are horticulturally under developed.

A brief description of the achievements made in this field during 1981-82 is given below:—

1. Area under fruits.—The area under various kinds of fruits which was about 85,933 hectares in 1979-80 has increased to 92,467 hectares in 1980-81. Against the target of plantation of 5,000 hectares fixed for the year 1981-82 an area of 7,617 hectares was planted during the year all over the State. The total area under fruit in the Pradesh by the end of the year 1981-82 has now risen to 1,00,084 hectares. An additional area of about 5,000 hectares is proposed to be brought under fruit plantation during the year 1982-83.

2. Fruit production—Total fruit production 3.42 lakh tonnes was achieved during the year 1981-82. Apple constituted 3.07 lakh tonnes out of the total production and in all 1.35 crore apple boxes (16—18 kg. each) were marketed outside the State during the year. The State has also maintained a lead in the quality fruit production and in the 'All India Apple Show' held at Madras during September, 1981, the State bagged 4 out of 5 National Awards. The production target of about 3.90 lakh tonnes of fruits is expected to be achieved during the year 1982-83.

3. Improvement of wild fruit trees into superior varieties.—In order to exploit the wild fruit wealth of the State for the benefit of the fruit growers, efforts are being made to improve the wild fruit trees like wild pear, wild peach, wild olive, wild figs, etc., by the technique of top-working. Against a target of top-working of

one million wild fruit trees fixed for the year 1981-82, 1.2 million trees have been top-worked. During the year, 1982-83 it is proposed to top-work another one million wild fruit plants. The implementation of this programme has helped in taking horticulture even to such areas which are not suitable for fresh plantation due to inherent difficulties besides removing regional imbalances in horticultural development.

4. Plant Protection :—Another important achievement of the Government in the horticultural development programme is the effective action taken for the control of the terrible diseases of apple—the 'Apple Scab.' During the year 1981-82 about 48,982 acres area was covered against this disease at a total cost of Rs 44.90 lakhs and 50% subsidy on cost of fungicides is being provided to the orchardists. During the year 1982-83, a sum of Rs 60 lakhs is proposed to be spent under this scheme.

5. Diversification of horticultural industry : New dimensions are being given for the diversification of the horticultural industry of the State by encouraging new horticultural crops in suitable areas. Serious efforts are being made to encourage cultivation of hops in the cold and dry regions of Lahaul and Spiti and Mushroom in the districts of Solan and Simla, which are giving very encouraging results. Particular mention needs to be made of world's best quality hops produced in Lahaul area of the State. So far 24 hectares area has been developed under this crop in the district of Lahaul and Spiti, and 20 hectare area is proposed to be planted in 1982-83. The plantations so developed, will on full generation lead to the production of 100 tonnes of hops valued at about Rs. 40 lakhs against the total production of 6 quintals during last season.

For the production of mushrooms a 1.27 crores project is being implemented under the auspices of FAO/UNDP. Under this project the most modern technology of compost manufacture has been imported and a big bulk pasturization chamber has started functioning at Chambaghat, Solan, in addition to the establishment of mushroom development infrastructure, subsidies are being provided to small and marginal farmers for the establishment of mushrooms units. So far 194 mushroom growers have been registered under this project. As a result of launching of the project, the total capacity for production of mushroom has been increased from 70 tonnes in 1974 to 500 tonnes now.

6. Marketing and processing :—With the expansion of the area under plantation and subsequent increase in fruit production the problems of horticulture marketing and processing are also coming to the force. During the year 1981-82, there was a record production of 3.07 lakh tonnes of apple in the state involving a turnover of about Rs 50 crores. For the marketing of this fruit all available facilities and resour-

ces with the Government were geared to the maximum and no problem of timely disposal of this record production was encountered. The hpmc provided Rs 32.21 lakhs as short term marketing advance to the growers and handled about 24.16 lakh boxes of apple for marketing. The programme was supported by the Government, by providing subsidy @ Rs 250 per tonne of the processing grade fruits procured by the hpmc and thus the programme provided a great relief to the growers who had suffered losses due to hail-storm.

For providing efficient marketing channel for the fruit produced in the State Rs 16.31 crores/IDA assisted project has been completed. Under this project 10 packing and Grading Houses, 5 Cold Storages, one Processing Plant, 2 transshipment centres have been established, besides the construction of 401 km. of roads. All the facilities created under this project shall be available in the marketing season 1982 on full scale and with this, Himachal Pradesh will become the first State in the country to have most modern marketing system for the fruit.

The outstanding achievement on the fruit processing front during the year 1981-82 was the successful commissioning of the 18,000 tonnes capacity fruit processing plant established at Parwanoo under the World Bank Project. With the commissioning of this plant, the annual processing capacity available in the State has been increased to 26,000 tonnes and will go a long way for the utilization of unmarketable fruit to great extent. The capacity of the other fruit canning units established in the public, co-operative, corporate and private sectors were also fully utilized, for catering to the needs of the orchardists.

Another significant achievement on the processing front was the attempt made by the hpmc for the export of fruit products as a result of which 100 tonnes of mixed fruit jam valued at Rs.10 lakhs was exported to U.S.S.R. through the State Trading Corporation of India.

7. H.P. Agro-Industries Corporation :—The H.P. Agro-Industries Corporation continued to expand its activities during the year 1981-82 and a 150 tonnes cane-crushing capacity Khandsari unit was established and commissioned at Paonta Sahib, during the year under review. Other projects under implementation by the corporation includes one Agricultural Implements factory at Jachh and one wire drawing unit at Kardcri. Cold storages at Calcutta and Madras.

8. Horticultural development by the weaker sections of the society : Under 20 point economic programme, the Pradesh has adopted a policy to develop horticulture as a programme of masses so that benefits of this programme percolate

down to the weakest sections of society like small and marginal farmers, scheduled castes, scheduled tribes and farmers of backward areas. Special subsidy schemes have been launched for the benefit of the orchardists belonging to these sections. During the year 1982-83 a sum of Rs 49.89 lakhs has been kept for the grant of such subsidy.

Plan for 1982-83.—The Annual Plan 1982-83 of the Department of Horticulture, Himachal Pradesh aims at an investment of Rs. 290 lakhs under various programmes in the State sector and with the central assistance amounting to Rs. 25.50 lakhs.

A. State Sector Scheme:

1. *Direction and administration.*—To ensure the timely and proper implementation of various programmes envisaged for the year 1982-83, it would be necessary to strengthen the State and District set up. In addition, for helping the department in formulation of realistic action plans and monitoring of the progress, it is proposed to establish a horticultural planning cell at the Directorate level. As such a provision of Rs 2.50 lakhs has been kept for this purpose during the annual plan 1982-83. This is a staff scheme, hence no physical targets have been kept under this scheme.

2. *Manures and fertilizers.*—This scheme aims at the utilization of the latest technology of leaf analysis for the estimation of nutritional status of fruit orchards and formulation of scientific and economic fertilization schedule use for each orchard. Under this scheme besides maintenance of an existing fruit plant nutrition laboratory established at Simla, for the analysis of about 12,000 plant tissue samples per year, one more laboratory is proposed to be established at some suitable location in the sub-tropical fruit zone of the State in order to augment the existing facilities. It is proposed to collect and analyse 15,000 plant tissue samples during the year 1982-83.

3. *Plant protection programme.*—With the fast expansion of area under various fruit crops in Himachal Pradesh the problem of plant protection has assumed a great significance in the orchard management programme. The programme of plant protection during the year 1982-83 shall be given special attention. In addition to the strengthening of the existing staff, it is proposed to cover 90,000 hectares area under plant protection, 90,000 hectares area against field rats and 25,000 hectares area under apple scab. In view of increasing cost of pesticides and to encourage the orchardists in taking to plant protection measures in their orchards for the enhancement of fruit production, uniform subsidy of 25% is also proposed to be given on pesticides to all categories of farmers.

4. Horticultural training and extension

(a) *Training of farmers.*—Under this scheme a central horticultural training centre is proposed to be established for providing long term training to the orchardists and horticultural field extension workers. In addition, short term training camps of 1—7 days, duration will be organised for the training of orchardists in various operations of tropical interest. During the year 1982-83, 200 farmers and 100 extension workers will be given long term training at the Central Horticultural Training Centre besides imparting short term training to 30,000 orchardists.

(b) *Extension.*—Under this scheme, it is proposed to bring 5,000 hectares of additional area under orchards, 20 hectares under hops, 100 hectares under olive, 50 hectares area under high density plantation, 100 hectares under walnut and 150 hectares under almond during 1982-83. The programme envisages production target of 3.90 lakh tonnes of fruit, 600 tonnes of mushroom and 2 tonnes of hops. The infrastructural facilities to be developed under this programme include the establishment of 15 small bee-keeping stations, one big apiary, 2 honey grading laboratories, one olive station and one olive belt, one rose garden, one tea nursery, etc. The programme also provided for liberal incentives to the weaker sections of society for the establishment of orchards, garden colonies, community gardens and bee keeping units. Moreover, the horticultural extension service will be strengthened in the sub-tropical regions.

5. *Horticultural research and education.*—Under this scheme, a grant of Rs. 30 lakhs is proposed to be given to the H. P. Agriculture University for horticultural research and education. In addition, a sum of Rs. 2 lakhs will be spent for the solution of problems of urgent nature on project basis.

6. *Horticultural economics and statistics.*—The programme having an outlay of Rs. 4 lakhs in 1982-83 aims at strengthening the economic and statistical base so essential for the planned development of horticultural industry of the State. The work programme included under this scheme relates to conduct of horticultural census, collection and maintenance of horticultural statistics, evaluation and monitoring of horticultural programmes and pre-harvest forecasting of yield of apple crop.

7. *Horticultural marketing and quality control.*—This programme with an outlay of Rs. 10 lakhs during the year 1982-83 aims at (i) covering 25 important markets all over the country for collection and dissemination of market intelligence, (ii) training of 2,000 farmers in scientific grading and packing.

(iii) grading of 1.5 lakh apple boxes by way of demonstrations, (iv) conducting trials for the standardization of picking maturity, (v) provision of subsidy to the co-operative/corporate institutions for the establishment of horticultural marketing infrastructures and (vi) provision of subsidy to the small and marginal orchardists of the tribal areas for the transportation of fruits from orchards to the road head.

8. *Horticultural credit*.—An amount of Rs. 2 lakhs has been proposed for giving debenture support to the Himachal Pradesh Co-operative Land Development Bank for the implementation of special credit schemes approved by ARDC. The implementation of the scheme shall enable the bank to provide long term horticultural credit facilities to the extent of Rs. 8 lakhs to the needy farmers.

9. *Fruit processing/utilisation*.—Under this scheme the fruit canning units already established shall be strengthened for providing processing, community canning and training facilities to the fruit growers. During the year 1982-83, 250 tonnes of fruit products shall be manufactured in the Government canning units and 60 tonnes under the community canning service. About 3,000 farmers shall be provided training in the home scale preservation of fruits. A sum of Rs. 38 lakhs has been set apart for this scheme during 1982-83.

10. *Special scheme for the development of horticulture in the backward areas*.—With a view to involve the orchardists of the backward areas in the horticultural production programme a sum of Rs. 10 lakhs has been provided for giving incentives in the form of liberal subsidy to the farmers of these areas on the pattern of incentives being given in tribal areas.

11. *Investment in agricultural financial institutions*.—Under this scheme, a sum of Rs. 10.50 lakhs will be made available to the Himachal Pradesh Agro-Industries Corporation. The Corporation will execute additional schemes for the development of agro-industries, particularly by its subsidiary the hpmc in the field of horticultural marketing and processing.

B. Central Sector

1. *Control of apple scab*.—During the year 1982-83 a centrally sponsored scheme with a total cost of Rs. 60 lakhs is proposed to be implemented for the control of apple disease called "apple scab". Under this scheme 50% subsidy will be given to the orchardists for carrying out spray operations in 25,000

hectares of area under apples. The expenditure on subsidy will be shared on 50:50, basis by the Government of India and Himachal Pradesh Government.

2. *Central assistance for Tribal areas*.—A sum of Rs. 22.50 lakhs has been kept under this scheme for 1982-83 for the development of various horticultural crops like hops, dry fruits, dwarf apple, raisin grapes, etc. and establishment of horticultural marketing infrastructures in the tribal areas. Out of this total amount, an amount of Rs. 12.50 lakhs has been earmarked for providing subsidy to the orchardists for developing horticulture, Rs. 6 lakhs as grant-in-aid to hpmc for setting up of horticultural marketing infrastructures in Bharmour and Kinnaur areas and Rs. 4.50 lakhs as grant-in-aid to H.P. Agriculture University for accelerating horticultural research in tribal areas.

3. *Special component plan for the development of horticulture by scheduled castes*.—Under the special component plan, it is envisaged to develop 400 hectares area under various kinds of fruit by the scheduled castes. A sum of Rs. 25 lakhs shall be available from the State sector and Rs. 3 lakhs as special assistance for the implementation of various programmes under the special component plan which shall be utilised for providing incentives in the form of liberal subsidies for the development of horticulture by the scheduled castes and for providing training facilities in the skilled horticultural vocations so as to open new avenues of employment to this section of society.

2.3 MINOR AND MEDIUM IRRIGATION AND FLOOD CONTROL

Irrigation has been given very high priority for the agricultural production programme. In Himachal Pradesh, where a sizeable part of cultivated land is un-irrigated, a substantial improvement in the production potential of crops is obviously difficult to be achieved without adequate assured irrigation facilities. Owing to topographical impediments, execution of large irrigation projects, is rather difficult here. Stress is, accordingly, being laid only on medium and minor irrigation projects, which are executed by the Public Works Department. In addition to this, small irrigation schemes are also being implemented by the Rural Integrated Development Department.

According to estimates prepared by the P.W.D. the total net sown area in the State is 5.58 lakh hectares, out of which 3.5 lakh hectares is the area which can be economically brought under assured irrigation. Upto March, 1980 an area of 1,15,892 hectares of land

has been brought under assured irrigation including about 79,000 hectares of land under private and community kuhls. During the year 1980-81 an additional area of 8,078 hectares of land was brought under assured irrigation and the total area covered upto March, 1981 is 1,23,970 hectares.

Minor irrigation—During the year 1981-82, an outlay of Rs. 359.22 lakhs including Rs. 39.72 lakhs for tribal areas has been approved for minor irrigation works. In addition to this, a sum of Rs. 40 lakhs under hail-storm relief measures for accelerating the progress of minor irrigation works and creating additional employment-generation in the hail affected areas was allotted to the State by the Government of India. With this total amount of Rs. 399.22 lakhs, it has been possible to cover 5,407 hectares of land under assured irrigation in the Pradesh during the current year.

Medium Irrigation.—During the year 1981-82, there is an approved outlay of Rs. 108 lakhs for medium irrigation. Two medium irrigation projects viz. (i) Giri Irrigation Project costing about Rs. 6.71 crores in Sirmur district and (ii) Lift Irrigation Scheme, Bhabour Sahib (Phase-I) in Una district costing Rs. 75 lakhs, are nearing completion. During the last year, 3,190 hectares of land was brought under irrigation by the above two ongoing projects and it has been possible to cover the balance 2,990 hectares of land during the year 1981-82. In addition to completion of the above two medium irrigation projects, the following new projects are under detailed investigation :—

1. Lift Irrigation Project, Bhabour Sahib (Phase-II) in Una district.
2. Sarwari River Project, in Kulu district.
3. Lift Irrigation Project, Churu in Una district.
4. Kala-Kund Irrigation Project, in Solan district.

A new start i.e. Balh Valley Medium Irrigation Project has been approved by the Planning Commission for being taken up during 1982-83. This project is envisaged to be completed in 1984-85 and will have a CCA of 2,410 hectares.

Flood relief works.—During the year, with an approved outlay of Rs. 56.39 lakhs for flood control works in the State, it has been possible to construct 4 km. length of embankment, thereby protecting 600 hectares of land. In addition to it, Rs. 10 lakhs were allotted under hail-storm relief works.

Plan for 1982-83.—During the year 1982-83, an outlay of Rs. 482 lakhs including Rs. 47

lakhs for tribal-areas and Rs. 50 lakhs as Special Component Plan for Scheduled Castes has been approved for minor irrigation works. With this amount, additional area of 4,200 hectares is expected to be brought under assured irrigation.

A project report of irrigation schemes costing Rs. 30 crores has been submitted to Government of India for financial assistance, which is still awaited. Besides, a sum of Rs. 158 lakhs out of which Rs. 25 lakhs as Special Component Plan for Scheduled Castes has been approved for medium irrigation schemes. The new projects like Balh Valley Project in Mandi district, are likely to be taken up for execution. A sum of Rs. 70 lakhs including Rs. 5 lakhs for tribal areas and Rs. 13 lakhs as Special Component Plan for Scheduled Castes has been approved for carrying out flood control works. It is proposed to construct 4 km. length of protective works for 650 hectares of land.

2.4 SOIL CONSERVATION

Soil erosion is a serious and constant menace in the hilly terrain like Himachal Pradesh. Accordingly, effective steps are called for undertaking soil conservation measures on a large scale. Apart from agriculture point of view, these measures are necessary in the context of river valley projects with a view to (i) prolonging the life of storage reservoirs of the irrigation/electricity generating projects, (ii) effective functioning of minor irrigation tanks and (iii) moderating floods. All these activities have now been put under the new Soil Conservation Department.

The following soil conservation schemes are being implemented in this Pradesh both under State and Central Sector :—

A. Government Land.—

1. *Protective afforestation, soil conservation and demarcation*.—Under this scheme, an amount of Rs. 46.24 lakhs was provided during 1981-82 for soil protective afforestation over an area of 1,900 hectares of new land, besides construction of buildings and various other works.

2. *Soil conservation training*.—This scheme aims at imparting training to the personnel engaged in soil conservation. Under this programme Rs. 3.76 lakhs was kept on training 60 persons during the year 1981-82.

3. *Soil and water conservation programme (Tribal Areas)*.—The aims and objectives of this scheme are similar to those as discussed in the scheme at Sr. No. 1 above. Under this scheme Rs. 5 lakhs was provided during 1981-82 for treating land in the tribal areas under soil and water conservation measures.

In the Central Sector following schemes are in operation :—

1. *Soil and water conservation in the catchment of river valley projects of rivers Sutlej, Beas and Giri-Bata.*—With a view to reduce the silt load being carried down to Bhakra and Pong reservoirs by the Sutlej and Beas rivers, this scheme on soil conservation works in the river valley projects is under implementation since the Third Five Year Plan. In the year 1976-77, catchment of Giri-Bata Project was also included in this scheme. The following works/targets were envisaged under this scheme including agricultural land, with an outlay of Rs. 130 lakhs during 1981-82. The scheme has now become cent percent centrally sponsored w. e. f. 1.4.1982. The achievements made against each item of work upto December, 1981 are also given below :—

Serial No.	Item of work	Unit	Target fixed for 1981-82	Achievements made upto December, 1981
1	2	3	4	5
(a) Works:				
1. Treatment of grazing land—				
	(a) New	.. Hect.	162	39
	(b) Maintenance	.. Hect.	380	236
2. Treatment of hayland—				
	(a) New	.. Hect.	155	270
	(b) Maintenance	.. Hect.	68	133
3. Treatment of wood land—				
	(a) New	.. Hect.	1,228	1,174
	(b) Maintenance	.. Hect.	6,992	1,649
4. Silt detention dams—				
	(a) New	.. No.	9	—
	(b) Maintenance	.. No.	5	—
5. Farm ponds —				
	(a) New	.. No.	64	4
	(b) Maintenance	.. No.	—	—
6. Silt discharge sites				
		.. No.	55	—
7. Spur check dams/retaining walls				
		.. No.	333	87
8. Buildings—				
	(a) New	.. No.	10	—
	(b) Maintenance	.. No.	—	1

1	2	3	4	5
9. Treatment of seriously eroded lands—				
	(a) New	.. Hect.	200	52
	(b) Maintenance	.. Hect.	—	2,722
10. Minor engineering				
		.. Hect.	116	NR
11. Contour strip				
		.. No.	138	NR
12. Bench terracing				
		.. No.	137	NR
13. Drainage and reclamation				
		No.	46	NR
14. Structure				
		.. No.	128	NR
15. Treatment of agricultural lands				
		.. Hect.	500	NR

2. *Integrated soil and water tree conservation in Himalayan region*—During the year 1981-82, Rs. 110 lakhs were kept for the treatment of various sub-water sheds/grazing/pasture and agricultural land. The target works envisaged during 1981-82 alongwith achievements made upto December, 1981 under this scheme are as shown in the following table :—

Operation Soil Watch

Serial No.	Item of work	Unit	Target fixed for 1981-82	Achievements made upto December, 1981
1	2	3	4	5
Works :				
1. Afforestation of waste land degraded and eroded lands				
	(a) New	.. Hect.	3,725	2,069
	(b) Maintenance	.. Hect.	—	2,804
2. Terracing of critically eroded agricultural lands				
		Hect.	250	—
3. Raising of seedlings				
		.. Lakh	0.70	0.70
4. Stabilisation of slips (gully plugging) torrent control check dams, etc.				
	(i) Spurs	.. No.	94	220
	(ii) Check dams	.. No.	111	—
	(iii) Silt detention dams	No.	13	6
	(iv) Farm ponds	.. No.	62	41
	(v) Retaining walls	.. No.	80	28
	(vi) Stream bank stabilization	Km.	105.50	70.75
(vii) Buildings—				
	(a) New	.. No.	8	1
	(b) Maintenance	.. No.	3	2

B. Farmers lands

During the year 1981-82, soil conservation measures were adopted vigorously. The pattern of loan and subsidy provided to the different categories of farmers during 1981-82 is as under:—

Type of Farmers	Loan (%)	Subsidy (%)
1. Marginal farmers ..	66½	33½
2. Small farmers ..	75	25
3. Other farmers ..	80	20
4. Scheduled castes and scheduled tribes farmers ..	50	50

Plan for 1982-83—The schemes proposed during 1981-82 would be continued in 1982-83 in a better manner under an unified team of multi-disciplinary experts.

2.5 ANIMAL HUSBANDRY

In Himachal Pradesh where agriculture is the mainstay of the people, development of animal husbandry is an essential feature as livestock play an important role in the rural economy. The development programme includes (i) animal health and disease control, (ii) cattle development, (iii) sheep breeding and development of wool, (iv) poultry development, (v) feed and fodder development, (vi) dairy development and milk supply schemes, and (vii) veterinary education. The achievements made in these spheres during the year 1981-82 have been discussed in the following paragraphs:—

1. Animal health and disease control—There are at present 167 hospitals, 313 dispensaries and 45 out laying dispensaries functioning in the State. Through these institutions veterinary aid is being provided and prophylactic measures against various contagious diseases are being undertaken. It is also proposed to upgrade 15 veterinary dispensaries into hospitals and open 30 dispensaries and 5 artificial insemination centres during 1982-83.

In addition, 14 mobile dispensaries are also operating in the Pradesh, one each in the ten districts and two each in the districts of Kangra and Simla which provide immediate veterinary aid, besides control of out-break of epidemics. Seven clinical laboratories including 5 at the district level are in operation for providing quicker diagnosis of various animal diseases. One epidemiology unit at the State headquarters for detection/control of foot and mouth disease is also functioning in the State.

For the effective control of rinderpest which is a highly contagious animal disease, four check posts at Pandoga and Mandli in Una, Swarghat in Bilaspur and Milwan in Kangra district continued functioning in the State. Through these check posts 45 thousand incoming and outgoing animals were vaccinated during the year 1981-82. Achievements made during 1981-82 under veterinary aid programme in various institutions are given below:—

Sl. No.	Items	Achievements 1981-82**
1	Cases treated for contagious diseases (indoor and outdoor)	62,811
2	Cases treated for non-contagious diseases (indoor & outdoor)	11,50,952
3	Cases supplied with medicine but not brought to hospitals/dispensaries	69,418
4	Vaccinations performed in hospitals/dispensaries	97,203
5	Castrations performed in hospitals/dispensaries	87,791
6	Cases treated on tour—	
	(a) Contagious	80,397
	(b) Non-contagious	4,62,100
7	Castrations performed on tour	78,441
8	Vaccinations performed on tour	6,21,805

**Figures from Lahaul, Kulu & Pangi were not received.

2. Cattle development—Jersey having been found the most suitable of all the breeds for cross-breeding great emphasis is being laid on cross-breeding of bull-cows with Jersey. At some places, however, Holstein Friesien breed has also been introduced. For improving the existing breed of buffaloes as also to provide breeding facilities, artificial insemination in buffaloes is also being done in Majra Key Village block and some hospitals in Sirmur, Una, Kangra and Mandi districts. Besides, natural services for cows and buffaloes are also

available in 79 bull centres/hospitals and under Key Village Scheme and Intensive Cattle Development Project. For the successful implementation of the cattle development programme, the following specific schemes are in operation in the Pradesh :—

(a) *Key Village Scheme*—The scheme is in operation in Simla, Solan, Sirmur, Hamirpur and Una districts. Under this scheme, artificial insemination facilities are being provided through 7 Key Village Blocks and 56 Key Village Units attached with them.

(b) *Hill Cattle Development Programme*—The programme is in operation in Simla, Solan, Una, Hamirpur, Kangra, Kulu and Chamba districts and 37 centres/sub-centres are functioning under this programme. At these centres/sub-centres, Jersey/Holstein Friesien semen is being utilised for artificial insemination purposes.

(c) *Intensive Cattle Development Project*—This scheme is in operation in Simla and Solan districts with 22 intensive cattle development units (16 units in Simla and 6 units in Solan) with semen bank at Ghannahatti.

(d) *Breeding facilities through hospitals/dispensaries and Bull Centres*—With a view to further boosting the work of cross-breeding in the State artificial insemination facilities are being provided through 203 hospitals and dispensaries. Besides, natural service is being done through 29 Cow-bulls and 85 buffalo-bulls in the far flung areas where semen supply is not otherwise possible.

(e) *Artificial Insemination Centres*.—In areas where hospital/dispensary facilities are not easily available, breeding facilities are being provided through 41 artificial insemination centres in the Pradesh.

To subsidise the cost of rearing of cross-bred female calves, the government has launched a calf-rearing subsidy scheme in the Pradesh. Under this programme, subsidy in the shape of concentrates is being given to the small and marginal farmers.

The achievements made during 1981-82 under this programme are depicted below :—

Sl. No.	Item	Achievements during 1981-82*	
		Cows	Buffaloes
1	Artificial insemination	78,268	1,041
2	Natural services	2,597	8,538
3	Progeny born by artificial insemination	26,601	147
4	Progeny born by natural services	1,107	4,057

*Figures from Pangti and Kinnaur were not received.

In order to meet the demand for pure and graded bulls in the Pradesh, six Cattle Breeding Farms are functioning at Kamand (Mandi), Bhangrotu (Mandi), Karsog (Mandi), Kothipura (Bilaspur), Palampur (Kangra) and Bagthan (Sirmur). The herd strength of animals at these farms and other centres as on 31st March, 1982 was 612. These farms also help in studying the management problems of exotic animals. One semen bank with deep frozen laboratory and liquid nitrogen plant which was established at Bhangrotu (Mandi) under the erstwhile Indo-German Agriculture Project is supplying its frozen pedigreed bulls' semen to various hospitals, dispensaries and artificial insemination centres in Kulu, Mandi and Bilaspur districts and government farms. Another semen bank with frozen semen laboratory and two liquid nitrogen plants established with the collaboration of New Zealand Government at Palampur (Kangra) is also supplying frozen semen to various artificial insemination centres in the Pradesh. With the implementation of these programmes, the milk production in the Pradesh was 338.76 thousand tonnes during the year 1981-82. A sample survey under Intensive Cattle Development Project which aims at reducing the cost of milk and milk products has been completed and report has been published and circulated.

3. Sheep breeding and development of wool—

Sheep Breeding which forms major source of wool, mutton, hides and manure is also an important subsidiary source of income to the people of the Pradesh. For the improvement of sheep and wool, Government Sheep Breeding Farms at Jeori (Simla), Chamba, Nagwain (Mandi), Tal (Hamirpur), Karchham (Kinnaur) and a sheep and wool centre at Choori (Chamba) were supplying improved sheep to the farmers of the State. The flock strength as on 31-3-82 at these farms was 2,415. During 1981-82 about 527 improved sheep were distributed among the farmers. In view of increasing demand for pure boggets and the established popularity of the Soviet Marinho and American Rambouillets in the Pradesh, the State has switched over to the pure breeding at the existing Government Farms.

Under the special livestock development project for sheep development which is in operation in Sirmur district the small and marginal farmers and agricultural labourers are being supplied sheep at subsidised rates and loans are being provided for the purpose. Besides, under intensive Sheep Development Project which is in operation in Bharmour, Bhattiyat and Chamba tehsils of Chamba district, improved sheep are being distributed, dipping and drenching facilities to the breeders are provided and their

pastures are also improved. Moreover, the programme of mass drenching of sheep and organisation of training programme for progressive sheep breeders in sheep husbandry is also being undertaken. During the year 1981-82 the production of wool was 1237 tonnes.

4. Poultry development—In order to provide improved type of poultry birds and hatching eggs, the department has set-up 14 poultry farms/centres in the Pradesh.

The following achievements were made under this programme during the year 1981-82.

Sl. No.	Item	Unit	Achievements* during 1981-82
1	Average number of layers maintained at Government farms	No.	3,325
2	Eggs production	No.	7,10,258
3	Eggs used for hatching	No.	1,79,598
4	Chicks production	No.	1,19,859
5	Sale of eggs for table	No.	5,14,871
6	Sale of eggs for hatching	No.	931
7	Sale of birds for breeding	No.	80,251
8	Sale of birds for table	No.	23,584

*Figures for district Kinnaur were not received.

About 154 poultry units were established during 1981-82 under special livestock (poultry) production programme which is in operation in Simla, Bilaspur and Una districts with the financial assistance of the Government of India for the benefit of the small and marginal farmers. Besides, the intensive poultry development programme is also in operation in Una district.

5. Feed and fodder development—The maintenance and production of highly pedigreed animals depends on the availability of nutritious fodder and improved pastures. In the Pradesh due to very little cultivable land, it is very difficult to spare land for the production of fodder. However, a vast potential exists for improvement/development of grass lands and pastures in the State. As such, the government is vigorously concentrating on the activities directed towards improving feeding resources of the State. The needs of

Phalarus, Taberosa and Eye grasses which have been found most suitable to the conditions prevalent in Himachal Pradesh are being tried for further propagation. These are now being distributed to the government farms and breeders in the State for further multiplication.

6. Dairy development and milk supply scheme—With a view to provide remunerative rates to the milk producers and wholesome milk at reasonable rates to the consumers, seven milk supply schemes are functioning at Mandi, Nahan, Simla, Kangra, Chamba, Nathpa-Jhakhari and Bilaspur.

Under the composite milk supply scheme at Mandi, the milk is produced and chilled at five milk chilling centres at Sidhiani, Bhambala, Kotli, Kunnu and Kataula. The main dairy plants are at Chakkar (Mandi) and Tutu (Simla) with a capacity to handle 10,000 litres of milk per day in a single shift.

Under the Nahan Town milk supply scheme, there are four chilling plants at Nahan, Bhagthan, Sarahan and Paonta Sahib. The last two chilling plants have been installed out of the funds of S. F. D. A., Sirmur.

The milk supply scheme at Simla was started on 1st January, 1972. There are 7 milk chilling plants functioning at Simla, Rajgarh, Darlaghat, Kunihar, Maryog, Kandaghat and Nalagarh under this scheme. The last two chilling plants have been installed out of the funds of S. F. D. A., Solan. Milk from some of the chilling plants is also disposed of to the consumers of the Solan town.

A milk supply scheme for Kangra in public sector was started during 1973-74. Under this scheme, three chilling plants at Kotla, Darkata and Jalari are in operation and the scheme is intended to be intensified gradually.

The milk supply scheme at Chamba was started during December, 1978 and the chilling plant of this scheme at Saho is under construction.

In all 20 chilling plants having a combined capacity of 43,500 litres in various districts under the seven milk supply schemes are functioning in the State. The procurement of milk during 1981-82 was 47.23 lakh litres.

7. Veterinary education—Under this programme, the department sponsored 47 candidates for Stock Assistants/Veterinary Compounders course at Chamba and 3 candidates for dairy programme in different colleges in the country. Besides this, the breeders are also being trained in dairying, poultry, sheep and

other animal husbandry practices regularly.

8. Special Component Plan for Scheduled Castes—Under this programme, the members of the scheduled castes are supplied improved livestock and provided other facilities such as animal feed for six months, improvement of cattle sheds and poultry pens and insurance etc., on 50 per cent subsidy.

Plan for 1982-83.—The schemes which are already under implementation are proposed to be continued during 1982-83. The network of veterinary institutions will be increased further with a view to meeting effectively the growing requirements of veterinary aid in the Pradesh.

2.6 FOREST

Forest have a special economic significance for a State like Himachal Pradesh as they are a good source of revenue to the State exchequer, besides providing widespread means of employment to the local inhabitants. In Himachal Pradesh, forests cover an area of 21,168 square kilometres which form about 38 per cent of the total geographical area of the State (actual area under forest cover is even much less). This percentage falls far short of the directive of the National Forest Policy, according to which 60 per cent of the area of the Pradesh should be under forest. The importance of forest is reckoned from their manifold uses as they provide valuable timber, mainly of coniferous species, raw material for small and large scale industries, medicinal herbs for manufacturing ayurvedic medicines, fodder, fuel and several other major and minor produce. Besides, forests conserve the soil and regulate the flow of water in the rivers as also ensure timely and adequate rains.

With a view to meeting the long standing demand of nationalisation of forest working, management of the two Rosin and Terpentine Factories at Nahan and Bilaspur was entrusted to the Forest Corporation in the first phase, which came into being in April, 1974. In the second phase, during 1975-76, the departmental resin tapping was transferred to the Corporation. During 1976-77, one timber lot in Kotgarh Forest Division was taken up by the Corporation for working. Now all the resin blazes, which were previously being tapped by the contractors stand transferred to the Corporation. All Sal lots in Nahan Forest Division are now being worked by the Corporation. With a view to achieving the goal of complete nationalisation works coupled with more and more lots of chil and coniferous are being handed over to the Corporation.

Himachal Pradesh being the biggest producer of coniferous timber in India, which is in short supply, long term investment is being constantly increased for the development of these species in the Pradesh to meet the demands of the country.

I. Forestry Schemes—States Sector

1. *Intensification of forest management*—In order to exercise control and also to implement development programmes more effectively, Rs. 2 lakhs were sanctioned against which Rs. 0.76 lakh has been utilised to intensify forest management by strengthening the staff under this scheme during 1981-82, and similar amount is proposed for the year 1982-83.

2. *Forest research*—The role of forest research is significant both for forest management and afforestation programmes. The research work is presently being executed through the H. P. Agriculture University. For this purpose, grant-in-aid amounting to Rs. 4 lakhs has been spent by the University during 1981-82, and an equivalent amount is proposed to be spent during 1982-83.

3. Education and training—

(a) *Forestry training*—Forestry being a highly technical subject, it is essential that staff at every level is suitably trained. During the year 1981-82, an amount of Rs. 0.82 lakh was spent for imparting training in forestry to the staff. A sum of Rs. 2 lakhs is proposed to be spent for the purpose during 1982-83.

(b) *Training in basic pit saw*—This is a new scheme being implemented during this year. A sum of Rs. 0.82 lakh was spent during the year 1981-82 and Rs. 5 lakhs is proposed for 1982-83.

(c) *Training in basic logging tools*.—This is a new scheme being implemented during 1981-82. A sum of Rs. 0.71 lakh was spent during the year 1981-82, and Rs. 5 lakhs is proposed for the year 1982-83.

4. *Consolidation of forests including survey and demarcation*—In order to protect and preserve the valuable forest from encroachments, and also to introduce scientific management the work of demarcation and settlement is an essential step. During 1981-82, an estimated area of 4,000 hectares has been taken up for survey, demarcation and construction of boundary pillars in which 14,053 no. of boundary pillars were constructed/repared at a cost of Rs. 10 lakhs. A sum of Rs. 20 lakhs is proposed to be spent during 1982-83 for the survey and demarcation of 4,000 hectares.

5. *Forest protection*—In order to protect forest from fire, illicit felling and encroachments,

an amount of Rs. 9.84 lakhs was spent during the year 1981-82. During 1982-83 an amount of Rs. 13 lakhs is provided for setting up of armed flying squads and for acquiring fire fighting equipments.

6. *Working plan organisation*—Forest working plans form the base for silvicultural practices. During 1981-82, an amount of Rs. 10.2 lakhs was spent under this scheme while Rs. 12 lakhs are likely to be spent during 1982-83.

7. *Development of pastures and grazing*—This scheme aims at improving the quality and quantity of fodder by the introduction of better fodder species, both exotic and indigenous and popularising the rotational grazing practices. A sum of Rs. 10.18 lakhs was spent for treating an area of 1,200 hectares during 1981-82, while Rs. 18 lakhs are proposed for the year 1982-83.

8. *Establishment of statistical and planning cell*—Statistical and planning cell to provide reliable data for the formulation of various schemes continued to function during 1981-82. An amount of Rs. 2.87 lakhs was spent for this purpose during 1981-82, while Rs. 7 lakhs are proposed to be spent for setting up of two Evaluation Divisions and one Monitoring cell during 1982-83.

9. *Preparation of survey maps*—The undemarcated protected forest are still un-surveyed and un-mapped. In order to cover Solan, Bilaspur and Sirmur districts under less this scheme an amount of Rs. 4 lakhs was utilised for 1981-82 and Rs. 4 lakhs has been proposed for this work during 1982-83.

10. *Introductory plantation of deodar, fir, bamboo, spruce and bhabar grass, etc.*—This high priority scheme envisages the raising of extensive plantation of industrially important timber species in compact blocks. An amount of Rs. 84.41 lakhs were utilised for plantation of these species over an area of 3,599 hectares during 1981-82, while an area of 2,500 hectare is proposed to be planted with an estimated amount of Rs. 76 lakhs during the year 1982-83.

11. *Introductory plantation of fast growing species*—With a view to meeting out the ever-increasing demand for timber and to bridge the formidable gap between the existing known resources and demand, this scheme was started during the Third Five Year Plan. The programme is closely connected with the production of raw material for the pulp and paper industry in the country. In view of this, quick growing plantation yielding minimum of 10 cubic metre per hectare per annum was taken up under this programme. A sum of Rs. 84.58 lakhs was spent for raising plantation over an area of 3,513 hectares during 1981-82, while Rs. 78 lakhs are proposed to be spent for tackling an area of 2,400 hectares during 1982-83 under this scheme.

12. *Farm forestry*—This scheme aims at raising of fuel wood plantation on unculturable village waste lands, road sides and field bunds to meet the growing demand of fuel wood. With the launching of three dimensional forest farming programmes by the State Government, the object of this scheme was broadened. During 1981-82 plantation over an area of 2938 hectares at a cost of Rs. 41.83 lakhs was done besides other works. A sum of Rs. 40 lakhs is proposed for the year 1982-83 for covering an area of 9,845 hectares for raising nursery stock, fencing, plantation and other works.

13. *Seed certification and storage Scheme*—This is a new scheme being implemented during the year 1981-82 for Rs. 5.75 lakhs. This scheme is a part of Farm Forestry Scheme. Rs. 5 lakhs are proposed for 1982-83 under this scheme.

14. *Mixed plantation on waste lands/Panchayat Lands*—At present, there is an acute scarcity of fuel wood and fodder. The village common lands and Government waste lands which used to be the main source of supply of fodder and fuel wood in the past have now completely depleted. Under this scheme, it is proposed to afforest 500 hectares annually in the selected 107 sub-catchments of Sutlej, Beas, Giri-Bata, Ravi, Chenab, Yamuna, Markanda, Sirsa, Soan and Chakki and also to distribute 1.80 crores seedlings annually to the public. During 1981-82 an amount of Rs. 55.32 lakhs was spent for raising plantation on an area of 1,900 hectares. During the year 1982-83, Rs. 50 lakhs are proposed for raising plantation on an area of 1,350 hectares under this scheme.

15. *Re-afforestation/rehabilitation of degraded forests*—The scheme envisages raising of mixed plantation on waste lands and panchayat lands. A sum of Rs. 21.67 lakhs was utilised during 1981-82 for covering an area of 847 hectares under this scheme. During 1982-83 an area of 550 hectares will be covered under plantation with an amount of Rs. 20 lakhs.

16. *Dhauladhar range farm forestry*—This is a new project being undertaken in Dhauladhar range of Kangra district with the collaboration of West German Democratic Republic. The aim of the project is to increase the existing forest area by about 10 per cent and to decrease the existing cattle population including sheep and goats by about 10 per cent within a period of 8 years. For this purpose, grant-in-aid amounting to Rs. 19 lakhs was spent during 1981-82 and Rs. 20 lakhs are proposed for 1982-83.

17. *Nursery project (Indo-Newzealand)*—This is a new project being undertaken in collaboration with Newzealand. The aim of this project is to demonstrate bare-rooted nursery techniques which will produce conditioned seedlings of the main coniferous species in Himachal

Pradesh. The scheme initially aims at producing seedlings of chil-pine but subsequently Deodar, Kail, Spruce, Fir and Neoza seedlings would also be raised. For this purpose, Rs. 3 lakhs were spent during 1981-82 and Rs. 5 lakhs are proposed to be spent during 1982-83.

18. *Forestry extension organisation*—This scheme aims at setting up an Extension Organisation for forestry. This is a new scheme implemented during 1981-82. A sum of Rs. 2.12 lakhs was spent during the year and Rs. 12 lakhs are provided for the year 1982-83.

19. *Construction of roads*—For the efficient management and exploitation of forest, a system of good communications is an essential pre-requisite. An amount of Rs. 21.21 lakhs was provided for the construction of 130 km of roads/paths during the year 1981-82 against which Rs. 20.40 lakhs were spent for the construction of 49 km of roads/paths during the year under report.

20. *Construction of buildings*—An amount of Rs. 17.88 lakhs has been spent for the construction of 111 buildings at Khallini, Chakkar complexes and in other circles during 1981-82. Under this scheme, Rs. 19 lakhs are provided for the construction of 87 buildings at Khallini and Chakkar complexes and in various other circles of the Department during 1982-83.

21. *Amenities to staff and labour*—This scheme aims at providing drinking water facilities to staff and labour and irrigation facilities to various forest nurseries. During the year 1981-82, a sum of Rs. 4.50 lakhs has been spent for water supply and sanitary fittings in various buildings while Rs. 4 lakhs are proposed to be utilised for water supply, sanitary fittings and electrification of buildings during 1982-83.

22. *Publicity*—Under this scheme, Rs. 4.58 lakhs were utilised during 1981-82 for educating the public about the direct and indirect benefits of forest and the necessity of their proper management and conservation through publicity. During 1982-83 a sum of Rs. 8 lakhs is proposed for this work.

23. *Development of National Himalayan Zoological Park*—For displaying the fauna of the Himalayan region, a high altitude Zoological Park is being set up at Simla. A sum of Rs. 7.84 lakhs has been spent during 1981-82 and Rs. 8 lakhs are proposed to be spent during 1982-83 for the establishment of this park.

24. *Nature conservation including wild life sanctuaries*—This Pradesh is known for a variety of game animals and birds. This scheme aims at improving the game

sanctuaries and shooting blocks so as to afford protection to the species facing extinction. During the year 1981-82, Rs. 7.74 lakhs were spent under this scheme for the development of game sanctuaries in Solang valley in Kulu district and Renuka area of Sirmur district. An amount of Rs. 9 lakhs is proposed for the year 1982-83.

II. Tribal Sub-Plan

For the development of forests in tribal areas of the Pradesh, the following schemes are under implementation under the Tribal Sub-Plan :—

1. *Forest protection*—This scheme aims at facilitating protection of forest against illicit felling, encroachments, fire, etc. A sum of Rs. 1.04 lakhs was spent under this scheme during 1981-82 while Rs. 1 lakh will be spent for the creation of telephone lines and cutting and cleaning of fire lines, etc., during 1982-83.

2. *Development of Pastures and grazing lands*—The rehabilitation and development of pastures is very essential because the economy of the people living in tribal areas depends on breeding of sheep and goats. Under this scheme, an amount of Rs. 1.68 lakhs has been utilised for the development of pastures and grazing lands on 136.50 hectares while Rs. 1 lakh is proposed to be spent during 1982-83.

3. *Introductory plantation of deodar, fir, khair, spruce etc.*—This scheme aims at raising plantation of important indigenous species like Kail, Juniper, Robinia, etc. An amount of Rs. 3.75 lakhs was spent during 1981-82.

4. *Introductory plantation of fast growing species*—Under this scheme, Rs. 8.30 lakhs were utilised during 1981-82 for raising plantation of fast-growing species for the coverage of an area of 176 hectares in tribal areas.

5. *Farm forestry*—Lahaul-Spiti district and upper reaches of Kinnaur, Bharmour and Pangi areas are highly deficient in timber, firewood and fodder resources. This scheme envisages at raising of fuel wood plantation such as willow, robinia, poplar, hypohae, craigian quercusilex, etc. on village private lands, waste lands and road sides through artificial irrigational facilities like kuhls, etc. The Forest Department proposes to help the people by supplying plant cuttings and seeds of various species of trees and grasses besides providing technical know-how in this regard. During

1981-82, a sum of Rs. 10.86 lakhs has been utilised for planting an area of 88.5 hectares.

6. *Amenities to staff and labour*—An amount of Rs. 1.07 lakhs was spent for providing drinking water facilities to the staff and labour colonies, sanitary fittings and electrification of 22 buildings during 1981-82.

7. *Construction of roads*—During 1981-82, a sum of Rs. 1.75 lakhs was utilised for the construction of 21 km of roads /paths.

8. *Construction of buildings*—In order to meet the dearth of accommodation for offices, residential buildings, rest houses and inspection huts in tribal areas, an amount of Rs. 1 lakh has been spent for the construction of 3 buildings during 1981-82.

III. Centrally sponsored schemes (50 : 50 share) on social forestry

1. *Rural fuel wood plantation including tree for a child*—This is a new scheme which aims at raising of fuel wood plantation on Government waste lands and village common lands and along the sides of roads, etc. This scheme will also include "A tree for every child". This programme will consist of supplying of seedlings to farmers and children free of charge. The central subsidy for this programme will be 50 per cent of the actual cost incurred in raising the seedlings, etc. Under the scheme, during the year 1981-82 a sum of Rs. 32.39 lakhs (including central share) was spent for raising plantation on an area of 1549 hectares. An amount of Rs. 31 lakhs (State share only) is proposed for the purpose for the year 1982-83 with an area of 1,855 hectares for raising plantation.

IV. Centrally sponsored forestry scheme

Regeneration of Chilgoza Pine (Tribal Areas).—Chilgoza forest which are valued for edible seeds are found in dry zones of Kinnaur district and in limited extent in Pangi over an area of about 2,060 hectares. The local inhabitants of these areas have the right of collection of these seeds which is a source of substantial income to them. During 1981-82, a sum of Rs. 2.50 lakhs was spent for fencing work over an area of 95 hectares, preparation of nurseries of chilgoza and sowing of neoza seedlings. During 1982-83, an amount of Rs. 3 lakhs is proposed for sowing of neoza seeds on an area of 100 hectares.

Plan for 1982-83—The programme of work for the year 1982-83 under every scheme has already been discussed in above paragraphs.

2.7 FISHRIES

With abundance of fresh water streams and lakes a vast potential exists for the scientific propagation of fisheries to meet the supplemental food requirements of the population as well as for meeting the needs of tourists in the Pradesh.

In order to ensure co-ordinated development of the various aspects of fisheries in the Pradesh, twelve plan schemes which have been included in the Sixth Five Year Plan 1980-85 remained under execution during the current year 1981-82. The physical achievements made during the current year are as under :—

Item	Unit	Target fixed for the year 1981-82	Achievements		Target fixed for the year 1982-83
			up to October, 1981	Likely achievements upto March, 1982	
1. Production of mirror carp	Million	4.00	3.70	4.00	4.50
2. Production of trout seed	Lakh	8.00	—	8.00	8.00
3. Fishermen registered	No.	7,600	6,567	7,600	7,600
4. Fish production	Tonnes	2,500	1,462	2,500	2,600

The policy regarding the exploitation of fish from the reservoirs has undergone radical changes during 1976-77. Under this policy, fishing in reservoir is allowed only through the co-operative sector. Nine Primary Fishermen Co-operative Societies for Gobindsagar reservoir and 8 such Co-operative Societies for Pong Dam reservoir have been organised which are also undertaking the marketing of fish caught from these reservoirs. The fishermen members of the societies of Gobindagar reservoir pay a licence fee of Rs. 50 per annum per gill net for fishing, while these societies in turn pay an additional fee at the rate of 10% of the gross sale proceeds to the Government. In Pong Dam reservoir, no licence fee is charged but the societies pay 15% of their gross sale proceeds to the Government as fee. This arrangement has resulted in increased production of fish from the reservoirs as well as in bringing more revenue to the State Exchequer. The following table gives the progress of fish production from the reservoirs and the revenue earned from

1976-77 to 1980-81 as a result of this policy of the Government :—

Year	Fish production from reservoirs (tonnes)	Revenue earned (Rs. in lakhs)
1976-77	644.77	3.48
1977-78	971.00	4.34
1978-79	1,291.27	5.36
1979-80	1,312.00	6.38
1980-81	1,277.00	7.05

Plan for 1982-83—The Department envisages to implement 12 schemes with an outlay of Rs. 35 lakhs during 1982-83, out of which Rs. 3.50 lakhs will be spent on Tribal Sub-Plan and Rs. 3 lakhs will be spent on Special Scheduled Castes Component Plan. 45 lakhs fish fry is proposed to be produced/purchased besides the production of 6 lakhs of ova from the existing farms during 1982-83 to meet the fish seed requirement of reservoirs and other impounded waters. The production of fish is expected to go upto 2,600 tonnes and the number of licensed fishermen to 7,600. One Fisheries Officer and one Sub-Inspector of Fisheries besides three stipendiary candidates will be deputed for training at Central Inland Fisheries Institute, Barrackpore and Agra. In addition, 50 farmers will be imparted training in fish culture. Ten hectares of rural impoundment is proposed to be improved and brought under fish culture. Under the Tribal Sub-Plan, it is proposed to continue the survey being undertaken for exploring possibilities of pisciculture. In addition, it is also proposed to produce 50,000 trout ova from the Trout Farm at Sangla in Kinnaur district.

2.8 CONSOLIDATION OF HOLDINGS

Consolidation of holdings plays an important role towards increasing agricultural production. Its significance assumes even added proportions in a hilly terrain like that of Himachal Pradesh where the holdings of the farmers are fragmented into tiny plots and are widely scattered. In view of such an importance of this programme, consolidation of holdings operation is being carried out vigorously in the semi-hilly areas of the Pradesh under Plan and Non-Plan schemes. While operations in Kangra, Hamirpur, Mandi and Una districts are being carried out under Plan schemes, parts of districts of Bilaspur and

Solan of the Pradesh are being covered under Non-plan schemes.

Under the Non-Plan schemes, the target provides for the consolidation of 10,000 acres (4,047 hectares) with 40 patwaris and 37,500 acres (15,176 hectares) under Plan schemes with 150 patwaris during the year 1981-82. However only 117 patwaris remained in physical position achieving a target of 37,177 acres (15,045 hectares) against the required target of 29,250 acres (11,837 hectares). During the year, a new post of Additional Director, Consolidation of Holdings has been filled-up.

Plan for 1982-83.—A new settlement office circle is likely to be opened during the year 1982-83 under the new 20 point programme.

2.9 LAND REFORMS

Like previous years, various agrarian reforms/laws were continued to be implemented through two revenue divisions located at Simla (South) and Dharamsala (North). The achievement recorded under these reforms/laws in North and South Divisions in the current year are summarised in the following paragraphs :—

1. *Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972*—The H.P. Ceiling on Land Holding Act, 1972 which came into force on the 28th July, 1973, had been enacted on the basis of the National Guidelines. Consequent upon the enforcement of this Act, 1621 cases were brought under consideration out of which 1619 cases have since been disposed of in North Division. The remaining two cases are expected to be disposed of shortly. By the implementation of this Act, 97,139.47 acres of land was declared surplus and vested in favour of the Government. Out of this, 2,425.96 acres land has been distributed amongst 3,219 landless and eligible persons in the Division. In South Division, out of 1,092 cases, 1,086 cases stand decided upto December, 1981. The remaining 6 cases are under process and are likely to be decided shortly.

2. *Allotment of land to landless and eligible persons*—With a view to detecting the number of landless and eligible persons for allotment of land, a survey was conducted/started last year. The district wise position in regard to the landless persons and land allotment is given below :—

District	No. of landless and eligible persons allotted land	Area allotted (Acres)
1	2	3
I. North Division (upto 14-11-1981)		
1. Kangra	19,846	14,173

District	No. of landless and eligible persons allotted land	Area Allotted (Acres)
1	2	3
2. Kulu ..	7,037	4,059
3. Hamirpur	7,687	5,745
4. Una ..	8,503	8,244
5. Mandi ..	13,882	11,863
6. Chamba ..	6,356	5,813
7. Lahaul-Spiti	469	185
II. South Division (Upto 31-12-81)		
8. Solan ..	148	108
9. Sirmur ...	328	255
10. Bilaspur ..	490	265
11. Kinnaur	8	3
12. Simla ..	561	326

3. *Financial assistance to new allottees of land*—Financial assistance is being provided to all the new allottees of land to enable them to break land, buy bullocks and carry out improvements etc. Financial assistance amounting to Rs. 9.39 lakhs was provided for the year 1981-82 by the North Division and Rs 0.67 lakh under Head 704—Interest free loans and Rs. 1.91 lakhs under Head 705—Loans other than Horticulture by the South Division, upto 31-12-1981.

4. *Conferment of proprietary rights on non-occupancy tenants*—Chapter X of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 provided for acquisition of proprietary rights by non-occupancy tenants. Division-wise progress with regard to the implementation of this Act is summarised below :—

North Division—Out of 3,08,184 identified non-occupancy tenants, 2,62,029 non-occupancy tenants have been granted proprietary rights upto November, 1981, leaving a balance of 46,155 non-occupancy tenants. This balance has remained since the land owners in these cases are minors, widows, army personnel and some of them are incapable. The tenants of such land owners will be granted proprietary rights as soon as they become eligible.

South Division—There were 1,19,008 non-occupancy tenants. During the period from 1st January, 1981 to 31st December, 1981, proprietary rights were conferred on 16,880 non-occupancy tenants; thus bringing the total number of non-occupancy tenants who have so far acquired proprietary rights to 1,06,872. The remaining non-occupancy tenants are possessing land of such land owners who are either minor, widows or defence personnel and as such proprietary rights cannot be conferred upon them.

5. *H.P. Village Common Land (Vesting and Utilisation) Act, 1974 and Rules*—With the enforcement of said Act, all the shamlat lands with some exemptions have been vested in favour of the State Government. According to the provision of the said Act, fifty per cent of the land has been reserved for the common purpose of the villages while the rest has been put for the distribution to the landless and eligible persons. Out of the "allotable pool", the land without the growth of forest has been allotted to deserving persons accordingly. As most of land vested in favour of Government consist of forest growth, the matter has been taken with the Forest Authorities to handover the possession of such land. In this regard, Forest Department is conducting a Survey and as soon as it is completed, the possession of such land will be taken over.

6. *Distribution of Kissan Pass Books*—The Division-wise progress in regard to the distribution of Kissan Pass Books is given below:—

North Division—During the year under review, 1,82,237 Kissan Pass Books were prepared and 1,75,861 Kissan Pass Books were distributed to the right holders.

South Division—During the period 1st January, 1981 to 30th September, 1981 12, 583 Kissan Pass Books were prepared and 10,186 were distributed to the right-holders in respect of this Division.

7. *Removal of encroachments*—The Division-wise progress of this item is summarised below:—

North Division—During the year 1981, 3,943 cases of encroachment over Government land including the previous year's balance were detected, out of which 1,437 cases have been decided. The pending cases will also be disposed of shortly.

South Division—During the period 1st January 1981 to 31st December, 1981, 1,261 more encroachment cases over Government land were detected, thereby bringing the total number of such cases for disposal during the year to 1,865. Out of this, encroachments in 883 cases have been removed. The remaining 982 cases are expected to be cleared shortly.

8. *Disposal of revenue cases*—During the year 1981-82 upto November, 1981, 34,987 revenue cases of various kinds were received for disposal, out of which 28,752 cases have been disposed of by the Revenue Officers, leaving a balance of 6,235 cases in the North Division.

In the South Division, 4,513 cases were pending of 30th November, 1981. Upto 30th November, 1981, the number of cases instituted before various Revenue Officers/courts was 16,171 thus bringing the total to 20,684, out of which 15,177 cases were disposed of.

9. *House sites*—In North Division 4,025 house-less persons have been allotted house-sites up-till now from the commencement of this programme.

Plan for 1982-83.—The implementation of land laws will be continued. The programme of distribution of shamlat land and Government waste lands in a phased manner will continue and further progress will be made in regard to the distribution of Kissan Pass Books and removal of encroachments, etc. during the year 1982-83.

3. CO-OPERATION AND RURAL INTEGRATED DEVELOPMENT

3.1 CO-OPERATION

The Co-operative movement is fully established in the life and soil of Himachal Pradesh. The number of all types of Co-operative Societies as on 30th June, 1981 was 3,368 in the Pradesh. Out of these, the number of primary agricultural credit societies was 2,166 which covered the entire Pradesh.

The level of Co-operative development in the Pradesh in terms of major indicators of development is reflected in the following table:—

Serial No.	Item	Unit	1979-80	1980-81
1	Societies of all types	(No.)	3,487	3,368
2	Membership ..	(Lakhs)	7.10	7.21
3	Share Capital ..	(Rs. lakhs)	1,338.24	1,554.09
4	Deposits ..	(Rs. lakhs)	4,514.78	5,258.51
5	Short term and medium term loans advanced	(Rs. lakhs)	615.95	782.25
6	Long term loans advanced	(Rs. lakhs)	29.17	29.90
7	Value of agricultural produce marketed by co-operative societies at various levels	(Rs. lakhs)	506.73	490.34
8	Retail distribution of consumer articles by co-operatives	(Rs. lakhs)	734.54	1,358.12
9	Distribution of agricultural inputs (Retail)	(Rs. lakhs)	405.60	426.75
10	Total marketing (All types) through co-operatives	(Rs. lakhs)	731.72	732.39
11	Coverage of rural population	(Per-cent)	85	85

However, the co-operatives have yet a lot to do in the economic development of the State. A brief account of the progress made during the year under report under various programmes by the Co-operatives is discussed below:—

1. *Co-operative credit*—The Co-operative Societies are engaged with institutional agencies for credit advancement in the villages for the development and operational activities. The

major objectives of the national policy in the Sixth Plan aims at building up of a strong and viable Co-operative sector capable of meeting the credit needs of the small farmers, workers and consumers. Reorganisation of Co-operative agricultural credit societies was, therefore, accorded top priority. Long-term finances are being provided by the Himachal Pradesh Central Land Development Bank Ltd., and the Primary Land Development Bank Ltd., Dharmsala. These banks advanced long term loans to the farmers for various agricultural purposes.

2. *Marketing*—This Pradesh has a sizeable marketable surplus of cash crops like seed potato, tea, ginger, apples, etc. The Co-operatives are thus playing an important role in marketing of their surplus.

3. *Distribution of consumers' goods*—Primary Co-operative societies are the most suited agencies for the distribution of essential commodities of mass consumption, particularly in the remote corners of this hilly Pradesh.

4. *Supply of inputs*—The Co-operatives have got an important role in the supply of agricultural inputs in order to increase the agricultural production. During the year under review, the Co-operatives supplied agricultural inputs viz. fertilizers, improved seeds, etc. to the farmers. The Co-operatives are expected to supply agricultural inputs in retail to the tune of Rs. 450 lakhs during the year 1981-82.

Plan for 1982-83.—The schemes in operation during 1981-82 would be continued to be implemented more vigorously to fulfil the objections set for the co-operatives.

3.2 RURAL INTEGRATED DEVELOPMENT

The Community Development Programme which is known as Rural Integrated Development Programme from early seventies was started in the Pradesh from 2nd October, 1952 with a view to stimulating economic development consistent with social justice. A concerted and integrated effort towards meeting this end was initiated and today 69 Development Blocks are functioning in H. P. The main objectives which Rural Integrated Development seeks to achieve are summarised below:—

- (i) More production,
- (ii) More employment,

- (iii) More equitable distribution of income,
- (iv) More investment on the rural poor, and
- (v) More awakening among rural masses towards :—
- (a) Health and hygiene
(b) Nutrition, and
(c) Social, economic and cultural activities.

With these objectives in view, the Rural Integrated Development Department has several programmes in hand. The programmes are detailed below :—

1. *Community development*.—The underlying objective of this programme is the integrated development of the rural people with the initiative and participation of the village community. R. I. D. programme is based on the schematic pattern envisaged under the old Community Development Programme. The outlay for the year 1981-82 and expenditure (tentative) upto 31st March, 1982 are shown below :—

	(Rs. lakhs)
Outlay for 1981-82	Expenditure (Tentative) during 1981-82
47.28	47.28

The programme of work undertaken under Community Development during 1981-82 are listed below :—

Education.—Construction/repair of Primary School Buildings, etc.

Social education.—Organisation of cultural programmes, rural sports and meets, etc.

Communications (Roads).—Construction of kutchha roads, bridle paths, etc.

Composite programme.—Promotion and strengthening of Mahila Mandals and Yuvak Mandals, training of associate women workers, incentive awards to Mahila Mandals, Organisation of Sammelans for non-officials, etc.

Housing.—The housing needs of staff in the field and the office buildings etc.

In addition to the above, conservation of the forest wealth and introduction of new technology etc., are covered under this programme. A sum of Rs. 4 lakhs has been incurred for

installation of gobar gas plants. Five such demonstration plants in animal husbandary farms and 50 plants by the individuals are installed.

2. *Minor irrigation*.—It was proposed to bring an area of 1,000 hectares under irrigation during 1981-82 for which a sum of Rs. 25 lakhs was provided for the purpose. A sum of Rs. 25 lakhs (tentative) has been incurred during 1981-82.

3. *Public health and water supply*.—During 1981-82, a sum of Rs. 25 lakhs was allocated to provide drinking water to 126 hamlets comprising 6,400 souls. Out of this, Rs. 24.68 lakhs (tentative) has been spent during 1981-82.

4. *Applied nutrition programme*.—This programme is basically an educational programme aiming at a change in the food habits of the rural folk. Setting up of poultry units, raising of kitchen gardens, providing nutritious food to the children of weaker sections and expectant mothers are the main components of this programme. An outlay of Rs. 20 lakhs was allocated for this programme for the year 1981-82 against which a sum of Rs. 20 lakhs has been incurred. Five additional Development Blocks namely Rohru, Gopalpur, Nalagarh, Nurpur and Mehla were brought under ANP during the year under report. So far 49 blocks have been covered under this programme.

5. Centrally Sponsored Programmes

(i) *Integrated Rural Development Programme*.—The main objectives of this programme are to raise 600 families out of the identified rural target groups (persons living below the poverty line) to cross the poverty line and to create substantial additional opportunities of employment in a year per block. This programme is being implemented on 50:50 sharing basis with the Government of India. An amount of Rs. 161.10 lakhs has been incurred during 1981-82 against plan outlay of Rs. 207 lakhs fixed under this programme for 1981-82 (State's share). The target to cover 41,400 rural poor families during 1981-82 by providing a package of services against which 34,877 families have actually been covered during 1981-82 and were given the benefits, under this programme. Besides, 14,952 cases of beneficiaries were pending with various bank branches for sanctioning of loans. This way the benefit has accrued or deemed to have accrued to 49,829 families during 1981-82. Training of rural youth for self employment (TRYSEM) is a part of this programme under which "Learning by doing" sort of training is imparted to the interested youths of the identified families in their native villages free of cost by attaching them to master craftsmen. 2,760 such youths were trained during the year 1981-82 against which 3,076 youths were undergoing training and upto

March, 1982. 2,056 youths have established themselves in the trade for which they underwent training.

(ii) *National Rural Employment Programme*—The main objective of this programme is to give employment to the rural youth when he stays off-farm and to create durable community assets such as, construction of school buildings, rural roads, panchayat ghars, etc. Besides, the scheme of social forestry was also taken up during 1981-82 and more than two lakh fodder and fruit saplings were planted in properly fenced areas in the different development Blocks. It was proposed to generate 12,50,000 mandays under National Rural Employment Programme, during 1981-82 against which 12,38,500 mandays were generated out of the cash component of NREP. A sum of Rs. 120 lakhs has been spent during 1981-82 under this programme on the construction of 148 school buildings, 45 panchayat ghars, 9 Community Centres, 96 rural roads, 18 bridges, 7 street pavements, 57 bowlis/wells, 8 irrigation kuhls, 9 cattle ponds and 75 social forestry projects.

(iii) *Desert Development Project in Spiti*.—This programme is being implemented in the Spiti Block of Lahaul-Spiti district as a centrally sponsored scheme on 50 : 50 sharing basis since 1979-80. The programme aims at checking the desertification and improving the area for agriculture, horticulture, animal husbandry, fisheries etc. A sum of Rs. 32.88 lakhs was spent as State share under this programme during 1981-82. In addition to the above expenditure, Rs. 3 lakhs which was advanced during 1980-81 for the programme to be taken up during 1981-82 was also utilised. This programme is being extended to Pooch Block of Kinnaur district during 1982-83 on the receipt of additional funds on Spiti pattern from the Government of India.

Plan for 1982-83.—All the 69 blocks in the Pradesh are operating in post stage II phase. The work programme during the year, 1982-83 will continue according to R. I. D. pattern alongwith other special programmes for attacking poverty on all fronts.

3.3 PANCHAYATS

In a democratic set up like India, Panchayats have got a vital role to play. Through these institutions, efforts are being made for inculcating community feelings among the rural people and manifold development and judicial functions are being carried out successfully for the uplift of the villages. Presently, there are 2,355 Gram Panchayats, 69 Panchayats Samitis and one Zila Parishad functioning in the State under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968. Elections for Gram Pan-

chayats were conducted in November, 1978. However, the programme for conducting elections of the Panchayat Samitis and Zila Parishads is under the consideration of the Government.

With a view to imparting training to the office bearers of the Panchayats so as to enable them to discharge their functions efficiently, a training programme each has been conducted at Baijnath and Mashobra training centres to impart training to Pradhans and Up-Pradhans in the first phase and Panches in the second phase. During the year 1981-82, 7 Pradhans, 6 Up-Pradhans and 4,283 Panches were imparted training. The Panchayati Raj Bodies are making sincere and concerted efforts for all round development in rural areas. During the year, 1981-82, Panchayati Raj Bodies were responsible in carrying out the following developmental and judicial work in the Pradesh:—

	Through Panchayats	Through Panchayat Samitis
A. <i>Developmental works done</i>		
1. Roads constructed (km) ..	584	184
2. Roads repaired (km.)	617	59
3. Village paths constructed (km) ..	1,308	307
4. Village paths repaired (km) ..	2,992	217
5. Kuhls constructed (km)	214	94
6. Kuhls repaired (km)	1,204	90
7. Bowlies constructed (No.) ..	273	125
8. Bowlies repaired (No.)	1,494	66
9. Water supply schemes constructed (No.) ..	291	130
10. Water supply schemes repaired (No.) ..	159	24
11. Tanks constructed (No.)	374	—
12. Tanks repaired (No.) ..	177	—
13. Irrigation tanks constructed (No.)	—	—
14. School bhawans constructed (No.) ..	278	94

	Through Panchayats	Through Panchayat Samitis
15. School Bhawans repaired (No.)	422	66
16. Bridges and culverts constructed (No.)	215	69
17. Bridges and culverts repaired (No.)	323	—
18. Pavement of streets (No.)	—	40
19. Manure pits dug (thousand)	66	—
20. Trees planted (lakh)	29	—
21. Balwari centres established (No.)	—	297
22. Sewing centres established (No.)	—	244
23. Mahila Mandals established (No.)	—	582
24. Yuvak centres established (No.)	—	288
25. Entertainment centres established (No.)	—	—
B. Judicial work.		
1. Opening balance of un-decided cases/suits during 1980-81 (No.)	6,462	—
2. Cases/suits instituted during the year (No.)	10,215	—
Total	16,677	—
3. Cases/suits disposed of during the year (No.)	11,231	—
4. Balance (No.)	5,446	—

During the year 1981-82 a sum of Rs. 18 lakhs has been allotted for various schemes as under :—

1. *Creation of remunerative assets.*—Under this scheme, a sum of Rs. 1.50 lakhs stands allotted for advancing loans to Panchayati Raj Bodies for raising of orchards, construction of stalls/shops and residential quarters, etc. Upto March, 1982, Rs. 1.50 lakhs were advanced as loans to 4 Panchayati Raj Bodies for the purpose under this scheme.

2. *Matching incentive grant to Panchayati Raj Bodies for stepping up their tax efforts.*—Under this scheme, Rs. 5.93 lakhs have been sanctioned for grant to Panchayati Raj Bodies for stepping up their tax efforts during 1981. Upto March, 1982 Rs. 5.85 lakhs have been utilised under this scheme.

3. *Construction of panchayat bhawan at Simla.*—Rs. 5.59 lakhs have been spent upto March, 1982 for the construction of Panchayat Bhawan at Simla against total outlay of Rs. 1 lakh under this scheme.

4. *Construction of panchayat ghars.*—Under this scheme, a sum of Rs. 2 lakhs for the construction/repair of 9 Panchayat Ghars at the rate of Rs. 20,000 per Panchayat Ghar in non-tribal areas and Rs. 25,000 per panchayat ghar in Tribal areas was provided during 1981-82. Upto March, 1982 a sum of Rs. 3.08 lakhs have been spent for the construction/repair of 19 panchayat ghars under this scheme.

5. *Assistance to panchayat libraries.*—A sum of Rs. 0.60 lakh has been earmarked for the purchase of books and magazines, etc. under this scheme and the total outlay stands incurred upto October, 1981.

6. *Organisation of sammelans/seminars.*—No amount of money could be spent upto March, 1982 against the provision of Rs. 0.30 lakh under this scheme.

7. *Panchayat prize competition.*—Under this scheme, a sum of Rs. 0.27 lakh stands provided for distribution of prizes to the best Panchayats at district and State level. At the State level, Rs. 7,000, Rs. 5,000 and Rs. 3,000 are awarded to the first, second and third best Panchayat in the State, respectively, while at the district level, Rs. 1,000 are awarded to the best panchayat in the district. A sum of Rs. 0.27 lakh has been incurred under this scheme upto March, 1982.

8. *Construction of Samiti Office buildings.*—Against the provision of Rs. 1.31 lakhs under this scheme, Rs. 1 lakhs have been incurred upto March, 1982.

9. *Construction of buildings of panchayat training institutes, Mashobra and Baijnath.*—No expenditure could be incurred upto March, 1982 under this scheme against Rs. 1 lakh provided for the construction/repairs of these buildings. The amount was diverted towards the construction of Panchayat Bhawan at Simla.

10. *Maintenance grant for running Panchayat Samiti Offices.*—To maintain financial

position of Panchayat Samiti Offices, Rs. 1 lakh have been sanctioned for 20 Panchayat Samitis upto March, 1982 against total outlay of Rs. 1 lakh for 20 Panchayat Samitis at the rate of Rs. 5,000 per Samiti as maintenance grant during 1981-82 under this scheme.

Moreover, against the provision of Rs. 2.09 lakhs for "Strengthening of District Offices to

cope with additional work of Zila Parishads," only 4 posts of Head Clerks out of 6 posts of Head Clerks have been filled-in under this scheme.

Plan for 1982-83.—Besides, the discharge of judicial functions, a sum of Rs. 18 lakhs have been provided for the implementation of various developmental schemes during 1982-83.

4. MULTI PURPOSE PROJECTS AND POWER

4.1. MULTIPURPOSE PROJECTS AND POWER

Hydro-electricity has a vital role to play in the economic uplift of the Pradesh. Himachal Pradesh has almost inexhaustible potential for this energy generation as compared to other sources of energy which are fast depleting and are consequently becoming costlier. With a view to achieving the objectives of rapid agricultural and industrial development of the Pradesh and as also to earn revenue by supplying the surplus electricity to the power hungry adjoining States, Himachal Pradesh State Electricity Board is giving top priority to the execution and investigation of various hydro-electric projects found to be economically exploitable. Simultaneously, the work on strengthening and expansion of transmission net-work throughout the Pradesh has been taken up to ensure optimum growth of rural electrification and industrialisation.

1. Generation

A. Power houses in operation

At the end of March, 1981, Himachal Pradesh had a total installed capacity of 128.78 MW. The generation of electricity is wholly dependent upon the availability of water. Details of generation are as under :—

(In Million Units)			
Generating Stations	1980-81 (Actuals)	1981-82	1982-83 (proposed)
1	2	3	4
1. Giri ..	76.173	} 431.60	250.000
2. Bassi (45 MW) and Bassi Augmentation (15 MW) 1982-83 ..	149.970		250.000
3. Micro sets and others ..	18.793		25.000
Total ..	244.936	431.60	525.000

The shortfall in generation during the year 1980-81 has resulted from the closure of Giri Power House for about 5 months due to damage caused to it by floods. Generation in Bassi Power House was also less since adequate

water was not available as a result of augmentation of Shanan Power House being in progress. Now that, PSEB have completed the Shanan Augmentation, the additional installed capacity of 15 MW in Bassi Augmentation would be put to generation in 1982-83.

B. Projects under construction

1. *Rongtong Hydel Project (2MW)*.—This project having an installed capacity of 2 MW is located at an altitude of 12,000 feet in Spiti valley of Lahaul-Spiti district. This project was sanctioned in the year 1976 at an estimated cost of Rs. 2.81 crores, the latest estimate, of which is of Rs. 6.79 crores. On completion in March, 1985 the project will generate 8.87 MU of energy annually. During the year 1982-83, a sum of Rs. 120 lakhs is proposed to be spent on this project.

2. *Sanjay Vidyut Pariyojna (Bhaba) (120 MW)*.—The work on this project was started in 1977-78. The latest revised cost of this project is Rs. 68.60 crores. The first generating unit of this project is likely to be commissioned during 1985-86. On completion, this project will generate 435 MU of energy annually. During the year 1982-83, a sum of Rs. 7 crores is proposed to be spent on this project.

3. *Andhra Hydel Project (15 MW)*.—This project was started in the year 1978-79 in Rohru tehsil of Simla District. The latest revised cost of this project is Rs. 21.43 crores. On completion, this project will generate 87 MU of energy annually. During the year 1982-83 a sum of Rs. 3 crores is proposed to be spent on this project. The project is expected to be commissioned in March, 1984 according to revised estimates.

4. *Binwa Hydel Project (6 MW)*.—Situated in Kangra District, the work on this project was started in the year 1977-78. The latest revised cost of this project is Rs. 9.84 crores. When completed by July, 1983, the project will generate 30 MU of energy annually. During the year 1982-83, a sum of Rs. 3 crores is proposed to be spent on this project.

5. NEWS CHEMES

Nathpa-Jhakeri (1020MW).—The prestigious 1020 MW Nathpa Jhakri Project has been agreed to be implemented in a tripartite agreement between the between the State Governments of Himachal Pradesh, Haryana and Centre through National Hydro Power Corporation. Considerable work

of the preparatory nature has already been done by Himachal Pradesh. Recently; a delegation from Brown Boveri of Swizerland visited the site to examine if our own estimate of completing the project in 7—8 years could be reduced. The team has indicated that due to excellent locationing of the project it can be completed within 5 years. In fact, they will submit a proposal to Government of India offering a package of technology and finances to undertake this project on a turn-key basis. Preliminary works connected with the new schemes/projects to be executed during the Sixth Five-Year Plan were also under taken by the H.P.S.E.B. The new projects are under various stages of processing include ^{which} (3 MW) and Khauli (10 MW), Bassi Stage III (60 MW), Kilar (0.2 MW) and Sal stage I and II (20 MW).

The project report of Baner project (6 MW) has been cleared by the Planning Commission at an estimated cost of Rs. 7.21 crores and the work on this project may be taken up during the year 1982-83. The Central Electricity Authority has also, cleared Gaj (10.5 MW) and Neogal (4.5 MW) projects.

II. Transmission and Distribution System

For the integrated operation of various power houses and for making power available to the industries and for rural electrification, the expansion of transmission and distribution network is imperative. The high voltage transmission lines are beneficial for reducing T and D losses. The following major transmission lines are in progress :—

Transmission line	Likely Completion date
132 KV Giri.-Solan ..	March, 1983
132 KV Dehar-Hamirpur	March, 1984
132 KV Solan-Simla ..	March, 1984
132 KV Hamirpur-Kangra	March, 1985
132 KV Giri-Paouta ..	March, 1985
132 KV Jassore-Dalhousie	March, 1984
66 KV Jatog-Bhaba ..	March, 1983
220 KV Jassore sub-station	March, 1984

The work on 132 KV Majri-Abdullapur line and 132 KV Dehar-Simla transmission line have been completed. Besides, 132 KV Sub-station at Jatog has been commissioned.

III. Rural Electrification The rural electrification programme is quite strenuous and expensive in the mountainous and sparsely populated villages of Himachal Pradesh. Out of the total 16,916 inhabited villages of the Pradesh 11,217 villages were electrified by the end of March, 1982. The percentage of electrified villages now comes to 66.3. Besides, 1,931 pump sets also stand energised upto March, 1982.

IV. Investigation

In order to tap vast hydel potential available in the Pradesh, it is essential to carry out detailed investigation on various rivers so that a shelf of hydel projects is kept ready for execution according to requirements. Projects/schemes which stand investigated or are under various stages of investigation are as under :—

Sr. No.	Name of the Project	Proposed installed capacity in MW
1	2	3
1	Nathpa Jhakri (Sutlej Basin)	1,020
2	Parbati (Beas Basin)	1,900
3	Malana (Beas Basin)	50
4	Kol-Dam (Sutlej Basin)	600
5	Gyspa	240
6	Baspa in two stages (Sutlej Basin)	400
7	Chamera in two stages (Ravi Basin)	640
8	Dadahu Dam (Yamuna Basin)	40
9	Larji (Beas Basin)	140
B. Small Hydel Projects :		
1	Bassi Stage-III	60
2	Allain Nallah	48
3	Duhangan	12
4	Neogal (Now cleared)	4.5
5	Gaj (Now cleared)	10.5
6	Sholding	12
7	Khauli	10

The projects for which special assistance in the form of grant-in-aid for survey and investigation has been sought from Ministry of Energy, Government of India, are as follows :—

Major projects :

1. Nathapa-Jhakri	1,020 MW
2. Baspa	400 MW
3. Gyspa	240 MW
4. Parbati	1,900 MW

Medium projects :

1. Bassi Stage-III	60 MW
2. Khauli	10 MW

Plan for 1982-83.—During the year 1982-83, construction work on various continuing hydel schemes shall be accelerated, apart from the work which is proposed to be taken up on some new small schemes. Moreover, the work on some new transmission and distribution lines is also proposed to be taken up, in addition to those, the work in respect of which is already in hand. Under the rural electrification programme, about 1,445 more villages will be electrified in 1982-83, including the additional funds made available by REC for hundred per cent electrification of three tehsils, i.e. Kangra, Nurpur and Palampur of Kangra district.

5. INDUSTRIES AND MINERAL DEVELOPMENT

5.1 INDUSTRIES

Industrialisation is an important step towards uplifting a mainly agrarian society. As a result of various concessions/incentives by the Pradesh Government, the pace of industrialisation further picked up during the year 1981-82. More and more entrepreneurs are coming forward to set up different units. The IPARA had approved 43 projects in the medium and large sectors for 1981-82. These projects would be set up in different parts of the State with an investment of Rs. 83.73 crores and employment potential of 7,760 persons.

1. *District Industries Centres*—In accordance with the industrial policy of the Government of India, District Industries Centres are functioning in all the districts of the Pradesh for the promotion of cottage and small scale industries. Some of the achievements of these Centres made during the period between April, 1981 to March, 1982 are given below :—

1. No. of artisans identified	4,999
2. No. of entrepreneurs identified	2,834
3. No. of units provisionally registered	2,211
4. No. of units came into existence—	
(i) S.I.D.O.	830
(ii) Non-S.I.D.O.	3,240
5. No. of units provided assistance under I.R.D—	
(i) Number	4,141
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	57.74
6. No. of artisans provided assistance through banks —	
(i) Number	1,076
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	20.00
7. Employment generated—	
(i) S.S.I.	4,463
(ii) Artisans	6,331
(iii) Others	3,602
8. No. of project profiles prepared	2,408
9. No. of cases forwarded to the banks—	
(i) Number	1,933
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	538.66

10. Amount sanctioned by banks—	
(i) Number	1,806
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	444.21
11. No. of hire-purchase cases forwarded to N.S.I.C.—	
(i) Number	4
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	5.19
12. No. of hire-purchase cases sanctioned by N.S.I.C.—	
(i) Number	3
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	2.81
13. No. of units sanctioned D.I.C. Loan—	
(i) Number	100
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	4.51
14. 10-15% Central/State Capital investment subsidy—	
(i) Number	809
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	130.83
15. No. of units sanctioned margin money—	
(i) Number	206
(ii) Amount sanctioned (Rs. lakh)	13.40
16. No. of sick units identified	4
17. No. of history sheets prepared	1,266
18. No. of data cards of artisans prepared	2,663
19. No. of artisan camps organised/intensive Campaigns/special training course organised	347
20. No. of units provided marketing assistance	169
21. No. of sheds allotted in industrial areas	10
22. No. of plots allotted in industrial areas	87

2. *Development of Industrial Areas*—For the encouragement of Industries in the Pradesh, land/industrial sheds in industrial areas/industrial estates are provided in industrial areas at Parwanoo, Barotiwala, Paonta Sahib, Bilaspur, Nagrota Bagwan, Shamshi and Mehatpur. Industrial estates have been set up at Solan, Dharampur, Kangra, Jawali, Dehra-Gopipur and Peo. In Solan an Electronic Complex has been developed. There has been a good response from the entrepreneurs for setting up industries in the above industrial areas/estates during the period under review and almost all plots/sheds

have been allotted to the applicant entrepreneurs. During the period between 1st April, 1981 to 31st March, 1982, an additional land measuring 74 acres has been acquired for the expansion of industrial area Barotiwala and the plots are being developed and will be allotted to interested entrepreneurs very shortly. For setting up industrial area at Sansarpur Terrace, district Kangra, land measuring 55 acres and 408 built up houses have been taken on 99 years lease for which agreement deed is being got executed with Bhakra Management Board, Talwara/Beas Project, Talwara. Under the Special Component Plan Scheme for Scheduled Castes, Rs. 7.43 lakhs and Rs. 6.02 lakhs have been deposited with the H.P. Housing Board and H.P. Mineral and Industrial Development Corporation, respectively, for the construction of ten industrial sheds in each industrial area at Parwanoo and Chamba.

For the construction of ten industrial sheds in industrial area, Mandi, an amount of Rs. 6.02 lakhs is being deposited with the H.P. M.I.D.C. For setting up new industrial areas at Amb, district Una, Kala-Amb, district Sirmur and Damtal/ Kandrori in Kangra district land measuring 100 acres to 150 acres for each area is being acquired. For the expansion of industrial area Mehatpur, district Una, additional land measuring 120 acres is being acquired.

3. *Grant of incentives/concessions to industrial units*—Under the central capital investment subsidy scheme, a subsidy of Rs. 1.15 crores has been disbursed to about 130 units through H.P. F.C./H.P.M.I.D.C. during the period 1st April, 1981 to 31st March, 1982. Similarly under the State subsidy scheme for non-backward districts a sum of Rs. 2.50 lakhs has been disbursed to 19 industrial units through H.P.F.C. from 1st April, 1981 to 31st March, 1982. Interest free loan against Central Sales Tax amounting to Rs. 13.00 lakhs has been disbursed to 4 industrial units between 1st April, 1981 and 31st March, 1982. In addition to this, interest free loans of Rs. 1.12 lakhs has been disbursed to a Parwanoo unit for the preparation of feasibility report.

4. *Entrepreneurial Development Programme*—The Department of Industries has been holding entrepreneurial development courses of six months' duration inclusive of institutional training, in-plant training and out surveys. These Courses are for prospective entrepreneurs and not necessarily for unemployed persons. Stipends were granted earlier at differential rates depending upon the academic level of the trainees but this has subsequently been sought to be replaced by a system of outright lump sum subsidy of Rs. 2,500 to each selected entrepreneur who could set up a unit.

In addition, short-term quick exposure courses for a duration of a fortnight each have been designed to provide package information to capable entrepreneurs from general categories including the educated unemployed with a view to acquaint them with the requirements/procedures called for the setting up of industrial unit.

The incentives generally granted to the educated un-employed are as follows :—

- (i) Priority in the allotment of plots and sheds;
- (ii) Grant of industrial loan;
- (iii) Margin money;
- (iv) Interest-free loan;
- (v) Subsidy;
- (vi) Power facilities;
- (vii) Sales tax concession;
- (viii) Priority in the allotment of raw material; and
- (ix) Seed capital assistance.

During the previous year, educated unemployed programme was got conducted through Himachal Consultancy Organisation Ltd., in Solan. Two entrepreneurial development programmes are being got organised through Indian Investment Centre and two programmes through the Himachal Consultancy Organisation (HIMCON). In addition to quick exposure course by the N.P.C. a seminar on electronic industries has also been organised in the month of October, 1981. In addition, it is proposed to conduct one educated unemployed training programme for the scheduled castes entrepreneurs and another one for the general categories of 4—6 months' duration each during the current financial year.

So far 466 persons have been trained under this programme out of which 96 persons have set up industrial units.

5. *Arts and Exhibitions*.—With a view to promoting the sale of products of small and cottage industries in the national and international markets, the Pradesh is participating in various exhibitions being organised in different parts of the country. In the months of August and November, 1981 the department has participated in the exhibitions at Srinagar and Indian International Trade Fair Organised by the Trade Fair Authority of India. In these exhibitions various industrial products of the State were displayed for wider publicity.

6. *Development of Sericulture Industry*—The Sericulture Wing of the Department is implementing the following schemes :—

- (1) Plantation of Mulberry trees on road sides;
- (2) Production of good quality Mulberry plants ;
- (3) Chowki rearing and seed incubation; and
- (4) Development of tassar.

During the year 1981-82, about 87,000 Mulberry trees were planted in government areas and distributed among the farmers for plantation. In addition to this, the Forest Department is also planting Mulberry trees in closed areas. During the year under review, 38,560 kilograms of cocoons were produced like previous year. The research on tassar rearing is also being conducted in different centres.

7. *Investment in Government Undertakings*—During 1981-82, the budget provision and investment made in different Corporations and Boards under the administrative control of the Industries Department are as under :—

(Rs. in lakhs)

Name of the Corporation/Board	Budget provision during 1981-82	Disbursements up to 31-3-1982
1. H.P. Mineral and Industrial Development Corporation	64.00	64.00
2. H.P. Financial Corporation ..	38.00	38.00
3. Nahan Foundry ..	30.00	30.00
4. H.P. State Small Industries and Export Corporation ..	5.00	5.00
5. H.P. Handicrafts and Handloom Corporation ..	12.00	8.00

8. *Public sector corporations/organisations*—

(i) *H.P. Financial Corporation*—The Corporation is mainly responsible for providing

medium and long term loans to the small and medium scale industries coming up in the State. During the current financial year, the Corporation sanctioned term loan to the extent of Rs. 7.67 crores of which Rs. 4.02 crores have been disbursed. During the same period the Corporation sanctioned soft loans amounting to Rs. 25.63 lakhs and disbursed Rs. 14.95 lakhs.

(ii) *H.P. State Handicrafts and Handloom Corporation*.—The Himachal Pradesh State Handicrafts and Handloom Corporation was set up with the primary aim of providing technical, financial and marketing assistance to village artisans to develop and improve their vocations. During the year upto 31-3-1982, the Corporation started Carpet Training Centres at Lambloo (Hamirpur district), Kharoth (Kangra district), Kotli (Mandi district), Anni (Kulu district) and Subathu (Solan district). Similar Training Centres at Dalash (Kulu district), Kuthar (Solan district), Bhambla (Mandi district), Nurpur (Kangra district) and Janjehali (Mandi district) have also been started during the period 1981-82. In addition, Handicraft Training Centre in village Garkhal of Solan district and Handicraft Training Centre in Stone work/wicker work in village Tipra of Solan district have also been started during the year 1981-82. The Corporation proposes to introduce new schemes for generating employment for 300 persons. The Corporation has opened three emporia during the current year to provide marketing facilities to craftsmen/own produce.

(iii) *The Himachal Pradesh State Small Industries and Export Corporation*—The Corporation continued its activities of assisting small scale units by providing raw materials, machinery on hire-purchase basis, modernisation of existing units and promoting export of products manufactured in the Pradesh. Upto the end of March, 1982 during the current financial year, the Corporation had procured and disbursed raw material worth Rs. 85.41 lakhs. For the year 1982-83 the turn over is targetted at Rs. 3 crores.

(iv) *Himachal Pradesh Mineral and Industrial Development Corporation*—The H.P. M.I.D.C. is responsible for setting up medium and large industrial units in the public sector and for the creation of infrastructure for the development of industries. The Corporation has set up various units like Himachal Wool Processors, Ltd., with an investment of Rs. 69.46 lakhs, Himachal Worsted Mills Ltd., with an investment of Rs. 1.77 crores, Himalaya Fertilizers Ltd., at Nalagarh and T.V. Factory at Solan in collaboration with Electronic Corporation of India. Apart from this, the Corporation also provides medium and long term loans, seed capital assistance, equity participation and underwriting facilities to medium and

large units coming up in the State. During the period 1981-82 the Corporation sanctioned loan amounting to Rs. 2.59 crores to the medium/large scale units against which disbursements of Rs. 60 lakhs have been made upto 31st March, 1982.

(v) *The State Khadi and Village Industries Board*—The State Khadi and Village Industries Board has been set up for the development of Khadi and Village Industries in the State. During April, 1981—March, 1982, an amount of Rs. 5.22 lakhs has been sanctioned as grant and another amount of Rs. 77.31 lakhs has been sanctioned as loans to various units assisted by the Khadi Board. During the same period, 2 units in the co-operative sector, 27 institutional units and 757 individual units were set up. Employment has been provided to 2,570 rural artisans under various schemes undertaken by the Board. The Khadi Board has achieved production and sale target of Rs. 2.41 crores and Rs. 2.72 crores, respectively.

The departmental programme of Khadi production is being carried out by the Board for which Khadi and Village Industries Commission has provided the following funds :—

(Rs. in lakhs)		
Grant	Loan	Bank finance against interest subsidy
0.16	2.49	11.26

The above funds have been fully utilised during the current financial year 1981-82 with the achievement of following targets :—

1. Production .. Rs. 40 lakhs
2. Sales .. Rs. 67 lakhs
3. Employment .. 6,000 persons

The following targets have been fixed for 1982-83 :—

(i) Funds to be disbursed :—

(Rs. in lakhs)			
	Grant	Loan	Bank Finance
(a) Village Industries ..	18.16	182.36	18.01
(b) Khadi Industries ..	0.27	2.88	9.75

(ii) Performance :—

	Production	Sale	Employment
	(Rs. lakhs)	(Rs. lakhs)	(Persons)
(a) Village Industries ..	975.72	1,042.52	34,956
(b) Khadi Industries ..	46.50	76.00	7,500

Plan for 1982-83.—A provision of Rs. 3.99 crores has been made in the Budget for 1982-83. These provisions for some of the important schemes are as follows :—

(Rs. in crores)	
1. Large and Medium Industries ..	1.99
2. Village and Small Industries ..	1.85
3. Mining ..	0.15

5.2 MINERAL DEVELOPMENT

A great deal of spade-work and concerted efforts are being made by the Geological Wing in the investigation of limestone, magnesite and gypsum, etc. for their pivotal role in the rapid and early industrialisation of the State. Some deposits of gold have been found at two places in the Pradesh. Studies are being made for the possible expansion of Rajban cement factory and efforts are afoot for the early steaming off of Gagah (Bilaspur) cement plant. Detailed project report is being prepared by the Cement Corporation of India for Chamba cement plant. At Dharamkot, a mini cement plant is likely to be set up. Projects for setting up of Glass Bottles Plants based on Una glass sand deposits have been cleared by I.P.A.R.A. Mineral water of Manali which compares well with European mineral waters can prove to be a boon in earning foreign exchange.

At present the State is earning a royalty of about Rs. 40 lakhs which will rise to nearly Rupees one crore on the steaming off of cement plants.

The geological investigations proposed for the year 1982-83 are as under :—

1. Detailed investigation of limestone deposits of Broh-Shind area in Chamba district.

2. Detailed investigation and proving of limestone of Ropa-Baik Kiran Belt in Mandi district.
 3. Detailed investigation of salt deposits of Drang-Guma area in Mandi district.
 4. Detailed investigation of limestone of Alsindi Belt in Mandi district.
 5. Detailed investigation of magnesite deposits of Bharmour in Chamba district.
 6. Detailed investigation of gypsum deposits of Chango-Sumdo belt in Kinnaur district.
 7. Demarcation and delineation of limestone blocks in Sirmur and Solan districts.
 8. Copper and antimony investigation of Lahaul-Spiti district.
 9. Engineering geological investigation of bridges, dam sites and land slides in the Pradesh.
 10. Drilling of limestone deposits of Sataun area in Sirmur district for Cement Corporation of India.
 11. Drilling for foundation testing of bridges of dam sites in the State.
 12. Continuation of investigation for Andhra Hydel Project Scheme.
 13. Investigation of Suni-Dam Site Hydel, Project Scheme.
-

6. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

6.1 ROADS AND BUILDINGS

Roads are crucial to accelerate the tempo of economic development. As such they have been accorded a very high priority. At the end of March, 1981 the motorable road length stood at 12,605 km., out of which the length of metalled and tarred roads was 4,245 km.

During the year 1981-82 an outlay of Rs. 1,814.52 lakhs was approved for the construction of roads in Himachal Pradesh out of which Rs. 35 lakhs was earmarked under the World Bank Project. With this allotment, the achievements made upto March, 1982 are as follows :—

(i) Motorable roads constructed	..	517 km.
(ii) Cross-drainage	..	214 km.
(iii) Roads metalled and tarred	..	244 km.
(iv) Bridges	..	25 Nos.
(v) Villages connected	..	209 Nos.

The important bridge completed during the year is over river Beas at Sujampur Tira. The motorable road length by the end of the year 1981-82 is 13,122 km, giving a density of 23.56 km per 100 Sq. km of area.

National Highways—The State Public Works Department is also maintaining and improving the following National Highways falling in Himachal Pradesh :—

1. National Highway—22, Kalka-Simla road.
2. National Highway—21, Chandigarh-Bilaspur-Mandi-Kulu-Manali road.
3. National Highway-IA, Jullundur-Pathankot road.

During the year 1981-82, a sum of Rs. 248 lakhs has been approved by the Government of India for the construction of National Highway original works and a sum of Rs. 80.50 lakhs for repair and maintenance. Upto March, 1982 Rs. 267.84 lakhs on original works and Rs. 96.60 lakhs on repair and maintenance have been spent.

Roads of inter-State and economic importance—The Government of India have released a loan

assistance of Rs. 20 lakhs for the year, 1981-82 for carrying on the continuing work of missing bridges and cross-drainage works on Lalghat-Paonta-Rajban-Rohroo-Sungri-Narkanda road. Upto March, 1982 an expenditure of Rs. 19.99 lakhs has been incurred.

Strategic roads—Government of India have released a sum of Rs. 70 lakhs plus Rs. 28 lakhs unspent balance for the construction of Mukerian-Talwara-Nurpur to Dhar road for the year 1981-82. Upto March, 1982 Rs. 98.56 lakhs have been spent on it. On the works under central fund Rs. 12.80 lakhs have been incurred upto March, 1982 against the proposed sum of Rs. 10 lakhs to be spent during 1981-82. In addition, an amount of Rs. 162.75 lakhs has been sanctioned for Border Roads. Up to March, 1982 Rs. 166.57 lakhs was spent.

Roadside Plantation—The H.P. Government is laying special emphasis on the tree plantation on roadside avenues. For the year 1981-82, a sum of Rs. 40 lakhs was provided. The target to plant 4 lakh trees has been fully achieved.

Construction of Cable-ways—The construction of roads in some areas of the Pradesh, besides being uneconomical, is also not conducive to the maintenance of ecological balance. The Government has, therefore, decided to construct cable-ways in these areas and an amount of Rs. 30 lakhs has been provided for this purpose.

Special Component Plan For Scheduled Castes—To provide infrastructural facilities for ameliorating the socio-economic conditions of the scheduled castes, the government has provided a sum of Rs. 262.90 lakhs for linking the villages predominantly inhabited by them by roads.

Non-residential buildings—A sum of Rs. 175 lakhs was earmarked during the year 1981-82 for the construction of non-residential buildings. With this amount, 46 buildings have been constructed upto March, 1982. Besides, the construction of 140 non-residential buildings of various departments has been completed upto March, 1982.

Housing—With an approved outlay of Rs. 40.50 lakhs for the year 1981-82 for the construction of residential buildings, 42 units have been constructed upto March, 1982. In addition to this, 265 residential units of various departments were constructed.

Houses for homeless persons—The State Government has undertaken an ambitious programme for the construction of houses to homeless persons living below the poverty line. A sum of Rs. 40.00 lakhs was provided for 1981-82 for the construction of 800 tenements out of which 746 tenements have been constructed upto March, 1982.

Hail-storm and drought relief programme—To mitigate the sufferings of the people of the Pradesh affected by the hail storm during April-May, 1981 and severe drought during Kharif harvest, 1981, Central assistance to the tune of Rs.160 lakhs was earmarked to the P.W.D. which generated 15.5 lakh man-days.

Plan for 1982-83—The scheme-wise facts are summarised below :—

Roads and Bridges :

(i) Motorable roads	..	345 km.
(ii) Cross-drainage	..	175 km.
(iii) Metalling and tarring	..	160 km.
(iv) Bridges	..	25 Nos.
(v) Villages connected	..	210 Nos.

National Highways—It is proposed to spend an amount of Rs. 522.6 lakhs on the construction, repair and maintenance of National Highways.

Roads of Inter-State and economic importance—An amount of Rs. 50 lakhs has been proposed to be spent for Dodra-Kawar link with U.P. and Pangi link with Jammu and Kashmir.

Strategic roads—In addition to Rs. 185 lakhs on strategic roads, an amount of Rs. 277.35 lakhs is proposed to be spent on Border Roads. On the works under Central Roads Fund, a sum of Rs. 30.08 lakhs is proposed to be spent.

Roadside plantation—A sum of Rs. 39 lakhs is proposed to be spent on roadside plantation.

Construction of cable-ways—It is proposed to spend Rs. 32 lakhs on the construction of cable-ways in H.P.

Special Component Plan for Scheduled Castes—To provide the necessary infrastructure to the villages of scheduled castes population concentration a sum of Rs.300 lakhs has been provided.

Non-residential Buildings—A sum of Rs. 200 lakhs to construct 50 buildings is provided for 1982-83. Besides, 140 buildings will also be constructed under the plans of various departments.

Housing—An outlay of Rs. 45 lakhs has been

earmarked to construct residential buildings including Police Housing. In addition, 269 units are likely to be constructed for various departments.

6.2 ROAD TRANSPORT

Road Transport in Himachal Pradesh is practically the only mode of mechanised transport available to serve as the life line of the economy. The rail, air, and water transport available is insignificant. The regulation of road transport in the Pradesh is supervised by the Commissioner, Transport and Tourism. The main concern of the department is the implementation of Motor Vehicle Act/Rules and for this purpose the department has a State Transport Authority assisted by two Regional Transport Authorities at Simla and Dharamsala.

The State Transport Authority has the authority in the matter of grant of National/Zonal permits for public carriers and contract carriage permits for HPY-HPZ taxis and HPZ Omni Buses. Upto March, 1982, the following quota of National/Zonal HPZ (Taxis and Omni Buses) stands allocated to the Pradesh :—

1. National permits	..	600
2. Zonal—		
(a) North zone	..	450
(b) South zone	..	450
3. HPZ—		
(a) Taxis	..	200
(b) Omni Buses	..	50

The revenue earnings of the Motor Vehicle Department for the year 1981-82 are estimated to the tune of Rs. 165 lakhs as against Rs. 142.6 lakhs during 1980-81. The Commissioner, Transport, Himachal Pradesh also controls "The Passenger Insurance Scheme Fund" which provides for the payment of ex-gratia grants to the heirs of the victims in the accident involving H.R.T.C. vehicles.

At present nearly 82 per cent of passenger transport is nationalised in H.P. while the goods transport is mainly in private sector. The H.R.T.C. is operating on the nationalised routes through its 19 operational units/sub-units spread all over the Pradesh. Servicing, repairs and maintenance of vehicles is done at the Divisional Workshop at Tara Devi along with Workshops in each region. To exercise effective control, three Divisional Managers are functioning with their head-quarters at Simla, Mandi and Dharamsala. The fleet strength

of the Corporation at on 31st March, 1982 stood at 996 vehicles which comprises of 939 buses, 20 trucks, 37 cabs and other vehicles. To revitalise the fleet, 107 buses and 4 cabs have been added to the fleet after body fabrication upto 31st March, 1982. Besides, 21 buses purchased during 1980-81 have also been added after body fabrication during 1981-82. During the current year 26 buses, 11 trucks and 3 cabs were auctioned.

The Corporation is running buses on 743 routes out of which 199 are inter-State routes and 544 intra-State routes. During the current year, new bus services have been introduced/restarted on 89 routes and services on 93 routes have been extended.

As against a coverage of 553 lakh km. during last year 617 lakhs km. have been covered by buses during the year 1981-82. Daily coverage per bus on road has also increased to 191 km. this year as against 185 km. during 1980-81. The number of daily bus services has also increased considerably. Due to special attention paid with regard to proper maintenance and upkeep of vehicles, the incidence of breakdown per 10,000 km. has been brought down to 0.51 as against 0.53 during 1980-81. All possible efforts have been made to reduce the incidence of accidents. In the case of Himachal Pradesh, it is 0.27 per lakh km covered as against nearly 1.0 of other Undertakings of the Country. Moreover, the passengers travelling in the buses of H.R.T.C. are covered under "The Passengers Insurance Scheme Fund" which provides for a sum of Rs. 20,000 in the event of death in accidents to the heirs of the deceased and graded amount upto Rs. 10,000 in the event of the loss of limb.

The income of the Corporation for the year under report is expected to reach Rs. 1,770 lakhs against Rs. 1,593 lakhs during previous year, i.e., 1980-81. The income per km. has also increased considerably due to several administrative steps and quick follow-up action on irregularities noticed. The purchase system has been streamlined to make purchases economical and store inventory is being kept low.

Apart from the other essential activities, the Corporation is paying adequate attention to providing amenities to the travelling public in the form of construction/maintenance of bus stands with proper facilities. The main construction works executed during the year 1981-82 have been as below :—

- (i) Construction of boundary wall for H.R.T.C. Workshop at Nalagarh and Workshop Complex at Nalagarh,
- (ii) Construction of canteen/shops at Mayfair bus stand, Simla,

- (iii) Construction of Bus Stand Complex at Tuti-Kandi, Simla,
- (iv) Providing of retaining wall, breast-wall, drainage and flooring of workshop at Dhalli,
- (v) Special repair to the A.M., Rampur office, construction of retaining wall of workshop, Rampur at Khopari,
- (vi) Construction of washing ramp and tarring of workshop compound at Tapri,
- (vii) Construction of Bus Stand/Workshop at Rohroo,
- (viii) Providing of flood protection wall to workshop at Bilaspur and maintenance and repair of staff quarters, and
- (ix) Construction of Bus-Stand Complex at Nahan.

The welfare of the employees is also being taken care of. The requirements of various labour laws is also being given due regard. Timely meetings are held with the Union representatives and the genuine demands are conceded to. Prizes are also given to the workers as an incentive for some exemplary conduct or efficiency. Concessional fare facilities are also provided to certain categories like Central Government employees, State Government employees, students, handicapped, etc.

Plan for 1982-83 —An amount of Rs. 170 lakhs has been approved for the year 1982-83 for the Himachal Road Transport Corporation which is to be utilized for purchase of 59 buses and 2 Cabs. Purchase of machinery and construction of buildings including the cost of land is also proposed to be met out of the approved outlays.

6.3 TOURISM

The Pradesh abounds in countless sports of tourist attraction, picnic spots, religious places, lakes, natural springs, skiing, natural scenic beauty, trekking and camping areas, etc. which serve as a potential source of enjoyment to the tourists coming from within the country and abroad. With a view to promoting tourism in the Pradesh, the Government set up the Tourism Development Corporation in 1972. The Corporation was entrusted with all the Commercial activities like running of hotels and catering establishments in the State. The Corporation started with 857 beds in 1972 which number at present stands at approximately 1,800 beds and is expected to go upto 1,900 beds by the end of 1982.

During the year 1981, three travel circuits in the State were identified for achieving a

balanced growth of tourist facilities. The Tourism Corporation, in collaboration with the Indian Institute of skiing and Mountaineering, Gulmarg is organising 10 days Ski courses at Narkanda under two Australian training instructors. A hotel at Jawalamukhi with 70 beds built at a cost of Rs. 50 lakhs was commissioned. A second wing to Hotel Holiday Home (Government Guest House) with 23 elegantly furnished double bed suites at a cost of Rs. 35 lakhs were also added. Cafeterias at Parwanoo, Barog and Dedgharat on the Simla-Kalka National Highway were started. It also renovated and commissioned a posh restaurant at the Ridge, Simla. Development of trekking in the State is also on the priority list of the Corporation. It organised a National Himalayan Trekking Programme in collaboration with Youth Hostels Association of India at Raison in the Kulu Valley in May and June, 1981. More than 1,200 boys and girls participated in this Himalayan adventure. The fleet strength was increased by the addition of two, air-conditioned, luxury coaches and a number of other vehicles. In collaboration with the U.P. Tourism Development Corporation and Rajasthan Tourism Development Corporation arrangements were made for arranging jointly conducted tours in its luxury and deluxe coaches.

Under the Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970, 99 hotels in Simla town were registered thus bringing the total number of hotels registered to 210.

In addition, 64 hotels guides and 3 travel agencies have also been registered in Simla town.

The construction work of first phase of aerodrome at Jubbarhatti would be completed before the end of the current financial year or in the beginning of the next financial year. A site for construction of an aerodrome at Gaggal in Kangra district has also been selected.

Plan for 1982-83—In 1982 Himachal Pradesh Tourism Development Corporation would be completing the construction of its modern hotel at Barog, its restaurants at Dhundiara on Pathankot-Dalhousie route and at Trilokpur on Pathankot-Mandi Highway. Construction of the tourist-cum-health resort at Manikarn in the Kulu Valley would also be given a high priority in 1982. The Corporation would also be preparing plans for providing reception centre at Simla for about 200 persons where accommodation at moderate rates is proposed to be made available to tourists before their dispersal to other places in the town. It is also proposed to start the work on Combermere Complex which consists of a permanent ice skating rink, centrally heated cinema hall and gymnasium. A convention hall will also be added to the Hotel Holiday Home at Simla. It is also proposed to construct huts at Manali. Wildflower Hall is also to develop recreational facilities like skiing, water and winter sports in 1982. The construction work of second phase of Jubbar-hatti aerodrome will also be started.

7. SOCIAL SERVICES

7.1 EDUCATION

The overall objectives in the field of education are as under:—

- (i) Transformation of the educational system so as to blend the formal and informal system of education,
- (ii) Over-riding priority to elementary education (6—14) years,
- (iii) Improvement of facilities for higher education,
- (iv) Improvement of educational standard and academic in-puts,
- (v) Encouragement to the education of girls and education in tribal areas,
- (vi) Encouragement to the education of scheduled caste girls,
- (vii) Non-formal education for adults (15—25 years),
- (viii) Promotion of games and sports,
- (ix) Introduction of Yoga in schools, and
- (x) Strengthening of educational administration.

With an outlay for Annual Plan 1981-82 amounting to Rs 381.50 lakhs a brief description of the achievements made in the field of education is as under:—

1. Primary and Middle Education:

(i) *Primary schools*--During the year, 1981-82, 206 Primary schools including 6 in the Tribal Areas have been opened, which raised their total number to 6,398. The level of enrolment in primary classes (I—V) by the end of 1981-82 is estimated to be as below:—

Students	Estimated enrolment in classes I—V ('000) (6—11 years)	Estimated percentage of population in age group 6—11 years
1	2	3
Boys ..	313	102
Girls ..	239	79
Total ..	552	91

(ii) *Middle Schools*—34 Primary schools have been upgraded to middle standard. This now raised the total number of middle units in the Pradesh to 1,643. The estimated enrolment in middle classes during the current year is given below:—

Students	Estimated enrolment in classes VI—VIII '000'	Estimated percentage of population in age group 11—14 years
1	2	3
Boys ..	143	91
Girls ..	68	43
Total ..	211	67

(iii) *Adult education programme*—The programme of adult education for the age group (15—35) is in operation in all the 12 districts of the Pradesh. Under this programme, 807 Adult Education Centres are functioning in the Pradesh (out of 1,100) centres sanctioned. During the year 1981-82, 18,200 adults were benefitted.

(iv) *Non-formal education*—Under the programme, 800 Non-formal Education Centres are sanctioned, details of which are as under:—

Centre	Non-Plan	Plan	Total
1	2	3	4
1. Functional literacy (9—14 years)	300	300	600
2. Part-time education (9—11 years) (5th class)	50	60	110
3. Part-time education (11—14 years) (8th Class)	40	50	90
Total	390	410	800

Under this programme, 1190 children in 64 centres were benefitted during the year.

(v) *Integrated education of handicapped children*—Under this scheme centres of integrated education of handicapped children (deaf, mentally retarded and orthopaedically handicapped) with the total intake capacity of 30 students (10 students of each type) continued functioning in Simla. The number of students on roll in these centres was 20. This year a lady teacher has also been deputed to undergo 9 months Teachers' Training for Handicapped children at a Training College, Lucknow.

2. *Secondary Education*—41 Middle schools including 3 in tribal areas have been upgraded to high standard during the year 1981-82. This brings the total number of secondary units to 639 in the Pradesh. The estimated enrolment at secondary stage during the year 1981-82 is given below:—

Students	Estimated enrolment in classes, (IX-XI) ('000)	Estimated percentage of population in the age group 14-17 years
1	2	3
Boys	49	33
Girls	18	12
Total	67	23

3. *University and higher education*—Grant-in-aid amounting to Rs 10 lakhs has been provided for the development of Himachal Pradesh University.

4. *Sainik School, Sujampur Tihra*—Rs 25 lakhs (Rs 4 lakhs scholarships, Rs 1 lakh grant-in-aid and Rs. 20 lakhs under Capital for building works) was given for the development of Sainik School, Sujampur Tihra.

5. *Training Programme*—During the year 1981, 720 students were given admission to JBT training at 5 JBT Training Schools (Solan, Nahan, Mandi, Dharamsala and Chowari). During the year 1981-82, 56 teachers from high and higher secondary schools were sponsored for orientation course on appreciation of art & craft organised by the NCERT at New Dehli. 8 teachers were deputed for Orientation Course on puppetry for Education at New Dehli and a National Integration Camp on puppetry for Education was organised at Portmore Girls Higher Secondary

School, Simla in which 70 participants from all parts of the Country participated. 43 teachers from the different districts of the Pradesh were deputed for five months, Urdu Teachers Training Course at Saproon (Solan). Four courses were organised under continuing education at Government College, Dharamsala and State Institute of Education, Solan for Science and Maths teachers of the High/Higher Secondary Schools. Two teachers were deputed for orientation Course for the office bearers of All-India Primary Federation, at New Dehli. Two teachers attended National Integration Camp at Cuttak (Orissa), one lecturer (in arts) was deputed for developing curriculum in Arts at New Dehli. One Deputy District Education Officer from Tribal areas was deputed to attend a workshop on Education Planning and Administration organised by NIEPA at Hyderabad. One Principal was sent on study tour of U.K. & U.S.A. by the USEF in India under F.I.P. 8 lecturers in College cadre were allowed to do Ph. D/M. Phil and 6 lecturers (College) were deputed to do Ph. D. in different science subjects for one to three years tenure, 21 principals/lecturers underwent special course on office procedure & Management at HIPA, Simla.

6. *Other Educational programmes*—Some other important programmes undertaken to bring about improvement in the field of education during the current year are briefly described as follows:—

(i) *The National Service Scheme*—The N.S.S. was continued in various Colleges and Universities in the Pradesh. A total number of 2,000 NSS volunteers were engaged for National Re-construction programme in 25 colleges and special camps for the benefit of local community in the villages were organised. It is proposed to increase the total strength of NSS volunteers to 2,200 during 1982-83. In addition, 8 Nehru Yuvak Kendras are functioning in the Pradesh and 25,000 non-student rural youths were engaged in various activities of these Kendras during the year. It is expected that Government of India may sanction two more Kendras for this Pradesh during 1982-83.

(ii) *Sports and Games*—In order to encourage sports in the Pradesh, District Sports Councils have been formed in every district to meet the demands of non-student youths at grass root level. 20 State Associations were given grant-in-aid for popularising their respective sports in the Pradesh. Like previous year, various tournaments for school children, non-student youth and women were successfully, conducted by the Department. A large number of State teams participated in National Schools Games, National Rural Sports Meets and Women Sports Festival. The school boys and girls of the Pradesh annexed two gold medals in volley ball, one silver medal in basket ball (boys) and one

bronze medal in Kabaddi (boys) in the Mini National School Games held at Madras in November /December, 1980. In the National School Games (Winter Meet) held from 28th December, 1981 to 3rd January, 1982 at Poona, our girls annexed 3rd position in hockey. A record number of about 25,000 student and non-student youths were involved in these tournaments/meets within the State and outside the State. One of our boys represented India in Volley ball in the International Volley Ball Tournament. Formalities have almost been completed for the award of State Parshu Ram Awards to the most outstanding sportsmen/women of the Pradesh in various games. During the year 1981-82 a sports stadium at Mandi was completed in collaboration with Government of India and another mini stadium at Kalpa (Kinnaur) is under construction with the assistance of Govt. of India. It is proposed to start two sports coaching wings for school students in the game of volley ball during the next year for talented boys and girls to nurture their talent on scientific lines. One hundred Rural Sports Centres established last year are functioning beyond expectation and about 3,000 rural youths have been benefitted. This scheme is being shared with the Govt. of India on 50 : 50 basis. To make NCC more meaningful, sports, cultural, adventurous and social activities have been included to NCC ambit. Two of our NCC Cadets have excelled in the National Competitions by capturing 1st positions in their respective competitions. The bus travel concession allowed during the previous year by the Govt. was available this year also. This has enabled the Department to extend facilities for participation in the various school tournaments to a larger number of students. Such facilities of bus fare concession have also been extended to college students and other volunteer organisations during the year.

(iii) *Propagation of Yoga* —The Yoga Education Programme is likely to benefit about 2 thousand students during the current financial year for which instructors were recruited in the selected schemes. Apart from this, about 12 In-service Physical Education Teachers have also been trained in Yoga education from Central Research Institute for Yoga.

(iv) *New experiments in the field of education.*— Fifty books (directory of new experiments in the field of education) were procured by this Department from NCERT, New Delhi and distributed amongst the JBT/High/Higher Secondary Schools at District/Tehsil Headquarters. A State level Committee has been constituted under the Chairmanship of Hon'ble Education Minister for the evaluation of text books in history and languages from the stand point of national integration and this work is almost at the final stages for onward transmission to the Govt. of India.

(v) *Scholarships*—An amount of Rs. 62.67 lakhs and Rs. 7.98 lakhs is proposed to be utilised for the grant of scholarships/stipends during the year 1981-82 under non-plan and plan budget, respectively, which will benefit about 14,232 students in the Pradesh. Besides, an amount of Rs. 36.50 lakhs has been proposed for distribution to about 8,000 Scheduled Castes girls students studying in classes VI to XI at the rate of Rs. 30 p.m. per student plus an initial grant of Rs. 100 p.a. for the purchase of books, uniforms, etc. In addition, Rs. 57 lakhs have been provided for scholarships to about 94,500 students from weaker sections of the society studying in primary classes (I to V) at the rate of Rs. 5 p.m. plus initial grant of Rs. 10 p. a. per student. Both these scholarships i.e. for S.C. girls and primary classes, will be available only to the students whose parents' income does not exceed Rs. 6,000 p.a.

Under Sports Scholarships Scheme, the number of sports scholarships for outstanding sportsmen/women participating at national level during 1981-82 has been raised from 45 to 90. Besides this, 38 sports scholarships have been awarded by the Govt. of India to our sportsmen/women for their performance in the National tournaments. 15 scholarships were also awarded by the State Sports Council to the outstanding sportsmen/women.

(vi) *Other achievements*—During the financial year 1981-82, administrative steps were taken to streamline the confirmation, promotion cases, etc. and expedite the pensions. During the year under report, one Principal was given National Award for teachers for 1981, while two teachers were given State award for teachers. In 1981, 21 lecturers of college cadre who did Ph. D. were sanctioned one advance increment. 37 teachers and their dependents were given financial assistance to the tune of Rs. 19,430 out of National Teachers Welfare Fund.

Plan for 1982-83—The total Plan outlay for the financial year 1982-83 is Rs. 505 lakhs out of which Rs. 100 lakhs is earmarked for the educational development of Scheduled Castes and those below poverty line under special Component Plan; Rs. 42.50 lakhs for the educational development programmes for Scheduled Tribes under Tribal Sub-Plan and Rs. 50 lakhs for construction of buildings and other construction works.

The following programme is envisaged for implementation during the year 1982-83 :—

Sr. No.	Scheme	Unit	Proposed Targets fixed for the year 1982-83
1	2	3	4
A. Enrolment (Additional)			
1	Classes I—V		
	Boys	('000)	4
	Girls	('000)	5
	Total		9
2	Classes VI—VIII—		
	Boys	('000)	6
	Girls	('000)	5
	Total		11
3	Classes IX—XI—		
	Boys	('000)	2
	Girls	('000)	2
	Total		4
B. Institutions			
1	Primary Units	No.	200
2	Middle Units	No.	20
3	High Units	No.	10
4	Degree Colleges	No.	..
C. Teachers			
1	Middle Schools	No.	300
2	Primary Schools	No.	120
3	Secondary Schools	No.	90

7.2 TECHNICAL EDUCATION

The Department of Technical Education controls two polytechnics, viz., Government Polytechnics, Hamirpur and Sundernagar besides one Junior Technical School, Kangra. After the successful completion of the courses of 3 years' duration, a diploma is awarded to the Trainees in the branches of civil, mechanical, electrical and automobile engineering by the State Board of Technical Education, Haryana, with which the two polytechnics are presently affiliated. The Junior Technical School, Kangra imparts training to students in various trades viz., carpentry, machining, turning, fitting, welding, foundry, etc. in addition to their studies. A

certificate equivalent to Matric is awarded by the State Board of Technical Education, Haryana to those middle pass candidates who successfully complete 2 years' course at the school. The sanctioned intake capacity of these institutions for the academic year 1981-82 was as under :—

1. Government Polytechnic, Hamirpur—65 students.
2. Government Polytechnic, Sundernagar—95 students.
3. Government Junior Technical School, Kangra—72 students (i.e. 60+12 more which are at the discretion of Principal on demand @ 20% increase)

The achievements made during 1980-81 and the targets fixed for 1981-82 and 1982-83 are as under :—

Item	Achievements made during		
	1980-81	1981-82	1982-83
1 No. of institutions	3	3	3
2. Yearly intake (No. of students)	217	232	247
3. Achievements (Approximate out-turn)	154	107	230

Besides, the provision of amenities like medical aid and facilities like sports, games, N.C.C., radio, photography clubs, book banks, etc. are available in the institutions. Merit-cum-means scholarships are also awarded to the poor and deserving students in these institutions.

Plan for 1982-83—All the three technical institutions will continue to function and the schemes relating to construction of staff quarters, teachers training programme, provision of amenities and scholarships to the students, purchase of equipment for setting up of laboratories/workshops, revision of staff structure at the cadre of lecturers level and purchase of books for book banks in these colleges will be continued. Besides, diversified diploma courses in Hotel Management & Catering and Nutrition are also proposed to be started at Government Polytechnic, Sundernagar during 1982-83 which will open more employment avenues in the State.

7.3 HEALTH AND FAMILY WELFARE

The health and family welfare services are an important aspect in a welfare state. These include such invaluable services as improvement

of environmental sanitation, control of communicable diseases, health education, family welfare and maternal and child health services besides providing curative services through a net-work of 37 civil hospitals, 189 civil dispensaries, 77 Primary Health Centres and 974 sub-centres. A brief description of various activities in the State is as given below :—

1. *Rural Health Scheme (Health Guide Scheme)*—The rural health scheme now commonly known as Health Guide Scheme, was started in the Pradesh on the 2nd October, 1977 under which 4,196 Health Guides provided primary health care to the people during 1981. Each Health Guide is given a monthly honorarium of Rs. 50 and in addition medicines worth Rs. 150* are also given to each, quarterly. Their services are also being utilised for malaria surveillance and immunisation activities.

2. *National Malaria Eradication Programme (N.M.E.P.)*—All the districts of the Pradesh, except Kinnaur and Lahaul & Spiti and areas above 5,000 feet height, are covered under National Malaria Eradication Programme. The surveillance operations have been geared-up for intensive coverage of population.

The blood slides collected and examined during the year 1980 and 1981 are as under :

<i>Blood Slides (in Kakh)</i>			
Year	Collected	Examined	Found Positive
1	2	3	4
1980	6.10	5.39	0.46
1981	8.43	8.07	0.85

At present 4,197 fever treatment depots, 6,738 drug distribution centres, 86 malaria clinics, 51 laboratories and 13 seasonal laboratories are functioning in the Pradesh under this programme.

3. *Leprosy Control Programme*—Through a net-work of 6 Leprosy Control Units having indoor facility for 187 patients, 75 peripheral clinics attached with these units and 14 survey education and treatment centres, the entire State is covered under this programme. In addition to these institutions, one urban clinic attached to Medical College having 20 bedded temporary hospitalisation ward and one reconstructive surgery unit are also functioning. During the year 1981, a population of 2,14,001 was surveyed and 1,56,403 cases were examined out of which 102 new cases were detected.

4. *Sexually Transmitted Diseases Control Programme*—There are 71 S.T.D. institutions in the State at present most of which are in rural and tribal areas. As a result of continuous S. T. D. work, considerable achievements have been made in the field of S. T. D. control. The sera—positivity rate which was 37.4% in 1952 was reduced to 2.03% in 1981. The details of the samples tested and positivity rate during the years 1980 and 1981 is as given below :

Year	Attendance	No. STS done	No. of STS found positive	Positive percentage
1	2	3	4	5
1980	93,068	67,260	1,242	1.85
1981	1,01,972	78,742	1,600	2.03

The Government of India with the collaboration of WHO also organised a workshop for medical officers during August, 1981 at HIPA Fair-Lawns, Simla.

5. *National T.B. Control Programme*—This programme is being carried out in the Pradesh through two T.B. Sanitaria, eight district T.B. Centres and one Domicilliary-cum-Treatment Centre ; all having a total capacity of 613 beds. Under the programme domicilliary treatments are given to the patients. The total number of the patients treated during the year 1981 is as follow :

New	Old	Deaths
60,817	1,48,374	548

6. *B.C.G. Programme*—This programme was launched in the Pradesh in the year 1952 under the guidance and supervision of WHO. From 1952 to 1965, B.C.G. vaccination was given to those persons who reacted negatively to the tuberculin test. Preliminary tuberculin testing was dropped after 1965 as per the instructions of the Government of India and now vaccination is done to the children in the age group of 0—1 year. Against the target of 1,50,000 B.C.G. vaccination for 1981-82 the achievements upto March, 1982 was 51,950.

7. *School Health Services*—During the year 1981, special emphasis was laid on the school health programme. Since there is no special institution in the Pradesh to implement this programme, these services are being provided through various medical institutions of the Pradesh. All the schools have been allotted to the concerned Primary Health Centres, Allopathic and Ayurvedic dispensaries. Out of 7,775 schools in the Pradesh 5,434 have already been covered by the

end of February, 1982. Under this scheme, school children are medically examined and defective cases are referred to nearby medical institutions.

8. *National Family Welfare Programme*— This programme is in fact a voluntary campaign aimed at motivating the people to accept the small family norm. Against the targets fixed for the year 1981-82 under this programme, the following achievements were made upto March, 1982 :—

Item	Targets for 1981-82	Achievements made upto March, 1982	
		Number	Percentage
1	2	3	4
Sterilisations	15,800	22,564	142.81
IUD Insertions	4,300	7,530	175.12
C.C. users	13,600	13,251	97.43
Oral pills users	2,700	163	6.04

The department has taken various steps to strengthen this crusade by holding orientation camps for opinion leaders, community awards for Panchayats at district and State level for accomplishing the target allotted by the Govt. of India.

9. *Maternal and Child Health Services*— The maternal and child health services form a significant component of family welfare programme. These services are being provided through all medical institutions in the Pradesh. The achievements made under this programme against the targets fixed for the year 1981-82 are given below :—

Method/Category	Target for 1981-82	Achievements upto March, 1982	
		Number	Percentage
1	2	3	4
Immunisation			
Expectant mothers (T.T)	50,000	48,378	96.76
Children (D.P.T.)	2,40,000	1,35,987	56.66
Children (D.T.)(3 to 8 years)	1,50,000	1,78,763	119.18

1	2	3	4
Polio	20,000	41,360	206.80
Typhoid	50,000	50,066	100.13
T.T. (10 years)	15,000	41,029	273.53
T.T. (16 years)	10,000	18,515	185.15
Prophylaxis against nutritional anaemia of expectant and nursing—			
(i) Mothers	1,50,000	1,94,638	129.76
(ii) Children	1,50,000	2,74,307	182.87
Prophylaxis against blindness due to Vitamine 'A' deficiency	3,00,000	3,39,964	113.32

Plan for 1982-83.—

Besides continuing various national public health and other programmes, opening of new sub-centres, strengthening of health services in district hospitals, health centres and dispensaries in the Pradesh will be given a fillip. The other programmes for 1982-83 are given below :—

- (i) establishment of subsidiary health centre ;
- (ii) establishment of health information system unit ;
- (iii) establishment of community health centre ;
- (iv) establishment of health man-power unit; and
- (v) establishment of plan, audit and an administrative cell.

7.4 AYURVEDA

The Department of Ayurveda is looking after the needs of those persons who have faith in Ayurveda, the Indian System of Medicines. For this purpose, five hospitals, 404 dispensaries and 3 wards attached to District Civil Hospitals with a total of 412 beds for indoor patients and emergency cases, are functioning in Himachal Pradesh.

Research and Training—In addition to above, two Ayurvedic pharmacies are functioning, one each at Majra in district Sirmur and Jogindernagar in district Mandi which manufacture Ayurvedic medicines and arrange their distribution to outlying institutions. For the purpose of research in indigenous system of medicine, one research unit is functioning at Jogindernagar, district Mandi. Besides, from 1978 a Government Ayurvedic College is functioning at Paprola in district Kangra with an annual intake capacity for 50 candidates into BAMS course. The College

has been affiliated with the Himachal Pradesh University. Presently, training is imparted to the students in the G. A. M. S., Vaidya Vishard and Ayurvedic Shastri. 341 students are on the rolls of this college. For equipping the college with staff, building, equipment and stores, hostel facilities, etc. so as to meet the requirements of the Central Council of Health, on whom its ultimate recognition is dependent, an outlay of Rs. 12.49 lakhs has made during the financial year 1981-82. A number of teaching and ancillary posts have since been created for this college and steps are in hand to get them filled-in as expeditiously as possible.

Building.—Most of Ayurvedic dispensaries are at present located either in privately owned rented accommodation or buildings donated from panchayats etc. These buildings do not meet the requirements of a Medical Institution. Accordingly, Government buildings/staff quarters for these dispensaries are essential for which a small amount of Rs. 8.65 lakhs was provided under plan for 1981-82.

Indian System of Medicines.—According to the recommendations of the Central Council of Indian System of Medicines, all systems of medicine are to be encouraged adequately with financial assistance. In Himachal Pradesh, Bhot Chikitsa Padhati at Manali in Kulu district is having treatment facilities under Tibetan System of Medicines. A board is also functioning for registration of practitioners in Ayurvedic and Unani systems of Medicines. Besides this, a Homeopathic Board has also been attached with the Ayurveda Board.

Association with National Programme.—The Department of Ayurveda is also associated with National Health Programme e.g., National Malaria Eradication Programme, National Family Welfare Programme, etc. Many sub-centres of the normal health department are located in the Ayurvedic dispensaries and thereby maternity and child care services are also being taken care of. The Ayurvedic Chikitsa Adhikaries and other staff posted in the Government Ayurvedic dispensaries take active part in the activities of the Family Welfare Programme. They are engaged for motivation of eligible couples, organising family welfare camps and after-care of operated cases.

Plan for 1982-83.—During the year 1982-83 the work programme includes (i) the provision of staff, equipment and building of Ayurvedic College, Regional Hospital attached with it, (ii) Providing of additional staff for the Regional Ayurvedic Hospital, Simla, (iii) Providing of additional staff for the Directorate of Ayurveda, (iv) Providing of Homoeopathy registration cell with Board of Ayurvedic and Unani System of Medicines, (v) Opening of Ayur-

vedic Dispensaries in tribal areas, (vi) Opening of Ayurvedic Dispensaries in backward areas, (vii) Opening of two Ayurvedic Dispensaries in Scheduled caste concentration areas, (viii) opening of 14 new Ayurvedic dispensaries in non-tribal areas, (ix) Purchase of books, (x) Construction of Ayurvedic dispensaries building with staff quarters, and (xi) Providing of additional staff in 10 bedded wards with District Hospital (4 wards) are proposed to be continued. Under special Central Assistance three schemes are proposed to be implemented. These are (i) Grant-in-aid for Bhot Chikitsa P^edhati School, Manali (Kulu), (ii) Additional staff for Ayurvedic Hospital, Peo (Kinnaur) and (iii) Construction of Ayurvedic dispensary buildings with staff quarters in Tribal areas.

7.5 HOMOEOPATHY MEDICAL SERVICE

The Government is fully alive to the developmental needs of medical facilities. In addition to providing Allopathic, Ayurvedic and Unani system of services, Homoeopathic treatment has also been recognised by Himachal Pradesh Government. The office of Registrar was established during 1981 to introduce this as a separate system of treatment. Despite certain financial constraints, the speed with which work is progressing, Homoeopathic services are expected to become quite popular, like other medical systems in the near future.

1. **Registration of Homoeopathic doctors.**—Legal and technical formalities relating to registration of Homoeopathic doctors are being completed with full vigour and it is hoped that the work will be completed very shortly.

2. **Homoeopathic Dispensaries.**—Homoeopathic facilities were not provided by the Government so far. Opening of a Homoeopathic dispensary at Simla is under consideration.

3. **Rural Health Scheme (Community Health Volunteers Scheme).**—Medical officers and Extension Educators working under this scheme are being imparted Homoeopathic training by the Registrar in Health and Family Planning Centre, Patee Mahal, Simla. Now patients will be benefitted by Homoeopathic service.

Plan for 1982-83.—Following works are proposed during the year 1982-83 :—

1. Opening of Homoeopathic dispensaries at the District level.
2. Opening of a training centre at Simla with the Homoeopathic dispensary.

3. Reservation of seats in Homoeopathic Colleges in other States for students of this Pradesh.
4. Registration of Homoeopathic practitioners in the Pradesh.

7.6 MEDICAL COLLEGE

The Medical College had intake capacity of 67 students during the year 1981-82. The College is affiliated to the Himachal Pradesh University. Two major Medical Institutions at the State headquarters namely H.P. State Hospital, Snowdon and Kamla Nehru Hospital, Simla are associated with it for teaching and training purposes. With the establishment of this College, specialised services in medicine, surgery, OBG, skin and VD, dentistry, E.N.T., radiology, ophthalmology, etc. are available to the general public in the Pradesh.

A brief description of the achievements made during the year, i.e., upto March, 1982 is given hereunder :—

Students—66 students have qualified the M.B.B.S. examination and 330 students are on roll at present. In addition to above, 66 candidates are undergoing internship whereas 48 candidates are undergoing house job training.

Lab. Services in Odd Hours—For emergency cases night laboratory services are made available in the Snowdon Hospital.

Training Courses—The training in the Diploma Courses of Radiology and Anaesthesiology is imparted. 4 candidates in Anaesthesiology and 2 in Radiology are admitted annually to these courses which are of one year's duration. 2 and 4 doctors have qualified in the Diploma Courses of Radiology and Anaesthesiology, respectively, during the year under report. Moreover, the post-graduate classes have also been started in this institution during the year under report, with the following admission in various degree/Diploma Courses in different Faculties/Departments :—

(i) M.D.	..	11
(ii) M.S.	..	4
(iii) Diplomas	..	8

WHO/Commonwealth Training Programme—The officers of this institution are deputed for undergoing training under WHO/Commonwealth programmes in different specialities. Such trainings will go a long way in the improvement of teaching activities and patients cure qualities in the developing college.

Mobile Hospitals Camps—With a view to providing medical aid to the general public in rural and difficult areas and field, training to the interns and to improve the quality of under-graduate students performance, as also to impart training to the final year students and trainee-nurses, the college is running 50 bedded Mobile Hospital. During the year 1981-82, the Mobile Hospital Camps were held at Chandi (district Solan), Rohroo and Jubbal (district Simla), Baijnath (district Kangra) and Chowari (district Chamba).

Besides this, Eye relief camps were organised by the Eye Department of this Institution in the interior of the Pradesh at the following places :—

- (i) Shahpur (district Kangra).
- (ii) Theog (district Simla).
- (iii) Nagrota Bagwan (district Kangra).
- (iv) Nurpur (district Kangra).
- (v) Kangra (district Kangra).

Apart from the above, the Preventive and Social Medicine Department organised the camps at Baggi, Renuka and Sarahan under the "Reorientation of Medical Education Scheme." Besides, eleven mini-camps were also organised under this scheme during the year 1981-82 at Sankat Mochan, Taradevi, Ochghat, Bhata-Kufar, Dhami, Deothi, Salogra, Sairi, Ghanahati and Parwanoo.

Post Partum Programme—The Medical College is also participating in Centrally assisted Post-Partum Programme. Achievements recorded under this Programme during the year, 1981-82 are as follows :—

(i) No. of OBG Operations performed :	
Major	.. 1,228
Minor	.. 2,084
Total	.. 3,312
(ii) Obstetrics :	
Major	.. 124
Minor	.. 906
Total	.. 1,030
(iii) Total No. of deliveries	1,853
(iv) Details of other operations performed under this programme :	

(a) Tubectomy ..	894
(b) Recanalisation ..	2
(c) Medical termination of pregnancy ..	1,110
(d) I.U.C.D. ..	578
(v) Condoms distributed..	10,270
(vi) Oral pills distributed (Pkts.) ..	103

Construction Programme—The construction work of type IV and Type I residential quarters including Girls and Nurses Hostel, Sarai-building and building in which the Tele-cobalt Unit will be installed is in hand and these works are likely to be completed shortly. Apart from this, repairs of various old buildings (residential) is also under progress.

Plan for 1982-83—The following works programme is envisaged for implementation :—

- (i) 65 students are proposed to be admitted to 1st year M.B.B.S. course. The Post-graduate training in various specialities will also continue.
- (ii) The Tele-cobalt unit which has been purchased is likely to be installed fully and its services will be available to the general public.
- (iii) The Re-orientation of Medical Education Scheme sponsored by the Government of India will also continue.
- (iv) In addition to the major building works already taken up, the construction programme includes the following works :

- (a) Construction of Post-partum ward (10 bedded),
- (b) Construction of New Special and Children ward and
- (c) Other immediate works of building will also be started so as to fulfil the shortcoming of the accommodations in respect of the certain departments.

7.7 HOUSING

The Himachal Pradesh Housing Board set up by the Government in 1972 with a view to constructing houses at important places for general public is presently engaged vigorously in developing housing colonies and thus easing the housing problem. Till, 1981, this Board was engaged in execution of Social Housing Schemes only but during the year 1981-82, the work of Government Rental and Police Housing Schemes was also transferred to this organisation. The progress made to fulfil its objectives is summarised below :—

1. **Social Housing Scheme**—Under this scheme, housing colonies have been established at various places such as Parwanoo, Solan, Nahan, Jakhoo, Sanjauli, Una, Dharmsala, Palampur, etc. and efforts are afoot to establish such colonies at Mandi, Chamba, Bilaspur, Kulu, etc., soon. In all such colonies/houses of various types such as HIG, MIG, LIG and EWS have been constructed and sold to the public. Under this scheme, 1,477 houses and 750 plots to general public and 231 plots for industrialists were also sold at various places of the Pradesh.

The following houses and plots are proposed to be constructed in near future :—

Sr. No.	Name of the place	Houses (Nos.)				Plots (Nos)			
		HIG	MIG	LIG	EWS	HIG	MIG	LIG	EWS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sanjauli (Simla)	..	8	10	7	—	10	88	—
2	Una	...	20	32	4	18	5	3	3
3	Palampur	..	10	8	8	—	4	7	4
4	Mandi	..	8	20	6	15	7	20	—
5	Bilaspur	..	24	32	8	9	15	3	10

Keeping in view the increasing demand for houses/plots at Simla, construction of housing colonies at 'Kelston Estate' and 'Knolls Wood' have been started at a mass scale and flats/cottages allotted under "Self Financing Scheme" to 280 aspirants.

Under self Financing Scheme, a time bound programme has been started at Parwanoo and the Board will provide 114 category-II and 60 category-III flats in sector-IV and V in the residential area.

At Parwanoo, the Board is also constructing experimental houses, sponsored by the National Building Organisation. The capital for raising this new township has been given as loans by the State Government, HUDCO and the Banks.

2. Rental Housing Scheme for Government Employees—The H. P. Housing Board has been entrusted to construct about 532 houses of various types for the Government employees at different places of the Pradesh. The work is in progress at Mandi, Dharmsala, Nahan, Hamirpur and Kasumpti (Simla). In addition, the construction work at other places like Una, Chamba, Kulu, Bilaspur, etc. will be taken-up shortly.

3. Rental Housing Scheme for Police Personnel—The construction of about 300 houses at places like Solan, Nahan, Una, Dharmsala, Chamba, Bialspur, Hamirpur, Mandi and Bharari (Simla) of various types are expected to be completed within the next financial year. Besides this, seven schemes have been sanctioned by HUDCO and remaining two are under sanction with HUDCO.

As per the commendations of the 7th Finance Commission, 160 units of various types are to be constructed at different places of the Pradesh. Police Housing Scheme is being completed with loan assistance of HUDCO to the extent of 70% and the rest by the Government.

4. Deposit Works—The Board is also executing construction work of various institutions and public undertakings such as H.P. Tourism Development Corporation, CPRI, HRTC, HP Institute of Public Administration, etc. The Board has completed the construction of State Guest House Simla, Shiwalik cafe at Parwanoo, Bus Stand Complex at Hamirpur, Shop-cum-Godown for hpmc in Sabji Mandi, Simla, Hostel for M/s Purolator Ltd., Parwanoo and Centre Mother Units Compositing Plant, Solan. In addition to the construction of 'Bachat Bhawans', at Hamirpur and Simla, construction of Auditorium Building on behalf of C.P.R.I., 10 sheds for scheduled castes entrepreneurs on behalf of Industries Department at Parwanoo and few works of HIPA are in progress.

5. Lime-kiln—In order to decrease the pressure on demand of cement which is in short supply, the Housing Board proposes to set-up a Lime Kiln at Slapper near Bialspur on commercial basis. Negotiations for the purchase of private land are being made vigorously.

6. Rural Housing wing—The Board is giving top-priority to construct the houses for the weaker sections and lower income groups.

A Rural Housing Wing has been set up within the Board with the aims listed below:—

- (i) To promote research and use of local building materials, construction techniques and designing of village houses ;
- (ii) to propagate the use of improved materials and techniques ;
- (iii) to construct clusters of demonstration houses alongwith environmental improvements in selected villages, and
- (iv) to train and orient the technical personnel employed on planning and execution of projects.

7. Demand Survey—With a view to assessing the requirement of houses/plots/flats/at Parwanoo, Chamba, Palampur, Hamirpur, Una, Barotiwala, Solan, Salogra, Mehtpur, Paonta Sahib, Sunder Nagar, Kulu, Dharamsala, Kangra, Nahan, Bilaspur, Mandi, Jachh (near Nurpur), Kala Amb and around Simla, a "Demand Survey" was conducted in two phases. The 2nd phase expired on 31st January, 1982.

In addition to the above, the Board has also invited applications for preparing schemes for setting up housing colonies at Shahpur, Nagrota, Jasur, Dalhousie, Jawalamukhi, Dehra-Gopipur, Manai, Baijnath, Pragpur/Garli, Nalagarh, Amb, Rajgarh, Kunihar and Kasauli.

7.8 DRINKING WATER SUPPLY

Out of the total 16,916 villages of the Pradesh as many as 6,425 villages having a population of 15.78 lakhs were provided with safe drinking water facilities, Out of these 6,425, villages 285 villages are that of the tribal areas. During the year 1980-81, with an expenditure of Rs. 1,668 lakhs additional 1,462 villages with a population of 3.05 lakhs were covered. During the year 1981-82, the approved outlay in the State Plan of P.W. D. was Rs. 798.71 lakh (Rs. 665.71 lakhs for rural water supply schemes, Rs. 108 lakhs for urban and Rs. 25 lakhs for sewerage. Besides, a sum of Rs. 364.50 lakhs was released under Central Sector against Accelerated Rural Water Supply Programme during 1981-82. With the available funds,

1,626 villages with a population of 3.04 lakhs have been provided with drinking water supply facilities during 1981-82.

All the towns have water supply schemes and most of them require augmentation. The work of augmentation of Simla Water Supply Scheme is nearing completion and is likely to be commissioned to full capacity shortly. Small schemes costing upto Rs 25,000 are executed through RID Department.

Plan for 1982-83:—During the year 1982-83 a sum of Rs 1030 lakhs is proposed under the State Plan of P.W.D. to be spent on rural and urban supply schemes, sanitation and sewerage schemes. Major portion of which will be spent on rural water supply schemes. Besides, a sum of Rs 6 to 7 crores is expected to be released by the Government of India under Accelerated Rural Water Supply Programme. With the above outlay, it is proposed to cover 1,600 villages having a population of about 3.20 lakhs with drinking water facilities.

7.9 WELFARE OF BACKWARD CLASSES

The Welfare Department is looking after the welfare of weaker sections and backward classes of the society including SCs/STs and other backward classes, old persons, women and children. For the amelioration of economic conditions and social uplift of these categories of people, development work is being undertaken under the following three main heads:—

1. Welfare of backward classes.
2. Social welfare.
3. Nutrition programme.

Welfare of Backward Classes—Like previous years, various schemes for the economic betterment and social uplift of the backward classes and downtrodden sections of the society are in hand. The students belonging to SCs/STs and backward classes are awarded pre-matric scholarships and technical scholarships. The rates of pre-matric scholarships are Rs. 8, Rs. 12 and Rs. 15 per student per month for primary, middle and high/higher secondary classes, respectively. The rate of technical scholarships has been increased from Rs. 45 to Rs. 100 per student per month. Besides, students of SCs/STs are also given aid for the purchase of books, slates and clothes at different rates in the primary, middle and high/higher secondary classes. For supplementing the diet, etc. of the students of the tribal areas, mid-day meals are also given under this programme.

With a view to improving the economic conditions of these classes, aid is given for setting of small scale industries besides interest free loans. An amount of Rs. 200 per family is given for SCs/STs for the electrification of their houses, who are very much poor and cannot bear the cost of electrification. An intensive programme of electrification of houses and Bastis of Harijans at a cost of Rs. 6 lakhs has been undertaken through H.P.S.E.B. during 1981-82. Small drinking water supply schemes are also being implemented to provide drinking water facilities to these classes. The department in collaboration with voluntary agencies is also running various production-cum-training centres for the benefit of backward classes. Under the follow-up programme, tools and instruments are given to the trained artisans to earn their livelihood. Housing subsidy and interest free loans are given to the SCs/STs and denotified tribes for the construction and repairs of their houses under this programme.

For the welfare of schedule castes/tribes, a Scheduled Castes Development Corporation has also been set up in the Pradesh. Besides, looking to the general welfare of these classes, the corporation is also encouraging inter-caste marriages to remove the evil of untouchability by granting an award upto Rs. 500 per couple.

Plan for 1982-83.—The programmes being implemented during 1981-82 are also proposed to be continued during the year 1982-83.

7.10 SOCIAL WELFARE

Social Welfare programme aims at the welfare of weaker sections of the society like destitutes, infirms, orphans, physically and mentally handicapped, etc. for whose uplift and betterment, the Government is running Bal and Balika Ashrams, Destitute Homes, Community Centres and State Homes. During the year 1981-82, the progress made under this programme is briefly discussed below:—

One special school under the Children Act at Haroli, district Una, one State Home in Kangra and one Balika Ashram in Pragpur which were started during the year 1980-81 continued functioning during 1981-82 under the social welfare programme. Old-age pension scheme already under implementation was continued during the current year, under which about 45,000 persons are expected to be benefitted. The scope of this scheme was widened and 5,000 widows are now being given pension @ Rs. 50 per month without any age limit. Similarly, all destitutes handicapped are being covered under disability relief allowances @ Rs. 50 per month without any age limit.

Working Women Hostels—Eleven Working women Hostels were sanctioned for Solan, Kulu

Mandi Dharmasla, Hamirpur, Simla, Theog, Chamba, Nahan, Parwanoo and Una.

I.C.D.S. Projects.— Five I.C.D.S. Projects are already in operation at Pooch, Lambagaon, Chachiot (Gohar), Nirmad (Ani) and Rampur. Three more such projects are proposed to be started during the year 1982-83.

Coaching Centre.— Under the centrally sponsored scheme, a pre-examination coaching centre for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates has been started in the Pradesh through the Himachal Pradesh University. The expenditure on this account is shared on 50:50 basis by the State and Central Governments.

Under the special central assistance, an amount of Rs. 5 lakhs was sanctioned during 1980-81 for the construction of a hostel for scheduled tribes students at Chamba and a sarai at Tarella. During the current financial year, an amount of Rs. 4 lakhs stands provided for completing this work.

7.11. NUTRITION PROGRAMME

The special nutrition programme, being implemented by the Welfare Department since November, 1970 aims at providing supplementary nutritious diet to the children in the age group 0—6 years and expectant and nursing mothers. During the year 1981-82, there is a provision of Rs. 26 lakhs under Plan and Rs. 8 lakhs under Non-plan for running 711 centres which will benefit 33,570 children and expectant/nursing mothers, while Rs. 30 lakhs are proposed to be spent during 1982-83 under this programme by the Welfare Department. During 1981-82, the rate of diet has been increased from 0.20 paise to 0.25 paise per child and from 0.25 paise to 0.50 paise per expectant mother.

Rural Integrated Development Department is also implementing applied nutrition programme which aims at bringing change in the food habits of the people. During the year 1981-82, 5 additional blocks were brought under this programme, thereby increasing this number to 44. Other achievements of the Rural Integrated Development Department have been discussed in the chapter No. 3.2. Medical Department is also implementing a programme named "School Health Series". Under this programme, a survey was conducted to know the health level of school students and corrective action was taken well in time.

7.12 EMPLOYMENT TRAINING AND LABOUR WELFARE

The department of Labour, Employment and Training takes account of working force in existence and likely additions to it. The demand and supply of available manpower is watched

through employment agencies, vocational guidance and training in different engineering and non-engineering trades and through a system of employment market information. The welfare of labour is watched through the implementation of various laws.

I. Labour Welfare.— The labour organisation ensures proper implementation of various labour Acts and Rules for the welfare of labour in the Pradesh. To achieve the goal of optimum production and productivity, a sense of involvement, belongingness and partnership is inculcated among the workers and management through workers participation schemes and for achieving this aim the desired knowledge and information is provided through worker education scheme.

Employees State Insurance Scheme.— The Employees State Insurance Act, 1948 is designed to protect the employees against the hazards of sickness, maternity, disability and death due to employment injury. The Act is extended to all non-seasonal factories run with power, employing 20 or more persons excluding mines and railway running sheds. It covers all employees—manual, clerical, supervisory and employees engaged by or through contractors whose remuneration does not exceed Rupees one thousand a month.

The scheme is financed mainly by contributions from employees and employers. However, the State Government also bears 1/8th of the total expenditure. Initially in Himachal Pradesh the scheme has been implemented in Solan district covering only factory employees from 4th June, 1977. Later on the scheme was extended to the following employments at Solan satisfying the provisions of the Act.

1. Hotels
2. Restaurants
3. Shops
4. Road/Water Transport Establishments
5. Cinemas, including theatres.
6. News paper establishments defined in section 2(d) of the Working Journalists (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955.

During the year under review, the Act was extended to the Parwanoo and Mehatpur industrial areas of the Pradesh. The Himachal Pradesh Government in consultation with the Employees State Insurance Corporation and with the approval of the Central Government extended the provisions of the Employees State Insurance Act,

1948 to the establishments in Mehatpur and Parwanoo areas. The Medical Department of the Pradesh is running dispensaries for the benefit of the employees at Parwanoo, Mehatpur and Solan. The Employees State Insurance Corporation is responsible for the proper implementation of this scheme.

Employees Provident Fund Act, 1952:—The Employees Provident Fund scheme provides for compulsory provident funds from employers in the factories and other establishments. At present, the Act is applicable to factories and other establishments engaged in the specified industries which have completed 3 year's of their existence if they employ 50 or more persons or 5 years of their existence if they employ between 20 and 49 persons. The Regional office of Central Provident Fund Organisation at Chandigarh with its Provident Fund Inspector at Simla looks after the enforcement of the provisions of the Act in Himachal Pradesh. Under the provisions of the Acts a Regional Committee under the chairmanship of Secretary (Labour), Himachal Pradesh is constituted which takes stock of the implementation of the Act that periodical review meetings. At present, 18,350 employees have been covered under the Act in Himachal Pradesh.

Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community—The scheme earned its present name with the integration of the subsidised housing scheme for industrial workers introduced in 1952 and the housing programme for economically weaker sections of community under the low income group housing scheme introduced in 1962. This integrated scheme contemplates financial assistance by the Government of India to the State Government. The State Government in turn, provides the financial assistance to other approved agencies for providing residential accommodation for specified categories of workers.

Workers' Education Scheme—The Govt. of India, Ministry of Labour have sponsored a country wide scheme of workers' education and entrusted its administration to a semi-autonomous body called the Central Board of Education. Workers' education is essential for their welfare, for improving the quality and output of their work and for increasing awareness of their rights and duties. The first phase consists of training top level instructors known as Education Officers. They in turn, train worker-teachers. The selected workers so trained revert to their places of employment and conduct classes at the unit level for rank and file. The scheme aims at developing in the worker a rational understanding of the circumstances in which he is placed and the

pressure and policy to which he is subjected, how these pressures and policies develop, how he himself, by collective action through his union can ease the pressure and contribute to the shaping of the policies and how he should conduct himself through his union for the maximum good of the working class and community as a whole.

In Himachal Pradesh, the implementation of the Workers' Education Scheme is implemented and looked after by the Regional Director, workers' Education Centre, Chandigarh. A few camps for workers' education were held at Parwanoo, Mehatpur, Solan, Hamirpur and also in the remote areas of the Pradesh like Kinnaur and Chargaon (Rohru Tehsil) in collaboration with the Department of Labour, H.P.

The Labour Department conducts inspections in the factories/establishments and care is taken that workers get their wages regularly at fixed intervals, that wages are not paid to them at less than the minimum rates of wages fixed by the Government for a particular scheduled employment and that undue no deductions are made by the employer. Further, workers employed in registered factories and tea plantations get the national and festival holidays, casual and sick leave as has been prescribed under the H.P. National and Festival Holidays (casual and sick leave) Act, 1969. It is also ensured that the workers get proper medical aid and in case of accidents, reasonable amount of compensation is paid to them.

II. Manpower and Employment Scheme—The employment service (i) assists employment seekers possessing diverse qualifications and experience in finding suitable jobs, (ii) enables workers and surplus-retrenched employees find out alternative employment, (ii i) serves employers by referring to them suitable workers to fill up vacant posts in their establishments, (iv) collects employment information regarding job opportunities, training facilities and related matters to the public, students, teachers, parents and administrators, and (v) guides young persons and employment seekers in the problems of review and re-adjustments of the training programmes and curricula according to the employment market needs.

The employment assistance/information in the Pradesh was continued to be rendered during the year under review through 12 district Employment Exchanges, one Project Employment Exchange, 9 Sub-Office Employment Exchanges, 13 Rural Manpower Units, One State Employment Market Information Unit, 12 District Level Employment Market Information Units, one State Vocational Guidance and Employment Counselling Unit, two Voca-

ational Guidance Units at Simla and Dharamsala Employment Exchanges. A University Employment Information and Guidance Bureau is functioning at the H.P. University. Block Employment Bureaus at the Development Blocks meet the rural needs. Special cells are functioning for the placement of ex-servicemen and physically handicapped persons.

During the period 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in all 68,135 applicants were registered and 7,731 placements done. The various employers notified 10,929 vacancies out of which 5,162 were filled. The consolidated live-register of all employment exchanges stood at 1,60,661 as on 31st March, 1982. The special cell for the placement of ex-servicemen during the period 1st April, 1981 to 31st March, 1982 received 370 reserved vacancies and 197 persons have been provided employment. There were 1,493 physically handicapped persons, registered with the cell for handicapped persons, of which 35 were got placed while another 22 were got admitted for training in various Industrial Training Institutes upto 31st March, 1982. Employment guidance information was provided to 20,872 applicants from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 through Vocational Guidance and Employment Counselling Service besides providing information/guidance to many others about employment opportunities literature. The Employment Market Information continued to be collected and published. The Department is in for a major venture by way of pursuing a proposal to set up a Vocational Training/Rehabilitation Centre in Himachal Pradesh for imparting training to the physically handicapped persons in some suitable and attractive trades like canning chairs, cutting and tailoring and stenography, etc. To achieve qualitative improvements, a vigilance cell is also being set up.

III. Craftsmen Training Scheme.—The training branch of the Department is entrusted with the task of ensuring steady flow of skilled workers, raising the quality and quantity of industrial production by systematic training of workers and reducing unemployment among the educated youth by equipping them for suitable industrial employment. The main objective behind this is to ensure increased production which should not suffer for want of skilled manpower. This branch through a net-work of seven Industrial Training Institutes located at Simla, Shahpur, Solan, Shamshi, Mandi, Chamba and Nahan with an enrolment capacity of 1,864 in various engineering and non-engineering trades provides training under the scheme known as 'Craftsmen Training Scheme'. During 1981-82 as many as 1,274 fresh trainees were admitted in these institutions and 1,091 took the All-India Trade Test held by the National Council for training in Vocational and Technical Trades out of which 653 were declared successful.

Supplementary trade tests were also arranged during February, 1982 for the failed candidates in which 454 trainees appeared. With a view to promote professional and Vocational skills, a State-level skill competition among the trainees was held in December, 1981. To improve the quality of instruction, two Instructors were sent for training to the Central Training Institute for Instructors. To provide still better training facilities, the construction of building works continued at Industrial Training Institutes at Nahan and Chamba.

To promote training programme, the Department also ensures the implementation of the Apprenticeship Act with a view to avail maximum training facilities available in the industries already set up so that the trainees may also develop their skills as required on the floor of factories. The Apprenticeship Training Scheme aims at Training the candidates in pursuits of the national progress and self-dependance towards industrial growth, imparting training for skill information as trained workers and also increasing production and enhancing levels of productivity. Under this scheme, 76 new apprentices were got engaged. 34 apprentices had appeared in the All-India Trade Test out of which 17 were declared successful. 114 apprentices remained under training as on 21st December, 1981.

With a view to better the lot of trainees already undergoing training in various Industrial Training Institutes, the enhancement of stipend rates and training grants are in view. The purchase of deficient tools and equipment for various Industrial Training Institutes is being vigorously pursued. To meet the needs of Tribals, there is a proposal to set up an out House Industrial Training Institute with a capacity of 16 trainees in the tribal areas. To meet the requirements in technologies and modernisation, setting up of a centre under Advanced Vocational Training System for imparting training in highly skilled workers and technicians in a variety of advanced and sophisticated skills which are not presently available under the Craftsmen Training Scheme is yet another important feature.

Plan for 1982-83.—On the labour side, the proposal to constitute Labour Welfare Fund under the Labour Welfare Act, for financing various activities connected with the welfare of labour in the State is under consideration and is likely to be finalised during 1982-83. The year is likely to witness the constitution of District Vigilance Committees for identification of Bonded Labour in Himachal Pradesh. Likewise, the setting up of machinery for settlement of industrial disputes is also likely to come up during the coming year.

On the employment side too, there are a number of measures in view of the Department to ensure better deal to the unemployed job seekers. In this regard, with a view to extend the facilities of employment assistance further, the setting up of a sub-office Employment Exchange at Rohru, Rural Manpower units at Tissa in Chamba district and Bhoranj in Hamirpur distri. are being thought of. The setting up of a University Employment Information and Guidance Bureau at Agriculture University, Palampur and upgradation of sub-office Employment Exchange at Kaza are also in view. To ensure qualitative improvement, the setting up of a Vigilance-cum-Enforcement Cell is also proposed during the year. In addition, the Cell for Scheduled Castes is also proposed to be strengthened. To improve the lot of the physically handicapped persons, a Vocational Rehabilitation Training Centre is proposed to be set up.

On the training side provision of the deficient tools and equipment, setting up of an Out-House Industrial Training Institute in Tribal areas, a Centre under Advanced Vocational Training System, enhancement of Training Grant as also strengthening of Apprenticeship Training Cell are likely to be implemented.

7.13 URBAN DEVELOPMENT AND COUNTRY PLANNING

The Town and Country Planning Organisation was constituted to plan the burgeoning towns in a scientific manner so as to avoid the haphazard growth, especially to check the emergence of new slum formation. The following achievements were made by the organisation during the year 1981-82 :—

- (1) The Town and Country Planning Act, has been extended to Jubbar-Hatti Air Port Complex, Solan, Barotiwala, Peo, Kulu, Manali, Hamirpur, Mandi and Una planning areas. The existing land use maps have been prepared and adopted.
- (2) Paonta Sahib planning area was constituted and Town and Country Planning Act has been extended.
- (3) Under 'Minimum Needs Programme' a slum improvement plan of Ladakhi Mohalla, Simla was prepared and submitted to the Government.
- (4) Necessary 'Development Control' is being exercised on the Peo, Solan, Barotiwala, Hamirpur, Mandi, Kulu, Una, Manali, Simla (including Jubbar-Hatti) and Parwanco planning areas.

For the year 1982-83 the following works are proposed to be done :—

- (1) Spill over work to be completed in Naana Devi Ji, Peo, Kaza, Simla Capital Complex. Completion of survey plans in remaining parts of various planning areas/towns.
- (2) Preparation of development plans for Barotiwala and Peo.
- (3) To exercise the development control over the constituted planning areas.
- (4) Preparation of sectoral plan of zona centres in Simla planning areas.
- (5) Advising the various local bodies and departments including public undertakings for their development works.
- (6) Preparation of comprehensive traffic and transport plans for smooth flow of traffic.
- (7) Preparation of development plan for providing tourist infrastructure along National and State highways.
- (8) Preparation of Kulu-Manali Regional Plan.
- (9) Preparation and implementation of Slum Improvement Schemes for providing basic amenities and facilities for the upliftment of weaker sections of the society under 'Minimum Needs Programme'.
- (10) Preparation of scheme for Simla, Kulu Manali, Parwanoo and Peo Development Authorities.
- (11) To constitute the planning areas/extension of Town and Country Planning Act, preparation and freezing of existing land use in Dharamsala, Palampur, Chamba, Ghumarwin and Nalagarh.
- (12) Preparation of Draft Development Plans for Mandi and Una.

7.14 LANGUAGES AND CULTURE

The department of Languages and Culture, is a complex of various activities and multifarious functions concerning six major divisions viz., languages, culture, arts, archaeology, museum and archives. The functions of each wing were clearly demarcated and streamlined. The progress made in each division is enumerated below :—

1. *Administrative set up* — Programmes based on annual and five year plans of the depart--

ment were prepared for the first time this year for the scientific execution of departmental activities. Departmental recruitment and promotion rules have been properly revised, rules concerning grant-in-aid to various activities and monuments of historical and archaeological importance, have been formulated.

2. *Languages*—With a view to promote the use of Hindi in administration, the department continued imparting training to in-service personnel in Hindi shorthand, typing and in functional use of administrative Hindi. Hindi translation of about 1,800 pages of official rules, notings, etc., was provided to various departments of the Pradesh. A very useful helpbook *Prashasnik Hindi Sahayika* was compiled and edited during the year. In addition, the manuscripts with the following titles have been compiled/edited during the year : Hindi *Kavya Dhara* (Part V), *Sanskrit Samarika*, *Kalidas Sahitya*, *Lokgeet Sangrah*, *Lokokti Sangrah*, *Muhavara Sangrah*, *Hindi Samarika* (Part II), *Shodh Patravali*, *Bunch of Urdu Poetry*, *Glimpses of the department of languages & culture*, etc. Publication of the departmental quarterly magazine '*Himbharti*' was continued. In addition to it, '*Dussehra Samarika*' '*The Artistic Vision and Design*' (a pamphlet), '*Cultural Heritage of Himachal Pradesh*' (a folder), '*Temples of Himachal Pradesh*, etc. were brought out during the year. The Department organised various programmes on the occasion of Hindi Divas (14th September) and Pahari Divas (1st November). In addition to it, one All-India Hindi Samelan was organised in collaboration with one local literary organisation and assistance was provided to various other voluntary organisations for organising various poetic symposia and writers' seminars. In addition to Hindi and Pahari cells, two independent cells, Sanskrit and Urdu, have taken up many schemes. For the encouragement of these languages in the Pradesh, Sanskrit Divas was organised at Theog on 15th and 16th August. One Book '*Sanskrit Samarika*' is under print where as the other compilation '*Kalidas Sahitya*' is being finalised. Two All-India Urdu Mushairas were organised by the Department during the year. A collection of Urdu poems is being edited. Compilation of Pahari Folk Tales and Mahasui- Hindi Glossary is in hand.

3. *Arts*—The department arranged two All-India performing Art Competitions in collaboration with a local voluntary organisation. The construction work of Art Gallery at Dharamsala was accelerated. With a view to encourage cultural and literary activities in the State, the department organised 25th Sehgal Memorial All-India Folk Dance,

Folk Song and Drama competition in collaboration with The All India Artists' Association. One Art exhibition on Mother Goddess and another State level Art Exhibition-cum-Competition of contemporary artists were organised this year. Two fellowships were sanctioned for research leading to Ph.D. degree on temple architecture and sculpture of the Pradesh.

4. *Culture*—Cultural troupe of Andhra Pradesh toured the Pradesh under the scheme of Inter-State Exchange of Cultural Troupes and offered cultural programmes of that State at Nahan, Simla, Kulu, Hamirpur, Dharamsala and Chamba. Under this scheme, a cultural troupe of this State exhibited four programmes in Union Territory of Delhi during December, 1981. Department also assisted in arranging the cultural programmes of the troupes of different States such as Tamil Nadu, Orissa, Haryana, Rajasthan, J&K and Punjab during Kulu Dussehra. Light and Sound programmes by Song and Drama Division, Delhi was also got arranged and one foreign troupe from Nepal also participated in the Dussehra festival at Kulu. The department organised '*Himachal Nite*' in Bombay in collaboration with Himachal Mitra Mandal, Bombay. The department provided grant-in-aid for celebration of important fairs, etc., like Kulu Dussehra, Simla Summer Festival, Minjar Fair, Solan Summer Festival, Trilokinath Fair, Budh Jayanti and Rewalsar Mela, Mandi Shivratri and Palampur Holi. The compilation of District Guide Books containing the cultural and historical significance of the district concerned, is in progress. A special study and documentation of Bhoonda festivals of Nirmand and Sholi was carried out during the year.

5. *Museum*—A sum of Rs. 8.40 lakhs has been spent under plan and non-plan heads for the improvement and development of Museums during the year 1981. An '*Anthropological Gallery*' has been set up in the State Museum, Simla. A big exhibition on '*Mother Goddess*' was arranged in the State Museum and a catalogue was brought out on this occasion. Approximately, 20,000 people visited this exhibition. An Art Exhibition-cum-Competition of contemporary artists was also arranged in Simla wherein 73 artists participated. Cash prizes and certificates were awarded to the best participants. During the year, 423 art and archaeological pieces were procured and added to the collection of the State Museum, Simla. The construction of new building for Bhuri Singh Museum, Chamba is in progress wherein setting up of an Art Gallery is going on.

6. *Archaeology*—The Pradesh is rich in archaeological monuments and sites. The

archaeological cell in the department has started functioning. An amount of Rs. 1.94 lakhs has been allotted for conducting the archaeological survey, repairs and conservation of archaeological monuments of historical and cultural importance. A sum of Rs. 85,000 has been granted for the repair of 17 important old temples of the Pradesh. About 432 objects of art and antiquities have been registered during the year under the Registration of Antiquities and Art Treasures Act.

7. *Archives*—Preliminary work regarding setting up of Himachal Pradesh State Archives has been started with filling up of a few posts in the division. According to the Government policy resolution, all records and files selected for permanent preservation in the different departments of the Himachal Pradesh Government including those of the local bodies, will be transferred to the State Archives. The work of preparing descriptive lists of records collected by the Himachal History, Culture, Art and Folklore Commission has been taken in hand. A repair and rehabilitation laboratory is going to be set up very soon for the preservation of records.

Himachal Academy of Arts, Culture and Languages—Himachal Academy of Arts, Culture and Languages has granted a sum of Rs. 40,700 as grant-in-aid to different voluntary associations and institutions for the execution of their programmes during the year 1981. Similarly a sum of Rs. 10,000 was granted to writers for the publication of their books as grant-in-aid. In order to encourage the literary activities in the Pradesh, the Academy organised 13 writer-seminars and poetic symposia during the period. In these seminars more than 200 writers and poets took part. The Academy further organised 8 cultural programmes in the Pradesh in order to foster the cultural activities in the Pradesh. The Academy further gave cultural programme at Delhi on the occasion of Trade Fair on 3rd December, 1981. In order to assist the local artists, the Academy has been organising and assisting art exhibitions in the Pradesh. Under its publication programme, the Academy has brought out four issues of its quarterly Magazine 'Somsî'. A book on folk songs entitled 'Himachal Ke Sanskar Lok Geet' and another collection of Pahari Essays, Stories, One-Act Plays and Poems are in the press. Under the Himachal 'GIAN KOSH' scheme 7th volume regarding bibliography of articles/books on Himachal Pradesh is in the press and another volume regarding 'DEV GAATHA' is under editing. The Academy has instituted 6 scholarships for higher and specialised training and students of Himachal Pradesh are getting benefit of these scholarships.

Plan for 1982-83—The work concerning the conservation of old monasteries in the

tribal areas will be taken up and some other work under the Tribal Plan will be started this year. The work on archaeological survey of the Pradesh will be started and that of the linguistic and cultural survey shall be accelerated. A laboratory of archives shall be established and more art objects will be added to the museum collection. Art Gallery at Dharamsala will start functioning.

7.15 MOUNTAINEERING

The Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali imparts training in mountaineering, ski-ing, high altitude trekking, water sports, rock climbing, snow and ice condensed courses to the young men and women of the country and those from abroad. During the year 1981-82, 7 basic courses, 4 advanced courses, one rock climbing party, 2 condensed courses, one of the methods of instruction course, 13 high altitude trekking parties, 4 ski-ing courses and 6 water sports courses were conducted. Under these activities, 309 boys and girls in basic courses, 25 persons in advanced courses, 22 persons in rock climbing courses, 30 students in snow and ice condensed courses, 5 boys in methods of instruction courses, 417 trekkers in high altitude trekking were trained in Manali, Dharamsala and Bharmour areas, 17 persons were trained in Skiing training centre at Solang Nullah and 65 boys and girls were trained in newly started water sports centre at Pong Dam (Talwara).

A winter carnival was organised during the month of February, 1981 in which cultural programmes and ski-ing competitions on national level were held in which 300 persons participated. The object of this carnival was to make the ski-ing popular and attractive among the youth of the country and popularise the winter tourism in Himachal Pradesh. The work of the installation of the ski-lifts at Solang Nullah is likely to be completed during this financial year with an approximate cost of Rs. 6.50 lakhs.

Under the water sports scheme, a new centre at Pong Dam has since been opened for which 4 sailing boats, 4 cadet class boats and 6 canoes have been provided. To promote this scheme in Pong Dam Rs. 5 lakhs have been provided for this Department under the budget of Tourism Department and the Department proposes to purchase sail boats, paddle boats, dinghi and dowry boats.

The Institute is also giving its mountaineering, ski-ing equipments on hire at Manali, Dharamsala, Jispa and Bharmour to the various expeditions and trekking parties and is likely to earn more than Rs. 1,20,000 during the current financial year.

Under the tribal sub-plan, the Institute has opened two Mountain Rescue Centres at Marhi and Koksar. In these centres, the trained mountaineering instructors and some police personnel have been posted for the rescue work in Rohtang area. The rescue works are necessitated when people crossing the Rohtang Pass on foot due to close of vehicular traffic are stranded because of heavy snow and below freezing point temperature. During last winter, such rescue centres helped 1,450 persons to cross the Rohtang Pass.

Under special central assistance, the Institute is imparting training to the tribal people of Lahaul and Bharmour. For the purpose the Deputy Commissioners of Lahaul-Spiti and Chamba are arranging training groups for more than 100 persons.

Plan for 1982-83—Besides the normal activities of conducting various courses it is proposed to start the scheme of Outward Bound Movement Courses at Dharamsala to train 500 boys and girls. The Executive Committee for this Department has decided that the student and non-student youths of Himachal Pradesh be given free training in Mountaineering, skiing, water sports and high altitude trekking and hand gliding courses. Some funds are likely to be allotted for organising adventure expeditions, including the Mountaineering in the State. The construction work of an auditorium and 2nd Block of girls hostel with a cost of Rs. 19 lakhs and Rs. 18 lakhs, respectively, has been completed upto the roof level and is likely to be completed during the next financial year.

8. MISCELLANEOUS

8.1 EXCISE AND TAXATION

The excise policy of the Government plays an important role towards attainment of economic viability as it is one of the major sources of revenue to the State exchequer. During the year 1981-82, the following remained the salient features of the excise policy in the State:—

- (i) The issue of additional quota of foreign as well as country liquor was allowed to continue free of proportionate licence fee subject to availability of supplies like the previous year ;
- (ii) The rates of assessment fee on beer in respect of bar (L-3, L-4 and L-5) licences were enhanced from 65 paise per bulk litre to one rupee per bottle of 650 ml. ;
- (iii) The sales tax on Indian made foreign spirit and beer remained chargeable at source like the previous year ;
- (iv) The strength of country liquor was allowed to continue at 50 degree under proof like the previous year ;
- (v) The licences for country fermented liquor for home consumption and for use on special occasions were continued to be issued on concessional rates ;
- (vi) The rates of fixed fee for bar licences remained as under :—

(a) In a place having a population upto 10,000	Rs. 6,000 per annum
(b) In a place having a population between 10,000 and 15,000	Rs. 7,500 per annum
(c) In a place having a population of more than 15,000	Rs. 10,500 per annum

- (vii) Still-head duty on Indian made foreign spirit, country liquor and beer was kept the same as in the previous year viz. Rs. 20 per proof litre, Rs. 8 per proof litre and Re. 0.75 per bottle of 650 ml. respectively ;

- (viii) The fixed fee for the issue of licence in form L-1 (wholesale foreign liquor) remained fixed at Rs. 25,000.
- (ix) The rates of export fee on Indian made foreign spirit and beer remained at Rs. 1.50 per proof litre and Re. 0.30 per bulk litre, respectively.

In addition, the following were the other special features of the excise policy during the current year :—

1. The number of the dry days was decreased from 76 to 15 during the year. The details of these days are as under :—

- (a) Republic day (26th January)
- (b) Independence Day (15th August)
- (c) Mahatma Gandhi's Birthday (2nd October)
- (d) The polling day and two days preceding the polling day.
- (e) Pay day i.e. 1st of every month.

2. The number of wine shops auctioned during the year 1981-82 was as under :—

(i) Retail shops of country liquor ..	251
(ii) Retail shops of foreign liquor ..	143
(iii) Country fermented liquor shops	33
(iv) Wholesale shops of country liquor ..	25
Total ..	452

- (v) Besides, eleven new bars were also opened during the year

3. The quota of country liquor auctioned was to the tune of 15 lakh proof litres.

4. No possession limit was fixed for the country liquor being manufactured from fruits in tribal areas.

The following activities and achievements were made under taxation policy during the current financial year :—

1. *The Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968*—For the financial year 1981-82, the income under this Act was Rs. 1,573.83 lakhs as against Rs. 1,229.69 lakhs during the previous year.

2. *Central Sales Tax Act*—This Central Act is administered by the State. An income of Rs. 122.69 lakhs was made under this Act during the current financial year 1981-82 as against Rs. 79.10 lakhs in 1980-81.

3. *H.P. Motor Spirit (Taxation of Sales) Act, 1968*—Under this Act, an income of Rs. 46.96 lakhs accrued during 1980-81 which came to Rs. 45.14 lakhs in 1981-82.

4. *H.P. Passengers and Goods Taxation Act, 1955*—An income of Rs. 377.14 lakhs was realised during 1980-81 under this Act which became Rs. 316.23 lakhs during the year 1981-82.

5. *Accident Insurance—Levy of Surcharge*—Under the Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 1977 a surcharge on passengers tax at the rate of 20 per cent subject to a minimum of 5 paise is being levied in the State for the accidental insurance of the passengers in the event of any mishap. During the current year this measure is expected to yield considerable income.

6. *H.P. Entertainment Duty Act, 1968*—This Act is in force throughout the Pradesh. The rate of this tax is 100 per cent of the admission fee. An income of Rs. 53.29 lakhs (inclusive of show tax) was registered during the year 1980-81, while an income of Rs. 65.38 lakhs was made during 1981-82.

7. *H.P. Entertainment Tax (Cinematograph Shows) Act, 1968*—This Act categorises the cinema houses according to size, population and importance of the towns into A, B, C and D categories. Good income is expected to accrue to the State exchequer under this Act during the current financial year.

8. *H.P. Taxation (On Certain Goods carried by Road) Act, 1976*—Under this Act an income of Rs. 103.64 lakhs was realised during 1980-81, which became Rs. 176.56 lakhs during the year 1981-82.

9. *H.P. Taxation on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1979*—Under this Act, an income of Rs. 3.15 lakhs accrued during 1980-81. During the year 1981-82 an income of Rs. 6.43 lakhs was earned.

8.2 FOOD AND SUPPLIES

The State of Himachal Pradesh is heading towards self-sufficiency in the production of foodgrains. Whatever short fall is left out, the same is met by way of procurement from the neighbouring States, partly through free

trade channel and partly from the Central pool on Government account. It was ensured that foodgrains were available to the public even in the far-flung and inaccessible areas. Besides foodgrains, the department also arranged for the distribution of controlled commodities, such as levy sugar, controlled cloth, edible oils and pulses, etc.

Strengthening of public distribution system—With a view to ensure that existing public distribution system functioned efficiently and at sustained basis in the Pradesh, the State Government decided to establish an agency which could take the responsibility of wholesale procurement of essential commodities from the source and make available the same through the network of fair price shops in the Pradesh for further distribution to the public. Accordingly, the H.P. State Civil Supplies Corporation was established with the authorised share capital of Rs. 2 crores. This Corporation started functioning from March, 1981. The Corporation has handled the essential commodities like pulses, levy sugar, controlled cloth, edible oils, salt, kerosene oil, wheat atta, rice, tea, stationery, washing and toilet soap, torch cell, footwear, match boxes, etc. The Corporation has opened 26 retail outlets. As on 31st March, 1982, 2,714 fair price shops were functioning in the Pradesh. Out of these fair price shops, 2,030 are run by Co-operatives, 535 by individuals, 123 by Pan-chayats and 26 by Civil Supplies Corporation.

Storage and preservation—The department has so far constructed 21 godowns with a storage capacity of 9,330 t at different places of the Pradesh for the storage of Government foodgrains. In addition to the above, the department has also hired 149 godowns with a storage capacity of 7,539 t. from private parties as on 31st December, 1981. With a view to ensuring easy availability of foodgrains at any time from the Food Corporation of India, the department has rented out some portions of godowns to the Food Corporation of India, Himfed and Civil Supplies Corporation. The storage capacity rented out to them comes to 3,530 t. (F.C.I. 2,780 t Himfed 500 t and Civil Supplies Corporation 250 t.). In addition to the above, 36 godowns will be constructed during the year 1982-83.

Subsidy on foodgrains—During the financial year 1981-82, the Government continued supplying wheat to the public in the far-flung/inaccessible and backward areas at an uniform subsidised retail sale rate of Rs. 145 per quintal. Similarly in the rest of the Pradesh (non-subsidised areas) the wheat is being sold at a uniform retail sale rate of Rs. 155 per quintal. In addition, during the year 1981-82

the Government also supplied wheat atta at the subsidised rate of Rs. 165 per quintal in the subsidised areas and at the rate of Rs. 175 per quintal in non-subsidised areas of the Pradesh, apart from issue of wheat, wheat atta and rice to the hail-storm victims at the rate of Rs. 120, Rs. 135 and Rs. 150 per quintal respectively, these rates were even lesser than subsidised rates. Similarly, rice is being made available in Lahaul and Spiti district at concessional rate. In these areas the Government is allowing subsidy on transportation beyond Rs. 10 per quintal F.O.R. at the district headquarters. In other words, in the supply of rice entire carriage charges from district headquarter to various retail points exceeding Rs. 10 per quintal are borne by the Government as subsidy. During the year under report, 1,74,454 quintals of wheat, 1,90,196 quintals of wheat atta and 1,65,702 quintals of rice were distributed through fair price shops. During this year, Killar has been accepted as principal distribution centre by the Government of India for supply of wheat and rice to the State Government at ex-go-down rate.

Subsidy on sugar—The Government of India allotted 1,588 t of levy sugar per month during the year 1981-82 on the basis of projected population as stood on 1st April, 1978 to this State. The sugar is being distributed to the public at the scale of 400 grams per head per month and requirement of levy sugar on the Ration Card population works out to 1,800 to 1,990 t per month. The State Government allowed subsidy on additional quantity of free sale sugar which is being procured from the sugar mills. The difference between the actual landed cost and uniform sale rate is being subsidised by the State Government. From April, 1982, the Government of India has, however, increased the monthly quota of levy sugar from 1,588 t to 1,801 t per month.

Subsidy on rapeseed and palm oil—Like previous year, the Government is selling rapeseed oil, palm oil and palmoleine on subsidised uniform retail sale rate of Rs. 9 per Kg. All the expenses beyond this rate/value are borne by the Government by way of subsidy. The Government of India allotted 3,650 t of rape seed oil and 1,300 t of palm oil to this Pradesh during the period from April, 1981 to March, 1982. The availability of these oils remained satisfactory during the current financial year.

Controlled cloth—Due to lesser production of controlled cloth the Himachal Pradesh is being allotted 140 bales of controlled cloth since 1976 whereas 280 bales of controlled cloth were being allotted to this State before 1976. From April, 1981, the Government of India further reduced this quantity to 114 bales. The monthly quota of controlled cloth is procured through the District Cooperative Societies and Tehsil Cooperative Societies and other Cooperative Societies in the Pradesh which are nominated by the Food and Supplies Department. During the last quarter of 1981, the H.P. State Civil Supplies Corporation has been nominated to do wholesale work of controlled cloth for the entire State. The distribution of this cloth is made on ration cards and it is only given to those families who do not pay Income Tax or own land less than 5 acres. A family consisting of 5 members is given 10 metres and a family of more than 5 members is given 15 metres of controlled cloth per year. On the receipt of additional allotment of 800 bales the State Government has revised the quota to 20 metres per ration card for two months only, with effect from the month of March, 1982. From April, 1981 to March, 1982, 1,381 bales of controlled cloth were allotted to this Pradesh by the Government of India.

Iodised salt—There has been no change in the distribution system of iodised salt and the yearly quota of 24,000 tonnes is fixed which is distributed per quarter according to the demand of the nominated dealers in the Pradesh. The State Civil Supplies Corporation has been allowed to get allocation of iodised salt upto 25% of the total quarterly allocation in order to make salt available to the public. During the year 1981-82, the Government of India granted subsidy of Rs. 2 lakhs on iodised salt for transportation charges in far-flung (inaccessible) areas so that the people of these areas could get salt at reasonable prices.

Mandi rock salt—The supply position of Mandi rock salt remained satisfactory.

Cement—During the year 1981, 1,22,630 t of cement was made available to the State out of which 84,055 t was allotted to

RC/ORC parties (Departments and autonomous bodies) and 38,575 tonnes of cement under free sale category. This allocation was much below its actual requirement. The overall availability position of cement during the year 1981 remained scarce.

Kerosene oil—During the financial year 1981-82, the supply position of kerosene oil in the Pradesh remained satisfactory. The Government of India allotted 24,161 kl of kerosene oil, to this Pradesh.

Diesel and petrol—During the year 1981-82, the supply position of diesel and petrol also remained satisfactory and it was freely available.

Liquified petroleum gas—One gas agency was functioning in Simla town at the beginning of the year 1981. Another agency was opened by the Indian Oil Corporation (I.O.C.) in Simla town during the year under report in order to cope up with the heavy demand for the same. The supply position of gas cylinders remained normal during the year 1981-82. One gas agency at Dharamsala has also started functioning during the year.

Coal/coke—Coal/coke is a decontrolled item. Under the sponsorship programme, the Government of India allotted 1,800 wagons of soft coke, 600 wagons of steam coal, 600 wagons of hard coke and 12 rakes consisting of 1,056 wagons of slack coal to the Pradesh during the year, 1981. The supply position of soft coke, steam coal and hard coke remained satisfactory. During the year under report, 582 wagons of soft coke, 277 wagons of steam coal, 4 rakes of slack coal and 137 wagons of hard coke were received in the Pradesh.

Administration of control orders and other statutory measures—While on the one hand, the Government of Himachal Pradesh has provided relief to the consumers by way of subsidies on various essential commodities being distributed through Public Distribution System, on the other hand, it is also making genuine efforts to regulate and bring under discipline the private trade. For this purpose, the Government of Himachal Pradesh is vigorously enforcing the following orders :—

1. The Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering (Prevention) order, 1977.
2. Himachal Pradesh Commodities Price Marketing and Dispaly Order, 1977. In addition other Central Orders under the Essential Commodities Act, 1955 and other Central Orders and directives

have also been issued. During the year under report, the Government has promulgated the H.P. Trade Articles (Licensing and Control) order, 1981 consolidating the 5 different types of Central orders into one single consolidated order so as to streamline their operation. During the year 1981-82 the total number of checkings/raids carried out by the Department were 21,487 and 80 (upto February, 1982) cases were registered.

Grievances-cum-Food Advisory committee—The Government has established the grievances-cum-food advisory committees at sub-divisional, district and State levels to serve as watch and ward for ensuring the availability of essential commodities at reasonable rates and also to suggest improvements for the availability of essential commodities.

Task force—The State Government has also established a Task force comprising of one Deputy Director, Food and Supplies and one Deputy Registrar Co-operative Societies to look after the functioning of the public distribution in the field. Any bottleneck in the availability of essential commodities to the fair price shops and other difficulties of the public are solved by this force at the spot by conducting intensive touring. It is because of this idea that members of this force have been taken from two different departments to coordinate the working more effectively.

Special facilities to students—The students are being given special treatment by the Government. The hostel students are being supplied wheat atta at the rate of Rs. 120 per quintal ex-mill/chakkies, wheat at the rate of Rs. 115 per quintal, ex-fair price shop and rice at the rate of Rs. 25 per quintal less than the issue price at the particular fair price shop. In addition, students living in hostels are entitled to get the levy sugar at the normal scale of 400 grams per head per month. The H.P. State Civil Supplies Corporation is also supplying exercise books and stationery articles to the students at cheaper rates.

8.3 PLAN PUBLICITY

Informing and educating the masses on the one hand and in turn keeping the Government informed about public reaction to its policies and programme is an important function in a democratic set up which is being performed by the Public Relations Department. During the period April, 1981 to March, 1982, the 33 Cinema Units of the department gave 3,901 cinema shows to the people, besides 1,895 public

addressing services which were rendered during the important fairs and festivals and functions of the V.I.P.'s. The three Drama Units of the department gave 235 performances. These units also made light and sound arrangements for 234 stage performances by other parties. The four Sangeet Parties gave 769 shows in the interior areas of the Pradesh. The Exhibition Unit organised 14 exhibitions on the occasions of important fair and festivals in different districts of the Pradesh. Besides, talks and group discussions were held on various important topics like small savings, family welfare, removal of untouchability, grow more food, developmental effort etc. and publicity literature was also widely distributed.

The monthly publication 'HIMPRASTHA' continued to appear regularly. Besides, 20 folders/posters and pamphlets were brought out. The department continued to release advertisements on behalf of all the departments with a view to maintaining a close liaison with radio and press. 1862 press notes were issued. Press conferences and briefings were often arranged besides maintaining useful contacts with the vernacular press at Jullundur for coverage of Himachal news. Several features on developmental and cultural activities of the Pradesh were also sponsored.

A news weekly, 'GIRIRAJ' depicting news on developmental activities, etc. in the Pradesh continued to appear regularly. It is supplied to all the educational institutions, all village panchayats and most of the Government offices, besides public sector undertakings and the general public. Its present circulation is about 10,597 copies per week.

The new cinema units were established at Nichar and Bharmour in Tribal areas of the Pradesh. A new Press Liaison office is being opened at New Delhi for which staff has been sanctioned. Community Listening Scheme and Community Viewing Scheme has been revived by the Government. A publication cell has also been sanctioned by the Government and necessary posts for the same have also been created.

Plan for 1982-83 —With a view to ensuring proper publicity in developmental work more news reels and developmental films are proposed to be produced by the Department. Besides, a sum of Rs. 3 lakhs will be spent on various schemes in the tribal areas of the Pradesh for intensive publicity in the border areas.

8.4 LOCAL BODIES

The Local Self Government is concerned with the development of urban local bodies in the Pradesh. At present, there are 47 Urban Local Bodies, including Cantonment Boards and the Municipal Corporation of Simla, functioning in the Pradesh.

Proposals for the establishment of some more urban local bodies are under consideration of the Government. These provide civic amenities/facilities to the people of their respective Urban areas. The demands of public for such amenities like construction, repairs of roads/streets, pavement of streets, street lights, construction of shops/stalls, rain shelters, vegetables/meat markets, urinals, latrines, construction of crematorium, tree plantation and cleanliness and beautification of towns, etc. are increasing day by day with the increase of population of the urban areas. Our hill stations are mostly tourist resorts which make it necessary that basic facilities be provided in the urban areas and beautification programmes taken up.

The financial position of the Urban Local Bodies of this Pradesh is not so sound as to enable them to provide all such facilities/amenities from their own sources of income which they derive from levying taxes, like octroi, house tax, sanitation tax, etc. etc. Keeping in view this fact, the Government each year sanctions grant-in-aid to them. For this purpose the Government has framed grant-in-aid rules. According to these rules the urban local bodies are required to utilise the grant-in-aid within a period of two years from the date of its sanction. In order to speed up the execution of various works, the Government have posted one Superintending Engineer in the Simla Municipal Corporation.

During the year 1981-82, the Government has provided/allocated a sum of Rs. 72.51 lakhs under Plan and Non-Plan for sanctioning grant-in-aid to the urban local bodies for various activities.

Apart from the above, the Government have also sanctioned/provided an amount of Rs. 16 lakhs for the payment in instalments of interest of L.I.C. loan by the Municipal Corporation, Simla. In addition, a sum of Rs. 15 lakhs (Rs. 5 lakhs for drainage works and Rs. 10 lakhs for works relating to Rulduka-Bhatta-Idgah Sub-Station) for Simla Municipal Corporation, Simla is likely to be provided.

An amount of Rs. 23 lakhs has been allocated to the various urban local bodies for the purpose of sanitation and public health and Rs. 15.51 lakhs for maintenance and construction of roads. Besides, an amount of Rs. 34 lakhs has been allocated to the urban local bodies for the purpose of general works of Urban Development such as construction and repairs of buildings, repairs of parts, assistance to newly constituted Committees, construction of rain shelters, mule sheds, warehouses and Labour Hostels, assistance for exemptions granted by the State/Central Government, installation of street lights, construction of vegetables and meat markets, crematoriums, shops/stalls, Bus Stands, Slaughter Houses, Inns and Rest Houses, etc.

Out of these, an amount of Rs. 5 lakhs has been provided for the works under 'Minimum Needs Programme' for Environmental Improvement of Simla town and another amount of Rs. 5 lakhs has been given for providing necessary facilities to the Scheduled Castes population.

Plan for 1982-83.—Various grant-in-aid schemes in hand would be continued during 1982-83.

8.5 GAZETTEERS

A district gazetteer is an authentic and comprehensive document containing information on cultural, economic, social, political and developmental aspects of the district. It provides authoritative and meticulous information to students, historians, scientists, anthropologists, research scholars and tourists besides being guide to the administrators and officers engaged in developmental activities. Besides, being a guide to the seekers of knowledge, the gazetteers aim at preserving the unique and ancient culture of Himachal Pradesh. The gazetteers are being prepared under a set pattern of nineteen chapters evolved by the Government of India.

Out of the 12 districts in the Pradesh, the Gazetteers unit of the Revenue Department has so far published five district gazetteers of Chamba, Sirmur, Kinnaur, Lahaul-Spiti and Bilaspur. The district gazetteers of Simla, Mandi, Kulu and Kangra districts stand already approved by the Central Gazetteers unit, Government of India. On the suggestions of the Government, these gazetteers were sent to the language experts for literary editing who have now returned the drafts after scrutiny. The Hamirpur and Una draft gazetteers have also been received back after scrutiny from the language experts.

Plan for 1982-83—During the year 1982-83, the Simla and Kulu draft gazetteers are proposed to be printed after making them up-to-date.

8.6 STATISTICS

In an era of planned development, the need for comprehensive and dependable statistics is obvious. The demands on statistical system which has to provide empirical data for analysis and policy making have, therefore, increased manifold by now. To cope up with the increasing demands for statistics, the Directorate of Economics and Statistics with the assistance of District Statistical offices continued to be engaged in the (i) collection, compilation, scrutiny and publication of statistical data relating to all sectors of economy, (ii) conduct of a number of evaluation studies and other surveys, including the coverage under the National Sample Survey Programme, (iii) preparation of plan progress reports, (iv) compilation of various periodical returns under the community

development programme, (v) price collection and supervision work and (vi) annual Census of Himachal Pradesh Employees. Besides, computation of State and *per capita* income was also continued during the year under report.

During the year under review, the following publications were brought out by the Department :—

Already Published :

1. Statistical Outline of Himachal Pradesh-1980.
2. Statistical Abstract of Himachal Pradesh-1978.
3. State Domestic Product of Himachal Pradesh, 1970-71 to 1979-80.
4. District at a Glance : Kinnaur, Simla, Una, Hamirpur, Chamba and Kulu.
5. District Statistical Abstract-1979 : Kinnaur, Simla and Una.
6. Minimum Basic Facilities in Chamba, Kangra, Kinnaur, Una and Kulu districts.
7. Comparative figures of Himachal Pradesh and other States.
8. Census of H.P. Employees-1980.
9. Index numbers of area, production, productivity, etc. of Agricultural crops, in H.P.-1970-71 to 1978-79.
10. Block Indicators of Una, Lahaul-Spiti, Chamba, Kulu, Simla, Sirmur and Kinnaur districts.
11. Quick results of Economic Census-1980.
12. Survey of Indebtedness in rural areas of H.P.
13. Quarterly Price Bulletins for quarters ending June, September, December, 1980 and March, 1981.
14. A Socio-Economic study of Gujjars by the Centre for Research, Planning and Action, New Delhi.

Expected to be published by June, 1982 :

1. Statistical Outline of Himachal Pradesh-1981.
2. Government Commercial Undertakings-1982-83.

3. Economic Review of Himachal Pradesh-1982.
4. Budget-in-Brief-1982-83.
5. Statistical Abstract of Himachal Pradesh-1980.
6. Economic classification of the Budgets of urban local bodies 1979-80.
7. Quarterly Bulletin of Prices-June, Sep. and Dec., 1981.
8. Economic classification of Himachal Pradesh Budget-1981-82.
9. Himachal at a Glance-1981.
10. Directory of Gazetted officers in Himachal Pradesh as on 1st October, 1981.

During the year under review, the state Income estimates for the period 1970-71 to 1979-80 were revised. At constant prices, the estimates were prepared with 1970-71 as base. Besides, a brochure on State Income Estimates giving estimates both at current and constant (1970-71) prices for 1970-71 to 1979-80 was brought out while preparation of similar estimates for 1980-81 remained under progress. The budget of Municipal Committees for the year 1977-78 (actuals), 1978-79 (revised estimates) and 1979-80 (budget estimates) were analysed and a publication entitled "Economic classification of Budgets of Urban Local Bodies" was prepared during the period under report. A similar publication of the Economic Classification of Himachal Budget, 1981-82 was also prepared during the same period.

The reports on community development statistics and housing and building statistics were continued to be prepared and supplied to the quarters concerned. The work for the preparation of report on Census of H.P. Employees as on 31st March, 1981 remained in progress. The collection, supervision and publication of wholesale and retail price data on fortnightly basis in respect of 54 commodities prescribed by the Government of India was continued. The work relating to the collection of weekly price data in respect of essential commodities of mass consumption from 69 block headquarters was also continued during the year under report. Weekly/monthly price reviews are being supplied to the Government continuously and regularly.

In the In-service Basic Statistical Training Course, 11 trainees drawn from various departments were imparted training during the month of July to October, 1981. A survey relating to identification of families living below poverty

line in Simla town was also got conducted through the trainees. A number of charts, graphs and title covers were also prepared for various publications being brought out by the Directorate during the year under review.

Under the National Sample Survey programme (NSS), in which this department is also participating on equal matching basis, the field work of 35th and 36th rounds of NSS was completed and that relating to 37th round was initiated from January, 1982 and is in progress. In fact 35th round of NSS is devoted to surveys on social consumption and construction activities, while the 36th round, which was of only 6 months' duration, covered the physically disabled persons. The 37th round of NSS is related to land holdings, livestock holdings and debt and investment. During the course of this survey, the data on land holdings, livestock, etc. and the assets of sample households would be collected in two visits. The first visit from January, 1982 will be devoted to collect the information for Kharif 1981-82 and the position as on 30th June, 1981, while during second visit the data will be collected for the agricultural year 1981-82 and the assets and liability position as on 30th June, 1982. The following three reports on the NSS data were prepared and sent for printing :

1. Report on employment and un-employment in rural and urban areas of H.P.
2. Two reports on self-employed households in non-agricultural enterprises in rural and urban areas of H.P.
3. Report on performance of minor irrigation in H.P.

In pursuance of the assurance given by the Hon'ble Chief Minister in the Vidhan Sabha during his Budget speech on 27th March, 1981, the Government of Himachal Pradesh entrusted the work relating to identification of families living below poverty line in urban areas of the Pradesh to Directorate of Economics and Statistics, H.P. The poverty line survey in urban areas of H.P. was conducted and its quick results were prepared and submitted to the Government.

Through the Tribal Research Institutes scheme, a Socio-Economic study of Gujjars was got conducted by the Centre for Research, Planning and Action and the report thereof was published giving a deep in-sight into the problems being faced by the Gujjars in H.P.

The work relating to the preparation of budget publications, (i) Economic Review of Himachal Pradesh 1982, (ii) Government Commercial Undertakings 1982-83 and (iii) Budget-in-Brief, 1982-83 which form a part of the budget documents is in hand and the publications are expected to be brought out with the budget for current financial year.

Plan for 1982-83—After establishing a sound statistical base in the department, it is now proposed to undertake analytical studies during the year 1982-83, besides the implementation of the continuing work programme.

8.7 INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

The Himachal Pradesh Institute of Public Administration was set up in 1974 for imparting training to the various categories of Civil servants with a view to equipping them to fit into the changing pattern of the society and to efficiently carry out the policies and programmes of the Government.

Following directions of the department of Personnel and Administrative Reforms, Government of India to all the State Governments to intensify training programme, a detailed scheme was prepared for the conduct of various training courses of civil servants at this Institute. The details of courses organised during the current year are as under :—

I. Long Term Courses

1. *Foundational Course*—This Course of 8 to 10 weeks' duration is conducted to impart training to direct recruits of Himachal Pradesh Administrative Services and Officers who are promoted from (i) Non-Gazetted to Gazetted levels and (ii) Class II to Class I posts. The Institute has already conducted one such course during the year 1981-82.

2. *Special Course for I.A.S. Officers*—This one year's course aims at acquainting the I.A.S. Officers with the socio-economic conditions and various revenue and criminal laws applicable in Himachal Pradesh. One such course has been started.

3. *Professional Course for H.A.S. Probationers*—This course designed for H.A.S. Probationers is being conducted regularly with a view to acquainting Officers of this cadre with various laws applicable in the Pradesh and also with the field problems by conducting field exercises. The Institute has conducted one such course during this year.

4. *Management in Government*—This Course of two weeks' duration is designed to acquaint the officers from All-India Services with modern theories and practice of management as applicable to public system. The Institute has already conducted one such course during the year 1981-82.

5. *Block Level Planning*—This special course on Block Level Planning is organised by the Institute in collaboration with the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of India for the middle level officers of this State. The Course strives at acquainting

the participants with the role played by the various Departments for implementing Block Level Plans. The Institute has already conducted one such course during the year 1981-82.

6. *Special Course of Khadi and Village Industries Commission*—This special course with the financial assistance of the Ministry of Rural Reconstruction has been conducted for the middle level officers of Northern Zone States and Union Territories. The participants were exposed to the latest methods in implementing the Rural Integrated Development Programme.

7. *Foundational Course for Non-Gazetted Officers*—This course of 4 weeks' duration for rules and regulations applicable in Himachal Pradesh is organised for Class III employees of the level of Assistants and Superintendents. One such course has already been organised during the year 1981-82.

II. Short Term Courses

(a) *Gazetted Officers*—Short term courses of 6 to 10 days' duration are organised for the benefit of middle level officers. These courses are organised on various subjects such as Office Management and procedure, Management by motivation, Management information system, Hospital administration, Development administration, Integrated rural development programme, Reservation in services, Central Civil Services (Classification Control and Appeal) rules, Cash, Accounts, pensions and GPF rules, Performance Budgeting and Public Relations. Seven such courses have already been conducted by the Institute.

During this year a Seminar on Involvement of youth for Rural Development Programme for Northern Region has been conducted at this Institute which was a sponsored programme of Government of India, Ministry of Rural Reconstruction.

(b) *Non-Gazetted Officers* :

1. *Special Course on Improvement in the Management of Public Counters*—This course of 6 days' duration is conducted to impart training to the participants from the Districts in the latest techniques, skills and attitude to enable them to perform their duties to the public in a better manner. One such course has already been conducted during the year 1981-82.

2. *Special Course on Public Relations and Attitude at the Cutting Edge Level*—Special Courses are also organised for the officials working at the grass roots of the administration like Gram Sewaks, Patwaries, Kanungos, Extension Officers, Inspectors, etc., which are designed to acquaint these officials with the tools and techniques of public relations so as to mould and improve their attitude towards the people. Two such courses have already been conducted.

3. *Special Course on Budget Preparation For Class III Employees*—This course of 6 days' duration is conducted specially for class III employees of the Pradesh who are dealing with the subject. One such course has already been conducted during the year 1981-82.

4. *Special Course on Behavioural skills and Financial Management*—This course of 3 days' duration is conducted to impart training to the employees of the Education Department. The course aims at making them conversant with the financial, treasury rules and the latest techniques, skills and attitudes to enable them to perform their duties in a better manner. During this year, one course has been conducted.

5. *Special Course on Treasury Accounts for Class III Employees*—This course of 10 days' duration is conducted to impart training to the employees of the Treasuries and sub-Treasuries. The course aims at making them conversant with financial, treasury rules and the working of treasuries and maintenance of accounts, etc., to enable them to perform their duties in a better manner. During this year one such course has been conducted.

6. *Special Course on Cash, Account, Pension and G.P.F. for Non-Gazetted Officers*—This course of 8 days' duration is conducted to impart training to class III employees of the various Departments of the State. The Officials are exposed to various subjects such as Cash and Accounts, Pension and G.P.F. and Financial and Treasury rules, etc. One such course has been conducted by the Institute during this year.

7. *Coaching Course For Scheduled Caste and Scheduled Tribe*—One special pre-medical training course for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates of the State seeking admission to Medical College has been conducted during this year.

8. *Short Term Courses for Class III Officials*—Six short term courses for the benefit of class III employees on subjects such as Revenue

Administration to Naib-Tehsildars and Kanungoes, Basic Course of Clerks, Office Procedure and Financial Management and Administration of Laws relating to Civil Supplies distribution system for Inspectors of Food and Supplies Department have been conducted during the year.

III. Department Examinations

The Government of Himachal Pradesh has introduced a system of Departmental Examination. According to the H.P. Departmental Examination Rules, 1976, I.A.S./H.A.S., Tehsildars, Naib-Tehsildars, Indian Forest Service, Himachal Pradesh Forest Service and all other Gazetted Officers of Himachal Pradesh are required to pass the Departmental Examination once in the Gazetted Service career. The work of conducting the Departmental Examination has been entrusted to this Institute under the overall control of the H.P. Board of Departmental Examinations. Normally the Departmental Examinations are conducted twice in a year during the month of April/July and September/December.

Apart from the above, the Departmental Examinations of Excise and Taxation Inspectors of the Excise and Taxation Department of H.P. are also conducted by this Institute. During the year 1981 the Board conducted the Departmental Examinations for the above categories of Officers/Officials in which 36 I.A.S./H.P.A.S., 96 Tehsildars/Naib-Tehsildars, 264 I.F.S./H.P.F.S. and all other Gazetted Officers and 50 Excise and Taxation Inspectors of the Excise and Taxation Department appeared.

Plan for 1982-83—Besides continuing the various courses being organised by the Institute for imparting training to the officers/officials of the Pradesh Government, some special training courses will also be organised at the Institute in collaboration with the Training Division of the Government of India during 1982-83. The building construction Programme of the Institute will also be continued during 1982-83.

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

1982

(आर्थिक स्थिति व विकास कार्यक्रम)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रस्तावना

भाग I—वर्ष 1981-82 की प्रगति की समीक्षा और वर्ष 1982-83 के लिये योजना

1. सामान्य आर्थिक स्थिति	77
2. कृषि कार्यक्रम	
2.1 कृषि	82
2.2 उद्यान	87
2.3 लघु तथा मध्यम सिंचाई और बाहुनिकन्त्रण	91
2.4 भू-संरक्षण	92
2.5 पशुपालन	95
2.6 वन	98
2.7 मत्स्य पालन	102
2.8 भूमि का एकीकरण	104
2.9 भूमि सुधार	104
3. सहकारिता एवं ग्रामीण एकीकरण विकास	
3.1 सहकारिता	107
3.2 ग्रामीण एकीकरण विकास	108
3.3 पंचायत	110
4. बहुमुखी परियोजनाएं तथा विद्युत	
4.1 बहुमुखी परियोजनाएं तथा विद्युत	112
5. उद्योग तथा खनिज विकास	
5.1 उद्योग	115
5.2 खनिज विकास	119
6. परिवहन तथा संचार	
6.1 पथ एवं भवन निर्माण	120
6.2 पथ परिवहन	121
6.3 पर्यटन	123

	पृष्ठ
7. सामाजिक सेवाएं	
7.1 शिक्षा	124
7.2 तकनीकी शिक्षा	128
7.3 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा	128
7.4 आयुर्वेद	131
7.5 होमियोपैथी	132
7.6 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	133
7.7 आवास	134
7.8 पेय जल योजना	135
7.9 पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कार्यक्रम	136
7.10 समाज कल्याण	137
7.11 पोषाहार कार्यक्रम	137
7.12 श्रम एवं श्रम कल्याण	137
7.13 नगरीय विकास	140
7.14 भाषा एवं संस्कृति	141
7.15 पर्वतारोहण	143
8. विविध	
8.1 उत्पादन शुल्क एवं कराधान	144
8.2 खाद्य एवं आपूर्ति	145
8.3 लोक सम्पर्क	148
8.4 स्थानीय निकाय	148
8.5 विवरणिका	149
8.6 सांख्यिकी	149
8.7 लोक प्रशासन संस्थान	151
भाग II-सांख्यिकीय तालिकाएं	155

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में राज्य की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में वर्ष 1981-82 में प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का विवरण है तथा 1982-83 में चलाये जाने वाले योजना कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में मुख्य मुख्य आर्थिक क्षेत्रों की कुछ सांख्यिकीय तालिकाएँ दी गई हैं। यह आशा की जाती है कि यह समीक्षा जो कि बजट के साथ विधान सभा में पेश की जायेगी, एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना की भूमिका निभाएगी।

मैं सभी विभागों का आभारी हूँ जिनके पूर्ण सहयोग से इतने कम समय में इस पुस्तिका का प्रकाशन सम्भव हुआ। इस समीक्षा के लिये इस विशाल सामग्री को एकत्रित करने एवं इसका हिन्दी व अंग्रेजी में संकलन करने का पूर्ण श्रेय श्री राजेन्द्र स्वरूप भटनागर, निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, हिमाचल प्रदेश को जाता है जिनको श्री नवल किशोर, उप-निदेशक, और श्री भाग चन्द ठाकुर, तकनीकी सहायक ने सहयोग दिया। मैं इनके द्वारा किये गए कड़े परिश्रम की प्रशंसा करता हूँ।

एस० के० अलोक,

आई० ए० एस०,

आयुक्त एवं सचिव (20-सूचीय कार्यक्रम, योजना, अर्थ
एवं संख्या विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार।

भाग I

वर्ष 1981-82 की प्रगति की समीक्षा और 1982-83 के लिए योजना

सामान्य आर्थिक स्थिति

1.1 परिचयात्मक

वर्ष 1981-82 को गतिशील प्रगति का वर्ष अंकित किया जा सकता है। इस अवधि की मुख्य उपलब्धियाँ हैं अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीति पर प्रभावशाली नियन्त्रण और कृषि उत्पाद में उत्तरोत्तरीय वृद्धि। वर्ष 1980-81 के लिये राष्ट्रीय आय के सुरुस्त अनुमानों के अनुसार (1970-71 मूल्यों पर) अर्थ व्यवस्था में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि प्रदेश में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 1979-80 में 1,316 रुपये से बढ़कर 1980-81 में 1,537 रुपये हो गई। प्रदेश स्तर पर इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 1,288 रुपये से बढ़कर 1,458 रुपये हो गई। 1980-81 के दौरान अनाज के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर 18.4 प्रतिशत और प्रदेश स्तर पर 27.4 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई। वर्ष 1981-82 में लगातार वर्षा और शीले पड़ने से भारी नुकसान होने के बावजूद 11.91 लाख टन अनाज की पैदावार हुई जो की आज तक की पैदावार में सबसे अधिक है। 1981-82 के दौरान प्रदेश के फल उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 के 1.39 लाख टन फल उत्पादन की तुलना में 3.42 लाख टन फल पैदा हुए। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 76.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष (245 मिलियन युनिट) की तुलना में 1981-82 में (431.6 मिलियन युनिट) का उत्पादन हुआ।

मूल्य स्थिति में हुई वृद्धि को समस्त भारत स्तर पर शोकभाव सूचकांक में अंकित किया गया है जिसके अनुसार अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर (जनवरी, 1979 से जनवरी 1980) 22.7 प्रतिशत (जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981) 15.6 प्रतिशत और (जनवरी, 1981 से जनवरी 1982) 5.9 प्रतिशत से लगातार प्रभावित करती रही। वास्तव में यह दर मार्च, 1982 में लगभग 2 प्रतिशत थी और अप्रैल, 1982 में नगण्य हो गई।

1.2 जनसंख्या प्रवृत्ति

1981 में दस वार्षिक जनगणना की गई। इससे भारत की जनसंख्या 68.38 करोड़ निकली जिसमें लगभग 2.48 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 42.4 लाख (7,98,062 परिवार) निकली जिसमें 2.25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 1971 में 62 से बढ़कर 1981 में 76 हो गया है। इसी अवधि में प्रतिशत साक्षरता 31.96 से बढ़ कर 41.94 प्रतिशत हो गई है। शहरों की जनसंख्या 1971 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 7.7 प्रतिशत हो गई है। मुख्य कर्मगारों की संख्या 14.36 लाख (कुल जनसंख्या का 33.9 प्रतिशत) रही। उनके व्यावसायिक वितरण से पता चलता है कि कृषि कर्मगारों की संख्या (72.36 प्रतिशत) सबसे अधिक है। गृह उद्योग, विनिर्माण, विधायन, सेवा तथा मुरम्मत सेक्टर में कर्मगारों की संख्या केवल 2.65 प्रतिशत है। शेष 24.99 प्रतिशत अन्य कर्मगारों की श्रेणी में रखे गए हैं।

1.3 शुद्ध गृह उत्पाद

सुरुस्त अनुमानों के अनुसार 1970-71 के भावों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 1980-81 के दौरान 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। हिमाचल प्रदेश में 1981-82 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष (-) 11.2 प्रतिशत था। इस प्रकार प्रदेश स्तर पर जो प्रगति हुई वह काफी अच्छी है। स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष के 661 रुपये से बढ़कर 1980-81 में 696 रुपये हो गई। इसकी तुलना में समस्त भारत स्तर पर 1979-80 में 646 रुपये और 1980-81 में 691 रुपये थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद (1970-71 के भावों पर) का खण्ड सम्बन्धी विवरण समस्त भारत तथा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 1979-80 और 1980-81 का निम्नलिखित है :—

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राज्य धरेलू उत्पाद
(1970-71 के मूल्यों पर)

खण्ड	समस्त भारत (करोड़ रुपए)		हिमाचल प्रदेश (लाख रु०)		खण्ड
	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81	
1. प्राथमिक	17,865 (40.8)	20,065 (42.5)	12,853 (48.3)	14,847 (51.2)	1. प्राथमिक
2. माध्यमिक	9,819 (22.4)	10,035 (21.3)	4,661 (17.5)	4,602 (15.9)	2. माध्यमिक
3. तृतीय श्रेणी का	16,120 (36.8)	17,093 (36.2)	9,085 (34.2)	9,528 (32.9)	3. तृतीय श्रेणी का
4. शुद्ध धरेलू उत्पाद	43,804 (100.0)	47,193 (100.0)	26,599 (100.0)	28,977 (100.0)	4. शुद्ध राज्य धरेलू उत्पाद
5. विदेश से शुद्ध कारक आय	(+) 18 (—)	(+) 18 (—)	—	—	
6. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	43,822 (100.0)	47,211 (100.0)	—	—	

(कोष्ठक के आंकड़े कुल से प्रतिशतता दर्शाते हैं।)

उपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि 1980-81 के दौरान हिमाचल प्रदेश का शुद्ध राज्य धरेलू उत्पाद में प्राथमिक खण्ड से 51.2 प्रतिशत का योगदान रहा जबकि समस्त भारत स्तर पर यह 42.5 प्रतिशत था। इसी प्रकार माध्यमिक खण्ड में हिमाचल प्रदेश का योगदान 15.9 प्रतिशत था और समस्त भारत का 21.3 प्रतिशत। इस से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र में समस्त भारत की औसत के बराबर लाने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस से प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में भूमि पर से भारी दबाव को हटाने में सहायता भी मिलेगी। अतः यही उचित होगा कि कच्चे माल को प्रदेश के अन्दर से ही लिया जाये जिससे यहां के लोगों को अधिक लाभ पहुंच सके। इस उद्देश्य के लिये प्रदेश के अन्दर इमारती लकड़ी, फल, सब्जियां आदि की विधायन इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता वस्तुओं जैसे शैविकानिक उपकरण, दस्तान, साबुन तथा अंगराग, कला तथा शिल्प की वस्तुएं इत्यादि के उत्पादन के लिये छोटी इकाइयां स्थापित करने की बहुत गुंजाइश है।

1.4 मूल्य स्थिति

मुद्रास्फीती सर्व व्यापक है। भारत में इसके मुख्य कारण हैं आयात पर भारी व्यय, पेट्रोलियम उत्पाद की कमी, घाटे की

वित्त व्यवस्था मन्त्रालय में वृद्धि, बैंकों में अत्याधिक तरलता, रहन सहन के मूल्यों में वृद्धि तथा इसके परिणाम स्वरूप बेतन पाने वालों की आय में वृद्धि आदि। इनकी क्रिया तथा प्रतिक्रिया से मूल्य बढ़ते चले गए। थोक भाव सूचकांक के अनुसार मूल्य की चरम सीमा अगस्त, 1981 में अंकित की गई। जिसके उपरान्त आठ महीने तक निर्यात रूप से गिरावट आती रही। अप्रैल, 1982 में मुद्रास्फीती को दर घट कर निषेधार्थक हो गई। वर्ष 1981 और 1982 के दौरान थोक भाव के मूल्य सूचकांक निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जाते हैं—
1981-82 के लिए मासिक औसतन थोक भाव सूचकांक

महीना	1981	1982
जतवरी	263.2	278.7
फरवरी	268.8	277.2
मार्च	270.0	275.2 (अ)
अप्रैल	275.7	274.8 (अ)
मई	276.9	..
जून	278.9	..
जुलाई	285.7	..
अगस्त	287.4	..
सितम्बर	284.6	..
अक्टूबर	283.8	..
नवम्बर	279.8	..
दिसम्बर	277.8	..

मार्च तथा अप्रैल, 1982 के दौरान साप्ताहिक थोक भावों के सूचकांक

दिनांक	सूचकांक	दिनांक	सूचकांक
6-3-82	275.0	3-4-82	275.8
13-3-82	275.2	10-4-82	275.7
20-3-82	275.3	17-4-82	273.3
27-3-82	275.3	24-4-82	274.3
		1-5-82	274.6

1.5 उद्योग

समस्त भारत स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्ष 1981-82 में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है। जबकि 1980-81 में वृद्धि दर 4 प्रतिशत थी। हिमाचल प्रदेश में माध्यमिक खण्ड में राज्य घरेलू उत्पाद में 15.9 प्रतिशत का योगदान रहा। विद्युत के उपलब्ध होने और उद्योग के लिये अनुकूल जलवायु को देखते हुए वहाँ औद्योगिक विकास की बहुत सम्भावना है। औद्योगिक उत्पाद का विधायन करने के लिये पिछले वर्ष औद्योगिक उत्पादन विपणन तथा विधायन निगम ने एक बहुत बड़े कारखाने की स्थापना की। विभिन्न प्रकार की छूटों/प्रोत्साहनों के फलस्वरूप उद्योगों का विकास हुआ और 43 मध्यम और बड़े आकार के उद्योग अनुमोदित किए गए जिन पर 83.73 करोड़ रुपये का विनियोग होगा और उन उद्योगों से 7,760 लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये परवाणु, वरोटीवाला, पांवटा साहिब, बिलासपुर, शमशी और महेतपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सोलन, धमपुर, कांगड़ा, ज्वाली, देहरा गोपीपुर और पिथो में औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित की गईं। सोलन में एक इलेक्ट्रॉनिकस कम्प्लैक्स का विकास किया गया है।

1.6 विद्युत

सारे प्रदेश के विकास करने के लिये बिजली का प्रथम स्थान है। प्रदेश की जल विद्युत सम्भावना का पता लगाने के लिये हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग करने के लिये तैयार है। हरियाणा तथा हिमाचल राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के साथ मिल कर 1,020 मैगावाट नाथपा झाखड़ी प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया है। राजस्थान से मिलजुल कर जिला मंडी में 600 मैगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिये

कोल हाईडल प्रोजेक्ट बनाए जाने का निर्णय ले लिया गया है। थिन डैम से बिजली का अधिक भाग लेने के प्रयत्न किए जा रहे हैं क्योंकि इसका 84 प्रतिशत क्षेत्र हिमाचल में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न भागों में माइक्रो हाईडल योजनाएं बनाने पर ध्यान दे रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी हो सके।

ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में मार्च, 1982 तक 11,217 गांवों को विद्युतयुक्त करने का लक्ष्य पूर्ण किया गया जबकि मार्च, 1981 तक 10,050 गांवों को बिजली पहुंचाई गई थी। इस प्रकार बसे हुये ग्रामों में विद्युतीकरण की प्रतिशतता बढ़ कर 66.3 हो गई है।

1.7 योजना उद्ब्यय

निर्धनता की समस्या, अल्प-बेरोजगारी तथा बेरोजगारी का समाधान अर्थ व्यवस्था के तीव्र विस्तार में निहित है। राज्य योजना का उद्देश्य योजना के प्रथम वर्ष में अर्थ व्यवस्था में औसतन 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि को प्राप्त करना है तथा योजना के अन्तिम वर्ष में 5.3 प्रतिशत तक पहुंचना है। राज्य की छठी योजना 1980-85 में कुल 560 करोड़ रुपये का उद्ब्यय रखा गया है जिसमें पेय जल तथा विद्युत विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं, परिवहन तथा संचार और सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं आती हैं।

वर्ष 1982-83 के लिये 120 करोड़ रुपये का उद्ब्यय अनुमोदित किया गया है जबकि पिछले वर्ष 101 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये धनराशि निर्धारित करने पर विशेष बल दिया गया है इसके साथ न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम को भी महत्व दिया गया है। उद्ब्यय का प्रावधान निम्नलिखित है:—

उद्ब्यय (करोड़ रुपये)

1981-82 1982-83
(प्रत्याशित)

1. राज्य योजना अनुसूचित जनजातीय उपयोजना के लिए	8.94	10.97
2. अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंगभूत योजना	10.36	13.28

	उद् व्यय (करोड़ रुपये)	
	1981-82	1982-83
	(प्रत्याशित)	
3. पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष चिन्हांत योजना उद् व्यय	2.23	2.76
4. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वा उद् व्यय	18.55	21.60
5. विशेष केन्द्रीय सहायता—		
(क) जनजाति उपयोजना	1.08	1.35
(ख) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगभूत योजना	1.21	1.10

1.8 रोजगार स्थिति

1-4-81 से 31-3-82 तक 68,135 प्रत्याशियों का पंजीकरण किया गया, 7,731 को रोजगार दिए गए, विभिन्न प्रकार से रोजगार देने वालों ने 10,929 रिक्तियां अधिसूचित की जिनमें से 5,162 भरी गईं। 31 मार्च, 1982 के सभी रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 1,60,666 लोगों के नाम दर्ज थे।

तीसरे त्रिमासान्त यानि जुलाई से सितम्बर, 1981 में प्रदेश में कुल रोजगारों की संख्या 2,41,871 (सार्वजनिक क्षेत्र 2,29,668 और निजी क्षेत्र 12,203) थी जबकि इसी अर्ध में पिछले वर्ष यह संख्या 2,35,097 (सार्वजनिक क्षेत्र 2,22,786 तथा निजी क्षेत्र 12,311) थी। कुल रोजगार में से 72.56 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं 10.15 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के, 12.09 प्रतिशत अर्ध सरकारी (राज्य), 3.41 प्रतिशत अर्ध सरकारी (केन्द्रीय) और शेष 1.79 प्रतिशत स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का अनुमान लगाने के लिये सभी प्रकार की छोटी बड़ी स्थापनाओं को लिया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार का अनुमान लगाने के लिए उन प्रतिष्ठानों को लिया गया है जिन में दस या अधिक कर्मियों को काम पर लगाया है।

1.9 निर्धनता स्तरीय सर्वे

कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार निर्धनता को हटाने और रोजगार के अवसर देने के लिये वचनबद्ध है। निर्धन परिवारों को चुनने के विचार से जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 700 रुपये से कम है अथवा 5 सदस्यों के प्रति परिवार की आय 3,500 रुपये प्रति वर्ष है, इस स्तर से नीचे रहने वाले परिवारों को चुनने का कार्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पूरा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग ने किया। शहरी भागों में 5.0 प्रतिशत परिवार तथा 6.4 प्रतिशत जनसंख्या इस स्तर से नीचे रहने वाली पाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 42.18 प्रतिशत परिवार इस स्तर से नीचे पाये गए हैं। ऐसे परिवारों के चुन लेने से उन्हें निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने के लिये प्रभावशाली प्रथा रचनात्मक कार्य करने में सहायता मिलेगी।

1.10 20 सूत्रीय कार्यक्रम

परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों एवं वृद्धि की आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तनों के सन्दर्भ में पुराने 20-सूत्रीय कार्यक्रम को जो वर्ष 1975 में लागू किया गया था, प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रधान मन्त्री ने जनवरी, 1982 में नये 20-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। उन लोगों के तेजी से आर्थिक-कल्याण के लिए जो घोर गरीबी की दशा में हैं, और साथ-साथ अपनी अर्थ-व्यवस्था में नवीन वृद्धि के लिए विकास-युक्त आधार को उत्पन्न करने हेतु नया-बीस सूत्रीय कार्यक्रम हमारे विकास प्रयत्नों का केन्द्र-बिन्दु बन गया है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिये तथा समाज के कमजोर वर्ग की कठिनाइयों को कम करने के लिए, नया 20-सूत्रीय कार्यक्रम वास्तव में आर्थिक-सामाजिक प्रयत्नों का एक गठजोड़ है। हिमाचल प्रदेश इस चुनौती से सदैव परिचित रहा और अपने सारे प्रयत्न प्रदेश में 20-सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी-रूप से लागू करने के लिए, तेज कर दिये।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में निम्नलिखित प्रगति हुई :—

भद	इकाई	1981-82	
		लक्ष्य	उपलब्धियां
1. सिंचाई में वृद्धि	हैक्टेयर	6,990*	8,397
2. दालों की पैदावार	टन	50,000	40,000
3. तिलहन की पैदावार	टन	14,000	14,000

मद	इकाई	1981-82	
		लक्ष्य	उपलब्धियां
4. ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों की सहायता	...	41,400	34,877
5. अतिरिक्त रोजगार (उत्पादित प्रति व्यक्ति कार्य दिवस)	लाख मैनडेज ..	12.5	12.39
6. अपनाई गई अतिरिक्त जमीन	एकड़ ..	94,200	93,400
7. भूमिहीन परिवारों को दी गई भूमि	(संख्या) ..	1,234	1,107
8. न्यूनतम मजदूरी दर	...	1 अप्रैल, 1982 से 8.25 रुपये प्रतिदिन की दर से संशोधित	
9. बधुआ मजदूर	(संख्या) ..	हिमाचल प्रदेश में यह समस्या नहीं है	
10. अनुसूचित/जनजातियों का विकास	संख्या ..	24,802 अनुसूचित जनजातीय तथा 4,637 जनजातीय परिवारों को दी गई सहायता ।	
11. पेयजल सुविधा की समस्या वाले गांव	संख्या ..	1,270	1,270
12. आवास भूमि का वितरण	संख्या ..	547	491
13. एक कमरे वाले बने बनाए घरों का उपलब्ध करवाना	संख्या ..	800	800
14. विद्युतयुक्त गांव	संख्या ..	1,080	1,167
15. पम्प सैटों का चालू करना	संख्या ..	100	203
16. आरोपित वृक्ष	करोड़ ..	4.00	4.05
17. वनों के अधीन लाई गई भूमि	हेक्टेयर ..	12,800	14,346
18. नस बन्दियां	संख्या ..	15,800	22,564
19. खोले गए स्वास्थ्य उप केन्द्र	संख्या ..	150	63
20. प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 6-11 वर्ष तक के बच्चों की अतिरिक्त भर्ती	संख्या ..	20,000	20,000
21. प्रौढ़ शिक्षा	(व्यक्ति) ..	19,500	19,000

2. कृषि कार्यक्रम

2.1. कृषि

कृषि हिमाचल प्रदेश का एक मात्र सबसे बड़ा उद्योग तथा लोगों का मुख्य व्यवसाय होने के कारण यहां की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह प्रदेश की लगभग 76 प्रतिशत कार्यरत जनता को सीधे रोजगार प्रदान करती है। राज्य के घरेलू उत्पाद में कृषि आय का लगभग 45 प्रतिशत का योगदान है। इस में से राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में अकेले खेती का ही 27 प्रतिशत का योगदान है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी कृषि के लिए देश भर में एक आदर्श है क्योंकि यहां समुद्रतल से 300 मीटर की ऊंचाई से लेकर 4,000 मीटर तक की ऊंचाई में कृषि की जाती है। इस कारण यहां फसल बोन की प्रणाली, फसल उगाने तथा फसल बोन की ऋतुओं में भारी भिन्नता है।

हिमाचल प्रदेश हिमालय के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है तथा यहां कृषि के लिए जलवायु की स्थिति समशीतोष्ण से आर्द्रशीतोष्ण स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की है। तिब्बत सीमा के साथ ऊंचे पर्वतीय सूखे क्षेत्र हैं। किसानों की जोते छोटी, बिखरी हुई तथा ढलवां हैं तथा भूमि का कटाव बहुत अधिक है। बहुत अधिक मूसलाधार वर्षा तथा बाढ़ के कारण उपजाऊ मिट्टी धुल जाती है। जिला लाहौल तथा स्पिति के मरुस्थलों में तेज आंधी के कारण भी भूमि कटाव होता पाया गया है। कुछ अन्य प्राकृतिक कारण भी सुधरी हुई कृषि प्रणाली को अपनाने तथा सघन खेती के प्रचलन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं भी एक बहुत बड़ी बाधा है। फसल की सफलता न्यूनाधिक रूप से वर्षा पर निर्भर करती है जोकि कहीं अधिक और कहीं बहुत कम होती है तथा अनियमित है। प्रकृति ने इस के विपरीत प्रदेश के लिए ऐसा जलवायु दिया है जो कि नकदी फसलों जैसे रोग रहित बीज आलू, अदरक, शीतोष्ण सब्जियां, चिककोरी इत्यादि के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। सरकार ने प्रकृति के इस उपहार का भरपूर लाभ उठाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम तैयार किये हैं तथा इस दिशा में विशेष रूप से बीज आलू, सब्जियां, हरा अदरक फूल गोभी के बीज तथा गन्ना के उत्पादन क्षेत्र में कुछ प्रशंसनीय उपलब्धियां की हैं।

कार्यक्रमों के अनुसार वर्ष 1981-82 में प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(क) **खाद्यान्न उत्पादन**—प्रदेश को खाद्यान्न में आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से कृषि विभाग किसानों को समय से तथा पर्याप्त मात्रा में कृषि के लिए इनपुटस, जैसे बीज, उर्वरक तथा पौधों को बचाने के लिए आवश्यक उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें सघन खेती की सुधरी हुई प्रणालियों तथा मिली जुली और बहुफसलीय खेती के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी भी देता है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन जो कि 1978-79 में 10.60 लाख टन था, 1980-81 में बढ़ कर 11.91 लाख टन हो गया। वर्ष 1981-82 में पहले से अधिक खाद्यान्न उत्पादन की सम्भावना है। 1982-83 के लिए 12.60 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस में 60,000 टन दालें भी सम्मिलित हैं। दालों के उत्पादन को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से और अधिक बढ़ावा मिला है। 1981-82 के दौरान विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जो विभिन्न पग उठाये गये उनका विस्तृत वर्णन निम्न पंक्तियों में दिया गया है :—

(i) **अधिक उपज देने वाली फसलों का कार्यक्रम**—खेती की तकनीकी में प्रगति के कारण कृषि विभाग अधिक से अधिक क्षेत्र को अनाजों की अधिक उपज देने वाली तथा सुधरी हुई किस्मों के अन्तर्गत लाकर उत्पादन बढ़ाने के निरन्तर प्रयास कर रहा है। मक्की, धान तथा गेहूं की खेती में विशेष रूप से सुधरी हुई किस्मों का प्रयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं तथा वर्ष 1982-83 के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनका वर्णन निम्न पंक्तियों में दिया गया है :—

फसल का नाम	इकाई	उपलब्धियां					1982-83 के लिए लक्ष्य
		1966-67	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	
मक्की	'000 हैक्टेयर	1.10	64.95	70.00	74.00	80.00	85.00
धान	"	7.10	62.94	65.00	70.66	85.00	86.50
गेहूं	"	4.80	252.88	246.80	269.29	280.00	282.00

(ii) उर्वरक एवं खाद—

(अ) उर्वरक—रासायनिक उर्वरकों की कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक विशेष भूमिका है। अधिक उपज देने वाली किस्मों पर इनका विशेष रूप से बहुत अच्छा प्रभाव होता है। विभाग द्वारा उर्वरकों

के सामयिक तथा सन्तुलित प्रयोग को किसानों में लोचप्रिय बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप उर्वरकों की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है :—

(विभिन्न उर्वरकों की खपत)

मद	इकाई	उपलब्धियां			
		1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
नाइट्रोजन (एन)	'000 टन	8.30	9.76	12.34	13.23
फासफोटिक (पी)	"	1.94	2.29	2.30	2.85
पोटाशिक (के)	"	1.66	1.90	1.55	2.13
कुल	"	11.90	13.95	16.19	18.21

उर्वरकों के मूल्य में हुई वृद्धि जो किसानों के सामर्थ्य से बाहर है को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 अक्टूबर, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक सभी प्रकार के उर्वरकों को खरीदने के लिए किसानों को 33½ प्रतिशत अनुदान दिया। 1981-82 के दौरान यह अनुदान अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए 50 प्रतिशत था।

(आ) स्थानीय खाद स्रोत—उर्वरकों के प्रयोग के साथ-साथ किसानों द्वारा पोषक तत्वों से परिष्कृत हरी खाद तैयार करने पर भी बल दिया जाता है। प्रत्येक फसल ऋतु में अभियान चला कर किसानों

को स्थानीय खाद के स्रोतों का बढ़िया से बढ़िया उपयोग करने के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश दिया जाता है। वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 28.00 लाख टन हरी खाद तैयार किये जाने की संभावना है। वर्ष 1982-83 के दौरान 33 लाख टन हरी खाद तैयार करने का प्रावधान है। हरी खाद पर भी जोर डाला गया और 1981-82 में 35,000 हैक्टेयर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया। 1982-83 में 40,000 हैक्टेयर क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया जायेगा।

(इ) बायो गैस प्लांट—इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 1982-83 में 20 सूती कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 250 बायो गैस प्लांट लगाने की योजना है।

(iii) पौध संरक्षण—फसलों की उपज बढ़ाने के लिए उन्हें रोगों तथा कीड़े मकोड़ों आदि से बचाना अति आवश्यक है। खरीफ तथा रबी ऋतुओं से प्राप्त मात्रा में पौध संरक्षण सामग्री का समस्त प्रदेश के किसानों में वितरित करने हेतु समयानुसार प्रबन्ध किया गया। इन सब बातों के अतिरिक्त किसानों को विभिन्न पौध संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए शिक्षित करने तथा इस में प्रवृत्त करने के लिए समस्त प्रदेश में पौध संरक्षण अभियान चलाये गए। वर्ष 1981-82 की उपलब्धियां तथा 1982-83 में सम्भावित उपलब्धियां नीचे दर्शायी गयी हैं :—

मद	इकाई	वर्ष 1981-82 में संभावित उपलब्धियां	1982-83 के लिए निर्धारित लक्ष्य
पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाया जाने वाला क्षेत्र—			
(अ) नकदी फसल	,000 हैक्टेयर	70.00	78.00
(ब) खाद्यान्न फसलें	,,	240.00	240.00

(iv) मिट्टी परीक्षा—मिट्टी के अन्दर उपजाऊ तत्वों की मात्रा जानने के लिए मिट्टी के नमूने किसानों से इकट्ठे किये जाते हैं तथा फिर इनकी राज्य में स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है। जांच के परिणाम आवश्यक सिफारिशों सहित किसानों को फसल की बिजाई से पहले सूचित कर दिये जाते हैं। इन प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त एक मिट्टी परीक्षण चल वाहन भी किसानों को मौके पर जाकर इसी प्रकार की सेवा उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 1981-82 के दौरान अभी तक 50,000 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है जब कि 1982-83 के लिए 70,000 मिट्टी के नमूनों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(v) बहुफसलीय खेती—प्रदेश में काश्त के लिए उपलब्ध भूमि सीमित होने पर यह अति आवश्यक है कि प्रति

इकाई क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया जाए। इसका समाधान यही है कि बहुफसलीय खेती को अधिक से अधिक अपनाया जाए तथा इस सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित भी किया जाये। वर्ष 1981-82 में 32 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को बहुफसलीय खेती के अन्तर्गत लाये जाने की सम्भावना है। वर्ष 1982-83 के लिए लक्ष्य 35,000 हैक्टेयर भूमि का है।

(ख) वाणिज्य फसलें—

(i) आलू—बीज आलू प्रवेश की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिस पर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति, विशेषरूप से जिला शिमला तथा लाहौल-स्पिति व जिला किन्गौर के पूह उपमण्डल में बहुत सीमा तक निर्भर करती है। 16 हजार हैक्टेयर के लगभग क्षेत्रफल इस फसल के अन्तर्गत है। खरीफ 1981 में आलू का उत्पादन 1.20 लाख टन होने का अनुमान है। विभिन्न प्रकार के किटाणुओं तथा बीमारियों से मुक्त होने के कारण तथा अधिक उपज देने के कारण हिमाचल के आलू को कई राज्यों में बीज के लिए बहुत अधिक मांग है। उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने तथा खरीदने वालों को बढ़िया किस्म का बीज दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में “हिमाचल प्रदेश बीज आलू (नियन्त्रण) आदेश” लागू किया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत बीज आलू के गुण, ब्रेडिंग, शुद्धता तथा सही बजन इत्यादि को सुनिश्चित किया जाता है। किसानों को तकनीकी जानकारी भी दी गई है तथा उन्हें प्रमाणित बीज की आपूर्ति की गई। उत्पादकों को बढ़िया किस्म के बीज आलू की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र शिमला से “ब्रीडर बीज, लेकर इसे सरकारी बीज फार्मों में एफ-I एफ-II बीज आलू के रूप में उगाया गया और फिर इसे उपभोक्ता राज्यों को आयात करने के उद्देश्य से प्रमाणित उत्पादकों को दिया गया। आलू की फसल के लिए बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश बीज “प्रमाणीकरण संस्था” के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है और इसके बहुत आशाजनक परिणाम निकले हैं। खरीफ 1981 में 575 हैक्टेयर क्षेत्र में 400 मी. टन बीज आलू का उत्पादन हुआ। बीज के आलू का विपणन करने के लिए सभी प्रकार के प्रबन्ध समयानुसार किये गये जिससे उत्पादकों को उचित दाम मिले। बीज के आलू को प्राप्त करने तथा उसके भेजने व वर्गीकरण में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। सहकारी समितियों जैसे कि हिम-फैड, के.ओ.एफ.ओ. और लाहौल आलू उत्पादक सोसाईटी, वर्ष 1981 खरीफ में बीज के आलू को प्राप्त किया। बीज के आलू का बाजार मूल्य 125 से 150 रुपए प्रति

किण्टल से शुरू हुआ जोकि इस की किस्म तथा वर्गीकरण पर निर्भर था। प्रमाणित बीज अमलू का मूल्य 160 से 180 रुपये प्रति किण्टल तक रहा। ये मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में काफी उत्साहजनक रहे।

(ii) अदरक—अदरक प्रदेश की एक अन्य महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इस की काश्त पहले सिरमौर, सोलन तथा शिमला जिलों तक ही सीमित थी परन्तु अब इसे प्रदेश के अन्य उपयुक्त स्थानों पर उगाने का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। अदरक की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि विभाग उत्पादकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराता है तथा उन्हें आवश्यक इनपुट्स देता है। वर्ष 1981-82 में लगभग 20,000 टन हरे अदरक का उत्पादन हुआ है तथा वर्ष 1982-83 में इस का उत्पादन लक्ष्य 22,000 टन निर्धारित किया गया है।

(iii) सब्जियां—प्रदेश की जलवायु एवं मिट्टी, समशीतोष्ण सब्जियां एवं उन के बीजों के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। ये सब्जियां हैं मिर्च, टमाटर, बीन्ज, मटर, फूलगोभी, बन्द गोभी, शलजम, प्याज इत्यादि। यह सब्जियां राज्य में उस समय पैदा की जाती हैं जब कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में यह उपलब्ध नहीं होती। अतः उत्पादकों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिल जाता है। सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभाग किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा रहा है तथा उन्हें आवश्यक इनपुट्स की आपूर्ति कर रहा है। वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 1.45 लाख टन ताजी सब्जियां पैदा किए जाने की संभावना है। वर्ष 1982-83 के लिए 1.65 लाख टन का लक्ष्य है जिला सोलन में "राष्ट्रीय बीज निगम" भारत सरकार की सहायता से फूलगोभी का बीज तैयार कर रहा है और यह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है तथा उत्पादकों को इस की उपज से बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। वर्ष 1981-82 के दौरान कृषि विभाग ने जिला लाहौल स्पिति, किन्नोर तथा राज्य के अन्य भागों में जो समुद्र तल से 350 मीटर से 1600 मीटर की ऊंचाई पर है के किसानों में, प्रयोग के तौर पर उगाने के लिए 'नासिक लाल' किस्म के प्याज के बीजांकुर वितरित किये तथा इस के परिणाम बहुत आशाजनक रहे। इस की उपज वर्षावासे तथा सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 120 से 200 किण्टल प्रति हैक्टेयर रही जोकि इस क्षेत्र में अमलू की उपज की तुलना में अच्छी है। लाहौल-स्पिति और किन्नोर जिलों तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में उचित किस्मों को लाकर व्यापक रूप से इस फसल की काश्त के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

और 420 हैक्टेयर का क्षेत्र खरीफ, 1982 में इस के अन्तर्गत लाये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में अरकल किस्म के मटर की नकदी फसल की समुद्रतल से 600 मीटर से 1700 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस फसल को मक्की व धेर से बीजे गये गेरुं को साथ आर्वतन में रखा गया है। वर्ष 1982-83 के दौरान अरकल मटर की नकदी फसल के अन्तर्गत 2,500 हैक्टेयर क्षेत्र को लाये जाने का प्रावधान है। इस फसल की खेती से किसानों को 12,000 से 20,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की अतिरिक्त आय होगी।

(घ) कृषि विपणन—उत्पादकों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से "हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन कानून 1969" के अन्तर्गत बाजारों को नियमित बनाने का कार्य आगे भी जारी रहा। नाला गढ़, शिमला, सोलन, पांवटा साहिब, भुल्लू, उन्ना, बिलासपुर तथा कांगड़ा के लिए बाजार समितियां इस वर्ष कार्य करती रहीं। जब कि मण्डी और हमीरपुर के लिए इसी प्रकार की बाजार समितियां गठित की जा रही हैं। योजनाथ छलेडा (कांगड़ा) टियोग (शिमला) और कुनिहा र (सोलन) में विपणन आवश्यकताएं और पांवटा साहिब और नालागढ़ की मुख्य तथा गौण मण्डियों से विपणन की अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। राज्य सरकार ने अधिसूचित कृषि वस्तुओं पर से मण्डी शुल्क के स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया क्योंकि यह मण्डी अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा थी।

(ङ) अन्य कार्यक्रम—वर्ष 1981-82 के दौरान कृषि सूचना, कृषि आंकड़े, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मशौवरा, बीज परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किसान प्रशिक्षण केन्द्र तथा कृषि इंजीनियरिंग सेवशन आदि लाभकारी सेवाएं भी प्रदेश के किसानों को उपलब्ध होती रहीं।

(च) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(i) ग्रस्त क्षेत्रों में कीट तथा बीमारियों का उन्मूलन (लेट ब्लाइट)—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को अमलू की बीमारी 'लेट ब्लाइट' के लिए 3 रुपये का अनुदान प्रति एकड़, प्रति छिड़काव किया जाता है।

(ii) बॅलेरिस माईनर तथा एबनुबा फेंचुआ खरपतवारों पर नियन्त्रण—इस योजना का उद्देश्य फॅलेरिस माईनर तथा एबनुबा फेंचुआ नामक खरपतवारों को बढ़ने से रोकना है। इस के अन्तर्गत किसानों को इन खरपतवारों पर नियन्त्रण के लिये रासायनिक पदार्थ खरीदने हेतु 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(iii) फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन का सही अनुमान ज्ञात करने के लिए समयानुसार सूचना देने की योजना—इस योजना का उद्देश्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उसके उत्पादन का पहले ही से अनुमान लगा लेना है। यह नीति निर्धारण के लिये अति आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत चुने हुये गांवों में फसल कटाई परीक्षण किये जाते हैं।

(iv) फसल आंकड़ों में सुधार—इस योजना का उद्देश्य फसल आंकड़ों में सुधार लाने के लिये आंकड़े इकट्ठे करने की प्रणाली में विकास करना है। इस योजनाके अन्तर्गत चुने हुए गावों से सूचना एकत्रित की जाती है तथा इस की तुलना पटवारी द्वारा एकत्रित आंकड़ों से की जाती है। समयानुसार सूचना देने की योजना के अन्तर्गत चुने गये उप-प्रतिदर्श में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा राज्य कृषि आंकड़ा अधिकारी के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(v) तिलहन बीजों का विकास—इस योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रदर्शन द्वारा तिलहन बीजों की काश्त के लिए सुधरी हुई प्रणाली को अपनाने की सलाह दी जाती है तथा उन्हें फसल को बीमारियों तथा कीड़े-मकौड़ों से बचाने के लिए समयानुसार पौध संरक्षण उपायों को अपनाने को भी कहा जाता है। बीज के छोटे-छोटे पैकट किसानों में मुफ्त बांटने के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत प्रति प्रदर्शन 500 रुपये (इनपुट के रूप में) व्यय किये जाते हैं। वर्ष 1982-83 में लगभग 15,000 टन तिलहन के बीजों का उत्पादन किया जायेगा।

(vi) दालों का विकास—इस योजना के अन्तर्गत किसानों को दालें उगाने की नई तकनीकी से अवगत कराने के लिए तथा फसल को बीमारियों और कीड़े मकौड़ों से बचाने के उपाय बताने के लिए उसकी जोतों पर ही व्यावहारिक प्रदर्शन दिया जाता है। किसानों को अच्छी किस्म का बीज देने के अतिरिक्त उन्हें पौधण संरक्षण उपकरण भी उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को दालों के प्रमाणित बीज षटी हुई दरों पर दिये जाते हैं।

(ज) विशेष सहायता

बीला वृष्टि से लिए राहत—1981-82 में भारत सरकार ने ओले पड़ने पर राहत के लिए 50.00 लाख रुपये स्वीकृत किए। इस योजना के अन्तर्गत प्रभावित किसानों को सभी प्रकार के उर्वरकों के मूल्य का 40 प्रतिशत और अनाज के बीज के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया गया।

(झ) शुष्क खेती—हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की सुविधाएं नाम मात्र हैं और 81 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर है। रबी फसलों के लिए वर्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। इस कारणवश प्रदेश में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शुष्क खेती के अन्तर्गत लाये जाने की योजना है। शुष्क खेती की तकनीकी को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण शिविर व किसानों के खेतों में डिमोन्स्ट्रेशन देकर, किसानों की बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने की योजना है।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1982-83 के लिए योजना कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण ऊपर दे दिया गया है। 1982-83 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न तालिका में दिये गये हैं :-

मद	इकाई	वर्ष 1982-83 के लिये निर्धारित लक्ष्य
(क) उत्पादन		
(1) खाद्यान्न	.. लाख टन	12.60
(2) आलू	.. लाख टन	1.24
(3) हरा अदरक	.. टन	22,000
(4) सब्जियां	.. लाख टन	1.65
(5) तिलहन के बीज	टन	15,000
(ख) उर्वरक वितरण		
(1) नाईट्रोजनस (एन.)	'000 टन	16.00
(2) फासफोटिक (पी)	'000 टन	3.00
(3) पोटाशिक (के)	..	2.60
(ग) बरेलू खाद बनाया	लाख टन	30.00
(घ) अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत लाया जाने वाला क्षेत्रफल		
(1) मक्की	.. '000 हेक्टेयर	85.00

मद	इकाई	वर्ष 1982-83 के लिये निर्धारित लक्ष्य
(2) धान	'000 हैक्टेयर	86.50
(3) गेहूं	"	282.00
(ड) पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाया जाने वाला क्षेत्रफल		
(1) वाणिज्यिक फसलें	'000 हैक्टेयर	78.00
(2) खाद्यान्न फसलें	"	240.00
(च) मिट्टी के नमूने जिनका विश्लेषण किया जायेगा		
	'000 संख्या	70.00
(छ) बहुफसलीय खेती के अन्तर्गत लाया जाने वाला क्षेत्र		
	'000 हैक्टेयर	35.00

2.2. उद्यान

प्रदेश की कृषि पर निर्भर जनसंख्या के उत्थान के लिए विकास कार्यक्रमों में उद्यान का प्रमुख स्थान है। यह न केवल परम्परागत कृषि की प्रति एकड़ क्षेत्र की तुलना में अधिक आय प्रदान करता है, बल्कि प्राकृतिक साधनों जैसे कृषि-जलवायु की स्थिति और वन्यफल सम्पत्ति का उत्तम प्रयोग करने के अतिरिक्त आभीष क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन जुटाने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस दिशा में पिछले तीन दशकों में किए गए विकास प्रयत्नों के परिणाम अत्यन्त उत्साह जनक हैं और आज हिमाचल प्रदेश देश में प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में सुविख्यात है।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक कार्य विधि इस प्रकार से बनाई गई है जिस से वर्तमान क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ागे के लिए उत्पादन के सभी कारकों का एकीकरण किया जाये तथा ऐसे क्षेत्र जो उद्यान की दिशा में विकास शील हैं, वहां पर विकास की दर और अधिक की जा सके।

वर्ष 1981-82 में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

1. फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल—विभिन्न प्रकार के फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल जो कि वर्ष 1979-80 में लगभग 85,933

हैक्टेयर था, वर्ष 1980-81 में बढ़कर 92,467 हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1981-82 में 5000 हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था जिस में से प्रदेश के उपोष्णीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में 7,617 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। शेष क्षेत्र में शरद ऋतु में वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाये जाने की सम्भावना है। वर्ष 1981-82 के अन्त तक फलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 1,00,084 हैक्टेयर होने की आशा है। वर्ष 1982-83 में 5,000 हैक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाये जाने की सम्भावना है।

2. फल उत्पादन—वर्ष 1981-82 में कुल 3.42 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ। कुल उत्पादन में से सेब का उत्पादन 3.07 लाख टन था और चारू वर्ष में 1.35 करोड़ सेब की पेटियां (16 से 18 किगो प्रति) प्रदेश से बाहर भेजी गईं। बड़िया किसम के फल उत्पादन में प्रदेश ने अपना प्रमुख स्थान बनाए रखा और अखिल भारतीय सेब प्रदर्शनी जो सितम्बर 1981 में मद्रास में आयोजित की गई, प्रदेश ने 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 4 पुरस्कार प्राप्त किये। वर्ष 1982-83 में 3.90 लाख टनों के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावना है।

3. वन्य फलों के वृक्षों का उन्नत प्रजातियों में सुधार—प्रदेश के फल उत्पादकों के लाभ के लिए राज्य की वन्य सम्पदा का भरपूर लाभ उठाने के उद्देश्य से वन्य फलों के वृक्षों जैसे वन्यनाशपाती, जंगली आड़ू, जैतून तथा जंगली अंजीर आदि के पेड़ों का शीर्ष कलम तकनीक द्वारा सुधार करने के प्रयत्न जारी हैं। वर्ष 1981-82 में दस लाख पेड़ों की शीर्ष कलम के लक्ष्य की तुलना में लगभग 12 लाख पेड़ों का शीर्ष कलम किया जा चुका है। इस प्रकार वर्ष 1982-83 में दस लाख जंगली वृक्षों की शीर्ष कलम करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उद्यान सम्बन्धी कार्यकलापों को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना भी सम्भव हो सका है जहां कई प्रकार की परम्परागत कठिनाइयों के कारण नया पौधारोपण सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त इस के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन भी दूर हो सका है।

4. पौध संरक्षण—औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि "एप्पल स्कैव" की घातक बीमारी के नियंत्रण के लिए किया गया प्रभाव-शापी कार्य है। वर्ष 1981-82 में लगभग 48,982 एकड़ क्षेत्र को बीमारी से बचाने की रोकथाम के अन्तर्गत लाया गया जिस पर 44.90 लाख रुपये खर्च होंगे और छिड़काव कार्यों पर 50 प्रतिशत अनुदान वागदानों को जाता है। वर्ष

1982-83 में इस योजना के अन्तर्गत 60 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

5. औद्योगिक उद्योग में विविधता—राज्य के उपयुक्त क्षेत्रों में औद्योगिक उद्योग में नई फसलें पैदा करके विविधता लाने के लिए नई दिशाएं भी जा रही हैं। लाहौल-स्पीति जिले के ठण्डे व झूष्क क्षेत्रों में हौप्स और शिमला तथा सोलन जिलों में खुम्ब की खेती को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनके परिणाम दूरे उत्साहवर्धक रहे हैं। [यहां राज्य के लाहौल-स्पीति क्षेत्र में संसार की सब से बढ़िया किस्म का हौप्स पैदा करने का उल्लेख करना समीचीन होगा। अभी तक लाहौल-स्पीति जिले में 24 हेक्टेयर भूमि इस फसल के अन्तर्गत लाई जा चुकी है और वर्ष 1982-83 में 20 हेक्टेयर और भूमि लाने का प्रस्ताव है। इसको उगाने से फसल पूरी आने पर कुल उत्पादन 100 टन हो जायेगा जिस का मूल्य लगभग 40 लाख रुपये होगा जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कुल उत्पादन 6 क्विंटल था।

खुम्ब की उपज के लिए एफ.ए.ओ./यू.एन.डी.पी.के मार्ग दर्शन में 1.27 करोड़ रुपये की एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत खाद उत्पादन की अत्यधिक आधुनिक औद्योगिकी का आयात किया गया है और चम्बा घाट (सोलन) में एक बहुत बड़े नीरोगन सदन का कार्य आरम्भ कर दिया है। खुम्ब के विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त खुम्ब इकाइयां स्थापित करने लिए छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है अभी तक 194 खुम्ब उत्पादकों को इस परियोजना के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा चुका है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप खुम्ब की उपज की कुल उत्पादन क्षमता 1974 में 70 टन से बढ़ कर अब 500 टन हो गई है।

6. विपणन एवं विधायन—फलदार वृक्षों के अन्तर्गत शोषफल यथा फलोत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इन के विपणन एवं विधायन की समस्याएं भी बलवती होती जा रही हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान सेब का 3.07 लाख टन जिस का मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये था का रिकार्ड उत्पादन हुआ। इन फलों को विपणन के लिए सरकार की समस्त सुविधाओं एवं साधनों का अधिकतम प्रयोग किया गया और इस रिकार्ड उपज को समय पर विपणन करने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। औद्योगिक उत्पादन विपणन निगम में उत्पादकों को 32.21 लाख रुपये के अत्पादक ऋण प्रदान किये और 24.16 लाख सेब की पेटियों का विपणन किया। सरकार ने इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देगे के लिए

250 रुपये प्रति टन की दर से एच.डी.एम.सी द्वारा लिये गये फलों पर अनुदान दिया जिससे उत्पादकों को ओला वृष्टि से हुए नुकसान से काफी राहत मिली।

राज्य में फलों का ठीक प्रकार से विपणन करने के लिए 16.31 करोड़ रुपये की लागत से आई.डी.ए.की सहायता प्राप्त परियोजना को पूरा कर दिया गया है इस परियोजना के अन्तर्गत 10 पैकिंग तथा ग्रडिंग गृह, 5 शीत संग्रहागार, एक पल विधायन संयंत्र, 2 वाहनान्तरण केंद्रों को स्थापित करने के अतिरिक्त 401 क्विंटामीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत बनाई गई विपणन की सब सुविधाएं 1982 तक पूरी तरह उपलब्ध हो जायेंगी और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश फलों का आधुनिकतम विपणन प्रणाली वाला देश का पहला राज्य हो जायेगा।

वर्ष 1981-82 के दौरान सर्वोत्तम उपलब्धि परवाणु में 18,000 टन क्षमता वाले पल विधायन संयंत्र का चालू हो जाना है जो विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया है। इस संयंत्र के चालू होने से प्रदेश में वार्षिक विपणन क्षमता 26,000 टन हो जायेगी और इस प्रकार का पल जो बाजार में नहीं बिक पाता उसका काफी हद तक ठीक प्रयोग करने का समाधान हो सकेगा। इसी प्रकार सरकारी, सहकारी, निगम तथा निजी क्षेत्र में स्थापित पल विधायन कारखानों की क्षमता का पूरा उपयोग किया गया है, जिससे बागवानी की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

विपणन की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि फल-उत्पाद का निर्यात है जिस के परिणाम स्वरूप 100 टन मिश्रित फल मुरब्बा, जिसका मूल्य 10 लाख रुपये था, भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा रूस को निर्यात किया गया।

7. हिमाचल प्रदेश कृषि उद्यान निगम—हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने वर्ष 1981-82 के दौरान अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य जारी रखा और पांवटा साहिब में 150 टन गन्ना बेलने की क्षमता वाला खांड-सारी इकाई को स्थापित किया जो इसी वर्ष चालू हुई है। निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य परियोजनाओं में जाछ में कृषि उपकरण फैक्टरी तथा कन्दोरी में तार बनाने की इकाई सम्मिलित है।

8. समाज के निर्बल वर्ग लोगों के लिए उद्यान विकास—20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अनुरूप प्रदेश ने उद्यान विकास को एक जन साधारण के कार्यक्रम के रूप में विकसित करने की

नीति अपनाई है ताकि इस कार्यक्रम के लाभ समाज के सब से निर्बल वर्गों जैसे लघु/सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों तथा पिछड़े क्षेत्र के किसानों तक पहुंच सके। इन वर्गों के बागवानों के लाभ के लिए विशेष अनुदान योजनाएं चालू की गई हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान इस प्रकार के अनुदान के लिए 49.89 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1982-83 के दौरान बागवानी विभाग राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों पर 290 लाख रुपये तथा केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 25.50 लाख रुपये खर्च करेगा।

(अ) राज्य क्षेत्र योजनाएं

1. **निर्देश एवं प्रशासन—**वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को समय पर तथा उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य और जिला स्तर के ढांचे को और शक्तिशाली बनाया जाये। इसके वास्तविक क्रियात्मक योजना बनाने और प्रगति को अंकित करने में विभाग को सहायता देने के लिए निदेशालय के स्तर पर एक उद्योग योजना कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वार्षिक योजना 1982-83 में इस कार्य के लिए 2.50 लाख रुपये रखे गए हैं। यह कर्मचारी वर्ग योजना है, अतः इस का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

2. **खाद और उर्वरक—**इस योजना का उद्देश्य फलों के बगीचों के लिए पोषण स्तर का अनुमान लगाने के लिए पत्तों के विश्लेषण की नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना और प्रत्येक उद्यान के प्रयोग के लिए वैज्ञानिक तथा आर्थिक उर्वरक तालिका बनाना है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 12,000 पौध नमूनों का विश्लेषण करने के लिए शिमला में स्थापित वर्तमान फल-पौध पोषण प्रयोगशाला अनुरक्षण के अतिरिक्त इस सुविधा को बढ़ाने के लिए राज्य के समशीतोष्ण फल क्षेत्र में एक और प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1982-83 में 15,000 पौधों के नमूनों का एकत्र करने तथा विश्लेषण करने का प्रस्ताव है।

3. **पौध संरक्षण कार्यक्रम—**हिमाचल प्रदेश में फलों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि होने से उद्यान प्रबन्ध कार्यक्रम की पौध संरक्षण की समस्या काफी महत्वपूर्ण हो गई है। वर्ष 1982-83 में पौध संरक्षण के कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। वर्तमान कर्मचारी वर्ग को और सुदृढ़ करने के अतिरिक्त 90,000 हैक्टेयर बागवानी क्षेत्र को पौध संरक्षण 90,000 हैक्टेयर क्षेत्र चूहों से सुरक्षा, और 25,000

हैक्टेयर (एपल स्केब) से सुरक्षा के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। बढ़ते हुए कीट नाशी दवाई मूल्य के दृष्टिगत तथा फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए बागवानों को प्रोत्साहन देने के लिए अपने अपने बागों में पौध संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए छिड़काव की दवाइयों पर प्रत्येक वर्ग के किसानों को 25 प्रतिशत का समान अनुदान देने का प्रस्ताव है।

4. उद्यान सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा प्रसार

(क) **कृषकों का प्रशिक्षण—**इस योजना के अन्तर्गत बागवानों तथा क्षेत्रीय उद्यान प्रसार कार्यकर्ताओं को लम्बी अवधि का प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्रीय उद्यान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है। इस के अतिरिक्त, बागवानों को विभिन्न उद्यान कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए 1 से 7 दिन तक के लघु अवधि के प्रशिक्षण शिविर भी लगाये जायेंगे। वर्ष 1982-83 के दौरान 30,000 बागवानों को लघु अवधि के प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त केन्द्रीय उद्यान प्रशिक्षण केन्द्र में 200 बागवानों तथा 100 उद्यान प्रसार कार्यकर्ताओं को लम्बी अवधि का प्रशिक्षण भी दिया जायगा।

(ख) **उद्योग प्रसार—**इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 5,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल में फल, 20 हैक्टेयर में हौप्स, 100 हैक्टेयर में जैतून, 50 हैक्टेयर में अधिक सघन पौधारोपण, 100 हैक्टेयर में अखरोट तथा 150 हैक्टेयर में बादाम लगाए जायेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.90 लाख टन फल, 600 टन खुम्ब तथा 2 टन हौप्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जो आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगे उन में 15 लघु मधु-मक्खी पालन केन्द्र, एक मुधुष्ठान, दो शहद वर्गीकरण प्रयोगशालाएं, एक जैतून केन्द्र तथा एक जैतून पट्टी, एक गुलाब का बाग, एक चाय की नर्सरी इत्यादि की स्थापना भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के निर्बल वर्गों को बगीचे, उद्यान कुंज, सामुदायिक बाग तथा मक्खी पालन इकाइयों की स्थापना के लिए उदार प्रोत्साहन रखे गए हैं। उद्यान प्रसार सेवा को प्रदेश के उपोष्णीय क्षेत्रों में और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

5. **उद्योग सम्बन्धी अनुसंधान एवं शिक्षा—**इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय को उद्यान अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए 30 लाख रुपये के अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। इस के अतिरिक्त परियोजना आधार पर उद्यान सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु 2 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

6. **उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी—**इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1982-83 में 4 लाख रुपये का प्रावधान है तथा इसकी

मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं सांख्यिकीय आधार को और सुदृढ़ बनाना है जो कि राज्य के उद्यान उद्योग के नियोजित विकास के लिये अति आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत, उद्यान गणना का संचालन उद्यान आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं रखरखाव, उद्यान कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा सेब उत्पादन का तुड़ाई से पहले पूर्वानुमान लगाना इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित है।

7. उद्यान विपणन एवं गुण नियंत्रण — इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 1982-83 में 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं (1) देश की 25 प्रमुख मण्डियों से बाजार सम्बन्धी सूचना एकत्र करके उन्हें बागवानों तक पहुंचाना, (2) 2,000 किसानों को वैज्ञानिक वर्गीकरण एवं भराव में प्रशिक्षित करना, (3) प्रदर्शनों द्वारा 1.5 लाख सेब के बक्सों का वर्गीकरण करना (4) तुड़ाई परिपक्वता परिणाम निर्धारित करने के लिये प्रशिक्षण का आयोजन करना (5) सहकारी/निगम के संस्थानों को उद्यान विपणन अधोसंरचना स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाना तथा (6) जनजातीय क्षेत्रों के लघु एवं सीमांत बागवानों को बगीचों से मुख्य सड़क तक फलों की टुलाई के लिये अनुदान देना।

8. उद्यान ऋण—कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत, विशेष ऋण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हिमाचल प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक को 2 लाख रुपये की धन राशि ऋण पत्र सहायता के रूप में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के कार्यान्वयन से बैंक, जहरतमन्द बागवानों को 8 लाख रुपये तक की लम्बी अवधि की उद्यान ऋण सुविधाएं देने में सक्षम हो सकेगा।

9. फल विधायन/उपयोग— इस योजना के अन्तर्गत पहले से स्थापित फल विधायन इकाइयों को फल उत्पादकों के लिये विधायन, सामुदायिक डिब्बा बन्दी तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए और सुदृढ़ किया जाएगा। वर्ष 1982-83 के दौरान सरकारी विधायन इकाइयों में 250 टन तथा सामुदायिक विधायन इकाइयों में 60 टन फल का उत्पादन किया जायेगा। लगभग 3,000 किसानों को फलों की प्रिजरवेशन विधि में प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश में एक "फ्रूट प्रिजरवेशन इन्स्टीट्यूट" की स्थापना की जाएगी। इस योजना के लिए वर्ष 1982-83 में 38 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।

10. पिछड़े क्षेत्रों में उद्यान विकास के लिए विशेष योजना—पिछड़े क्षेत्रों के बागवानों को उद्यान उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित करने के उद्देश्य से 10 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है जिस से इन क्षेत्रों के किसानों को जनजातीय क्षेत्रों के किसानों की तरह ही उदार अनुदान प्रोत्सहान के रूप में दिया जाएगा।

11. कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश—इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम को 10.50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। निगम कृषि उद्योगों के विकास, विशेष रूप से अपनी सहयोगी संस्था एच.पी.एम.सी. के माध्यम से उद्यान विपणन एवं विधायन के क्षेत्र में विकास के लिए अतिरिक्त योजनाएं कार्यान्वित करेगा।

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र

1. सेबों के स्कैब रोग पर नियंत्रण—“ऐप्पल स्कैब” नाशक रोग पर नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1982-83 में 60 लाख रुपये की लागत से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत बागवानों को, सेबों के अधीन 25,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर छिड़काव कार्यों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इस अनुदान पर आने वाला व्यय भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाएगा।

2. जनजातीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता—प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्यान फसलों, जैसे शीपस, सूखे मेथे, बीने सेब तथा अंगूर इत्यादि के विकास एवं उद्यान विपणन अधोसंरचना की स्थापना के लिए 1982-83 में, इस योजना के अन्तर्गत 22.50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। इस राशि में से 12.50 लाख रुपये बागवानों को उद्यान विकास के लिये अनुदान के रूप में, 6 लाख रुपये अनुदान के रूप में एच.पी.एम.सी. भरमौर तथा किन्नौर क्षेत्रों में उद्यान विधायन अधोसंरचना स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में तथा 4.50 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय को जनजातीय क्षेत्रों में उद्यान अनुसंधान को शीघ्र करने के लिए अनुदान के रूप में दिये जायेंगे।

3. अनुसूचित जातियों द्वारा उद्यान विकास के लिए विशेष अंगभूत योजना—इस विशेष योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों द्वारा विभिन्न फलों के अधीन 400 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जायेगा। इसके लिए राज्य क्षेत्र से 25 लाख रुपये और 3 लाख रुपये विशेष अंगभूत योजना के

अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विशेष सहायता के रूप में उपलब्ध करवाए जायेंगे जिसका प्रयोग अनुसूचित जातियों द्वारा उद्यान विकास के लिए उदार सहायता के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा तथा उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी जिस से समाज के इस वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें ।

2.3 लघु तथा मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण

कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई को विशेष प्राथमिकता दी है। हिमाचल प्रदेश में कृष्य भूमि का एक बहुत बड़ा भाग अर्सिंचित है। अतः पर्याप्त सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं के बिना फसलों की अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाना कठिन है। प्रदेश का भू-तल रूप ऐसा है कि यहां बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना बहुत कठिन है। तदनुसार केवल लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण को ही महत्व दिया जा रहा है और ये लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही हैं। इस के साथ-साथ ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग द्वारा भी छोटी सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निमित्त अनुमानों के अनुसार प्रदेश में कुल बोया हुआ शुद्ध क्षेत्र 5.58 लाख हैकटेयर है जिसमें से 3.50 लाख हैकटेयर क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सुनिश्चित सिंचाई योजनाओं के अधीन लाया जा सकता है। मार्च, 1980 तक 1,15,892 हैकटेयर भूमि क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई योजनाओं के अधीन लाया गया है जिसमें निजी तथा सामुदायिक कूहलों से सिंचित लगभग 79,000 हैकटेयर भूमि क्षेत्र भी शामिल है। वर्ष 1980-81 में 8,078 हैकटेयर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई योजनाओं के अधीन लाया गया इस तरह मार्च, 1981 के अन्त तक कुल 1,23,970 हैकटेयर भूमि क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

लघु सिंचाई— वर्ष 1981-82 के दौरान 359.22 लाख रुपये जिसमें 39.72 लाख रुपये जनजातीय क्षेत्रों के लिये है लघु सिंचाई कार्यों के लिये स्वीकृत किये गये हैं। इस के साथ ही 40.00 लाख रुपये ओलावृष्टि सहायता पत्रों के अधीन लघु सिंचाई कार्यों में बढ़ोतरी करने तथा ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के साधन जुटाने हेतु भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को प्रदान किये। वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रकार कुल धन राशि 399.22 लाख रुपये जिस से 5,407 हैकटेयर भूमि/क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अधीन लाये जाने का प्रावधान है।

मध्यम सिंचाई— वर्ष 1981-82 के दौरान मध्यम सिंचाई के अधीन 108.00 लाख रुपये अनुमोदित परिव्यय का प्रावधान है। दो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (1) 6.71 करोड़ रुपये की लागत से सिरमौर जिले में गिरी सिंचाई परियोजना तथा (2) भाबौर साहिब जिला ऊना में 75.00 लाख रुपये की लागत से लिपट सिंचाई योजना के निर्माण कार्य अन्तिम चरणों पर है। गत वर्ष में इन दो या चालू सिंचाई योजनाओं से 3190 हैकटेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई तथा शेष 2,990 हैकटेयर भूमि वर्ष 1981-82 के दौरान सिंचाई के अधीन लाये जाने की सम्भावना है।

उक्त दोनों मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ निम्न परियोजनाओं का विस्तृत अनुसन्धान कार्य भी चल रहा है :—

- (1) भाबौर साहिब लिपट सिंचाई योजना (द्वितीय चरण) (जिला ऊना)
- (2) सरवरी नदी योजना (जिला कुल्लू)
- (3) चुरू लिपट योजना (जिला ऊना)
- (4) कालाकृण्ड सिंचाई योजना (जिला सोलन)।

योजना आयोग ने वर्ष 1982-83 के लिए बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना को आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इह परियोजना को, जिसका सी. सी. ए. 2410 हैकटेयर है, 1984-85 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम— वर्ष में 56.39 लाख रुपये का राज्य में बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए प्रावधान रखा गया है जिस से चार किलोमीटर क्षेत्र में तटबन्ध लगाये जा सकेंगे तथा 600 हैकटेयर भूमि की सुरक्षा करेगा। इस के अतिरिक्त ओलावृष्टि सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत 10.00 लाख रुपये नियत किये गये हैं।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना— वर्ष 1982-83 में 482.00 लाख रुपये लघु सिंचाई योजना के लिये स्वीकृत किये हैं जिस में से 47.00 लाख रुपये जनजातीय क्षेत्रों में और 50.00 लाख रुपये विशेष अनुपूरक योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों में लघु सिंचाई कार्यक्रमों में खर्च किये जाने के लिए नियत किये हैं। इस धन राशि से 4,200 हैकटेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई योजना के अधीन लाने की सम्भावना है।

30.00 करोड़ रुपये की लागत की एक सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट भारत सरकार को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये स्वीकृति हेतु भेजी है जिसकी अभी प्रतीक्षा है। इस के अतिरिक्त 158.00 लाख रुपये जिस में 25.00

‘लाख रुपये विशेष अनुपूरक योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिए मध्यम सिंचाई कार्यक्रमों पर खर्च किये जाने हेतु स्वीकृत किये गये हैं। कुछ नई परियोजनाओं जैसे बल्ह घाटी योजना, आदि निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है। बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के अधीन 70.00 लाख रुपये जिसमें 5.00 लाख रुपये जनजातीय क्षेत्रों में तथा 13.00 लाख रुपये विशेष अनुपूरक योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों में खर्च करने की स्वीकृति दी है। चार किलोमीटर लम्बाई के संरक्षण कार्यों जिस से 650 हैक्टेयर भूमि की रक्षा हो सकेगी के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

2.4 भू-संरक्षण

हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भू-स्खलन एक गम्भीर स्थायी समस्या है। अतः भू-संरक्षण कार्यों के लिए विशाल स्तर पर प्रभावशाली पग उठाने की आवश्यकता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये नदी घाटी परियोजनाओं के लिए भी आवश्यक है क्योंकि (1) सिंचाई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के जलाशयों की जीवन वृद्धि (2) लघु सिंचाई जलाशयों के प्रभावशाली कार्य, तथा (3) बाढ़ों को कम करने में इनका अपना महत्व है। यह सभी कार्य अब भू-संरक्षण नामक नए विभाग को सौंप दिए गए हैं।

निम्नलिखित भू-संरक्षण योजनाएं प्रदेश में श्रेणी हैं, राजकीय तथा केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं।
अ--सरकारी भूमि

1. रक्षी बनारोपण भू संरक्षण एवं अवर्गीकरण— इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 46, 24 लाख रुपये

1,900 हैक्टेयर नई भूमि पर बनारोपण तथा अनुरक्षण के लिए एवं भवन निर्माण तथा अन्य कई कार्यों पर लगाने के लिए रखे गये।

2. भू-संरक्षण प्रशिक्षण — इस योजना का उद्देश्य राज्य में भू-संरक्षण कार्य चलाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 60 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 3.76 लाख रुपये रखे गये।

3. भू-तथा जल संरक्षण कार्यक्रम (जन-जातीय क्षेत्र) — इस योजना के उद्देश्य व लक्ष्य वही है जो ग्राम संख्या 1 में दी योजना के हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1981-82 में जनजातीय क्षेत्रों में भू तथा जल संरक्षण कार्यों द्वारा भूमि के समुपचार के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा है।

केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित हैं :—

1. सतलुज व्यास तथा गिरि बाटा नदी घाटी परियोजना नामों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भू तथा जल संरक्षण— सतलुज तथा व्यास नदियों द्वारा भाखड़ा तथा पोंग जलाशयों में लाई जा रही कंकर-सिल्टी को कम करने के उद्देश्य से इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल से एक भू-संरक्षण योजना को कार्यरूप दिया जा रहा है। वर्ष 1976-77 में गिरि बाटा परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्ष 1981-82 के दौरान कृषि भूमि सहित इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 130 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। अप्रैल 1982 से यह योजना शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चल रही है। इस कार्य की विभिन्न महीने के अन्तर्गत दिसम्बर, 1981 तक की उपलब्धियों को नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	कार्य की मद	इकाई	वर्ष 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य	दिसम्बर, 1981 तक की उपलब्धियां
1	2	3	4	5
(अ) कार्य—				
1	चरागाह भूमि का समुपचार :—			
	(क) तथा	हैक्टेयर	162	39
	(ख) अनुरक्षण	..	380	236

1	2	3	4*	5
2	शुष्क घास भूमि का समुपचार —			
	(क) नया	.. हैक्टेयर	155	270
	(ख) अनुरक्षण	.. "	68	133
3	वन भूमि का समुपचार—			
	(क) नया	.. "	1,228	1,174
	(ख) अनुरक्षण	.. "	6,992	1,649
4	साद निरोधक बांध—			
	(क) नया	.. संख्या	9	—
	(ख) अनुरक्षण	.. "	5	—
5	प्रक्षेत्र जलाशय—			
	(क) नया	.. संख्या	64	4
	(ख) अनुरक्षण	.. "	—	—
6	साद अनुमुक्ति स्थल	.. "	55	—
7	स्परचैक डैम/रिटेनिंग वाल	.. "	333	87
8	भवन—			
	(क) नया	.. "	10	—
	(ख) अनुरक्षण	.. "	—	1
9	गम्भीर रूप से खलित भूमि का समुपचार—			
	(क) नया	.. हैक्टेयर	200	52
	(ख) अनुरक्षण	.. "	—	2,722
10	अल्प यन्त्र कला	.. "	116	द०न०ग०*
11	परिधि रेखा पट्टी	.. संख्या	138	द०न०ग०
12	बैच टैरेसिंग	.. "	137	द०न०ग०
13	खाइरों का पुनः भरना	.. "	46	द०न०ग०
14	ढांचा	.. "	128	द०न०ग०
15	कृषि योग्य भूमि का समुपचार	.. हैक्टेयर	500	द०न०ग०

*द० नं० ग०-दशायि नहीं गये ।

2. हिमाचल क्षेत्र में एकीकृत भू तथा वृक्ष संरक्षण योजना—वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न उप-जलोत्सारण क्षेत्रों/चरागाहों/बंजर भूमि तथा कृषि भूमि के समोपचार हेतु 110 लाख रुपए रखे गये । वर्ष 1981-82 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कार्य/लक्ष्यों का व्यौरा तथा दिसम्बर, 1981 तक की उपलब्धियां निम्न तालिका में दी गई हैं :—

“आप्रेशन सायल ब्रांच”

क्रमांक	कार्य की मद	इकाई	वर्ष 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य	दिसम्बर, 1981 तक की उपलब्धियां
1	2	3	4	5
(क) कार्य—				
1	बेकार भूमि पर वृक्षारोपण तथा स्खलित भूमि—			
	(क) नई	हेक्टेयर	3,725	2,069
	(ख) अभ्युरक्षण	—	2,804
2	गम्भीर रूप से स्खलित भूमि को बाधना—	250	—
3	बीज रोपण	.. लाख	0.70	0.70
4	चैक डैम तथा स्पिल्स को स्थिर करना:—			
	(i) स्पर	.. संख्या	94	220
	(ii) चैक डैम	111	—
	(iii) साद निरोधक बांध	13	6
	(iv) प्रक्षेत्र जलाशय	62	41
	(v) रिटेनिंग वाल	80	28
	(vi) नदी के किनारों को स्थिर करना	.. कि०मी०	105.50	70.75
	(vii) भवन:—			
	(क) नया	.. संख्या	8	1
	(ख) अभ्युरक्षण	3	2

(ख) कृषकों की भूमि—वर्ष 1981-82 के दौरान भू-संरक्षण उपायों को उत्साह से अपनाया गया। कृषकों के विभिन्न वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों तथा सहायक अनुदान की पद्धति का व्यौरा निम्न है :—

कृषक वर्ग	ऋण प्रतिशत	सहायक अनुदान प्रतिशत
1. सीमान्त कृषक	66 $\frac{2}{3}$	33 $\frac{1}{3}$
2. लघु कृषक	75	25
3. अन्य कृषक	80	20
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति किसान	50	50

वर्ष 1982-83 की योजना—वर्ष 1981-82 में प्रस्तावित योजनाओं को वर्ष 1982-83 में बहुमुखी अनुशासित दक्ष व्यक्तियों की टीम के तहत अधिक उत्तम तरीके से जारी रखा जाएगा।

2.5 पशु पालन

हिमाचल प्रदेश में जहां कि कृषि लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार है, पशु पालन का विकास बहुत आवश्यक है क्योंकि पशुधन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विषय ये हैं, (1) पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियन्त्रण (2) गोजातीय पशुओं का विकास (3) भेड़ प्रजनन एवं ऊन विकास (4) कुक्कुट-विकास (5) पशु आहार तथा चारा विकास (6) दुग्ध विकास तथा वितरण योजना और (7) पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में वर्ष 1981-82 के दौरान उपलब्धियों का निम्न पंक्तियों में वर्णन किया गया है :—

1. पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियन्त्रण—इस समय प्रदेश में 167 चिकित्सालय, 313 औषधालय तथा 45 बाह्य औषधालय कार्य कर रहे हैं। इन सभी संस्थानों में पशु चिकित्सा तथा छूत के रोगों की रोकथाम के लिये कार्य किये जा रहे हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान 15 पशु औषधालय को चिकित्सालयों में परिवर्तित करने, 30 नये औषधालय तथा 5 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का कार्यक्रम है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 14 चलते फिरते औषधालय भी कार्य कर रहे हैं। जिनमें से शिमला तथा कांगड़ा जिलों में दो-दो तथा शेष सभी जिलों में एक-एक औषधालय कार्यरत हैं। ये औषधालय महामारी को फैलने से रोकने के अतिरिक्त तुरन्त पशु चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। प्रदेश में 7 क्लिनिक प्रयोगशालायें भी कार्य कर रही हैं जिनमें 5 जिला स्तर पर कार्यरत हैं। ये प्रयोगशालायें पशुओं के विभिन्न रोगों के लक्षणों की तुरन्त जांच करती हैं। एक ऐपिडिमियोलोजी यूनिट भी, पैर और मुंह के रोगों के नियन्त्रण तथा जांच के लिए राज्य मुख्यालय में कार्यरत है।

पशु महामारी रिंडरपैस्ट जो छूत का रोग है की रोकथाम के लिए 4 चौकियां पंडोला व भादली जिला ऊना, स्वारघाट जिला विलासपुर और मिलवां जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं। 1981-82 में इन चौकियों से आने वाले लगभग 45 हजार पशुओं को इस महामारी के टीके लगाये गए।

वर्ष 1981-82 के दौरान पशु चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां की गई हैं:—

मद	उपलब्धियां 1981-82*
1. छूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग तथा वाह्य रोगी)	62,811
2. अछूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग तथा वाह्य रोगी)	11,50,952
3. उन रोग ग्रस्त पशुओं को दवाई दी गई जो कि चिकित्सालय/औषधालय में नहीं लाये गये	69,418
4. चिकित्सालयों/औषधालयों में लगाये गये टीके	97,203
5. चिकित्सालयों/औषधालयों में बधियाकरण	8,791
6. परिभ्रमन में दी गई चिकित्सा सुविधा	
(क) छूत	80,397
(ख) अछूत	4,62,100
7. परिभ्रमण में बधियाकरण	78,441
8. परिभ्रमण में टीके लगाये गये	6,21,805

*लाहौल, कुल्लू तथा पांगी से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

2. गोजातीय पशु विकास—दो भिन्न जातियों के नर मादा के प्रजनन के लिए जर्सी को सब नसलों में सबसे उपयुक्त पाया गया है इसलिये पहाड़ी गाय को सुधारने के लिए जर्सी से गर्भाधान पर अत्याधिक बल दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर हौलस्टीन फ्रिजियन नसल का भी प्रजनन किया गया है। भैंस की वर्तमान नसल को सुधारने तथा प्रजनन सुविधायें प्रदान करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान सिरमौर जिले के माजरा “ग्राम सम्बर्धन ब्लाक” तथा कुछ अन्य चिकित्सालयों जिला ऊना, कांगड़ा तथा मण्डी में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 79 सांड चिकित्सालयों/केन्द्रों में गायों और भैंसों के प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा भी उपलब्ध है। यह सुविधा ग्राम सम्बर्धन योजना तथा सांड केन्द्र/पशु चिकित्सालयों के अन्तर्गत भी उपलब्ध कराई जाती है। गो जातीय पशुओं के विकास कार्य को सफलता पूर्वक चलाने के लिये प्रदेश में निम्नलिखित ये विशेष योजनायें कार्यरत हैं—

(क) ग्राम सम्बर्धन योजना—यह योजना शिमला, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर, हमीरपुर तथा ऊना जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम सम्बर्धन खण्डों तथा उनसे जुड़ी 56 ग्राम सम्बर्धन इकाइयों द्वारा गायों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा जा रही है।

(ख) पहाड़ी पशु विकास कार्यक्रम—यह कार्यक्रम शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, तथा चम्बा जिलों में चलाया जा रहा है। तथा इसके अन्तर्गत 37 केन्द्र/उपकेन्द्र इन जिलों में कार्यरत हैं। इन केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर जर्सी (हौलस्टीन फ्रिजियन) नसलों का कृत्रिम गर्भाधान के लिये उपयोग किया जाता है।

(ग) सघन गोजातीय पशु विकास परियोजना—यह योजना शिमला तथा सोलन जिलों में चलाई जा जा रही है तथा इसके अन्तर्गत 22 सघन गोजातीय पशु विकास इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें से 16 इकाइयां जिला शिमला में तथा 6 इकाइयां जिला सोलन में हैं तथा “सीमैन बैंक” घणाहटी में है।

(घ) चिकित्सालय/श्रीषधालय तथा सांड केन्द्रों द्वारा प्रजनन सुविधाएं—प्रदेश में दो भिन्न जाति के प्रजनन को अधिक बढ़ावा देने के लिए 203

चिकित्सालयों तथा श्रीषधालयों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों जहां कि वीर्य पहुंचाना सम्भव नहीं है 29 गाय सांडों तथा 85 भैंस सांडों के द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं दी जा रही हैं।

(ङ) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र—उन क्षेत्रों में जहां कि चिकित्सालय/श्रीषधालय की सुविधायें आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, 41 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

विजातीय बछड़ियों के पालन पोषण की लागत में सहायता करने के लिये सरकार ने प्रदेश में एक अनुदान योजना लागू की है, इस योजना के अन्तर्गत लघु व सीमांत किसानों को बछड़ियों के लिये संतुलित (पूर्ण) आहार के रूप में अनुदान दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान उपलब्धियां इस प्रकार हैं—

मद	उपलब्धियां 1981-82*	
	गाय	भैंस
1. कृत्रिम गर्भाधान	78,268	1,041
2. प्राकृतिक गर्भाधान	2,597	8,538
3. कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बच्चे	26,601	147
4. प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न बच्चे	1,107	4,057

*पांगी और किन्नौर से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

प्रदेश में शुद्ध व अच्छी नसल के सांडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कमांद (मण्डी), भंगरोटू (मण्डी), करसोग (मण्डी), कोठीपुरा (बिलासपुर), पालमपुर (कांगड़ा) तथा बाग्थन (सिरमौर) नामक स्थानों पर गोजातीय पशु प्रजनन फार्म कार्यरत हैं। इन सभी फार्मों में 31-3-1982 को पशुओं की कुल संख्या 612 थी। ये फार्म विदेशी नसल के पशुओं के प्रवन्ध की समस्याओं के अध्ययन में भी सहायता करते हैं। एक वीर्य कोष जिनमें एक “डीप फ्रोजन लैवोरेटरी” तथा “लिविड नाइट्रोजन प्लांट” है भंगरोटू (मण्डी) में “भारत जर्मन कृषि परियोजना” के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। यह वीर्य कोष वंशावली सांडों का जमा हुआ वीर्य मण्डी,

कुल्लू तथा बिलासपुर जिलों में विभिन्न चिकित्सालयों/श्रीषधालयों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और सरकारी फार्मों को भेजता है। एक और वीर्य कोष जिसमें कि एक "फ्रोजन सीमन लैवोरेटरी" तथा दो "लिविड नाइट्रोजन प्लांटस" हैं कांगड़ा जिला के पालमपुर में न्यूजिलैंड सरकार की सहायता से स्थापित किया गया था। यह वीर्य कोष प्रदेश के विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को जमा हुआ वीर्य भेजता है। इन कार्यक्रमों को लागू करने से प्रदेश में दूध का उत्पादन वर्ष 1981-82 में 338.76 हजार टन हुआ था।

सघन गोजातीय पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण पूर्ण किया गया है जिसका प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है तथा इसकी प्रतियां वितरित कर दी गई हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य गोजातीय पशु तथा भैंसों की अभिपोषण की लागत को कम करना या दूध और उससे बनी हुई अन्य वस्तुओं के मूल्य में कमी लाना है।

3. भेड़ पालन तथा ऊन विकास—भेड़ पालन जो कि ऊन, मांस, खाल तथा प्राकृतिक खाद का प्रमुख स्रोत है प्रदेश के लोगों की आय का एक महत्वपूर्ण सहायक स्रोत भी है। भेड़ों तथा ऊन में सुधार लाने के लिये सरकारी भेड़ फार्म ज्यूरी (शिमला), चम्बा, नगवाई (मण्डी), ताल (हमीरपुर), कड़छम (किन्नौर) तथा भेड़ एवं ऊन केन्द्र चुड़ी (चम्बा) प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म की भेड़ें वितरित करते हैं। इन फार्मों में 31-3-1982 को भेड़ों की कुल संख्या 2,415 थी। वर्ष 1981-82 के दौरान किसानों में 527 उन्नत किस्म की भेड़ें वितरित की गई हैं। भेड़ों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रख कर तथा सोवियत मैरिनो या अमेरिकन रैम्बूल की ख्याती को देखते हुये सरकार ने वर्तमान सरकारी फार्मों पर शुद्ध प्रजनन का कार्य आरम्भ कर दिया है।

भेड़ों के विकास के लिये "विशेष पशु विकास परियोजना" के अन्तर्गत जो कि जिला सिरमौर में चलाई जा रही है, छोटे व सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को कम दरों पर भेड़ें दी जाती हैं। तथा उन्हें खरीदने के लिये ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सघन भेड़ विकास कार्यक्रम, जो कि जिला चम्बा की भरमौर, भटियात तथा चम्बा की तहसीलों में लागू है के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें दी जाती हैं। उन्हें डिपींग तथा ड्रेचिंग सुविधायें प्रदान की जाती हैं तथा उनकी भेड़ों के लिये चरागाहों का विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमानों पर भेड़ों को दवाई पिलाने तथा प्रगतिशील भेड़ पालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया गया है। वर्ष 1981-82 के दौरान 1237 टन ऊन का उत्पादन हुआ।

4. कुक्कुट विकास—सुधरी किस्म के कुक्कुट पक्षी वितरित करने तथा अण्डों से बच्चे निकालने के लिये विभाग ने प्रदेश में 14 कुक्कुट फार्म/केन्द्र खोले हैं।

वर्ष 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न-लिखित उपलब्धियां की गई हैं—

मद	उपलब्धियां 1981-82*
1. सरकारी फार्मों पर अण्डे देने वाली मुर्गियों की औसत संख्या	3,325
2. अण्डों का उत्पादन	7,10,258
3. चुजे निकालने के लिये रखे गये अण्डे	1,79,598
4. चुजों का उत्पादन	1,19,859
5. खाने के लिए अण्डों का विक्रय	5,14,871
6. चुजे निकालने के लिए रखे गये अण्डों का विक्रय	931
7. प्रजनन के लिए पक्षियों का विक्रय	80,251
8. खाने के लिए पक्षियों का विक्रय	23,584

*किन्नौर जिला के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

वर्ष 1981-82 के दौरान विशेष पशुधन (कुक्कुट) उत्पादन कार्यक्रम जो कि शिमला, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लघु एवं सीमांत किसानों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है के अन्तर्गत 154 कुक्कुट इकाइयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त सघन कुक्कुट विकास कार्यक्रम ऊना जिले में भी चलाया जा रहा है।

5. पशु आहार तथा चारा विकास—उच्च वंश पशुओं का उत्पादन तथा संरक्षण पौष्टिक पशु आहार तथा उन्नत चरागाहों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रदेश में कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण चारे के उत्पादन हेतु भूमि उपलब्ध करवाना बहुत कठिन है। लेकिन प्रदेश में चरागाहों तथा घास-नियों के विकास तथा उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयत्न किये जा सकते हैं। फलस्वरूप सरकार अपने कार्यक्रमों को पूरी तरह राज्य में पशु आहार के साधनों की उन्नति की तरफ केन्द्रित कर रही है। फलारस तथा ट्यूव-रोसा तथा राई घास, जो हिमाचल प्रदेश की जलवायु के बहुत अनुकूल हैं के बीज के प्रचलन के यत्न किये जा रहे हैं। अब इसका अधिक उत्पादन करने के लिये इसे सरकारी फार्मों तथा प्लांट क्रिडरों को बांटा जा रहा है।

6. गव्यशाला विकास तथा दुग्ध वितरण योजना—दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं

को उचित मूल्य पर शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने के लिये मण्डी, नाहन, शिमला, कांगड़ा, नात्यपा झाखड़ी, बिलासपुर, तथा चम्बा में 7 दुग्ध वितरण योजनाएं चलाई गई हैं।

मण्डी में कम्पोजिट मिलक सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत 5 अभिशीतण केन्द्रों सिधियनी, भावलां, कोटली, कुन्तू तथा कटोला में दूध एकत्रित करके ठंडा किया जाता है। मुख्य गव्य संयन्त्र चक्कर में है, जिसकी प्रतिदिन प्रति पारी क्षमता 10,000 लिटर दूध की है।

नाहन नगर दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत नाहन, बाघथन, सराहां तथा पांवटा साहिब में 4 अभिशीतण संयन्त्र लगाये गये हैं। अन्तिम 2 अभिशीतण संयन्त्र लघु एवं सीमांत कृषक विकास एजेन्सी सिरमौर के कोष से स्थापित किये गए हैं।

शिमला में दुग्ध वितरण योजना 1 जनवरी, 1972 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 7 अभिशीतण संयन्त्र शिमला, राजगढ़, दाडलाघाट, कुनिहार, मडियोग, कंडाघाट तथा नालागढ़ में कार्य कर रहे हैं। अन्तिम दो संयन्त्र लघु एवं सीमांत कृषक विकास एजेन्सी सोलन के कोष में से लगाये गये हैं। कुछ अभिशीतण संयन्त्रों का दूध सोलन नगर के उप-भोक्ताओं को भी दिया जाता है।

वर्ष 1973-74 में जिला कांगड़ा के लिये एक दुग्ध वितरण योजना सार्वजनिक क्षेत्र में प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत कोटला, दरकाहा तथा जलाड़ी में तीन अभिशीतण संयन्त्र कार्य करने लगे हैं तथा इस योजना का धीरे-धीरे विस्तार किया जायेगा।

चम्बा दुग्ध वितरण योजना दिसम्बर, 1978 के दौरान प्रारम्भ की गई थी और इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध अभिशीतण केन्द्र साहू में निर्माणाधीन है।

कुल मिलाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 7 दुग्ध वितरण योजनाओं के अन्तर्गत 43,500 लिटर दूध की क्षमता वाले 20 अभिशीतण संयन्त्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान 47.23 लाख लिटर दूध इकट्ठा किया गया।

7. पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग से 47 प्रत्याशी पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा कम्पाउन्डरी का कोर्स करने के लिये चम्बा भेजे और अन्य 3 प्रत्याशी देश के विभिन्न गव्य महाविद्यालयों में गव्य विकास प्रशिक्षण के लिये भेजे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु पालकों को भी गव्य व्यवसाय कुक्कुट पालन, भेड़ पालन तथा अन्य पशु पालन क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है।

8. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उपयोजना—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लोगों को सुधरी हुई किस्म के पशु दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधायें जैसे 6 मास के लिये पशु चारा और पशु तथा कुक्कुट शैड को बनाने के लिये 50 प्रतिशत सहाय तथा बीमा इत्यादि अनुदान सहायताएं दी जाती हैं।

वर्ष 1982-83 के लिये योजना—वे सभी योजनायें जो पहले से कार्यरत हैं उन्हें वर्ष 1982-83 में भी चालू रखने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में पशु चिकित्सा की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूर्ण रूप से और प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से पशु चिकित्सा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

2.6 वन

वनों का हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है क्योंकि वे सरकार के लिए राजस्व के अच्छे साधन हैं साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन है। हिमाचल प्रदेश में 21,168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों के अधीन है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 38 प्रतिशत है। वनों के अधीन वास्तविक क्षेत्रफल बहुत कम है। यह प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति के निर्देश से बहुत कम है जिस के अनुसार प्रदेश का 60 प्रतिशत क्षेत्रफल वनों के अधीन होना चाहिए। वनों का महत्व उनके विभिन्न प्रकार के उपयोगों से आंका जा सकता है। इन से मुख्यतः कोनिफेरस जाति की बहुमूल्य इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। छोटे व बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने के लिए जड़ी बूटियां, चारा, ईंधन और कई प्रकार के छोटे बड़े उत्पाद उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त वनों से भूसंरक्षण होता है। नदियों में जल प्रवाह नियमित होता है तथा समय से और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है।

वनों के कार्य कलाप में राष्ट्रीयकरण की बहुत समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए प्रथम चरण में नाहन और बिलासपुर के दो बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाने वाले कारखानों का प्रबन्ध वन निगम को सौंप दिया गया जो अप्रैल, 1974 को स्थापित हुई थी। दूसरे चरण में वर्ष 1975-76 में विभाग द्वारा किए जा रहे पेड़ों से बिरोजा निकालने के कार्य को भी निगम को सौंप दिया गया। वर्ष 1976-77 के दौरान निगम ने कोटगढ़ वन मण्डल में एक

टिम्बर लौट को अपने अधिकार में ले लिया। वह समस्त अपछेद जो पहले ठेकेदारों द्वारा चलाए जाते थे अब निगम को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं। नहन वन मण्डल में "साल" के सारे लौट अब निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं। राज्य में इमारती लकड़ी के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से चील और कोनिफेरस जाति के लौट को निगम को सौंपा जा रहा है।

समस्त भारत में हिमाचल प्रदेश कोनिफेरस जाति की इमारती लकड़ी जिसकी देश में बहुत कमी है, का सब से बड़ा उत्पादक राज्य है। देश की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इस जाति की लकड़ी के विकास के लिए दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को लगातार बढ़ाया जा रहा है।

(अ) वानिकी योजनाएं—राज्य क्षेत्र

1. वन प्रबन्ध का उद्गीकरण—वर्ष 1981-82 में वन प्रबन्ध को तेज करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हेतु 2.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 0.76 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है ताकि वनों पर नियन्त्रण और विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जा सके और इतनी ही राशि 1982-83 के लिए प्रस्तावित है।

2. वन अनुसंधान—वन प्रबन्ध तथा वनरोपण कार्यक्रम दोनों के लिए वन अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय अनुसंधान कार्य हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय को वर्ष 1981-82 के लिए 4.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान की राशि का प्रावधान है जोकि विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की जा चुकी है और इतनी ही राशि 1982-83 में व्यय करने का प्रावधान है।

3. शिक्षा तथा प्रशिक्षण—

(क) वानिकी प्रशिक्षण—वानिकी अत्याधिक तकनीकी विषय है इसलिए यह आवश्यक है कि हर स्तर पर कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये। वर्ष 1981-82 के दौरान कर्मचारियों को वानिकी प्रशिक्षण देने के लिए 0.82 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। 1982-83 में इस कार्य पर 2.00 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

(ख) पिट सा का आधारभूत प्रशिक्षण—यह एक नई योजना है जो इस वर्ष कार्यान्वित हो रही है। वर्ष 1981-82 में 0.82 लाख रुपये की राशि व्यय की गई और 1982-83 के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

(ग) लट्ठे बनाने के आधारभूत औजारों का प्रशिक्षण— 1981-82 में कार्यान्वित की जा रही यह एक नई योजना है। इस वर्ष में 0.71 लाख रुपये की राशि व्यय की गई और 1982-83 के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

4. सर्वेक्षण तथा सीमांकन सहित वनों का एकत्रीकरण— बहुमूल्य वनों को अतिक्रमण से बचाने तथा सुरक्षित रखने और वैज्ञानिक प्रबन्ध को लागू करने के लिए सीमांकन तथा व्यवस्थापन एक आवश्यक कदम है। वर्ष 1981-82 में 4,000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में सर्वेक्षण, सीमांकन तथा सीमा स्तम्भों के निर्माण का कार्य किया जायेगा जिस पर 10.00 लाख रुपये की लागत से 14,053 सीमा स्तम्भों का निर्माण/ मुरम्मत की गई। 1982-83 में 4,000 हैक्टेयर के सर्वेक्षण तथा सीमांकन पर 20.00 लाख रुपये के व्यय करने का प्रावधान है।

5. वन सुरक्षा—वनों को आग से बचाने, अवैध कटान और अतिक्रमण से सुरक्षा हेतु वर्ष 1981-82 में 9.84 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया। वर्ष 1982-83 में सशस्त्र उडन दस्ते को स्थापित करने और अग्निशमन उपकरण लेने के लिए 13.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

6. कार्ययोजना संगठन—वन कार्य योजनाएं वनवर्धकीय अभ्यासों का आधार बनाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1981-82 में 10.20 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जबकि 1982-83 में 12.00 लाख रुपये व्यय किए जाने की संभावना है।

7. चरागाह तथा गोचर भूमि विकास—इस योजना का उद्देश्य देसी व विदेशी चारा प्रजातियों की अच्छी किस्मों के परिचय द्वारा चारे की मात्रा और गुणों में सुधार लाना तथा परिभ्रमण चरान अभ्यासों को लोकप्रिय बनाना है। वर्ष 1981-82 में 1,200 हैक्टेयर क्षेत्र को इस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने के लिए 10.18 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जबकि 1982-83 के लिए 18.00 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव है।

8. सांख्यिकीय तथा योजना कक्ष की स्थापना— विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करवाने हेतु सांख्यिकीय तथा योजना कक्ष कार्यरत रहा। वर्ष 1981-82 में इस योजना के लिए 2.87 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जबकि 1982-83 में दो मुल्यांकन मण्डल और एक उपदेशन (मौनिटारिंग) कक्ष स्थापित करने के लिए 7.00 लाख रुपये का प्रस्ताव है।

9. सर्वेक्षण मानचित्रों का बनाना—असीमांकित सुरक्षित वन अभी तक विना सर्वे और मानचित्र के हैं। जिला सोलन, बिलासपुर और सिरमौर को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए वर्ष 1981-82 में 4.00 लाख रुपये की राशि प्रयुक्त की गई। 1982-83 के लिए भी 4.00 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव है।

10. देवदार, फर, वासप्रसरल (सप्रूस) तथा भाबर घास आदि का परिचयात्मक रोपण— इस उच्च प्राथमिकता की योजना का उद्देश्य औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी की जातियों का संवर्धन खण्डों में सघन रोपण करना है। 1981-82 में 3,599 हेक्टेयर क्षेत्र में ऐसे पौधों के आरोपण हेतु 84.41 लाख रुपये की राशि प्रयुक्त की गई जब कि वर्ष 1982-83 में 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण कार्य पर 76.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

11. शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों का परिचयात्मक रोपण—इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई लगातार मांग को पूरा करने के उद्देश्य में तथा इस के वर्तमान ज्ञात प्रसाधनों और मांग के बीच की दूरी को कम करने के लिए यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई थी। यह कार्यक्रम देश के पल्प और कागज उद्योग के लिए कच्चे माल के उत्पादन से सम्बन्धित है। इस के दृष्टिगत इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाला कम से कम 10 घन मीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष पैदावार वाली प्रजातियों का रोपण शुरू किया गया। 1981-82 में 3513 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण के लिए 84.58 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया। जब कि 1982-83 में 2,400 हेक्टेयर भूमि पर रोपण के लिए 78.00 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है।

12. प्रक्षेत्र वानिकी—इस योजना का उद्देश्य गांवों में अकृष्य व्यर्थ भूमि, सड़कों तथा खेतों के किनारों पर ईंधन लकड़ी का रोपण करना है ताकि ईंधन लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा त्रिमुखी बन खेती कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के साथ इस योजना का उद्देश्य और विस्तृत हो गया है। वर्ष 1981-82 के दौरान अन्य कार्यों के अतिरिक्त 2,938 हेक्टेयर क्षेत्र पर 41.83 लाख रुपये की लागत से रोपण किया गया। वर्ष 1982-83 में 9,845 हेक्टेयर क्षेत्र पर नर्सरी स्टाक तैयार करने, वाढ़ लगाने, रोपण करने तथा अन्य कार्य हेतु 40.00 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव है।

13. बीज प्रमत्तकरण तथा भण्डार योजना—यह एक नई योजना है जो 1981-82 से कार्यान्वित की गई है। यह योजना प्रक्षेत्र वानिकी योजना का एक

भाग है। वर्ष 1981-82 में इस योजना के लिए 5.75 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया और 1982-83 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये का प्रस्ताव है।

14. बंजर भूमि/पंचायत भूमि पर मिश्रित रोपण—इस समय ईंधन लकड़ी तथा चारे की बहुत कमी है। गांव की सार्वजनिक भूमि तथा सरकारी बंजर भूमि जो कि चारे तथा ईंधन लकड़ी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी, अब पूर्णतः नाकारा हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत सतलुज, व्यास, गिरि-वाटा, राबी, चिनाव, यमुना, मारकंडा, सिरसा, सवां तथा चक्की नदियों के 107 चुने हुए उप-जल गृह क्षेत्रों में प्रति वर्ष 500 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना तथा जनता में प्रतिवर्ष 1.80 करोड़ बीजांकुर वितरित करना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 1,900 हेक्टेयर भूमि पर रोपण हेतु 55.32 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 1982-83 में 1,350 हेक्टेयर भूमि पर रोपण हेतु 50.00 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

15. परि-युक्त बनों का पुनर्वन रोपण पुनः प्रतिष्ठापन— इस योजना का उद्देश्य बंजर भूमि तथा पंचायत भूमि पर मिश्रित रोपण कार्य करना है। वर्ष 1981-82 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 847 हेक्टेयर भूमि पर रोपण के लिए 21.67 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 1982-83 के दौरान 20.00 लाख रुपये की लागत से 550 हेक्टेयर भूमि पर रोपण किया जायेगा।

16. धौलाधार क्षेत्र में प्रक्षेत्र वानिकी—यह नई परियोजना कांगड़ा जिले के धौलाधार क्षेत्र में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से प्रारम्भ की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य 8 वर्ष की अवधि के अन्दर बनों के अधीन क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत बढ़ाना तथा पशु जनसंख्या जिसमें भेड़ बकरियां भी सम्मिलित हैं, को 10 प्रतिशत घटाना है। इस कार्य पर इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 19.00 लाख रुपये की सहाय अनुदान राशि व्यय की जा चुकी है तथा वर्ष 1982-83 के लिये 20.00 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये हैं।

17. नर्सरी परियोजना (भारत-न्यूजीलैण्ड)—यह नई परियोजना न्यूजीलैण्ड की सहायता से प्रारम्भ की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य वेयर स्टेड नर्सरी तकनीकी का प्रदर्शन करना है। जिससे हिमाचल प्रदेश में प्रमुख कोनिफेरस प्रजाति के बीजांकुर पैदा किये जायेंगे। प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत चील-पाइन के बीजांकुर पैदा किए जायेंगे परन्तु बाद में देवदार, कैल, सप्रूस फर तथा न्योजे

के बीजांकुर को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा । इस कार्य के लिए वर्ष 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत 3.00 लाख रुपए व्यय किये गये तथा वर्ष 1982-83 में 5.00 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव है ।

18. **वानिकी विस्तार संगठन**—इस योजना का उद्देश्य वानिकी के लिए विस्तार संगठन की स्थापना करना है । यह एक नई योजना है जो 1981-82 में कार्यान्वित हुई है । इस वर्ष में 2.12 लाख रुपए व्यय किये गये और 1982-83 के लिए 12.00 लाख रुपये का प्रावधान है ।

19. **सड़क निर्माण**—बनों के कुशल प्रबन्ध तथा उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए एक बढ़िया संचार प्रणाली का होना पहली आवश्यकता है । वर्ष 1981-82 के दौरान 130 किलोमीटर सड़कों, रास्तों के निर्माण के लिए 21.21 लाख रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया था जिस में से 49 किलोमीटर सड़कों/रास्तों के निर्माण के लिए 20.40 लाख रुपए व्यय कर दिये गये ।

20. **भवन निर्माण**—वर्ष 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत खलिनी तथा चक्कर परिसरों में तथा अन्य वृत्तों में 111 भवनों के निर्माण हेतु 17.88 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है । वर्ष 1982-83 के दौरान खलिनी, चक्कर परिसरों तथा विभाग के अन्य विभिन्न वृत्तों में 87 भवनों के निर्माण के लिए 19.00 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव है ।

21. **कर्मचारियों तथा श्रमिकों को सुविधाएं**—इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को पेयजल सुविधा प्रदान करना तथा विभिन्न वन नर्सरियों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना है । वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न भवनों में पानी पहुंचाने तथा सैनिटरी फिटिंग करने के लिए 4.50 लाख रुपए की राशि व्यय की गई जब कि वर्ष 1982-83 में भवनों में पानी पहुंचाने, बिजली लगाने तथा सैनिटरी फिटिंग करने के लिए 4.00 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है ।

22. **प्रचार**—इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में प्रचार द्वारा लोगों को बनों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तथा उन के उचित प्रबन्ध के सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिए 4.58 लाख रुपए की राशि व्यय की गई । वर्ष 1982-83 में इस कार्य के लिए 8.00 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है ।

23. **राष्ट्रीय हिमाचल वन्य प्राणी उपवन विकास**—हिमाचल क्षेत्र के वन्य प्राणियों का प्रदर्शन करने के लिए शिमला में एक "हाई आल्टिच्यूड वन्य प्राणी उपवन" की स्थापना की जा रही है । इस पार्क की स्थापना पर वर्ष 1981-82 में 7.84 लाख रुपए व्यय किये गये तथा वर्ष 1982-83 में 8.00 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

24. **वन्य प्राणी शरणस्थलों सहित प्राकृतिक संरक्षण**—यह प्रदेश विभिन्न प्रकार के आखेटों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है । इस योजना का उद्देश्य आखेट शरण्यों तथा शूटिंग खण्डों में सुधार करना है ताकि लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके । वर्ष 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत जिला कुल्लू की सीलांग घाटी तथा जिला सिरमोर के रेणुका क्षेत्र में आखेट शरण्यों के विकास के लिए 7.74 लाख रुपये की राशि व्यय की गई । वर्ष 1982-83 में इस कार्य के लिए 9.00 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है ।

(भा) **जनजातीय उपयोजना**—प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वनों के विकास के लिए जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत निम्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

1. **वन सुरक्षा**—इस योजना का उद्देश्य वनों के अवैध कटाव, अतिक्रमण, अग्नि इत्यादि से रक्षा करना है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 1.04 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जब कि 1982-83 में टैलिफोन लाईनों के बनाने, अग्नि पक्षियों के फाटने तथा साफ करने पर 1.00 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे ।

2. **चरागाहों एवं चरान भूमि का विकास**—जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की अर्थव्यवस्था भेड़ी तथा बकरियों के अधि-पोषण पर आधारित होने के कारण चरागाहों का विकास तथा उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में लाना अति आवश्यक है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 136.50 हेक्टेयर भूमि पर चरागाहों के विकास के लिए 1.68 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जब कि वर्ष 1982-83 में 1.00 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है ।

3. **बबदार, फर, खैर, सप्रूस इत्यादि का परिचयात्मक रोपण**—इस योजना का उद्देश्य कैल, ज्यूनियर रोबिनिया इत्यादि महत्वपूर्ण देशी प्रजातियों का रोपण करना है । वर्ष 1981-82 में रोपण करने के लिए 3.75 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

4. **शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों का परिचयात्मक रोपण**— इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों के रोपण पर 176 हैक्टेयर क्षेत्र में 8.30 लाख रुपए का व्यय किया गया।

5. **प्रक्षेत्र वानिकी**—जिला लाहौल-स्पीति तथा किन्नौर भरमौर व पांगी क्षेत्रों के ऊपरी भागों में इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी तथा चारे के स्रोतों की बहुत अधिक कमी है। इस योजना का उद्देश्य गांव की निजी भूमि, बंजर भूमि तथा सड़कों के किनारे कूहल इत्यादि द्वारा सिंचाई की सुविधाएं, प्रदान कर, बिलों रोविनियां पोपलर हाइपोहा, केगियान क्विर कुसिलेक्स इत्यादि ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रजातियों का रोपण करना है। वन विभाग लोगों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के पेड़ों तथा घासों की कलमें व बीज प्रदान करके उनकी सहायता करता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान 88.5 हैक्टेयर भूमि पर रोपण हेतु 10.86 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

6. **कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सुविधाएं**—वर्ष 1981-82 के दौरान कर्मचारियों एवं श्रमिकों की बस्तियों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने तथा 22 भवनों में बिजली लगाने व सैनीटरी फिटिंग करने पर 1.07 लाख रुपए व्यय किये गये।

7. **सड़क निर्माण**— इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान 21 किलो मीटर सड़कों/रास्तों के निर्माण के लिए 1.75 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

8. **भवन निर्माण**—जनजातीय क्षेत्रों में कार्यालय भवनों, रिहायशी भवनों, विश्राम गृहों तथा निरीक्षण कुटीरों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1981-82 में तीन भवनों के निर्माण हेतु 1.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(इ) **केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं (50:50 का भाग) सामाजिक वानिकी एक बच्चे के लिए एक पेड़ सहित ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का रोपण**—यह एक नई योजना है। सरकारी व्यर्थ भूमि, गांव की सांझी भूमि और सड़कों के दोनों ओर इत्यादि में ईंधन की लकड़ी का

रोपण करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में "हर बच्चे के लिए पेड़" भी सम्मिलित होगा। इस कार्यक्रम के अनुसार जमींदारों और बच्चों को बिना मूल्य बीजांकुर उपलब्ध करवाए जायेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीजांकुर आदि उगावे के वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से पूरा किया जायेगा। इस योजना के अनुसार वर्ष 1981-82 में 1,549 हैक्टेयर क्षेत्र में 32.39 लाख रुपये (केन्द्रीय भाग सहित) व्यय किये गये। वर्ष 1982-83 के लिए इस कार्य हेतु 1,855 हैक्टेयर क्षेत्र में रोपण के लिए 31.00 लाख रुपये (केवल राज्य भाग) की राशि का प्रावधान है।

(ई) **केन्द्र द्वारा प्रायोजित वन योजनाएं**

चिलगोजा पाइन का पुनः प्रजनन (जनजातीय क्षेत्रों में)— चिलगोजे के जंगल, जिसके बीजों का खाने के रूप में बहुत महत्व है जिला किन्नौर के शुष्क क्षेत्रों तथा कुछ सीमा तक पांगी क्षेत्र में पाये जाते हैं। इनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 2,060 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को इन बीजों को इकट्ठा करने का अधिकार है जो कि उनकी आय का एक प्रमुख साधन है। वर्ष 1981-82 के दौरान 95 हैक्टेयर क्षेत्र में बाड़ लगाने, चिलगोजे की नर्सरी तैयार करने तथा नियोजा के बीज को बोने के लिए 2.50 लाख रुपए की राशि रखी गई है। वर्ष 1982-83 के दौरान 100 हैक्टेयर क्षेत्र में नियोजा बीज बोने के लिए 3.00 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है।

1982-83 के लिए योजना— वर्ष 1982-83 के दौरान जो कार्य करना है उसका वर्णन प्रत्येक योजना के अन्तर्गत पूर्व अनुच्छेदों में पहले ही कर दिया गया है।

2.7 **मत्स्य पालन**

हिमाचल प्रदेश की नदियों और झीलों में ताजा पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने से यैशानिक मत्स्य विकास की अधिक संभावना है जिससे यहां के लोगों के पूरक आहार की आवश्यकता तथा पर्यटकों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

प्रदेश में मत्स्य पालन के विभिन्न पहलुओं के समन्वित विकास के लिए, 12 योजनाएं जो छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) में सम्मिलित की गई हैं, वर्ष

1981-82 में चलती रही । चालू वर्ष की उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं :—

मद	इकाई	वर्ष 1981-82 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां अक्टूबर, 1981 तक	मार्च, 1982 तक सम्भावित उपलब्धियां	1982-83 के लिए लक्ष्य
1. मिरर कार्प का उत्पादन	दस लाख	4.00	3.70	4.00	4.50
2. ट्राउट के अण्डों का उत्पादन	लाख	8.00	—	8.00	8.00
3. पंजीकृत मछुए	संख्या	7,600	6,567	7,600	7,600
4. मछली उत्पादन	टन	2,500	1,462	2,500	2,600

जलाशयों से मत्स्य समुयोजन की नीति को वर्ष 1976-77 से नया रूप दिया गया । नई नीति के अनुसार जलाशयों से मछली पकड़ने का कार्य केवल सहकारी क्षेत्र द्वारा ही किया जा सकता है । मछली पकड़ने के लिए गोविन्द सागर जलाशय के लिए 9 प्रार्थमिक मछुआ सहकारी समितियां तथा पौंग बांध जलाशय के लिए 8 सहकारी समितियां गठित की गई हैं जो इन जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों का विपणन कर रही हैं । गोविन्द सागर जलाशय की समितियों के प्रत्येक मत्स्यजीवी सदस्य को मछली पकड़ने के लिए 60 रुपए प्रति वर्ष प्रति जाल लाईसेंस शुल्क देना पड़ता है जब कि ये सहकारी समितियां अपने कुल मछली विक्रय के सकल विक्रय का 10 प्रतिशत सरकार को शुल्क के रूप में देती हैं । पौंग बांध जलाशय में कोई लाईसेंस शुल्क नहीं लिया जाता परन्तु वहां की सहकारी समितियां अपने मछली विक्रय के सकल मूल्य का 15 प्रतिशत सरकार को शुल्क के रूप में देती हैं । इस प्रबन्ध के फलस्वरूप जलाशयों से मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है और साथ ही सरकार को अधिक राजस्व भी प्राप्त होने लगा है । सरकार की इन नीतियों के फलस्वरूप वर्ष 1976-77 से 1980-81 तक जलाशयों से मछली उत्पादन में तथा सरकार के राजस्व में जो वृद्धि हुई वह निम्न तालिका में दर्शायी गई है :—

वर्ष	जलाशयों से मछली	राजस्व प्राप्ति
	(मी० टन,)	(लाख रुपये)
1976-77	644.77	3.48
1977-78	971.00	4.34
1978-79	1,291.27	5.36
1979-80	1,312.00	6.38
1980-81	1,277.00	7.05

1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1982-83 के दौरान विभाग 35.00 लाख रुपये के उद्ब्यय से 12 योजनाएं कार्यान्वित करेगा जिस में से 3.50 लाख रुपये जन जातीय उपयोजना पर और 3.00 लाख रुपये विशेष अनुसूचित जाति कम्पौनेन्ट योजना पर व्यय किए जायेंगे ।

1982-83 के दौरान 45 लाख फिश फ्राई उत्पादन / खरीदने के अलावा 6 लाख ओवा को वर्तमान प्याम्सों से पैदा करने का प्रस्ताव है जिस से जलाशयों की मछली के बीजों की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। मछली का उत्पादन 2,600 टन होने का तथा पंजीकृत मछुओं की संख्या 7,600 होने की सम्भावना है। एक मत्स्य अधिकारी और एक मत्स्य उपनिरीक्षक के अतिरिक्त तीन अत्याशियों को सेंट्रल इनलैंड फिशरीज इन्स्टीच्यूट बैरकपुर तथा आगरा प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा। इस के अतिरिक्त 50 किसानों को मछली उत्पादन में प्रशिक्षित किया जायेगा। बेहात में दस हैक्टेयर भूमि पर रोके हुए जल को सुधारा जायेगा और मछली उत्पादन के अन्तर्गत लाया जायेगा। जन जातीय उपयोजना के अन्तर्गत मत्स्य उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण को 1982-83 में भी जारी रखा जायेगा। इस के अतिरिक्त जिला किन्नौर के सांगला में ड्राउट फार्म से 50,000 ड्राउट ओवा के उत्पादन का प्रावधान है।

2.8 भूमि का एकत्रीकरण

कृषि उत्पादन बढ़ाने में भूमि एकत्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस का महत्व हिमाचल जैसे राज्य में और भी अधिक है, जहां किसानों की जोतें छोटे छोटे टुकड़ों में बटीं तथा दूर दूर बिखरी हैं। इस कार्यक्रम के अत्याधिक महत्व के कारण, भूमि एकत्रीकरण कार्य को प्रदेश के अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में योजना तथा गैर योजना परियोजनाओं के अन्तर्गत बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। प्रदेश में यह कार्य कांगड़ा, हमीरपुर, मण्डी और ऊना जिलों में योजना परियोजनाओं के अन्तर्गत और बिलासपुर और सोलन जिलों के कुछ भागों में गैर-योजना परियोजनाओं के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।

वर्ष 1981-82 में गैर योजना परियोजनाओं के अन्तर्गत 10,000 एकड़ (4,047 हैक्टेयर) भूमि के एकत्रीकरण 40 पटवारियों द्वारा तथा योजना परियोजनाओं के अन्तर्गत 37,500 एकड़ (15,176 हैक्टेयर) क्षेत्र के एकत्रीकरण 150 पटवारियों द्वारा का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वास्तव में 117 पटवारियों ने ही कार्य किया फिर भी 29,250 एकड़ (11,837 हैक्टेयर) भूमि के एकत्रीकरण के लक्ष्य के विपरीत 37,177 एकड़ (15,045 हैक्टेयर) भूमि का एकत्रीकरण किया गया। प्रचलित वर्ष से एक नया पद अतिरिक्त निदेशक भू-एकत्रीकरण का भरा गया।

1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1982-83 से नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नए परिधि बन्दोवस्त कार्यालय खोलने की सम्भावना है।

2.9 भूमि सुधार

पिछले वर्ष की भांति ही शिमला (दक्षिण) तथा धर्मशाला (उत्तर) दोनों राजस्व मण्डलों द्वारा अनेक भू-सुधारों/कानूनों का कार्यान्वयन जारी रहा। इस वर्ष के दौरान उत्तरी व दक्षिणी मण्डलों द्वारा इन सुधारों/कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :—

1. हिमाचल प्रदेश सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग्स एक्ट, 1972—राष्ट्रीय मार्ग दर्शनानुसार बनाया गया "द. हि. प्र. सीलिंग एक्ट, 1972" हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई, 1973 से लागू है। उत्तरी मण्डल में ही इस कानून के लागू होने पर 1,621 मामले विचाराधीन लाये गये जिन में से 1,619 मामलों का निपटारा कर दिया गया है एवं बचे हुए 2 मामलों का निपटारा शीघ्र ही कर दिया जायेगा। इस कानून के कार्यान्वयन से 97,139.47 एकड़ भूमि को प्राधिकृत घोषित किया गया तथा सरकार को इसका अधिकार मिल गया। इसमें से 2,425.96 एकड़ भूमि 3,219 भूमिहीनों व पात्र लोगों को इस मण्डल में बांटी गई। दक्षिणी मण्डल में 1,092 मामलों में से दिसम्बर, 1981 तक 1,086 मामलों का निपटारा कर दिया गया था तथा बचे हुए 6 मामले विचाराधीन हैं व इन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

2. भूमिहीनों व पात्र लोगों में भूमि का आबंटन—भूमिहीन एवं पात्र व्यक्तियों में भूमि के आबंटन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। भूमिहीन व भूमि आबंटन का जिला-वार विवेचन नीचे किया गया है :—

जिला	भूमि प्राप्तकर्ता भूमिहीन व पात्र व्यक्तियों की संख्या	अर्वांति क्षेत्र (एकड़)
1	2	3
उत्तरी मण्डल (14-11-81 तक)		
1. कांगड़ा	19,846	14,173
2. कुल्लू	7,037	4,059

1	2	3
3. हमीरपुर	7,687	5,745
4. ऊना	8,503	8,244
5. मण्डी	13,882	11,863
6. चम्बा	6,356	5,813
7. लाहौल-स्पीति	469	185
दक्षिण मण्डल (31-12-1981 तक)		
8. सोलन	148	108
9. सिरमौर	328	255
10. बिलासपुर	490	265
11. किशोर	8	3
12. शिमला	561	326

3. नये भूमि प्राप्त कर्ताओं को वित्तीय सहायता— नये भूमि प्राप्त कर्ताओं के लिए भूमि समतल करने, बेल खरीदने तथा भूमि सुधार आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 1981-82 के दौरान उत्तरीय मण्डल द्वारा 9.39 लाख रुपये तथा दक्षिण मण्डल द्वारा 0.67 लाख शीर्ष 704—ब्याज मुक्त ऋण तथा 1.91 लाख शीर्ष 705—बागवानी के अतिरिक्त अन्य ऋण की 31 दिसम्बर, 1981 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

4. गैर मौरूसी मुजारों को स्वामित्व अधिकार—हिमाचल प्रदेश काश्तकार व भू-सुधार अधिनियम, 1972 का अध्याय गैर मौरूसी मुजारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति का मण्डल-वार संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है :—

उत्तरी मण्डल:—नवम्बर, 1981 तक, 3,08,184 पहिचानित गैर मौरूसी मुजारों में से 2,62,029 को स्वामित्व अधिकार प्रदान किये गये तथा अब शेष गैर मौरूसी मुजारों की संख्या 46,155 है। यह शेष इस कारण रहा क्योंकि इन मामलों में भू-स्वामी या तो अव्यस्क, विधवा, रक्षा कर्मचारी या फिर अन्य अयोग्य व्यक्ति हैं। वैसे भू-स्वामियों के मुजारे उसे ही

पात्र बनते हैं वैसे ही उन्हें स्वामित्व के अधिकार दे दिये जायेंगे।

दक्षिण मण्डल—दक्षिण मण्डल में 1,19,008 गैर मौरूसी मुजारे थे। 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 के दौरान 16,880 गैर-मौरूसी मुजारों को स्वामित्व अधिकार दिये गये। इस प्रकार अब तक स्वामित्व अधिकार प्राप्तकर्ता गैर-मौरूसी मुजारों की संख्या बढ़ कर 1,06,872 हो गई। शेष गैर मौरूसी मुजारों को अधिकार में जो भूमि है वह या तो अव्यस्कों या विधवाओं या फिर रक्षा कर्मचारियों की है तथा इस प्रकार से इन्हें स्वामित्व अधिकार नहीं दिये जा सकते।

5. हिमाचल प्रदेश विलेज कामन लैंड (वेस्टिंग एण्ड युटिलाईजेशन (अधिनियम), 1974 तथा नियम—इस अधिनियम के लागू होने से सारी शामिल भूमि कुछ एक मापियों को छोड़कर, राज्य सरकार के स्वामित्व में आ गई है। उक्त अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि गांव के सामान्य उपयोग के लिए सुरक्षित रख ली गई है जबकि शेष 50 प्रतिशत भूमि हीनों व पात्र लोगों में वितरण के लिए रखी है। इस “बांटे जाने वाली भूमि भण्डार” से बिना वनों वाली भूमि को पात्र लोगों में बांटा गया है। क्योंकि सरकार के स्वामित्व में सौंपी गई अधिकार भूमि पर जंगल उगे हैं। अतः इन अधिकारियों से ऐसी भूमि के स्वामित्व हस्तान्तरण की वार्ता चल रही है। इस कार्य के लिए वन विभाग एक सर्वेक्षण कर रहा है तथा जैसे ही यह कार्य पूर्ण होता है स्वामित्व अधिकार उन से ले लिया जायेगा।

6. किसान पास-बुकों का वितरण—किसान पास-बुकों के वितरण का ब्यौरा मण्डल-वार नीचे दिया गया है :—

उत्तरी मण्डल—इस वर्ष के दौरान 1,82,237 “किसान पास-बुक्स तैयार की गई तथा 1,75,861 किसान-पास बुक्स” को स्वामित्व का अधिकार रखने वालों में वितरित किया गया।

दक्षिणी मण्डल—इस मण्डल में 1 जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 तक 12,583 किसान पास बुक्स तैयार की गई तथा 10,186 को पट्टेदारों में बांटा गया।

7. अबैध कब्जों का हटाना—इस मद के अन्तर्गत मण्डलवार ब्यौरा संक्षिप्त रूप से नीचे दिया गया है :—

उत्तरी मण्डल—वर्ष 1981 के दौरान पिछले वर्ष के शेष मामलों सहित सरकारी भूमि पर अबैध कब्जों के

के 3,943 मामलों का पता लगाया गया जिस में से 1,437 मामले निपटा दिये हैं। बचे हुए मामले शीघ्र ही निपटा दिये जायेंगे।

दक्षिण मण्डल—1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के 1,261 मामलों का पता लगाया जिस में से कुल निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या बढ़ कर 1,865 तक पहुंच गई। इन में से 883 मामलों से अवैध कब्जा खाली करवा लिया गया तथा आशा है कि 982 बचे हुए मामले शीघ्र ही निपटा लिए जायेंगे।

8. राजस्व मामलों का निपटारा—वर्ष 1981-82 के दौरान नवम्बर, 1981 तक 34,987 विभिन्न प्रकार के राजस्व मामले निपटाने हेतु प्राप्त हुए जिनमें राजस्व अधिकारियों द्वारा 28,752 मामले निपटा दिये गये हैं तथा अब उत्तरी मण्डल में 6,235 शेष बचे हैं।

दक्षिणी मण्डल में 30 नवम्बर, 1981 तक 4,513 मामले निपटाने हेतु बाकी थे। विभिन्न राजस्व अधिकारियों अदालतों में 30 नवम्बर, 1981 तक 16,171 मामले दर्ज हुए जिससे कुल मामलों की संख्या 20,684 हो गई। इनमें से 15,177 मामले निपटा लिए गये हैं।

9. हाऊस साईट्स—उत्तरी मण्डल में इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से अब तक 4,025 बिना मकान वाले व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए जगह दी गई।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—भूमि कार्यान्वयन जारी रहेगा। सरकारी व्यर्थ, भूमि व शामिल भूमि को विभिन्न चरणों में बांटने, किसान पास-बुकस को बांटने तथा अवैध भूमि के कब्जे को खाली कराने आदि के कार्य में वर्ष 1982-83 में अधिक प्रगति की जायेगी।

3. सहकारिता एवं ग्रामीण एकीकरण विकास

3.1 सहकारिता

सहकारिता आन्ध्रप्रदेश हिमाचल प्रदेश में संगठित तथा विकसित रूप में प्रदर्शित हुआ है। प्रदेश में भिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 30 जून, 1981 तक 3,368

थी। इनमें से 2,166 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ थीं जो कि पूरे प्रदेश में कार्यरत थीं।

हिमाचल प्रदेश में सहकारिता प्रगति का स्तर निम्नलिखित आंकड़ों से आंका जा सकता है :—

क्रम सं.	विषय	यूनिट	1979-80	1980-81
1	समस्त प्रकार की समितियाँ	संख्या	3,487	3,368
2	सदस्य संख्या	लाखों में	7.10	7.21
3	अंश पूंजी	लाख रुपयों में	1,338.24	1,554.09
4	जमा पूंजी	लाख रुपयों में	4,514.78	5,258.51
5	अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण दिए गए	लाख रुपयों में	615.95	782.20
6	दीर्घ कालीन ऋण दिए गए	लाख रुपयों में	29.17	29.90
7	समितियों द्वारा कृषि उपज का विभिन्न स्तरों पर विपणन	लाख रुपयों में	506.73	490.34
8	समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का फुटकर वितरण	लाख रुपयों में	734.54	1,358.12
9	समितियों द्वारा उर्वरक का विभिन्न स्तरों पर वितरण	लाख रुपयों में	405.60	426.75
10	समितियों द्वारा कुल विपणन	लाख रुपयों में	731.72	732.39
11	ग्रामीण जनसंख्या का इन समितियों द्वारा आवरण	प्रतिशत	85	85

सहकारिता को प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अभी काफी योगदान देना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष की गई प्रगति का नीचे उल्लेख किया गया है।

1. सहकारी ऋण — भारतीय ग्रामों के विकास कार्यक्रम हेतु सहकारी समितियाँ दूसरी संस्थाओं के मेल से ऋण वितरण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान का काम कर रही हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण ध्येय आर्थिक रूप में मजबूत और सुदृढ़ सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना है, ताकि छोटे किसानों मजदूरों तथा उपभोक्ताओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकें। इसी कारण कृषि

ऋण सहकारी समितियों के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी गई और यह कार्य प्रदेश में अभी तक चल रहा है। कृषि उद्योगों के लिए किसानों को दीर्घकालीन ऋण हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय भूमि विकास बैंक व कांगड़ा प्राथमिक भूमि विकास बैंक (सीमित) धर्मशाला द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

2. विपणन — हिमाचल प्रदेश में बीज के आलू, चाय, अदरक तथा सेब जैसी नगदी फसलों को अत्याधिक मात्रा में प्रदेश से बाहर भेजने की क्षमता है। प्रदेश की सहकारी समितियाँ इन वस्तुओं के विपणन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

3. उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण—आर्थिक सहकारी समितियां उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में सबसे अधिक उपयुक्त अभिकरण है (विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों में)।

4. उत्पादित वस्तुओं का वितरण (सप्लाई आफ इन-पुट्स)—कृषि आदान देने से कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहकारी समितियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। चालू वर्ष में किसानों को कृषि आदान जैसे: उर्वरक तथा अच्छे बीज बांटे गए। वर्ष 1981-82 के अन्तर्गत इन सहकारी समितियों ने 450.00 लाख रुपये मूल्य के उर्वरक तथा बीज किसानों को बांटे।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1981-82 में शुरू की गई योजनाओं को और तीव्रता से चलाया जायेगा, जिस से सहकारिता के लिए रखे गए लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

3.2 ग्रामीण एकीकरण विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रम जोकि ग्रामीण एकीकरण विकास के नाम से जाना जाता है, को इस प्रदेश में 2 अक्टूबर, 1952 को आरम्भ किया गया था। जिस का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक प्रगति उपलब्ध करवाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भरसक कदम उठाये तथा आज हिमाचल प्रदेश में 69 विकास खण्ड कार्यरत हैं। मुख्य उद्देश्य जिन्हें ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग पूरा करना चाहता है निम्नलिखित हैं:—

- (i) अधिक उत्पादन ;
- (ii) अधिक रोजगार ;
- (iii) आय का ज्यादा बराबर वितरण ;
- (iv) ग्रामीणगरीबों पर ज्यादा निवेश ; तथा
- (v) ग्रामीणों में निम्नलिखित बातों में अधिक जागृति ;

- (अ) स्वास्थ्य एवं सफाई ;
- (ब) पौषाहार, तथा
- (ख) सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम।

उपरलिखित उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग ने बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्ष 1981-82 में निम्नलिखित कार्यक्रम जारी रहे:—

1. सामुदायिक विकास—इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव वालों की सहायता से ग्रामीणों का एकीकृत विकास करना है। ग्रामीण एकीकरण विकास पुराने सामुदायिक विकास कार्यक्रम

के समान ही योजनावद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। वर्ष 1981-82 का उद्ब्यय तथा 31 मार्च, 1982 तक के प्रत्याशित व्यय को नीचे दर्शाया गया है:—
(लाख रुपयों में)

1981-82 का उद्ब्यय	1981-82 का प्रत्याशित व्यय
1	2
47.28	47.28

वर्ष 1981-82 के दौरान (सामुदायिक विकास के अन्तर्गत) कार्यों को कार्यरत करने का कार्यक्रम निम्नलिखित है:—

शिक्षा—प्राइमरी स्कूलों के भवनों आदि का निर्माण करना।

समाज-शिक्षा—सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ग्रामीण खेलकूद का आयोजन करना।

यातायात (सड़कें)—कच्ची सड़कों तथा खच्चर मार्गों का निर्माण करना।

मिश्रित कार्यक्रम—महिला मंडलों तथा युवक मंडलों को उन्नत करना तथा सुदृढ़ बनाना, महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, महिला मंडलों को उत्साहबर्धक पुरस्कार देना, गैर-सरकारी लोगों के सम्मेलन का आयोजन इत्यादि करना।

आवास—क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के आवास का प्रबन्ध करना तथा भवनों का निर्माण इत्यादि करना।

इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वन सम्पत्ति के संरक्षण तथा नई तकनीक के परिचय का कार्य भी किया जा रहा है। गोबर गैस प्लांट को लगाने के लिए 4.00 लाख रुपये का प्रावधान है। पशुपालन फार्मों में इस किस्म के पांच प्लांट तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 50 ऐसे प्लांट लगाये गये हैं।

2. लघु सिंचाई—वर्ष 1981-82 के दौरान लघु सिंचाई के लिए 25.00 लाख रुपये की राशि रखी गई थी जिससे 1,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाना था। वर्ष 1981-82 के दौरान 25.00 लाख रुपये (अनुमानतः) इस पर व्यय किये गये।

3. जन स्वास्थ्य तथा जल पूर्ति:—वर्ष 1981-82 के दौरान 126 हैमलैट जिन में 6,400 व्यक्ति हैं, के लिए पीने योग्य पानी पहुंचाने के लिए 25.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 1981-82 के दौरान अनुमानतः 24.68 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

4. व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम—व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम मूलतः शिक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के खान-पान में परिवर्तन लाना है। मुख्यतः इस कार्यक्रम में कुक्कुट इकाइयों को स्थापित करना, घर आंगन में सब्जी उगाना, कमजोर वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती माताओं के लिए पोषिक आहार उपलब्ध करवाना है। वर्ष 1981-82 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख रुपये का उद्घोष रखा था जोकि व्यय किया जा चुका है। पांच खंडों (रोहड़ू, गोपालपुर, नालागढ़, नूरपुर तथा मैहला) और नये विकास खण्ड इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए हैं। अब तक कुल 49 खण्डों में इस प्रकार का विकास कार्य किया जा चुका है।

5. केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम

(i) ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम—इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस वर्ष हर खण्ड में से पहचाने हुए ग्रामीण समूह में से 600 परिवारों (जोकि निर्धनता की रेखा से नीचे हैं) को ऊपर लाने का तथा काफी अधिक रोजगार बढ़ाने का है। यह कार्यक्रम केन्द्र के साथ 50 : 50 अनुपात के आधार पर चलाया जा रहा है। वर्ष 1981-82 के दौरान 207.00 लाख रुपये जोकि राज्य योजना के लिए निश्चित किया गया था, में से 161.10 लाख व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान 41,400 ग्रामीण निर्धन परिवारों को सुख सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य था जिसमें से 34,877 परिवारों को वास्तव में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त 14,952 लाभान्वित होने वाले मामले विभिन्न बैंक शाखाओं में ऋण स्वीकृति के लिए पड़े थे तथा इस प्रकार लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या 1981-82 के दौरान 49,829 बनती है। इन गांवों में से पहचाने गए परिवारों के इच्छुक नवयुवकों को “स्वयं रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण” के अन्तर्गत दक्ष व्यक्तियों के साथ “काम खुद करके सीखना मुफ्त प्रशिक्षण देना” भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस वर्ष 2,760 ऐसे नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाना था। वर्ष 1981-82 के मार्च, 1982 तक 3,076 युवक प्रशिक्षण ले रहे थे तथा 2,056 नवयुवकों ने अपने आप को विभिन्न व्यवसायों में जिनमें उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, स्थापित कर लिया है।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम —इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों को जिस समय खेतों पर काम नहीं होता, को रोजगार देना है तथा सामुदायिक सम्पत्ति जैसे कि स्कूल के भवनों का निर्माण, ग्रामीण सड़कें, तथा पंचायत घर इत्यादि बनाना है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981-82 के दौरान सामाजिक बनोत्पत्ति की योजना कार्यान्वित रही तथा दो लाख से अधिक पशुओं के लिए घास तथा फल पौधे को विभिन्न विकास खण्डों में भली प्रकार से बाड़ किये गये क्षेत्रों में बीजा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 12,50,000 कार्य दिवस उत्पादित करने का प्रस्ताव था जिसके बदले में 1981-82 के दौरान एन. आर. ई. पी. के नकदी वाले भाग से ही 12,38,500 कार्यदिवस उत्पन्न किये गये। इस कार्यक्रम पर 120.00 लाख रुपये निम्न कार्यों पर व्यय किये गये :—

- 148 स्कूल भवन,
- 45 पंचायत घर,
- 9 सामुदायिक केन्द्र,
- 18 पुल,
- 7 गलियों का पक्का करना 57 बावाड़ियां/कुएं,
- 8 सिंचाई कुलें,
- 9 पशु तालाब तथा
- 75 सामुदायिक वन परियोजनाएं।

(iii) स्पिति क्षेत्र में मरुस्थल विकास योजना—यह कार्यक्रम लाहौल-स्पिति जिले के स्पिति खण्ड में केन्द्र द्वारा 50 : 50 अनुपात के आधार पर 1979-80 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मरुस्थल को कम करना, कृषि, उद्यान, पशु-पालन, मत्स्यपालन, भूमि संरक्षण, बन-रोपण, सिंचाई आदि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम पर राज्य के भाग से 32.88 लाख रुपये व्यय किये गये। उपर बताए गये व्यय के अतिरिक्त वर्ष 1980-81 में इस कार्यक्रम पर व्यय करने के लिए दिए गए 3.00 लाख रुपये भी चालू वित्त वर्ष में व्यय कर दिए गए हैं। इस कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार से स्पिति खण्ड के स्तर पर प्राप्त अतिरिक्त सहायता मिलने पर वर्ष 1982-83 में किन्नौर जिले के पूह खण्ड में भी कार्यान्वित करने की सम्भावना है।

वर्ष 1982-1983 के लिए योजना —प्रदेश के सभी 69 विकास खंड द्वितीय चरण में कार्य कर रहे हैं। निर्धनता को कम करने के लिए वर्ष 1982-83 में अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ इसे भी जारी रखा जाएगा।

3.3 पंचायतें

भारत जैसी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं द्वारा गांवों के उत्थान के लिए ग्रामीण लोगों में सामुदायिक भावनाएं पैदा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के विकासशील तथा न्यायिक कार्य सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। इस समय राज्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत 2,355 ग्राम पंचायतें, 69 पंचायत समितियां और एक जिला परिषद् कार्यरत है। नवम्बर, 1978 को ग्राम पंचायतों के निर्वाचन हुए थे। पंचायत समितियों और जिला परिषद् के निर्वाचन करवाने का कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है।

पंचायतों के पदाधिकारियों की प्रशिक्षण देने के विचार से ताकि वे अपना कार्य कुशलता से कर सकें प्रथम चरण में प्रधानों तथा उप-प्रधानों की बैजनाथ तथा मशोबरा प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण देने का आयोजन किया गया और दूसरे चरण में पंचों को 1 वर्ष 1981-82 में 7 प्रधानों 6 उप-प्रधानों और 4,283 पंचों को प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों का बहुमुखी विकास करने के लिए पंचायती राज संस्थाएं भरसक और यथार्थ प्रयत्न कर रही हैं। 1981-82 के पंचायती राज संस्थानों ने निम्नलिखित विकास एवं न्यायिक कार्य किए :—

(क) विकास कार्य—

	पंचायतों द्वारा	पंचायत समितियों द्वारा
1. सड़कों का निर्माण (कि. मी.)	584	184
2. सड़कों की मुरम्मत (कि. मी.)	617	59
3. ग्रामीण रास्तों का निर्माण (कि. मी.)	1,308	307
4. ग्रामीण रास्तों की मुरम्मत (कि. मी.)	2,992	217
5. कूहलों का निर्माण (कि. मी.)	214	94
6. कूहलों की मुरम्मत (कि. मी.)	1,204	90
7. बावड़ियों का निर्माण (संख्या)	273	125
8. बावड़ियों की मुरम्मत (संख्या)	1,494	66
9. पेय जल योजनाओं का निर्माण (संख्या)	291	130
10. पेय जल योजनाओं की मुरम्मत (संख्या)	159	24

	पंचायतों द्वारा	पंचायत समितियों द्वारा
11. तालाबों का निर्माण (संख्या)	374	—
12. तालाबों की मुरम्मत (संख्या)	177	—
13. सिंचाई के तालाबों का निर्माण (संख्या)	—	—
14. स्कूल भवनों का निर्माण (संख्या)	278	94
15. स्कूल भवनों की मुरम्मत (संख्या)	422	66
16. पुलों और पुलियों का निर्माण (संख्या)	215	69
17. पुलों और पुलियों की मुरम्मत (संख्या)	323	—
18. नालियों को पक्का करना (संख्या)	—	40
19. खाद के गड़े खोदे गए (हजार)	66	—
20. वृक्षारोपण (लाख)	29	—
21. बालबाड़ी केन्द्र स्थापित (संख्या)	—	297
22. सिंचाई केन्द्र स्थापित (संख्या)	—	244
23. महिला मंडल स्थापित (संख्या)	—	582
24. युवक केन्द्र स्थापित (संख्या)	—	288
25. मनोरंजन केन्द्र स्थापित (संख्या)	—	—
(ख) न्यायिक कार्य—		
1. 1980-81 में पिछले शेष मामलों/मुकद्दमों की संख्या	6,462	—
2. वर्ष में दायर किए गए मामलों/मुकद्दमों की संख्या	10,215	—
कुल	16,677	—
3. वर्ष में निपटाए गए मामलों/मुकद्दमों की संख्या	11,231	—
4. शेष मुकद्दमों (संख्या)	5,446	—

वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 18.00 लाख रुपये की राशि निम्नलिखित योजनाओं के लिए आवंटित की गई :—

1. लाभकारी सम्पत्तियों का निर्माण—इस योजना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को बगीचे लगाने, स्टाल/दुकान, रिहाइशी भवन आदि बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई। इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 1982 तक 1.50 लाख रुपये चार पंचायती राज संस्थाओं को ऋण के रूप में दिए गए।

2. पंचायती राज संस्थाओं की कर वृद्धि के लिए उतने ही प्रोत्साहन की सहायता—इस योजना के अन्तर्गत 1981-82 के लिए 5.93 लाख रुपये की राशि एकत्र करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहायता के रूप में स्वीकृत की गई। मार्च, 1982 तक 5.85 लाख रुपये इस योजना के लिए व्यय किए गए।

3. शिमला में पंचायत भवन का निर्माण—शिमला में पंचायत भवन के निर्माण के लिए 1.00 लाख रुपये के उद्ब्यय के विपरीत 5.59 लाख रुपये मार्च, 1982 तक इस योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।

4. पंचायत घरों का निर्माण—वर्ष 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत 9 पंचायत घरों का निर्माण करने के लिए 2.00 लाख रुपये का प्रावधान है जिस में से 25 हजार रुपये जनजातीय क्षेत्र में प्रति पंचायत घर और 20 हजार रुपये प्रति पंचायत घर अन्य क्षेत्रों में रखे गये हैं। मार्च, 1982 तक 19 पंचायत घरों के निर्माण/मुरम्मत के लिए 3.08 लाख रुपये व्यय किए गए।

5. पंचायत पुस्तकालयों के लिए सहायता—इस योजना के अन्तर्गत 0.60 लाख रुपये पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को खरीदने के लिए निर्धारित किए गए। अक्टूबर 1981 तक यह सभी राशि व्यय कर दी गई।

6. सम्मेलनों/सम्मिनारों का आयोजन—इस योजना के अन्तर्गत 0.30 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है जिसमें से मार्च, 1982 तक कुछ भी व्यय नहीं किया गया।

7. पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता—इस योजना के अन्तर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर सर्वोत्तम पंचायतों को पुरस्कार देने हेतु 0.27 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सर्वोत्तम पंचायतों को क्रमशः 7,000, 5,000, और 3,000 रुपये के पुरस्कार दिये जाते हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला की सर्वोत्तम पंचायत को 1,000 रुपये के पुरस्कार की राशि दी जाती है। मार्च, 1982 तक इस योजना के अन्तर्गत 0.27 लाख रुपये व्यय किये गये।

8. समिति कार्यालय भवनों का निर्माण—इस योजना के अन्तर्गत 1.31 लाख रुपये का प्रावधान है तथा मार्च, 1982 तक 1.00 लाख रुपये व्यय किए जा चुके थे।

9. पंचायत प्रशिक्षण संस्थान मशोवरा तथा वैजनाथ के लिए भवन निर्माण—मार्च, 1982 तक इस योजना पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया जबकि भवन निर्माण/मुरम्मत के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान है। इस राशि को पंचायत भवन, शिमला को बनाने के लिए हस्तान्तरित कर दिया गया।

10. पंचायत समिति कार्यालयों को चलाने के लिए प्रतिपालन सहायता—पंचायत समिति कार्यालयों की वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए मार्च, 1982 तक 20 पंचायत समितियों को 5,000 रुपये प्रति पंचायत समिति की दर से 1.00 लाख रुपये की प्रस्तावित राशि स्वीकृत कर दी गई।

“जिला परिषद् के अतिरिक्त कार्य से निपटने के लिए जिला कार्यालयों को सुदृढ़ बनाना” इस योजना के लिए 2.09 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है, जिस के अन्तर्गत 6 में से 4 मुख्य लिपिकों के स्थान भर दिए गए हैं।

1982-83 के लिए योजना—न्याय के विभिन्न कार्यों को निपटाने के साथ-साथ उपर्युक्त विकास सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 18.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है।

4. बहुमुखी परियोजनाएं तथा विद्युत

4. 1. बहुमुखी परियोजनाएं तथा विद्युत—

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में जल विद्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमाचल प्रदेश में प्रायः कभी समाप्त न होने वाले जल विद्युत उत्पादन के संभाव्य साधन हैं। इसकी तुलना में अन्य साधन जल्दी समाप्त होने वाले तथा अधिक महंगे भी हैं। प्रदेश में कृषि और उद्योग के तीव्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और बिजली के इच्छुक समीप के राज्यों को फालतू बिजली बेच कर राजस्व कमाने के विचार से हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड विभिन्न प्रकार की जलविद्युत परियोजनाओं की जो सुगमता से पाई जा सके, के निष्पादन तथा अन्वेषण की सर्वाधिक प्राथमिकता दे रहा है। इसके साथ साथ ग्रामीण विद्युतीकरण और

औद्योगिकरण की विकास की दर तेज करने के लिए सारे प्रदेश में विद्युत वितरण प्रणाली के विकास का कार्य भी चल रहा है।

1. विद्युत उत्पादन—

(क) चालु विद्युत गृह—मार्च, 1981 के अन्त में हिमाचल प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता 128.78 मैगावाट थी। विद्युत उत्पादन पूरी तरह पानी की उपलब्धता पर आश्रित है। तीन वर्ष के उत्पादन का व्यौरा निम्न प्रकार है :—

(दस लाख यूनिटों में)

उत्पादक स्थान	1980-81 (वास्तविक)	1981-82	1982-83 (प्रस्तावित)
1	2	3	4
1. गिरी ..	76.173		250.000
2. बस्सी (45 मैगावाट) तथा बस्सी आगमैन्टेशन (15 मैगावाट) 1982-83 ..	149.970	431.600	250.000
3. लघु सैट तथा अन्य ..	18.793		25.000
योग ..	244.936	431.600	525.000

वर्ष 1980-81 में बिजली उत्पादन में कमी इसलिए आई कि गिरी का विद्युतगृह लगभग 5 महीने तक बन्द रहा। क्योंकि बाढ़ ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया। बस्सी विद्युत गृह में भी उत्पादन कम रहा क्योंकि शानन विद्युत गृह की क्षमता वृद्धि कार्य चल रहा था इसलिए पानी की कमी रही। अब पी. एस. ई. बी. ने शानन क्षमता वृद्धि का कार्य पूरा कर लिया है, अतः 15 मैगावाट की अतिरिक्त स्थापित क्षमता वाले बस्सी आगमैन्टेशन में 1982-83 में उत्पादन शुरू हो जायेगा।

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाएं—

1. रौमटोंग जल विद्युत परियोजना : (2 मैगावाट)— यह परियोजना जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 2 मैगावाट है जिला लाहौल स्थिति की स्थिति घाटी की 12,000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। यह परियोजना 1976 में स्वीकृत की गई थी और उस समय इसकी अनुमानित लागत 2.81 करोड़ रुपये थी जिस का नवीनतम अनुमान 6.79 करोड़ रुपये का है।

मार्च, 1985 को पूरी हई जाने पर यह परियोजना 8.87 मिलियन युनिट विद्युत का वार्षिक उत्पादन करेगी। वर्ष 1982-83 के दौरान इस परियोजना पर 120.00 लाख रुपये व्यय होने का प्रस्ताव है।

2. संजय विद्युत परियोजना (भाबा) (120 मैगावाट)— इस परियोजना का कार्य 1977-78 में आरम्भ हुआ था। इस परियोजना की नवीनतम परिशोधित लागत 68.60 करोड़ रुपये है। 1985-86 में इस परियोजना की प्रथम उत्पादन इकाई चालू होने की संभावना है। पूरी होने पर यह परियोजना 435 मिलियन युनिट बिजली वार्षिक पैदा करेगी। वर्ष 1982-83 में 7.00 करोड़ रुपये इस परियोजना पर व्यय होने का प्रस्ताव है।

3. आन्द्रा जलविद्युत परियोजना (15 मैगावाट)— यह परियोजना जिला शिमला की रोहड़ तहसील में वर्ष

1978-79 में आरम्भ की गई थी। इस परियोजना की नवीतम संशोधित लागत 21.43 करोड़ रुपये है। पूरा होने पर यह परियोजना 87 मिलियन यूनिट विद्युत का वार्षिक उत्पादन करेगी। वर्ष 1982-83 के दौरान 3.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने का प्रस्ताव है। संशोधित अनुमानों के अनुसार इस परियोजना के मार्च 1984 में चालू होने की आशा है।

4. बिनवा जल-विद्युत परियोजना (6-मैगावाट) —

जिला कांगड़ा में स्थित इस परियोजना का कार्य 1977-78 में आरम्भ किया गया था। इस परियोजना की नवीतम संशोधित लागत 9.84 करोड़ रुपये है। जब जुलाई, 1983 में यह पूरी हो जायेगी तो 30 मिलियन यूनिट विद्युत का वार्षिक उत्पादन हुआ करेगा। वर्ष 1982-83 के दौरान 3.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने का प्रस्ताव है।

5. नई योजनाएं—

(क) नाथपा झाकड़ी (1020 मैगावाट) —

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के तत्वावधान में हिमाचल, हरियाणा तथा केन्द्रीय सरकारों में एक तीन पक्षीय समझौता हुआ जिसके अनुसार 1020 मैगावाट की गौरवशाली नाथपा झाकड़ी परियोजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। हिमाचल ने पहले ही प्रारम्भिक स्तर का काफी काम कर लिया है। हाल ही में स्विटजरलैंड के ब्राउन बावरी नामक एक शिष्टमंडल ने इस उद्देश्य से परियोजना स्थल का निरीक्षण किया कि क्या सात-आठ वर्षों के भीतर परियोजना पूर्ण करने की अवधि को कम किया जा सकता है। इस दल ने बताया कि परियोजना स्थल की स्थिति बहुत ही सुविधाजनक स्थान पर होने के कारण इसे पांच वर्षों के भीतर पूर्ण किया जा सकता है, वास्तव में वे भारत सरकार को एक योजना प्रस्तुत करेंगे जिसके अनुसार परियोजना टार्न-की-वैसिज पर तकनीकी एवं वित्त सुविधा उपलब्ध की जायेगी।

छठी पांच वर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली नई योजनाओं एवं परियोजनाओं का आरम्भिक कार्य भी हिमाचल प्रदेश राज्य विजली बोर्ड द्वारा आरम्भ कर दिया गया। उन नई परियोजनाओं में जिनकी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में थिरोट (3 मैगावाट), खोली (10 मैगावाट), वस्सी तृतीय चरण (60 मैगावाट), किलार (0.2 मैगावाट), तथा साल प्रथम वद्वितीय चरण (20 मैगावाट), शामिल है।

बनेर परियोजना (6 मैगावाट) जिस की अनुमानित लागत 7.21 करोड़ रुपये है, की योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है और 1982-83 में इस परियोजना का कार्य आरंभ किया जा सकता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 10.5 मैगावाट की गज परियोजना तथा 4.5 मैगावाट की नियोगल परियोजना की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) प्रेषण तथा वितरण प्रणाली — विभिन्न बिजली घरों के एकीकृत संचालन तथा उद्योगों व ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विद्युत उपलब्ध करवाने के लिये प्रेषण तथा वितरण प्रणाली का विस्तार अति आवश्यक है। अधिक ओल्टेज की प्रेषण लाइनों की टी. एन. डी. हानि को कम करने में सहायक है। निम्न मुख्य प्रेषण लाइनों का कार्य प्रगति पर है:—

प्रेषण लाइन	पूर्ण होने की संभावित तिथि
132 के. बी. गिरी-सोहलन	3/83
„ डेहर-हमीरपुर	3/84
„ सौलन-शिमला	3/84
„ हमीरपुर-कांगड़ा	3/85
„ गिरी-पावटा	3/85
„ जसूर-डलहौजी	3/84
66 के. बी. जुतोग-भावा	3/83
22 के. बी. जसूर-सवस्टेशन	3/84

माजरी से अब्दुल्लापुर की 132 के. प्रेषण वी.लाइन और डेहर से शिमला की 132 के. बी. प्रेषण लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त 132 के. बी. सब-स्टेशन जतोग चालू हो गया है।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण — हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बसे कम आबादी वाले गांव हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण एक अत्यन्त कठिन व खर्चीला कार्य है। प्रदेश के 16,916 बसे हुए गांवों में से मार्च, 1982 तक 11,217 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था चालू विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत 63.3 है। इसके अतिरिक्त मार्च, 1982 तक 1,931 पम्प सैटों को बिजली पहुंचाई गई है।

अन्वेषण—प्रदेश में उपलब्ध विशाल जल विद्युत क्षमता का लाभ उठाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बहुत सीदियों के विस्तृत अन्वेषण का कार्य किया जाए। ताकि आवश्यकता अनुसार निष्पादित करने के लिए बहुत सी जल परियोजनाएँ तैयार हो सकें। सारी परियोजनाओं का अन्वेषण का कार्य जारी रहा। कुछ परियोजनाएँ/योजनाएँ जिनके अन्वेषण का कार्य या तो समाप्त हो चुका है या अभी अन्वेषण के विभिन्न चरणों में है, इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	परियोजना	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता (मैगावाट में)
1	2	3

(क) बड़ी जल विद्युत परियोजनाएँ—

1	नाथपा-झाखड़ी (सतलुज संग्रहण क्षेत्र) ..	1,020
2	पारवती (ब्यास संग्रहण क्षेत्र) ..	1,900
3	मलाना (ब्यास संग्रहण क्षेत्र) ..	50
4	कोलडैम (सतलुज संग्रहण क्षेत्र) ..	600
5	जस्पा ..	240
6	बास्पा (दो चरणों में) (सतलुज संग्रहण क्षेत्र) ..	400
7	चमेरा (दो चरणों में रावी संग्रहण क्षेत्र) ..	640
8	ददाहू डैम (यमुना संग्रहण क्षेत्र) ..	40
9	लारजी (ब्यास संग्रहण क्षेत्र) ..	140

(ख) छोटी जल विद्युत परियोजनाएँ—

1	बस्ती (स्टेज—III) ..	60
2	एलेन नाला ..	48
3	डुहांगन ..	12

1	2	3
4	नियोगल (अव स्वीकृत) ..	4.5
5	गज (अव स्वीकृत) ..	10.5
6	शोल्डम ..	12
7	खौली ..	10

परियोजना जिन के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के लिए ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से सहाय अनुदान के रूप में विशेष सहायता मांगी गई है निम्नलिखित है :—

मुख्य परियोजनाएँ

	मैगावाट
1 नाथपा-झाखड़ी	1,020
2 बास्पा	400
3 जस्पा	240
4 पारवती	1,900

मध्यम परियोजनाएँ :—

1 बस्ती (स्टेज—III)	60
2 खौली	10

वर्ष 1982-83 के लिए योजना :— वर्ष 1982-83 के दौरान कई चालू जलविद्युत योजनाओं के निर्माण कार्य को तेज किया जाएगा तथा छोटी नई जलविद्युत योजनाओं पर भी कार्य किया जाएगा। चालू योजनाओं के अतिरिक्त कुछ नई प्रेषण तथा वितरण लाईनों के कार्य को आरम्भ करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान लगभग 1445 और गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा। इसमें आर. ई. सी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि जिससे कांगड़ा जिला की तीन तहसीलों— कांगड़ा नूरपुर तथा पालमपुर का शतप्रतिशत विद्युतीकरण भी शामिल है।

5. उद्योग तथा खनिज विकांस

5.1 उद्योग

मुख्यतः कृषि प्रधान समाज को उन्नत करने के लिए औद्योगीकरण एक आवश्यक कदम है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छूटों/प्रोत्साहनों के देने के फल-स्वरूप वर्ष 1981-82 में औद्योगीकरण की दिशा में बहुत प्रगति हुई है। अधिकाधिक उद्यमी विभिन्न प्रकार की इकाइयां स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं। आईपारा (आई. ए. पी. ए. आर.) ने वर्ष 1981-82 के लिए 43 मध्यम तथा बड़ी योजनाओं का अनुमोदन कर दिया था। ये परियोजनाएं राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित की जायेंगी। इन पर 83.73 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इन से 7,760 लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

1. **जिला उद्योग केन्द्र** — भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार कुटीर तथा जघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों की अप्रैल, 1981 से मार्च 1982 तक की कुछ उप-लब्धियां निम्नलिखित हैं :—

1. परिचित किए गए कारीगरों की संख्या	4,999
2. परिचित किए गए उद्योगियों की संख्या	2,834
3. अस्थायी रूप से पंजीकृत इकाइयों की संख्या	2,211
4. अस्तित्व में आई इकाइयों की संख्या—	
(क) एस. आई. डी. ओ.	830
(ख) गैर एस. आई. डी. ओ.	3,240
5. आई. आर. डी. के अन्तर्गत सहायता पहुंचाई गई इकाइयों की संख्या —	
(क) संख्या	4,141
(ख) स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	57.74
6. कारीगरों की संख्या जिन्हें बैंकों द्वारा सहायता पहुंचाई गई	
(क) संख्या	1,076
(ख) स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	20.00
7. रोजगार प्रदान किए गए —	
(क) राज्य सघु उद्योग	4,463
(ख) कारीगर	6,331
(ग) अन्य	3,602

8. तैयार किए गए परियोजनाओं के पार्श्व चित्रों की संख्या	2,408
9. बैंकों को भेजे गए मामलों की संख्या:—	
(क) संख्या	1,933
(ख) स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	538.66
10. बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि	
(क) संख्या	1,806
(ख) स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	444.21
11. एन. एस. आई. सी. को भेजे गए हायर परचेज मामलों की संख्या :—	
(क) संख्या	4
(ख) राशि (लाख रुपए)	5.19
12. एन. एस. आई. सी. द्वारा स्वीकृत मामलों की संख्या —	
(क) संख्या	3
(ख) स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	2.81
13. डी. आई. सी. ऋण इकाइयों की संख्या	
(क) संख्या	100
(ख) स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	4.51
14. 10—15 प्रतिशत केन्द्रीय/राज्य पूंजी विनियोग अनुदान	
(क) संख्या	809
(ख) स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	130.83
15. सुरक्षित राशि स्वीकृत इकाइयों की संख्या—	
(क) संख्या	206
(ख) स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	13.40
16. परिचित की गई अस्वस्थ इकाइयों की संख्या	4
17. तैयार की गई हिस्टरी शीट की संख्या	1,266
18. तैयार किए गए कारीगरों के डेटा कार्ड की संख्या	2,663
19. आयोजित कारीगरों के शिविर/सघन आन्दोलन/आयोजित विशेष प्रशिक्षण कोर्स की संख्या	347
20. उपलब्ध कराई गई मण्डी सहायता इकाइयों की संख्या	169
21. औद्योगिक क्षेत्र में दिए गए शैडों की संख्या	10
22. औद्योगिक क्षेत्र में दिए गए प्लांटों की संख्या	87

2. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास — प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक सम्पदा में भूमि/औद्योगिक शैड परवाणु, बरोटीवाला, पांवटा साहिब, बिलासपुर, नगरोटा बंगवा, शमशी और मेहतपुर में उपलब्ध करवाए गए हैं। सोलन, धर्मपुर, कांगड़ा, जवाली, देहरा-गोपीपुर और पिन्ना में औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित की गई हैं। सोलन में एक विद्युत परिसर का विकास किया गया है। इन औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदाओं में चालू वर्ष में उद्यमियों ने उद्योग स्थापित करने के लिए अच्छा जोश दिखाया है और लगभग सभी प्लॉट/शैड प्रार्थी उद्यमियों को बांट दिये गए हैं। 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला का विस्तार करने के लिए 74 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त की गई और प्लॉट का विकास किया जा रहा है। तथा जल्दी ही उन्हें खूब रखने वाले उद्यमियों में बांट दिया जायेगा। संसारपुर टैरस, जिला कांगड़ा में औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने के लिए 55 एकड़ भूमि और 408 बने बनाए मकान 99 वर्ष की लीज पर ले लिए हैं जिसके लिए भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड तलवाड़ा/व्यास प्राजैक्ट तलवाड़ा से समझौते की बात चल रही है। अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोजिट प्लान के अन्तर्गत परवाणु तथा चम्बा के प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में 10-10 औद्योगिक शैडों का निर्माण करने के लिए हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम के पास क्रमशः 7.43 लाख रुपये और 6.02 लाख रुपये जमा करवा दिये गये हैं।

मण्डी के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक शैड का निर्माण करने के लिए हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम के पास 6.02 लाख रुपये जमा करा दिये। अम्ब, जिला ऊना काला अम्ब जिला सिरमौर, और दमताल/कन्दरोरी जिला कांगड़ा में नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए 100 से 150 एकड़ भूमि प्रत्येक क्षेत्र के लिये ली जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर जिला कांगड़ा का विस्तार करने के लिए 120 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली जा रही है।

3. औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रोत्साहन/छूटों की स्वीकृति—1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि में केन्द्रीय पूंजी निवेश सहायता योजना के अन्तर्गत 130 इकाइयों को 1.15 करोड़ रुपये की सहाय राशि हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम और हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्वीकृत की गई। इसी प्रकार गैर-पिछड़े जिलों के लिए राज्य सहाय योजना के अनुसार

2.50 लाख रुपये की राशि 19 औद्योगिक इकाइयों में अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा बांटी गई। 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक 4 औद्योगिक इकाइयों में 13.00 लाख रुपये की राशि बिना ब्याज के ऋण के रूप में केन्द्रीय वित्तीय कर के बदले बांटी गई। इसके अतिरिक्त 1.12 लाख रुपये बिना ब्याज के ऋण के रूप में परवाणु की इकाई को फीजीविलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिए गए।

4. उद्यमी विकास कार्यक्रम — उद्योग विभाग संस्थागत प्रशिक्षण संयंत्र प्रशिक्षण और बाहरी सर्वेक्षण के 6 महोत्सवों की अवधि के उद्यमी विकास पाठ्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। ये पाठ्यक्रम वास्तव में होने वाले उद्यमियों के लिए हैं कि बेरोजगार लोगों के लिए 1 प्रशिक्षण लेबे वालों के शैक्षणिक स्तर के अनुसार पहले विभिन्न दरों से वृत्तिकाएं दी जाती थी परन्तु बाद में इन्हें 2,500 रुपये प्रति उद्यमी जो एक इकाई को स्थापित कर सकता एक मुश्त की प्रणाली में बदल दिया।

इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणियों से योग्य उद्यमियों के साथ शिक्षित बेरोजगारों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए अपेक्षित जानकारी प्रणाली से परिचित कराने के विचार से छोटी अवधि के तुरन्त अनावृत्त पाठ्यक्रमों जिनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम 15 दिन का होता है संक्षेप सूचना देने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को प्रायः दिए जाने वाले प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं :—

- (क) खंडक और छादक आबंटन में प्राथमिकता,
- (ख) औद्योगिक ऋण की स्वीकृति ;
- (ग) सीमान्त धन (मारजिन मनी) ;
- (घ) ब्याज मुक्त ऋण ;
- (ङ) अनुदान ;
- (च) विद्युत सुविधा ;
- (छ) विक्रय कर छूट ;
- (ज) कच्चे माल के आबंटन में प्राथमिकता ;
- (झ) बोज पूंजी सहायता ।

गत वर्ष शिक्षित बेरोजगार कार्यक्रम हिमाचल परामर्श संगठन परमिट सोलन द्वारा चलाया गया। दो उद्यमी विकास कार्यक्रम भारतीय विकास केन्द्र द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और दो कार्यक्रम हिमाचल परामर्श संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं। एन. पी. सो. द्वारा तुरन्त अनावृत्त पाठ्यक्रमों के

अतिरिक्त अक्टूबर, 1981 में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर एक सीमिनार आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। और एक अन्य कार्यक्रम सामान्य श्रेणी के लिए 4—6 महीने की अवधि का प्रस्ताव रखा गया।

अभी तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 466 व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा चुके हैं जिनमें से 96 व्यक्तियों ने औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर ली हैं।

5. कला और प्रदर्शनियाँ — लघु एवं कुटीर उद्योगों में बनी वस्तुओं की बिक्री को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजारों बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश व देश के विभिन्न भागों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है। अगस्त और नवम्बर, 1981 में विभाग ने भी नगर और भारत के व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन प्रदर्शनियों में राज्य के विभिन्न औद्योगिक उत्पादन को व्यापक प्रचार के लिए रखा गया।

6. रेशम उद्योग का विकास — विभाग का रेशम अनुभाग निम्नलिखित योजनाएँ चला रहा है :—

- (1) सड़कों के किनारे शहतूतों के पौधों को लगाना
- (2) अच्छी किस्म के शहतूत पौधों की पैदावार
- (3) चौकी रीयरिंग और बीजों का अन्तर्विकास तथा
- (4) टस्सर का विकास।

वर्ष 1981-82 में लगभग 87,000 शहतूत के पौधे सरकारी क्षेत्र में लगाए गए और किसानों को लगाने के लिए दिए गए। इसके अलावा वन विभाग शहतूत के पौधों को बन्द किये क्षेत्रों में लगा रहा है। इसी वर्ष 38,560 किलोग्राम कृत्रिमकोश गत वर्ष की तरह पैदा किए गए और विभिन्न केन्द्रों में टस्सर बंधान का अन्वेषण ही रहा है।

7. सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश — 1981-82 में उद्योग विभाग ने प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले विभिन्न निगमों तथा बोर्ड में निवेश के लिए बजट में निम्नलिखित प्रावधान रखा था है :—

(लाख रुपयों में)

निगम/बोर्ड का नाम	1981-82 में बजट प्रावधान	31 3-82 तक भुगतान
1. हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम	64.00	64.00
2. हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	38.00	38.00
3. नाहन फाउंडरी	30.00	30.00
4. हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम	5.00	5.00
5. हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम	12.00	8.00

8. सार्वजनिक क्षेत्र निगम/संगठन

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम :— इस निगम का मुख्य कार्य राज्य में उभर रहे मध्यम तथा लघु उद्योगों को मध्यम तथा दीर्घ अवधि की ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। इस वित्त वर्ष में निगम ने मध्यम तथा दीर्घ अवधि के ऋण 7.67 करोड़ रुपये के स्वीकृत किए जिनमें से 4.02 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इसी अवधि में निगम ने 25.63 लाख रुपये के सॉफ्ट लोनज स्वीकृत किए और 14.95 लाख रुपये बांट दिए।

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम :— इस निगम को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य गांव के शिल्पियों को अपने अपने शिल्प के विकास तथा सुधार हेतु तकनीकी वित्तीय तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराना है। इस वर्ष 31 मार्च, 1982 तक निगम ने लन्दलू (जिला हमीरपुर), करोथ (जिला कांगड़ा), कोटली (जिला मण्डी), अनी (जिला कुल्लू, और सपाटू (जिला सोलन), में गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चालू किए। इसी प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र दलाश (जिला कुल्लू), कुठाड (जिला सोलन), भांबला (जिला मण्डी), नूरपुर (जिला कांगड़ा) और झंजेली (जिला मण्डी) में 1981-82 के दौरान आरम्भ किये गये। इसके अलावा वर्ष 1981-82 के दौरान गढ़वाल, जिला सोलन में

हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र और ग्राम टिपरा जिला सोलन में पत्थर का कार्य/वर्तिका कार्य आरम्भ किया गया। निगम के पास 300 लोगों को रोजगार देने के लिए नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। निगम ने हस्तशिल्पियों को उनकी वस्तुओं के विपणन की सुविधा देने के लिए 3 विक्रयालय भए खोले हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम—निगम ने अपने कार्य कालापी जैसे लघु उद्योगों को कच्चे माल का उपलब्ध कराना भाड़े व खरीद आधार पर यन्त्रों का उपलब्ध कराना, वर्तमान, इकाइयों का आधुनिकीकरण करना तथा राज्य में बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा इत्यादि को जारी रखा। 31 मार्च, 1982 तक निगम ने 85.41 लाख रुपये का कच्चा माल प्राप्त किया और बांटा। वर्ष 1982-83 के लिए क्रय-विक्रय का लक्ष्य 3.00 करोड़ रुपये का है।

(घ) हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम—इस निगम की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम तथा बड़े उद्योगों को स्थापित करने और औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत आवश्यकताएं पूरा करने के लिए की गई है। निगम ने विभिन्न प्रकार की इकाइयों जैसे 69.46 लाख रुपये की लागत से हिमाचल बूल प्रोसैसर्स लिमिटेड, 1.77 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल वर्सटिल लिमिटेड, हिमालय फर्टिलाइजर लिमिटेड नालागढ़ की स्थापना की है और इलेक्ट्रॉनिक कोरपोरेशन आफ इण्डिया के सहयोग से सोलन टी.वी. फैक्टरी इसके अलावा निगम मध्यम और बड़ी इकाइयों को मध्यम तथा दीर्घावधि के ऋण, बीज पूंजी सहायता, साम्य भूमिग्रहण और अभिगोपन सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष 1981-82 के दौरान मध्यम निगम ने तथा बड़ी इकाइयों को 2.59 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी जिसमें से 31 मार्च, 1982 तक 60.00 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है।

(ङ) राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड—इस बोर्ड की स्थापना राज्य में खादी तथा उद्योगों का विकास करने के लिए की गई है। वर्ष 1981-82 के दौरान बोर्ड द्वारा सहायता दी जाने वाली विभिन्न इकाइयों को 5.22 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में और 77.31 लाख रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए। उसी अवधि में दो इकाइयां सहकारिता क्षेत्र में 27 संस्थागत इकाइयां और 757 वैयक्तिक इकाइयां स्थापित की गईं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बोर्ड ने 2,570 ग्रामीण शिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराए। खादी बोर्ड ने उत्पादन तथा विक्रय के

क्रमशः 2.41 करोड़ रुपये तथा 2.72 करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त किया।

इसके अतिरिक्त बोर्ड जो खादी उत्पादन का विभागीय कार्यक्रम कर रहा है उसके लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने निम्नलिखित निधि उपलब्ध कराई है :—

(लाख रुपये)

अनुदान	ऋण	ब्याज सहायता के बदले बैंक वित्त सहायता
0.16	2.49	11.26

उपयुक्त निधि वित्त वर्ष 1981-82 में पूरी तरह प्रयोग में लाई गई जिस से निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए गए :—

- (1) उत्पादन 40 लाख रुपये
- (2) विक्रय 67 लाख रुपये
- (3) रोजगार 6,000 व्यक्ति

1982-83 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :—

(क) भुगतान जाने वाली निधि :—

(लाख रुपये)

	अनुदान	ऋण	बैंक वित्त व्यवस्था
(अ) ग्रामोद्योग	18.16	182.36	18.01
(आ) खादी उद्योग	0.27	2.88	9.75

(ख) निष्पादन :—

	उत्पादन (लाख रुपये)	विक्रय (लाख रुपये)	रोजगार (व्यक्ति)
(अ) ग्रामोद्योग	975.72	1042.52	34,956
(आ) खादी उद्योग	46.50	76.00	7,500

1982-83 के लिए बजट में 3.99 करोड़ रुपये का प्रावधान है ये प्रावधान निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए है।

(करोड़ रुपयों में)

1. बड़े तथा मध्यम उद्योग	1.99
2. ग्रामीण तथा लघु उद्योग	1.85
3. खनन	0.15

5.2 खनिज विकास

राज्य के तीव्र तथा शीघ्र औद्योगिकीकरण की दिशा में चूने के पत्थर, मैग्नेसाईड और जिप्सम की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनके अन्वेषण का कार्य विभाग को भूगर्भ शाखा बड़े यत्न से कर रही है और खनन कार्य पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। प्रदेश में दो स्थानों पर सोने के भण्डार भी पाए गए हैं। राजवन सीमेंट कारखाने के यथा सम्भव विस्तार के लिए अध्ययन किया जा रहा है और गगल (बिलासपुर) सीमेंट यन्त्र को शीघ्र ही चालू करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। चम्बा सीमेंट यन्त्र के लिए भारतीय सीमेंट निगम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। धर्मकोट में एक लघु सीमेंट यन्त्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है। ऊना ग्लास सैंड भण्डार पर आधारित शीशे की बोतलों का एक कारखाना आई. पी.ए.आर.ए. द्वारा स्वीकृत किया है। मनाली का "खनिज जल" जो कि यूरोपीय खनिज जल से मिलता जुलता है, विदेशी, मुद्रा उपार्जन में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है।

इस समय राज्य लगभग 40 लाख रुपये का राजस्व उपार्जित कर रहा है जो कि सीमेंट कारखानों के पूरी तरह कार्य आरम्भ करने पर एक करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा।

वर्ष 1982-83 के लिए निम्नलिखित भूगर्भ अन्वेषणों का प्रस्ताव है :—

1. जिला चम्बा के बरोह शिद क्षेत्र में चूने के पत्थर के भण्डारों का विस्तृत अन्वेषण।
2. जिला मण्डी के रोपां बैक विरण क्षेत्र में चूने के पत्थर का विस्तृत अन्वेषण तथा छानबीन।
3. जिला मण्डी के द्रंग-गुम्मा क्षेत्र में नमक भण्डारों का विस्तृत अन्वेषण।
4. जिला मण्डी के आलसिदी क्षेत्र में चूने पत्थरों का विस्तृत अन्वेषण।
5. जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र में मैग्नेसाईड के भण्डारों का विस्तृत अध्ययन।
6. किन्नौर जिला के चांगो-समदो क्षेत्र में जिप्सम भण्डारों का अन्वेषण।
7. सिरमौर व सोलन जिलों में चूने के पत्थरों का क्षेत्र निर्धारण व वर्णन।
8. लाहौल-स्पीति जिला में तांबे व एण्टीमनी का अन्वेषण।
9. प्रदेश में पुलों, बांध स्थलों व भू-स्खलनों इत्यादि का आभ्यान्त्रिक भूगर्भ अन्वेषण।
10. भारतीय सीमेंट निगम के लिए सिरमौर जिला के सतौन क्षेत्र में चूने के पत्थर के भण्डारों की खुदाई का कार्य।
11. राज्य में बांध स्थलों के पुलों की नींव की खुदाई का परीक्षण कार्य।
12. आन्ध्रा जल-विद्युत परियोजना के अन्वेषण कार्य को जारी रखना।
13. सुन्नी बांध स्थल के जल-विद्युत परियोजना का अन्वेषण।

6. परिवहन एवं संचार

6.1 सड़कें तथा भवन निर्माण

आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में सड़कें निर्णायक होती हैं। अतः सड़कों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मार्च, 1981 के अन्त में वाहन चलने योग्य सड़कों की कुल लम्बाई 12,605 किलोमीटर थी जिस में से पक्की और विरालित सड़कों की लम्बाई 4,245 किलोमीटर है।

1981-82 में हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए 1,814.52 लाख रुपये का उद्व्यय अनुमोदित किया गया था जिस में से 35.00 लाख रुपये विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए रखे गए। इस राशि से मार्च, 1982 तक की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

1. वाहन चलने योग्य सड़कें निर्मित ... 517 किलोमीटर
2. जल निकास कार्य ... 214 किलोमीटर
3. पक्की तथा विरालित सड़कें ... 244 किलोमीटर
4. पुल पूर्ण किए गए ... 25 संख्या
5. सम्बद्ध गांव ... 209 संख्या

इस वर्ष जो महत्वपूर्ण पुल पूरा किया गया वह है सुजान-पुर टिहरा में व्यास नदी पर। वर्ष 1981-82 के अन्त तक वाहन चलने योग्य सड़कों की लम्बाई 13,122 किलोमीटर हो गई है जिस से प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 23.56 किलोमीटर सड़क घनत्व हो जायेगा।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग — राज्य लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय उच्च मार्गों के अनुरक्षण तथा सुधारने का कार्य भी करता है:—

1. राष्ट्रीय उच्च मार्ग—22, कालका—शिमला;
2. राष्ट्रीय उच्च मार्ग—21, चण्डीगढ़—बिलासपुर—मण्डी—कुल्लू—मनाली;
3. राष्ट्रीय उच्च मार्ग—1ए, जालन्धर-पठानकोट।

वर्ष 1981-82 में भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण करने के लिए 248 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की है और 80.50 लाख रुपये की राशि मुरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए दी है। मार्च, 1982 तक नए निर्माण कार्य पर 267.84 लाख रुपये और मुरम्मत तथा अनुरक्षण पर 96.60 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कें— भारत सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिए ऋण सहायता में 20.00 लाख रुपये की राशि लाल घाट-पांवटा-राजबन-रोहड़ू-सुगरी-नारकंडा सड़क पर पुल निर्माण और जल निकास के चल रहे कार्य के लिए दी है। मार्च, 1982 तक 19.99 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी थी।

सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें— वर्ष 1981-82 के लिए भारत सरकार ने मुक्तेरियां-तलवाड़ा-नूरपुर से धार सड़क के निर्माण हेतु गत वर्ष के 28 लाख रुपये के शेष के अतिरिक्त 70.00 लाख रुपये और स्वीकृत किए हैं तथा मार्च, 1982 तक 98.56 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। केन्द्रीय निधि के अन्तर्गत कार्यों पर वर्ष 1981-82 में 10.00 लाख रुपये की प्रस्तावित राशि के विपरीत मार्च, 1982 तक 12.80 लाख रुपये व्यय हो चुके थे। इस के अतिरिक्त सीमा सड़कों के लिए 162.75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत के विपरीत मार्च, 1982 तक 166.57 लाख रुपये व्यय किए जा चुके थे।

सड़कों के किनारे पौध रोपण — हिमाचल प्रदेश सरकार सड़क के किनारों पर वृक्ष रोपण पर विशेष बल दे रही है। वर्ष 1981-82 के लिए 40.00 लाख रुपये का प्रावधान था। चार लाख पेड़ों को लगाने का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किया गया।

केवलवेज का निर्माण — हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आर्थिक दृष्टि से महंगा होने के साथ-साथ परिस्थिक सन्तुलन के प्रतिकूल है। इस लिए सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में केवलवेज निर्माण का निर्णय लिया है और इस कार्य के लिए 30.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगभूत योजना— अनुसूचित जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने उनकी बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए 262.90 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा है।

गैर आवासीय मकान — वर्ष 1981-82 में गैर आवासीय मकान बनाने के लिए 175 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। इस राशि से 46 मकान मार्च, 1982 तक बनाए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त मार्च, 1982 तक 140 गैर-रिहायशी मकान विभिन्न विभागों के लिए बनाए जा चुके थे।

आवास— वर्ष 1981-82 में आवासीय मकानों को बनाने के लिए 40.50 लाख रुपये की स्वीकृत उद्ध्यय राशि से मार्च, 1982 तक 42 मकान बनाए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के 265 आवासीय मकान भी बनाए जा चुके हैं।

बेघर लोगों के लिए मकान— राज्य सरकार ने निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को आरम्भ किया है। 1981-82 में 800 घर बनाने के लिए 40.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है जिसमें से 746 घर बना लिए गए हैं।

ओले तथा सूखे से राहत कार्यक्रम— अप्रैल-मई, 1981 के दौरान ओले पड़ने और खरीफ 1981 में अत्यन्त सूखा पड़ने से प्रभावित प्रदेश के लोगों की हानि का परिहार करने के लिए 160.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता लोक निर्माण विभाग को दी गई जिससे 15.5 लाख श्रम दिवस बने।

1982-83 के लिए योजना— योजनानुसार तथ्यों का सारांश निम्नलिखित है :—

सड़कों तथा पुलों के निर्माण :—

1. वाहन चलने योग्य सड़कें	..	345 किलोमीटर
2. जल निकास कार्य	..	175 किलोमीटर
3. सड़कों का पक्का तथा विरालित करना	..	160 किलोमीटर
4. पुल	..	25 संख्या
5. सड़कों से जोड़े गए ग्राम	..	210 संख्या

राष्ट्रीय उच्च मार्ग : 522.6 लाख रुपये की राशि राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय करने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राज्य तथा आर्थिक महत्व की सड़कें— उत्तर प्रदेश के साथ डोडराकवार और जम्मू तथा कश्मीर के साथ पांगी को जोड़ने के लिए 50.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है।

सामरिक महत्व की सड़कें— सामरिक महत्व की सड़कों के लिए 185.00 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त सीमा सड़कों पर 277.35 लाख रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कार्यों पर 30.08 लाख रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

सड़क के किनारे वृक्षारोपण— सड़क के किनारों पर वृक्षारोपण के लिए 39.00 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव है।

केवलवेज— हिमाचल प्रदेश में केवलवेज का निर्माण करने के लिए 32.00 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगभूत योजना जिन गांवों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है उनमें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 300.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है।

नगर-आवासीय मकान— वर्ष 1982-83 में 50 मकान बनाने के लिए 200.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के लिए 140 मकान बनाए जायेंगे।

आवास— आवासीय मकान पुलिस कर्मियों के मकानों सहित मकान बनाने के लिए 45.00 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के लिए 269 मकान बनाए जाने की सम्भावना है।

6.2 पथ परिवहन

हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन ही वास्तव में यान्त्रिक परिवहन का एक मात्र साधन है, जो अर्थव्यवस्था के उत्थान में मूल भूमिका निभाता है। रेलवे, हवाई तथा जल परिवहन की सुविधाएं केवल नाम मात्र ही हैं। प्रदेश में पथ परिवहन का प्रबन्ध "परिवहन व पर्यटन आयुक्त" के निरीक्षण में है। विभाग का मुख्य काम मोटर वाहन अधिनियम/नियम को कार्यान्वित करना है और इस उद्देश्य के लिये विभाग ने "राज्य परिवहन अधिकार समिति" का गठन दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकार समितियां जो कि शिमला और धर्मशाला में कार्यरत हैं, की सहायता से किया है।

"राज्य परिवहन अधिकार समितियां" लोक वाहनों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अनुरक्षा तथा एच.पी. वाई.-एच.पी. जैड. टैक्सियों और एच.पी. जैड. सर्वयानों को संविधा वाहन अनुज्ञा देने का अधिकार रखती है। मार्च, 1982 तक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व एच.पी. जैड. अनुज्ञाओं का ब्यौरा निम्न है :—

1. राष्ट्रीय अनुज्ञा	..	600
2. क्षेत्रीय :		
(अ) उत्तर क्षेत्र	..	450
(ब) दक्षिण क्षेत्र	..	450
3. एच.पी. जैड :		
(अ) टैक्सियों के लिये	..	200
(ब) सर्वयानों के लिये	..	50

वर्ष 1981-82 के दौरान मोटर-वाहन विभाग को 165.00 लाख रुपये की राजस्व आय प्राप्त करने का अनुमान है, जबकि वर्ष 1980-81 में यह आय 142.60 लाख रुपये थी। हिमाचल प्रदेश परिवहन आप्रुक्त "यात्री बीमा योजना निधि" पर भी अपना नियंत्रण रखता है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की गाड़ियों की दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मरणोपरान्त अनुदान दिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 82 प्रतिशत यात्री-परिवहन का राष्ट्रीयकरण है, जबकि माल-परिवहन मुख्यतः निजी क्षेत्र में ही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम 19 संचालन इकाईयों/उप-इकाईयों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कार्यरत है। वाहनों की सफाई, मुरम्मत व अनुरक्षण मण्डलीय कर्मशाला तारादेवी व प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित कर्मशाला में की जाती है। कार्यों पर ठीक नियंत्रण रखने के लिये तीन कार्यालय शिमला, मण्डी तथा धर्मशाला में मण्डलीय प्रबन्धकों की देख रेख में कार्यरत हैं। 31 मार्च, 1982 तक निगम के फलीट की संख्या में 996 वाहन थे जिनमें 939 बसें, 20 ट्रक, 37 कैब्ज और अन्य गाड़ियां सम्मिलित हैं। 31 मार्च, 1982 तक ढांचों की संविचरणा के उपरान्त 107 बसें और 4 कैब्ज फलीट में जोड़ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1980-81 में खरीदी गई 121 बसों के ढांचों की संविचरणा भी वर्ष 1981-82 में कराई गई। प्रचलित वर्ष में 26 बसें, 11 ट्रक और 3 कैब्ज नीलाम किए गए।

निगम 743 मार्गों पर बसें चला रहा है जिसमें से 544 मार्ग राज्य के भीतर और 199 मार्ग अन्तर्राज्यीय हैं। प्रचलित वर्ष में 89 मार्गों पर नई बस सेवाएं प्रदान की गईं जबकि 93 मार्गों पर बस सेवाएं बढ़ाई गई हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान बसों द्वारा तय की गई दूरी पिछले वर्ष के 553 लाख किलोमीटर से बढ़ कर 617 लाख कि. मी. होने की सम्भावना है। प्रतिदिन बसों द्वारा तय की गई दूरी गत वर्ष की 185 कि. मी. की तुलना से बढ़ कर 191 कि. मी. हो गई। प्रतिदिन बस सेवाओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। वाहनों का विशेष ध्यान व ठीक अनुरक्षण के कारण दुर्घटनाओं की प्रति 10,000 कि. मी. की दर 0.51 रह गई जबकि वर्ष 1980-81 में यह 0.53 थी। दुर्घटनाओं को कम करने के लिये हर प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में यह दर प्रति एक लाख कि. मी. के पीछे 0.27 है जबकि देश के अन्य निगमों में 1.0 है। इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्री "यात्री बीमा योजना" के अन्तर्गत आते हैं। जिससे दुर्घटना में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को 20,000 रुपये की धनराशि तथा 10,000 रुपये की धनराशि अंगहीनों को अंगहीनतानुसार दी जाती है।

प्रचलित वर्ष में निगम की आय 1,770 लाख रुपये होने की आशा है जबकि वर्ष 1980-81 में यह आय 1,593 लाख रुपये थी। प्रति कि. मी. आय में भी बहुत सारे प्रशासनिक पगों तथा नजर में आई हुई असावधानियों को तुरन्त दूर करने से काफी वृद्धि हुई है। माल खरीदने में काफी सावधानी बरती जा रही है तथा स्टोर में माल जरूरत से ज्यादा नहीं रखा जाता है।

अन्य आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त निगम यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बस स्टैण्डों पर उचित सुविधाओं के साथ निर्माण अनुरक्षण के कार्य में जुटा है। वर्ष 1981-82 के दौरान मुख्य संचालित निर्माण कार्यों का ब्योरा निम्न है :—

- (1) वर्कशाप कम्प्लैक्स व धर्मशाला, नालागढ़, में सीमा दीवार का निर्माण।
- (2) मे-फेयर बसस्टैण्ड, शिमला में कैन्टीन/दुकानों का निर्माण।
- (3) टूटी कंडी, शिमला, में बसस्टैण्ड का निर्माण।
- (4) ठली कर्मशाला में रिटेनिंग व ट्रेस्ट दीवार का निर्माण और फर्श को पक्का करना।
- (5) सहायक प्रबन्धक के कार्यालय की मुरम्मत, खोपड़ी कर्मशाला रामपुर में रिटेनिंग दीवार का निर्माण।
- (6) टापरी में कर्मशाला के परिक्षेत्र को पक्का करना व वाशिंग रैम्प का निर्माण।
- (7) रोहड़ू में बस स्टैण्ड/कर्मशाला का निर्माण।
- (8) बिलासपुर में कर्मशाला को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिये दीवार व स्टाफ के लिये मकानों की मुरम्मत और अनुरक्षण।
- (9) नाहन में बस-स्टैण्ड कम्प्लैक्स का निर्माण।

कर्मचारियों के कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। विभिन्न श्रमिक कानूनों का उचित पालन किया जाता है। संघ के प्रतिनिधियों के साथ समयानुसार मीटिंग की जाती है और उचित मांगों को मान लिया जाता है। कार्यकुशलता या उदाहरणीय चरित्र के लिये कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है। कुछ वर्गों को रियायती दरों पर किराये की सुविधा भी प्राप्त है, जैसे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, विद्यार्थी व अपंग।

वर्ष 1982-83 के लिये योजना : वर्ष 1982-83 के लिये 170.00 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति हिमाचल पथ परिवहन निगम को दी जा चुकी है जिसको 59 बसों और दो कैबज को खरीदने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। मशीनरी और भवन निर्माण कार्यों (भूमि का मूल्य जोड़कर) का खर्चा भी निर्धारित राशि से पूरा किया जायेगा।

6.3 पर्यटन

प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण के लिये अनगणित क्रीड़ाएं, पिकनिक स्थल, धार्मिक स्थान, झीलें, प्राकृतिक झरने, स्कींग, प्राकृतिक मनोरम सौन्दर्य, ट्रेकिंग तथा पड़ाव स्थल हैं जोकि देशी और विदेशी पर्यटकों के मनोरंजन का स्रोत हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 1972 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की। निगम को सभी वाणिज्यिक कार्य जैसे होटल प्रचालन एवं जलपान, इत्यादि सुविधा प्रदान करने वाले संस्थानों को राज्य में चलाने का कार्य भार सौंपा गया। 1972 में निगम ने 857 बिस्तरों से कार्य शुरू किया जो अब तक लगभग 1,800 हो गये हैं और आशा है कि वर्ष 1982 के अन्त तक इनकी संख्या बढ़कर 1,900 हो जायेगी।

वर्ष 1981 के दौरान राज्य में पर्यटन सुविधाओं के सन्तुलित विकास के लिए तीन यात्री सर्कटों की पहचान की गई। पर्यटन निगम भारतीय स्कींग एवं पर्वतारोहण संस्थान, गुलमर्ग के साथ मिलकर नारकण्डा में दस दिवसीय स्कींग कोर्स आयोजित कर रहा है जिसमें प्रशिक्षण दो आस्ट्रेलियाई प्रशिक्षकों द्वारा दिया जायेगा। ज्वालामुखी में 50 लाख रुपये से निर्मित 70 बिस्तरों वाला होटल खोला गया। अवकाश गृह (गवर्नमेंट गैस्ट हाऊस) के द्वितीय चरण में 35 लाख रुपये की लागत से ही शाही ढंग से सुसज्जित दो बिस्तरों वाले 23 सैटों की और वृद्धि की गई। शिमला-कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर परवाणु, बडोग तथा डेढघराट नामक स्थानों पर जलपान गृह शुरू किये गये। शिमला में रिज पर एक आलिशान जलपान गृह को नया रूप दे कर चालू किया गया। राज्य में ट्रेकिंग विकास भी निगम की प्राथमिकताओं की सूची में है। मई तथा जून, 1981 में कुल्लू घाटी में रायसन नामक स्थान पर निगम ने यूथ

होस्टल एसोशिएसन आफ इन्डिया के सहयोग से राष्ट्रीय हिमालयायी ट्रेकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस हिमालयन ट्रेकिंग साहसिक अभियान में 1,200 से अधिक लड़के व लड़कियों ने भाग लिया। यू.पी. तथा राजस्थान पर्यटन निगमों के साथ आपसी अनुबन्ध द्वारा इस निगम ने लग्जरी तथा डीलक्स कोचिज के द्वारा संयुक्त रूप से यात्राओं का आयोजन किया तथा अपनी वाहन संख्या में 2 लग्जरी वातानुकूलित कोचिज व कई अन्य वाहनों की वृद्धि की।

हिमाचल प्रदेश होटल तथा ट्रेवल एजेंट्स पंजीकरण कानून, 1970 के अन्तर्गत शिमला शहर में 99 होटल पंजीकृत किये जिससे कुल पंजीकृत होटलों की संख्या बढ़कर 210 हो गई। इसके अतिरिक्त 64 होटल गाईडों तथा 3 ट्रेवल एजेंट्सों का भी शिमला शहर में पंजीकरण किया गया।

इस वित्त वर्ष के अन्त तक या अगले वित्त वर्ष के शुरू में ही जुब्बड़हट्टी हवाई पट्टी के प्रथम चरण के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिला कांगड़ा के गगल में हवाई पट्टी के निर्माण के लिये भी स्थान चुन लिया गया है।

वर्ष 1982-83 के लिये योजना — वर्ष 1982 में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम बडोग में स्थित आधुनिक होटल के निर्माण कार्य तथा पठानकोट-डल्हौजी उच्च मार्ग पर दुंद्यारा व पठानकोट-मण्डी उच्च मार्ग पर त्रिलोकपुर नामक स्थान पर जलपानगृह निर्माण कार्य को पूर्ण कर लेगा। कुल्लू घाटी के मनीकरण में पर्यटन-सह-स्वास्थ्य स्थल के निर्माण को भी उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। शिमला में दूसरे स्थानों को जाने से पहले निगम लगभग 200 व्यक्तियों को साधारण दरों पर रिहायश देने के लिये स्वागत केन्द्र के निर्माण के लिये योजना बना रही है। कम्बरमीयर कम्प्लेक्स पर भी काम शुरू किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें स्थाई आईसरिक, केन्द्रीय गरमाया सिनेमाहाल तथा जिमनाजियन सम्मिलित हैं। शिमला अवकाश गृह होटल में एक सम्मेलन कक्ष भी बनाया जायेगा। मनाली तथा वाइल्ड फ्लावर हाल में लघुगृह ("हट्स") निर्माण का प्रस्ताव है। जल स्कीम तथा जल क्रीड़ाओं व शर्दकालीन खेलों का भी 1982 में विकास किया जायेगा। जुब्बड़हट्टी हवाई पट्टी के निर्माण के दूसरे चरण का कार्य भी शुरू किया जायेगा।

7. सामाजिक सेवाएँ

7.1 शिक्षा

शिक्षा विकास के कुल मिलाकर निम्नलिखित उद्देश्य हैं :--

- (1) औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पद्धति को मिला कर शिक्षा प्रणाली का रूपान्तर करना ।
- (2) प्राथमिक शिक्षा (6—14 वर्ष) को सर्वाधिक प्राथमिकता देना ।
- (3) उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं में सुधार करना ।
- (4) शिक्षा स्तर तथा विद्या सम्बन्धी उपकरणों में सुधार करना ।
- (5) लड़कियों की शिक्षा तथा जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन देना ।
- (6) हरिजन लड़कियों को शिक्षा का प्रोत्साहन देना ।
- (7) खेल-कूद और क्रीड़ाओं को उन्नत करना ।
- (8) स्कूलों में योग को प्रचलित करना ।
- (9) वयस्कों (15—25 वर्ष) को अनौपचारिक शिक्षा देना ।
- (10) शैक्षणिक प्रशासन को दृढ़ बनाना ।

वर्ष 1981-82 की वार्षिक 'योजना की राशि 381.50 लाख रुपये में शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :--

(1) प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा—

(क) प्राथमिक स्कूल— वर्ष 1981-82 में 206 नए प्राथमिक स्कूल जिनमें 6 जनजातीय क्षेत्र के भी सम्मिलित हैं, खोले गये । इस प्रकार प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 6,398 तक पहुँच गई । वर्ष 1981-82 के अन्त तक प्राथमिक कक्षाओं (1—5) में छात्रों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित होने की संभावना है :--

विद्यार्थी	1 से 5 कक्षाओं में अनुमानित विद्यार्थियों की संख्या ('000) (6-11 वर्ष)	6-11 आयु वर्ग में अनुमानित प्रतिशत जन संख्या
छात्र	313	102
छात्राएं	239	79
योग	552	91

(ख) माध्यमिक स्कूल : 34 प्राथमिक स्कूलों को उन्नत कर के माध्यमिक स्तर पर लाया गया है । इस प्रकार राज्य में माध्यमिक स्कूलों की संख्या 1,643 हो गई । चालू वर्ष में माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की संख्या निम्नलिखित है :--

विद्यार्थी	6 से 8 कक्षाओं में अनुमानित विद्यार्थियों की संख्या ('000)	11-14 आयु वर्ग में अनुमानित प्रतिशत जनसंख्या
छात्र	143	91
छात्राएं	68	43
योग	211	67

(ग) वयस्क शिक्षा कार्यक्रम — आयु वर्ग (15—35) वयस्क शिक्षा का कार्यक्रम प्रदेश के सभी 12 जिलों में चल रहा है । 1,100 स्वीकृत वयस्क शिक्षा केन्द्रों में से 807 केन्द्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे हैं । वर्ष 1981-82 में 18,200 लाभान्वित हुए हैं ।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा — इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 800 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किए गए, जिनका व्यौरा निम्नलिखित है :--

केन्द्र	गैर-योजना	योजना	कुल
1. कार्यात्मक साक्षरता (9-14 वर्ष)	300	300	600
2. अंश कालिक शिक्षा (9-11 वर्ष) पांचवीं कक्षा	50	60	110
3. अंश कालिक शिक्षा (11-14 वर्ष) आठवीं कक्षा	40	50	90
कुल	390	410	800

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1190 बच्चे इस वर्ष 64 केन्द्रों में लाभान्वित हुए ।

(ड) विकलांग बच्चों को सामूहिक शिक्षा — इस योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चों (बहरे, दिमागी तौर पर कमजोर तथा अपंग) को सामूहिक रूप से शिक्षा देने के लिए दो केन्द्र जिनमें 30 विद्यार्थी (10 विद्यार्थी प्रत्येक प्रकार के) के लिये व्यवस्था है, शिमला में कार्य करते रहे। इन केन्द्रों में विद्यार्थियों की संख्या 20 थी। इस वर्ष विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए एक अध्यापिका को 9 महीने के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कालेज लखनऊ भेजा गया।

2. उच्च स्तरीय शिक्षा — वर्ष 1981-82 में 41 माध्यमिक स्कूलों, जिनमें 3 जनजातीय क्षेत्र में हैं, को उन्नत करके उच्च स्तरीय बनाये गये हैं। इस से उच्च स्तरीय स्कूलों की संख्या 639 हो जायेगी। वर्ष 1981-82 में उच्च स्तरीय कक्षाओं में अनुमानित विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है : —

विद्यार्थी	9 से 11 कक्षाओं में विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या ('000)	14-17 आयु वर्ग में अनुमानित प्रतिशत जनसंख्या
छात्र	49	33
छात्राएं	18	12
योग	67	23

3. विश्व विद्यालय तथा उच्च शिक्षा — वर्ष 1981-82 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विकास के लिए 10.00 लाख रुपये की राशि का अनुदान दिया गया।

4. सैनिक स्कूल मुजानपुर टिहरा — सैनिक स्कूल मुजानपुर टिहरा का विकास करने के लिए 25.00 लाख रुपये (4.00 लाख रुपये छात्रवृत्तियों—1.00 लाख रुपये का अनुदान और 20.00 लाख रुपये भवन निर्माण पूंजी) दिए गये।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम — वर्ष 1981 के दौरान 720 विद्यार्थियों को 5 जे. बी. टी. प्रशिक्षण स्कूलों (सोलन, नाहन, मण्डी, धर्मशाला और चवाडी) में जे. बी. टी. का प्रशिक्षण पाने के लिए प्रवेश दिया गया। वर्ष 1981-82 में एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली द्वारा आयोजित कला तथा शिल्प के

महत्व पर दिग्विन्यास पाठ्यक्रम के लिए उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से 56 अध्यापकों को भेजा गया। नई दिल्ली में शिक्षा के लिए कठपुतलियों पर दिग्विन्यास पाठ्यक्रम के लिए 8 अध्यापकों प्रतिनियुक्त किए गए। पोर्टमोर उच्चतर माध्यमिक स्कूल शिमला में शिक्षा के लिए कठपुतली पर एक राष्ट्रीय सामूहिक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें देश के सभी भागों से 70 लोगों ने भाग लिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 43 अध्यापक 5 महीनों के लिए उर्दू अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र सप्रून (सोलन) भेजे गए। राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला और राज्य संस्थान शिक्षा, सोलन में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान तथा गणित के अध्यापकों के लिए प्रचलित शिक्षा पर चार पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। अखिल भारतीय प्राथमिक संघ नई दिल्ली के पदाधिकारी के लिए दिग्विन्यास पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भेजा गया; दो अध्यापक राष्ट्रीय सामूहिक शिविर कटक (उड़ीसा) में, सम्मिलित हुए, एक अध्यापक (कला में) को कला में पाठ्यक्रम का विकास करने के लिये नई दिल्ली भेजा गया। जनजातीय क्षेत्र में से एक उप जिला शिक्षा अधिकारी को हैदराबाद में एन. आई. ई. पी. ए. द्वारा आयोजित शिक्षा योजना तथा प्रशासन पर कर्मशाला में सम्मिलित होने के लिए भेजा। एफ. आई. पी. के अन्तर्गत भारत में स्थित यू. एस. ई. एफ. द्वारा एक प्रधानाचार्य को यू. के. और यू. एस. ए. अध्ययन प्रवास पर भेजा गया। महाविद्यालयों में लगे हुए 8 प्राध्यापकों को पी. एच. डी./एम. फिल. करने की आज्ञा दी गई तथा 6 प्राध्यापकों (कालेज) को विभिन्न विज्ञान विषयों में एक से तीन वर्ष की अवधि में पी०एच०डी० करने के लिए भेजा गया। 21 प्राधानाचार्यों/प्राध्यापकों ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में कार्यालय प्रणाली तथा प्रबंध के विशेष पाठ्यक्रम को ग्रहण किया।

6. अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम — शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के विचार से चालू वर्ष में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी चलाए गए जिनका संक्षिप्त व्यौरा निम्नलिखित है :—

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना — प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना चलती रही। 25 महाविद्यालयों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्य क्रम में 2,000 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवी वयस्त रहे और गांव के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। 1982-83 में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों की कुल संख्या 2,200 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 8 नेहरू युवक केन्द्र चल रहे हैं और

चालू वर्ष में 25,000 ग्रामीण युवक जो विद्यार्थी नहीं हैं इन केन्द्रों के विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। यह आशा की जाती है कि भारतीय सरकार 1982-83 में प्रदेश के लिए दो और केन्द्र खोलने की स्वीकृति देगी।

- (ख) **खेलकूद तथा क्रीड़ाएं**—प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए हर जिले में जिला खेलकूद परिषद् का गठन किया गया है ताकि देहात के अन्तिम छोर में रहने वाले युवकों को विद्यार्थी नहीं हैं की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। 20 राज्य मण्डलों (एसोसिएशनज) को प्रदेश में उनसे सम्बन्धित क्रीड़ाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए अनुदान दिया गया। गत वर्ष की भान्ति विभाग ने स्कूल के बच्चों गैर-विद्यार्थी युवकों और महिलाओं के लिए बड़ी सफलता के साथ चक्र स्पर्धा (टूरनामेंट) का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्कूल क्रीड़ाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण खेलकूद और महिला खेलकूद समारोह में भारी संख्या में राज्य के दलों (टीम) ने भाग लिया। नवम्बर/दिसम्बर, 1980 में मद्रास में हुई मिनो राष्ट्रीय स्कूल खेलों में प्रदेश के छात्र तथा छात्राओं ने वालीवाल में सोने के दो पदक, वासकटवाल (छात्र) में एक चांदी का पदक और कवड्डी (छात्र) में कांसे का एक पदक प्राप्त किया। पूना में 28-12-81 से 3-1-82 तक हुई (सर्दियों की) राष्ट्रीय स्कूल खेलों में यहां की लड़कियों ने हाकी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। लगभग 25,000 विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थी युवकों की अभूत पूर्व/संख्या ने राज्य में तथा राज्य से बाहर टूरनामेंट/समारोहों में भाग लिया। अन्तर्राष्ट्रीय वालीवाल टूरनामेंट में हमारे एक युवक ने भारत की ओर से वालीवाल में भाग लिया। विभिन्न प्रकार की खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष/महिला खिलाड़ी को राज्य परसुराम पुरस्कार देने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। भारत सरकार के सहयोग से मण्डी में एक खेलकूद क्रीड़ागन वर्ष 1981-82 में पूरा कर लिया और भारत सरकार की सहायता से ही एक अन्य छोटा क्रीड़ागन कल्या (किनौर) में निर्माणाधीन है। अगले वर्ष स्कूल के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जो प्रज्ञा सम्पन्न (टेलिटिड) हैं उनकी उस प्रज्ञा का वैज्ञानिक रीति से परिपोषण करने के

लिए वालीवाल की खेल को सिखाने के लिए दो खेल कोचिंग विंग आरम्भ करने का प्रस्ताव है। पिछले साल एक सौ ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित किए थे वे बड़ी सफलता से चल रहे हैं और उन में 3,000 ग्रामीण युवक लाभान्वित हुए हैं। यह योजना भारत सरकार के 50 : 50 के आधार पर चल रही है। एन. सी. सी. को अधिक सार्थक बनाने के लिए इस में खेलें, सांस्कृतिक साहसिक और सामाजिक गतिविधियां सम्मिलित कर ली हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे दो एन. सी. सी. केडिटस ने अपनी-अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बस में यात्रा करने की छूट जो सरकार ने पिछले साल दी थी वह इस साल भी उपलब्ध थी। इस से विभाग विद्यार्थियों को भारी संख्या में स्कूल टूरनामेंट में भेज सका। यह सुझाव दिया जाता है कि बस के किराये में छूट की ऐसी सुविधा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और अन्य स्वयं सेवक संगठनों को भी साल भर उपलब्ध होनी चाहिए।

- (ग) **योग का प्रचार**—वर्ष 1981-82 में योग शिक्षा कार्यक्रम जिस के लिए निर्देशकों की भर्ती कर ली है, 2,000 विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की आशा है। इसके अतिरिक्त इस समय लगे हुए लगभग 12 शारीरिक शिक्षा अध्यापक योग के लिए केन्द्रीय अन्वेषण संस्थान से योग शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
- (घ) **शिक्षा के क्षेत्र में नये अनुभव**—एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, से विभाग ने 50 पुस्तकें (शिक्षा के क्षेत्र में नए अनुभव की निर्देशिका) प्राप्त की और जिला/तहसील मुख्यालयों पर जुनियर बेसिक टीचर जो उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगे हुए हैं, में बांट दी गई। माननीय शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय एकीकरण के विचार से इतिहास तथा भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करेगी और भारत सरकार को भेजने के लिए वह कार्य अब अन्तिम स्थिति में है।
- (ङ) **छात्रवृत्तियां**—वर्ष 1981-82 के दौरान गैर योजना तथा योजना बजट के अन्तर्गत क्रमशः

62.67 लाख रुपये तथा 7.98 लाख रुपये की राशि छात्रवृत्तियों/वृत्तिकार्यों के देने के लिए प्रस्तावित है जिससे प्रदेश के लगभग 14,232 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त 36.50 लाख रुपये की राशि लगभग 8,000 अनुसूचित जाति की छात्राओं को जो 6 से 11वीं कक्षाओं में पढ़ रही हैं, 30 रुपये प्रति छात्रा प्रतिमास की दर से और इसके साथ वर्ष में 100 रुपये के मूल्य की पुस्तकें, वर्दी आदि का अनुदान देने के लिए रखी गई है। इसके अलावा समाज के कमजोर वर्ग के 94,500 विद्यार्थियों को जो प्राथमरी कक्षाओं (1 से 5) में पढ़ रहे हैं 5 रुपये प्रति मास-प्रतिछत्र छात्रवृत्ति तथा 10 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र प्रारंभिक अनुदान देने के लिए 57.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। ये दोनों छात्रवृत्तियां अर्थात् अनुसूचित जाति की छात्राएं और प्राथमरी कक्षाओं के विद्यार्थी केवल उन विद्यार्थियों को ही दी जायेगी जिनके पिता की आय 6,000 रुपये वार्षिक से अधिक न हो।

खेलकूद छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ पुरुष/महिला खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर की खेलों में भाग लेंगे उनके लिए खेलकूद छात्रवृत्तियों की संख्या 1981-82 में 45 से 90 बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने हमारे पुरुष/महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय चक्रस्पर्धा (टूरनामेंट) में अच्छे खेल का प्रदर्शन करने के लिए 38 खेलकूद छात्रवृत्तियां दी है, 15 छात्रवृत्तियां राज्य खेल परिषद् ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष/महिला खिलाड़ियों को दी है।

(घ) अन्य उपलब्धियां—वित्त वर्ष 1981-82 में कर्मचारियों को स्थायी करने पदोन्नत आदि के मामलों को तीव्रगति से निपटाने के लिए प्रशासनिक कार्य किए और पेंशन के मामले भी निपटाए गए। इस वर्ष एक प्राधानाचार्य को 1981 में अध्यापकों के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया जबकि दो अध्यापकों को राज्य पुरस्कार दिया गया। 1981 में महाविद्यालयों के 21 प्राध्यापकों ने पी. एच. डी. की और उन्हें एक अग्रिम वार्षिक वृद्धि दी गई। 37 अध्यापकों और उनके आश्रितों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण निधि में से 19,430 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

1982-83 के लिए योजना—वित्त वर्ष 1982-83 के लिए कुल योजना उद्ब्यय 505.00 लाख रुपये है जिस में से 100.00 लाख रुपये अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत निर्धनता की रेखां से नीचे रहने वाले लोगों के लिए निर्धारित है। 42.50 लाख रुपये जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत जनजाति लोगों के शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपये भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए रखे गए हैं। वर्ष 1982-83 में निम्नलिखित कार्यक्रम रखे गए हैं :—

क्रम सं.	योजना -	इकाई	वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारित ज्ञक्ष्य
(क) नामांकन (अतिरिक्त)			
1	कक्षाएं (1-5)		
	छात्र	.. '000	4
	छात्राएं	.. "	5
	कुल	.. "	9
2	कक्षाएं (6-8)		
	छात्र	.. '000	6
	छात्राएं	.. "	5
	कुल	.. "	11
3	कक्षाएं (9-11)		
	छात्र	.. '000	2
	छात्राएं	.. "	2
	कुल	.. "	4
(ख) संस्थाएं			
	प्राथमिक इकाइयां	.. संख्या	200
	माध्यमिक इकाइयां	.. "	20
	उच्च इकाइयां	.. "	10
	महाविद्यालय	.. "	—
(ग) अध्यापक			
	प्राथमिक स्कूल	संख्या	300
	माध्यमिक स्कूल	.. "	120
	उच्च माध्यमिक स्कूल	.. "	90

7.2 तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के नियन्त्रण में दो बहुतकनीकी संस्थान हैं, एक है राजकीय बहुतकनीकी हमीरपुर और दूसरा राजकीय बहुतकनीकी सुन्दर नगर। इन के अतिरिक्त एक लघु तकनीकी स्कूल कांगड़ा में है। बहुतकनीकी संस्थानों में छात्रों को सिविल इलेक्ट्रिकल, मेकैनिक्ल तथा ओटो-मोबाइल ब्रांचों में त्रिवर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा जिस के साथ संस्थान इस समय परीक्षाओं के लिये सम्बद्ध है, की ओर से डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। लघु तकनीकी स्कूल कांगड़ा में छात्रों को उनकी सामान्य पढ़ाई के अतिरिक्त कार्पेन्टरी, मशीनिंग, टरनिंग, फिटिंग, वैल्डिंग, फाउंडरी इत्यादि विभागों में प्रशिक्षण दिया जाता है। आठवीं पास छात्रों को इस संस्थान में प्रवेश दे कर उन विद्यार्थियों को जो सफलतापूर्वक दो वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, उन्हें राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड हरियाणा की ओर से मैट्रिक के बराबर योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। वर्ष 1981-82 के लिए, इन संस्थानों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित संख्या स्वीकार की गई है :—

1. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, हमीरपुर—65 छात्र।
2. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दरनगर—95 छात्र।
3. राजकीय लघु तकनीकी स्कूल, कांगड़ा—72 छात्र।

(60+12 अर्थात् 20 प्रतिशत की दर से मांग पढ़ने पर प्रधानाचार्य की इच्छा)

वर्ष 1980-81 की उपलब्धियां और वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

मद	वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	
	1980-81 की उपलब्धियां	1981-82	1982-83
1	2	3	4
1. कुल संस्थान	3	3	3
2. वार्षिक आपूर्ति (विद्यार्थियों की संख्या)	217	232	247
3. उपलब्धियां (अनुमानित निकासी)	154	107	230

छात्रों को चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त खेलों, क्रीडामों, एन. सी. सी., रेडियो फोटोग्राफी, क्लब बुक बैंक, इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबन्ध किये गये हैं। इन संस्थाओं में योग्य एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

1982-83 के लिये योजना—ये तीनों तकनीकी संस्थान पहले की तरह चलते रहेंगे और अन्य योजनाएं जैसे कर्मचारियों के लिए निवास का निर्माण, अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम, छात्रों को सुविधाएं और छात्रवृत्तियों का प्रावधान, प्रयोगशालाओं तथा कर्मशालाओं के लिये उपकरण खरीदने, लैक्चरार स्तर के ढांचे में परिवर्तन तथा बुक बैंकों के लिए पुस्तकें खरीदने का कार्य चलता रहेगा। इस के अतिरिक्त वर्ष 1982-83 में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दरनगर में होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग एवं न्यूट्रिशन में विभिन्न डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव है, जिस से राज्य में रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

7.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन में पर्यावरण की सफाई में सुधार, छूत की बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण, माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान आदि अमूल्य सेवाएं सम्मिलित हैं जो 37 अस्पतालों, 189 औषधालयों, 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 974 उप-केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य भर में इस सम्बन्ध में किए गए कार्यों का संक्षिप्त व्यौरा निम्नलिखित है :—

1. ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य मार्गदर्शी योजना)—ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जो कि प्रायः स्वास्थ्य मार्गदर्शी योजना के नाम से जानी जाती है, प्रदेश में 2 अक्टूबर, 1977 को आरम्भ हुई थी। इस के अन्तर्गत 4,196 स्वास्थ्य मार्गदर्शकों ने वर्ष 1981 में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की। प्रत्येक स्वास्थ्य मार्गदर्शक को 50 रुपये प्रति मास का पारिश्रमिक दिया जाता है और इस के अतिरिक्त 150 रुपये की औषधियां त्रैमासिक दी जाती हैं। वे मलेरिया के निरीक्षण और उससे छुटकारा पाने का कार्य भी करते हैं।

2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—प्रदेश के सभी जिले (किन्नौर और लाहौल-स्पाति को छोड़ कर या जहां की ऊंचाई 5,000 फुट से अधिक है) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। मलेरिया के निरीक्षण का कार्य तेज कर दिया गया है ताकि सारी जनसंख्या इस से बचाई जा सके।

वर्ष 1980 और 1981 तक इक्ठ्ठी की गई तथा जांच की गई रक्त स्लाईडों का विवरण इस प्रकार है:—

रक्त स्लाईडें (लाखों में)

वर्ष	इक्ठ्ठी की गई	जांच की गई	अनुकूल पाई गई
1980	6.10	5.39	0.46
1981	8.43	8.07	0.85

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में इस समय 4,197 बुखार इलाज के डिपो, 6,738 औषधि वितरण केन्द्र, 86 मलेरिया उपचारालय, 51 प्रयोगशालाएं और 13 मौसमी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं।

3. कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम—इस समय राज्य में 6 कुष्ठ नियन्त्रण इकाइयों में 187 रोगियों के लिए सुविधाएं

हैं, 75 परिधि उपचारालय जो इन इकाइयों से सम्बद्ध हैं और 14 उपचार शिक्षा सर्वेक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सारा प्रदेश आता है। इन संस्थाओं के अलावा मेडिकल कालेज से सम्बद्ध एक शहरी उपचारालय जिस में 20 विस्तारों वाला एक अस्थाई वार्ड तथा एक पुनर्निर्माण योग्य शल्य इकाई कार्यरत है। वर्ष 1981 में 2,14,001 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया और 1,56,403 व्यक्तियों की जांच की गई जिन में से 102 नये मामले पाये गए।

4. स्त्रीपुरुष सम्पर्क से पारंपित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम—

इस समय प्रदेश में 71 स्त्री पुरुष सम्पर्क-पारंपित रोग संस्थाएं हैं जिन में से अधिकांश ग्रामीण तथा जनजाति क्षेत्र में स्थित हैं। इन संस्थाओं ने ऐसे रोगों के नियन्त्रण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सभी अनुकूलता दर (सिरोपोजिटिविटी रेट) जो 1952 में 37.4 प्रतिशत था 1981 में घट कर 2.03 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1980 तथा 1981 में जांच किए गए नमूनों और अनुकूलता दर का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	उपस्थिति	एस.टी.एस. की गई	एस.टी.एस. अनुकूल पाई गई	अनुकूलता प्रतिशत
1	2	3	4	5
1980	93,068	67,260	1,242	1.85
1981	1,01,972	78,742	1,600	2.03

अगस्त, 1981 में भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान फेयर लान में चिकित्साधिकारियों के लिए एक कर्मशाला का आयोजन किया।

5. राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम—यह कार्यक्रम राज्य में 2 क्षय रोग चिकित्सालयों, 8 जिला क्षय रोग और एक गृह उपचार केन्द्र जिन में 613 विस्तरे हैं कि सहायता से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन रोगियों को गृह उपचार भी दिया जा रहा है। वर्ष 1981 में 60,817 नए तथा 1,48,374 पुराने रोगियों का उपचार किया गया जिन में से 548 मौतें हुईं।

6. बी. सी. जी. कार्यक्रम—बी.सी. जी. का टीका क्षय रोग से बचाव की एक प्रभावशाली विधि है, यह कार्यक्रम प्रदेश में 1952 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शन और निरीक्षण के अधीन आरम्भ किया गया था। 1952 से 1965 तक टीके उन लोगों को लगाए जाते थे जिन पर टियुबर क्लाइन टेस्ट की विपरीत प्रतिक्रिया होती थी। 1965 के उपरान्त भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रारम्भिक रक्षित परीक्षा बन्द कर दी गई थी और अब 0—1 वर्ष के बच्चे वाले शिशुओं को टीके लगाए जाते हैं। 1981-82 में बी. सी. जी. के टीके लगाने का लक्ष्य 1,50,000 था जिन में से मार्च, 1982 तक 51,950 टीके लगाए जा चुके हैं।

7. स्कूल स्वास्थ्य सेवाएँ—वर्ष 1981 में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश में कोई संस्था नहीं है, इस लिए ये सेवाएँ विभिन्न चिकित्सा सेवाओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं। सभी स्कूलों को सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों को बांटा गया है। इस वित्त वर्ष के अन्त तक सभी स्कूल इसके अन्तर्गत लाये जाने की सम्भावना है। प्रदेश के कुल 7,775 स्कूलों में से 5,434 स्कूल फरवरी, 1982 तक इसके अन्तर्गत आ चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत स्कूली

बच्चों का चिकित्सा परीक्षण किया जाता है और रोगग्रस्त बच्चों को समीप की चिकित्सा संस्था को उपचार के लिए भेजा जाता है।

8. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम—बास्तव में यह एक स्वेच्छा अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को छोटे परिवार का लक्ष्य अपनाने के लिए प्रेरित करना है। वर्ष 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य और मार्च 1982 तक की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:—

(अनन्तिम)

मद	1981-82 के लिए लक्ष्य	मार्च, 1982 तक उपलब्धियाँ	
		संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
बन्ध्यकरण	15,800	22,564	142.81
लूप निवेशन	4,300	7,530	175.12
गर्भ अवरोध प्रयोग करने वाले	13,600	13,251	97.43
ओरल गोलियाँ प्रयोग करने वाले	2,700	163	6.04

विभाग ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न पग उठाए हैं जैसे परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन और राज्य तथा जिला स्तर पर पंचायतों को सामुहिक पुरस्कार देना।

9. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ—मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये सेवाएँ राज्य की सभी चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के लक्ष्य की उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:—

(अन्तरिम)

तरीका/वर्ग	1981-82 के लक्ष्य	मार्च, 1982 तक की उपलब्धियाँ	प्रतिशत उपलब्धियाँ
1	2	3	4
1. प्रतिरक्षण—			
संभावित माताएँ (डी.टी.)	50,000	48,378	96.76
बच्चे (डी.पी.टी.)	2,40,000	1,35,987	56.66
बच्चे (3—8 वर्ष) (डी.टी.)	1,50,000	1,78,763	119.18

1	2	3	4
पोलियो	20,000	41,360	206.80
टाइफाइड	50,000	50,066	100.13
टी.टी. (10 वर्ष)	15,000	41,029	273.53
टी.टी. (16 वर्ष)	10,000	18,515	185.15
2. आहार सम्बन्धी कमजोरी से छुटकारा :—			
(i) संभावित माताएं	1,50,000	1,94,638	129.76
(ii) बच्चे	1,50,000	2,74,307	182.87
3. विटामिन 'ए' की कमी से अन्धेपन से छुटकारा	3,00,000	3,39,964	113.32

1982-83 के लिए योजना— वर्ष 1982-83 में विभिन्न राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जारी रखने के साथ नये उपकेन्द्र खोले जायेंगे तथा प्रदेश के जिला चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाया जायेगा। अन्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।
3. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली यूनिट की स्थापना।
4. स्वास्थ्य जन-शक्ति यूनिट की स्थापना।
5. एक योजना अंकेक्षण तथा प्रशासनिक कक्ष की स्थापना।

7.4 आयुर्वेद

आयुर्वेद विभाग उन लोगों की आवश्यकताओं की देखभाल कर रहा है जिनका आयुर्वेद (भारतीय चिकित्सा की पद्धति) में विश्वास है। इस उद्देश्य से प्रदेश में 5 चिकित्सालय, 404 औषधालय एवं जिला चिकित्सालयों से सम्बंध तीन कक्ष कार्यरत हैं जिनमें 412 अन्तरोगी तथा आपातकालीन रोगियों के लिये बिस्तरों की व्यवस्था है।

अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण —उपरोक्त के अतिरिक्त दो फार्मेशियां एक जिला सिरमौर के माजरा नामक स्थान पर तथा

दूसरी जिला मण्डी के जोगिन्द्रनगर नामक स्थान पर दवाईयां बनाने तथा बहिर्वर्ती संस्थानों को दवाईयां भेजने के प्रबन्ध में कार्यरत हैं। देशीय चिकित्सा पद्धति में अनुसन्धान के लिए एक अनुवैक्षण केन्द्र जिला मण्डी में स्थित जोगिन्द्रनगर में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त जिला कांगड़ा में स्थित पपरोला में, 1978 से एक राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चल रहा है जिसमें प्रतिवर्ष 50 प्राथियों को जी. ए. एम. एस. के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। यह महाविद्यालय हिमाचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। आजकल विद्यार्थियों को जी. ए. एन. एन. वैद्य विचारद तथा आयुर्वेद शास्त्री आदि पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 341 विद्यार्थी हैं। वित्त वर्ष 1981-82 के दौरान महाविद्यालय को कर्मचारी वर्ग, भवन, यन्त्र एवं भण्डार, छात्रावास आदि सुविधाएं दिलवाने के लिए जिससे यह केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की आपेक्षाओं को पूर्ण कर सके, जिस पर इसकी अन्तिम मान्यता निर्भर करती है, 12.49 लाख रुपए उपलब्ध हुए। बहुत से अध्यापक एवं अन्य सहायक पदों का इस महाविद्यालय के लिए सृजन किया गया है एवं ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं ताकि शीघ्रातिशीघ्र इन पदों को भरा जाये।

भवन—इस समय अधिकतर आयुर्वेदिक औषधालय या तो निज किराये के भवनों या पंचायतों आदि द्वारा प्रदत्त भवनों में स्थित हैं। ये भवन एक चिकित्सा संस्थान की आपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। फलस्वरूप इन औषधालयों

के लिए भवन/कर्मचारी वासगृह आदि अति आवश्यक है जिसके लिए वर्ष 1981-82 में योजना के अधीन 8.65 लाख रुपये की लघु राशि रखी गई।

भारतीय चिकित्सा पद्धति—भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय परिषद् के सुझावों के अनुसार चिकित्सा की सभी पद्धतियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान कर उत्साहित करना है। हिमाचल प्रदेश में भोट चिकित्सा पद्धति मनाली, जिला कुल्लू में तिब्बत चिकित्सा प्रणाली से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों के पंजीकरण के लिए एक बोर्ड भी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक होम्योपैथिक बोर्ड को भी आयुर्वेद बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग—आयुर्वेद विभाग राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन, राष्ट्रीय परिवार कल्याण इत्यादि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी सहयोग दे रहा है। आयुर्वेदिक औषधालयों में सामान्य स्वास्थ्य विभाग के कई उप-केन्द्र स्थित हैं जहां जच्चा-बच्चा देखभाल सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेते हैं। ये कर्मचारी पात्र-दर्पितियों को आयोजित परिवार के लिए प्रेरणा, परिवार कल्याण शिविरों का आयोजन तथा नलबन्दी/नसबन्दी किये गये लोगों की बाद में भी देखभाल आदि के कार्यों में लगे हैं।

1982-83 के लिये योजना—वर्ष 1982-83 के दौरान किये जाने वाले कार्य (1) आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिए कर्मचारी, यन्त्र, भवन एवं क्षेत्रीय चिकित्सालय का प्रावधान, (2) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय शिमला के लिए अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग, (3) आयुर्वेद निवेशालय के लिए अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग, (4) आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति साथ होम्योपैथिक के पंजीकरण के लिए एक उपभाग, (5) जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालयों का खोलना, (6) पिछड़े हुए क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालयों का खोलना, (7) अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में दो आयुर्वेदिक औषधालय खोलना, (8) गैर-अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 14 नई आयुर्वेदिक औषधालय खोलना, (9) पुस्तकों का क्रय, (10) कर्मचारी वासगृह सुविधा सहित आयुर्वेदिक औषधालय भवन निर्माण और (11) जिला चिकित्सालयों के साथ 10 बिस्तरों वाले चार कक्षों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग के प्रावधान को बनाए रखना। केन्द्रीय विशेष सहायता के अधीन निम्न तीन योजनाओं के कार्यन्वयन का प्रस्ताव है:—

(1) भोट चिकित्सा पद्धति स्कूल, मनाली को अनुदान,

(2) जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय पियो (विशौर) के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तथा

(3) जनजातीय क्षेत्रों में कर्मचारी वर्ग की आवास सुविधा सहित आयुर्वेदिक औषधालय भवनों का निर्माण।

7.5 होमियोपैथी

सरकार चिकित्सा सुविधाओं का विकास करने में प्रयत्नशील है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा के साथ-साथ होमियोपैथिक चिकित्सा के विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 1981 में रजिस्ट्रार के कार्यालय की स्थापना की है और इस पद्धति को पृथक रूप से चलाने का निर्णय लिया है। आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी जिस गति से कार्य हो रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में होमियोपैथिक चिकित्सा सेवा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के समान जनता को लाभ पहुंचायेगी।

1. **होमियोपैथिक डाक्टरों का पंजीकरण—**प्रदेश में होमियोपैथिक चिकित्सा करने वाले डाक्टरों का पंजीकरण आरंभ करने से पहले कानूनी व अन्य तकनीकी प्रकार की सभी औषचारिकताएं तेज गति से पूरी की जा रही हैं। उम्मीद है कि बहुत शीघ्र यह कार्य पूरा हो जायेगा।

2. **होमियोपैथिक औषधालय—**अभी तक राज्य में सरकार की ओर से होमियोपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। एक होमियोपैथिक औषधालय शिमला में खोलना सरकार के विचाराधीन है।

5. **ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवी योजना)—**इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारी और एक्सटेंशन एजुकेटरों को एलोपैथिक चिकित्सा के साथ-साथ होमियोपैथिक चिकित्सा का ज्ञान और प्रशिक्षण रजिस्ट्रार द्वारा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण केन्द्र, परिमहल शिमला में दिया जाता है। अब रोगी होमियोपैथिक चिकित्सा का लाभ भी उठा सकेंगे।

वर्ष 1982-83 के लिये योजना : 1982-83 में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जायेंगे:—

(1) होमियोपैथिक चिकित्सा औषधालयों को जिला स्तर पर खोलना।

(2) शिमला में होमियोपैथिक औषधालय के साथ प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।

(3) दूसरे प्रदेशों में स्थित होमियोपैथिक कालेजों में प्रवेश के लिए प्रदेश के छात्रों को स्थान सुरक्षित कराना ।

(4) प्रदेश के होमियोपैथिक डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन ।

7.6 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

वर्ष 1981-82 के दौरान हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 67 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है । यह विद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है । अध्ययन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राजकीय हस्पताल स्नोडन तथा कमला नेहरू हस्पताल इस से सम्बन्धित है । प्रदेश में इस महाविद्यालय के खुलने से चिकित्सा, शल्य विज्ञान, स्त्री रोग व प्रसूति तन्त्र विज्ञान, चर्म एवं रतिज रोग विज्ञान, विकुण विज्ञान, जीव भौतिकी इत्यादि में आम जनता को आसानी से विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं ।

वर्ष 1981-82 तक की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है -

1. छात्र — 66 विद्यार्थियों ने एम. बी. बी. एस. की परीक्षा पास कर ली है जब कि 330 विद्यार्थी इस समय अध्ययन कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त 66 विद्यार्थी इन्टरनशिप प्रशिक्षण तथा 48 विद्यार्थी हाऊस जीव प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं ।

2. विषम समय में प्रयोगशाला सेवाएं—हिमाचल प्रदेश राजकीय चिकित्सालय स्नोडन में एमरजेंसी घटनाओं के लिए रात्रि तीव्रता प्रयोगशाला सेवाएं उपलब्ध है ।

3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम—महाविद्यालय हर वर्ष 4 प्रशिक्षणार्थियों को निश्चेतन चिकित्सा विज्ञान तथा 2 प्रशिक्षणार्थियों को रेडियो लोजी में एक-एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दे रहा है । इस वर्ष 2 तथा 4 डाक्टरों ने क्रमशः रेडियोलोजी तथा निश्चेतन चिकित्सा विज्ञान का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पास किया । इसके अतिरिक्त इस वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी इस महाविद्यालय में आरम्भ कर दिया गया है । स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में प्रशिक्षणार्थियों का व्यौरा निम्न प्रकार है :—

(i) एम. डी.—11

(ii) एम. एस.—4

(iii) डिप्लोमा—8

4. विश्व स्वास्थ्य संगठन कोमन वेलथ प्रशिक्षण कार्यक्रम—इस संस्थान के अधिकारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन कोमन

वेलथ कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है । ऐसे प्रशिक्षण अध्यापन गतिविधियों तथा रोगियों की देख रेख में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होंगे ।

5 संचल चिकित्सालय शिविर—हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण एवम् दूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु एक 50 बिस्तरों वाला चलता फिरता चिकित्सालय कार्यरत है जिसके द्वारा इन्टरन, पूर्व-स्नातक तथा नर्स प्रशिक्षणार्थी ग्रामीण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । संचल चिकित्सालय द्वारा वर्ष 1981-82 में चण्डी (जिला सोलन), रोहड़ू तथा जुब्बल (जिला शिमला) बैजनाथ और शाहपुर (जिला कांगड़ा) तथा चवाड़ी (जिला चम्बा) में शिविर लगाए गए । इसके अतिरिक्त इस संस्था द्वारा आंखों के ईलाज के कैम्पों का आयोजन प्रदेश के निम्न स्थानों पर किया गया :—

(i) शाहपुर (जिला कांगड़ा) ;

(ii) ठियोग (जिला शिमला) ;

(iii) नगरोटा बगवां (जिला कांगड़ा) ;

(iv) नूरपुर (जिला कांगड़ा) तथा

(v) कांगड़ा (जिला कांगड़ा) ।

उपरोक्त के अलावा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा पुनरु-स्थापन शिक्षा सेवाओं के अन्तर्गत बाधी, रेणुका और सराहन में शिविरों का आयोजन किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 1981-82 के दौरान इसी योजना के अन्तर्गत संकट-मोचन, तारादेवी, ओच्छघाट, भटा-कुफर, धामी, देवटी, सलोगड़ा, सागरी, घन्नाहटी और परवाणु में 11 छोटे कैम्पों का आयोजन किया गया ।

6. पोस्ट पार्टम कार्यक्रम—यह संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित पोस्ट पार्टम प्रोग्राम में भी भाग ले रहा है । इस कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

1. ओ. बी. जी. ऑ. आप्रेशन किए गए :—

मुख्य	..	1,228
गौण	..	2,084

योग	..	3,312
-----	----	-------

2. ग्रीवस्टेटिक्स :—

मुख्य	..	124
गौण	..	906

योग	..	1,030
-----	----	-------

3. कुल जनन ..	1,853
4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य आप्रेशनों का विवरण :—	
(क) ट्यूबवैकटोमी ..	894
(ख) री-कैनालाईजेशन ..	2
(ग) मैडिकल टरमिनेशन आफ प्रेगनेन्सी ..	1,110
(घ) आई० यु०सी० डी ..	578
5. निरोध बांटे गए ..	10,270
6. ओरल पिलस बांटे गए (पैक्ट)	103

7. भवन निर्माण कार्यक्रम —टाईप एक तथा टाईप चार रिहाईशी मकानों का निर्माण कार्य एवम् परिचारिका आवास तथा सराए भवन आदि का यह भवन जिसमें टैलिक-कोवाल्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी, तीन चार माह के अन्दर पूर्ण होने की आशा है। इसके अतिरिक्त पुरानी रिहाईशी भवनों की मरम्मत आदि भी पूर्ण जोरों पर है।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1982-83 में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाएंगे :—

(1) एम. बी. बी. एस. के पाठ्यक्रम के लिए 65 विद्यार्थियों की भर्ती करने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न विशेषताओं के लिए चालू किया गया है।

(2) भारत सरकार द्वारा इस संस्थान के लिए टेलकोबाल्ट यूनिट के स्थापित करने का आयोजन है जिस से आम जनता को उपचार हेतु लाभ पहुंचेगा।

(3) भारत सरकार द्वारा आयोजित री-ओरिएन्टेशन आफ मैडिकल एजुकेशन योजना भी इस महा-विद्यालय में वर्ष 1982-83 के दौरान चालू रहेगी।

(4) मुख्य भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे :—

(क) 10 बिस्तरों वाले पोस्टपार्टम वार्ड का निर्माण।

(ख) नए स्पेशल तथा शिशु वार्ड का निर्माण।

(ग) इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक निर्माण कार्य चालू किए जाएंगे ताकि भिन्न-भिन्न विभागों के आवास के लिए जो कमियां महसूस की जा रही हैं, पूरी की जा सकें।

7.7 आवास

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को वर्ष 1972 में साधारण जनता को महत्वपूर्ण स्थानों पर आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था और इस समय यह आवास बस्तियों के निर्माण में जुटा हुआ है, जिस से आवास सम्बन्धित कठिनाइयां कुछ कम हो पाई हैं। 1981 तक बोर्ड सामाजिक, आवास योजना को कार्यान्वित करने से ही सम्बन्धित था परन्तु वर्ष 1981-82 के दौरान सरकारी किराया आवास तथा पुलिस आवास योजनाएं भी इसे सौंप दी गई हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने में हुई प्रगति का व्यौरा निम्न है :—

1. सामाजिक आवास योजना—इस योजना के अन्तर्गत परवाणु, सोलन, नाहन, जाखू, संजोली, ऊना, धर्मशालला, पालमपुर, इत्यादि में आवास बस्तियां बनाई गई हैं और इसी प्रकार की बस्तियां मण्डी, चम्बा, बिलासपुर, कुल्लू इत्यादि स्थानों पर बनाने के प्रयत्न जारी हैं। इन सब बस्तियों में उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के मकान बनाए व बेचे गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1477 मकान व 750 प्लॉट आम लोगों को और 231 प्लॉट उद्योगपतियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बेचे गए हैं।

निकट भविष्य में निम्नलिखित प्लॉट व मकान बनाने की योजना है :—

क्रम	स्थान का नाम	मकान (संख्या)				प्लॉट (संख्या)			
		जि०	जि०	जि०	एस०	जि०	जि०	जि०	एस०
		आई०	आई०	आई०	डबल्यु०	आई०	आई०	आई०	डबल्यु०
		एच०	एम०	एल०	ई०	एच०	एम०	एल०	ई०
1	संजोली (शिमला)	—	8	10	7	—	10	88	—
2	ऊना	—	20	32	4	18	5	3	3
3	पालमपुर	—	10	8	8	—	4	7	4
4	मण्डी	—	8	20	6	15	7	20	—
5	बिलासपुर	—	24	32	8	9	15	3	10

शिमला में मकानों व प्लाटों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए कैंलस्टन इस्टेट और नौल्ज वुड में आवास वस्तियों के निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है और फ्लैट/मकान 280 लोगों को स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत दिये जा चुके हैं। इसी योजना के अन्तर्गत 114 द्वितीय श्रेणी के और 60 तृतीय श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण का समयवध कार्य परवाणु निवास क्षेत्र के सेक्टर 4 व 5 में शुरू कर दिया गया है।

परवाणु में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के निर्देश पर बोर्ड ने प्रयोग हेतु कुछ मकान बनाए हैं। इस शहरी बस्ती के निर्माण के लिए पूंजी बैंक व सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गई है।

2. सरकारी कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना— हिमाचल प्रदेश में आवास बोर्ड को प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 532 मकान बनाने का कार्य सौंपा गया है। यह कार्य मण्डी, धर्मशाला, नाहन, हमीरपुर तथा कमुम्पटी (शिमला) में प्रगति पर है। इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जैसे ऊना, चम्बा, कुल्लू, बिलासपुर, इत्यादि स्थानों पर निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

3. पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास योजना— विभिन्न प्रकार के लगभग 300 मकानों का निर्माण कार्य सोलन, नाहन, ऊना, धर्मशाला, चम्बा, बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी और भराड़ी (शिमला) में अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा कर दिया जायेगा। इस के अतिरिक्त हुडको ने 7 योजनाओं की स्वीकृति दे दी है और शेष 2 योजनाओं की स्वीकृति देनी बाकी है।

सातवें वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की 160 इकाइयों का निर्माण किया जाना है। पुलिस आवास योजना का कार्य 70 प्रतिशत हुडको की सहायता से और शेष सरकारी सहायता से पूरा किया जा रहा है।

4. डिपोजिट वकर्स —बोर्ड ने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं व लोक निगमों जैसे कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल पय परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान इत्यादि के निर्माण कार्य को भी कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड ने शिमला में राज्य अतिरिक्त भवन व परवाणु में शिवालिक कैफे का निर्माण, हमीरपुर काम्प्लेक्स, शिमला सब्जी मण्डी में हिमाचल प्रदेश विपणन तथा विधायन के लिए दुकान/गोदाम का निर्माण, परवाणु तथा सोलन में छात्रावास का निर्माण सम्बन्धित कार्य पूरे कर दिये हैं। इस के अतिरिक्त शिमला

व हमीरपुर में बचत भवन का निर्माण केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के ओडोटोरियम भवन का निर्माण, अनुसूचित जातियों व उद्यमियों के लिए 10 शैड का निर्माण कार्य परवाणु में प्रगति पर है तथा हिपा के कुछ कार्य भी प्रगति में है।

5. चूने की भट्टियां —सिमेंट की कमी के कारण निर्माण सामग्री की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बोर्ड ने सलापड़ व बिलासपुर में चूने की भट्टियों को वाणिज्यिक आधार पर स्थापित करने का आयोजन किया है। निजि भूमि को खरीदने के लिए पूरे जोरों पर प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

6. ग्रामीण आवास दल—बोर्ड कमजोर वर्गों तथा कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। बोर्ड में ही एक ग्रामीण विकास कक्ष का गठन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है :—

- (1) स्थानीय भवन निर्माण सामग्री व निर्माण तकनीक में शोध कार्य करना और गांव के मकानों की रूप रेखा बनाना।
- (2) अच्छी निर्माण सामग्री व तकनीक को बढ़ावा देना।
- (3) प्रदर्शन के लिए मकानों के झुण्ड बनाना व चुने हुए गांव के वातावरण में सुधार लाना।
- (4) मकानों की योजना व बनाने के प्रौद्योगिक में लगे तकनीकी अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

7. मांग सर्वेक्षण —परवाणु, चम्बा, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना, बरोटीवाला, सोलन, सलोगड़ा, मेहतपुर, पांवटा साहिब, सुन्दरनगर, कुल्लू, धर्मशाला, कगड़ा, नाहन, बिलासपुर, मण्डी तूरपुर, काला अम्ब और शिमला के इर्द गिर्द मकानों/प्लाटों/फ्लैटों की मांग का मूल्यांकन करने के लिए दो चरणों में "मांग सर्वेक्षण" शुरू कर दिया है। दूसरा चरण 31 जनवरी, 1982 को समाप्त हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने शाहपुर, नगरोटा, जसूर, डलहौजी, ज्वालामुखी, देहरा गोपीपुर, मनाली, बैजनाथ, परागपुर/गरली, नालागढ़, अम्ब, राजगढ़, कुनिहार और कसौली में आवास वस्तियों के निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये हैं।

7.8 पेयजल योजना

प्रदेश के 16,916 गांवों में से 15.78 लाख की जन-संख्या के 6,425 गांवों को स्वच्छ पेयजल की सविधा प्रदान की जा चुकी थी। इन 6,425 गांवों में से 285 ग्राम

जन-जातीय क्षेत्रों में है। वर्ष 1980-81 के दौरान 1,668 लाख रुपये के व्यय से 1,462 गांव को इस योजना के अधीन लाया गया जिनकी जन-संख्या 3.05 लाख है। वर्ष 1981-82 के लिए लोक निर्माण विभाग को पेयजल योजना के अधीन 798.71 (665.71 लाख रुपये ग्रामीण पेयजल योजना 108.00 लाख रुपये शहरी पेयजल योजना तथा 25.00 लाख रुपये जल निकास) लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 364.50 लाख रुपये वर्ष 1981-82 के लिये दिये गए। उपरोक्त प्रदर्शित उपलब्ध निधि से 1,626 ग्रामों को पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जिसकी जन-संख्या 3.04 लाख है।

सभी शहरों में पेयजल योजनाएँ हैं और इनके विस्तार की आवश्यकता है। शिमला पेयजल योजना का आवर्धन कार्य पूर्ण होने ही वाला है जो शीघ्र ही पूरी तरह चालू होने वाला है। 25 हजार रुपये तक की लागत वाली लघु योजनाएँ ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1982-83 के दौरान राज्य के लोक निर्माण विभाग की योजना के अधीन ग्रामीण पेयजल योजना, नगरीय पेयजल योजना तथा स्वच्छता एवं जल प्रवाह योजनाओं पर 1030 लाख रुपये की राशि के व्यय किये जाने का प्रस्ताव है जिसका प्रमुख भाग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के ग्रामीण पेयजल तीव्रगति से कार्यान्वयन करने के लिये 6 से 7 करोड़ रुपये के जारी किये जाने की सम्भावना है। उपरोक्त राशि से 1,600 गांव जिनकी जन-संख्या 3.20 लाख के लगभग है, को पेयजल सुविधाएँ प्रदान कराये जाने का प्रस्ताव है।

7.9 पिछड़े वर्गों का कल्याण

कल्याण विभाग समाज के कमजोर वर्गों एवं जातियों जिन में अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े हुये वर्ग, स्त्रियों और बच्चे सम्मिलित हैं, के कल्याण के लिये कार्य करता है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक उत्थान के लिये निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं :—

1. पिछड़े वर्गों का कल्याण
2. सामाजिक कल्याण
3. पोषाहार कार्यक्रम

पिछड़े वर्गों का कल्याण

पिछले वर्षों की भान्ति, कल्याण विभाग ने समाज के पिछड़े वर्गों तथा पद-दलित वर्गों के लोगों के आर्थिक सुधार तथा सामाजिक उत्थान के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उनकी सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों तथा तकनीकी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर शिक्षा के लिए क्रमशः 8 रु० 12 रु० तथा 15 रु० प्रति विद्यार्थी प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। तकनीकी छात्रवृत्ति की दर 45 रु० से बढ़ा कर 100 रु० प्रति छात्र प्रति मास कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों को पुस्तकें, स्लेट तथा कपड़े, आदि खरीदने के लिये विभिन्न दरों पर प्राथमिक/माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर कक्षाओं के स्तर पर अनुदान दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों की खुराक को बलवर्धक बनाने के लिये दोपहर का भोजन भी दिया जाता है।

इन वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के विचार से लघु उद्योग स्थापित करने के लिये इन्हें सहायता तथा ध्याज रहित ऋण दिये जाते हैं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोग, जो निर्धन हैं, व अपने आवासों का विद्युतिकरण करवाने का खर्च सहन नहीं कर सकते उन्हें 200 रु०, घरों का विद्युतिकरण करने के लिये प्रति परिवार की दर से राशि दी जाती है। वर्ष 1981-82 के दौरान हरिजनों के मकानों तथा बस्तियों का विद्युतिकरण करने के लिये, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 6 लाख रुपये की राशि से जोरदार कार्यक्रम चलाया है। छोटी पेयजल योजनाएं इन वर्गों को पानी पहुंचाने के लिये चलाई जा रही हैं। पिछड़े वर्गों के आर्थिक सुधार के लिये विभाग द्वारा स्वयंसेवी संघों के सहयोग से विभिन्न प्रोडक्शन-कम-ट्रेनिंग केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को आजीविका कमाने के लिये औजार व उपकरण प्रदान किये जाते हैं। अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा डिनोटिफाईड ट्राइब्स को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मकानों की मुरम्मत तथा निर्माण के लिये आवास तथा ध्याज रहित ऋण दिये जाते हैं। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण के लिये प्रदेश में एक अनुसूचित जाति विकास निगम की भी स्थापना की गई है। इन लोगों के सामान्य कल्याण को ध्यान में रखने के अतिरिक्त छुआछूत की बुराई को दूर करने के लिये निगम अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रति दम्पति 500 रु. अनुदान देता है।

वर्ष 1982-83 के लिये योजना—जो कार्यक्रम 1981-82 में चलाये जा रहे हैं उनको 1982-83 में भी चालू रखने का प्रावधान है।

7.10 समाज कल्याण

समाज कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों जैसे निराश्रित, निर्बल, अनाथ और शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग लोगों का कल्याण करना है। उनके उत्थान तथा सुधार के लिये सरकार ने बाल-बालिका आश्रम, निराश्रित गृह, सामुदायिक केन्द्र और नारी सदन खोल रखे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 की उपलब्धियों का वर्णन नीचे किया गया है:—

शिशु अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में एक विशेष पाठशाला हरोली, जिला ऊना में खोली गई जबकि एक नारी सदन कांगड़ा में तथा एक बालिका आश्रम परागपुर में समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान भी कार्यरत रहे। पहले से चले आ रहे वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम को चालू वर्ष में जारी रखा गया। इस के अधीन 45,000 लोगों को लाभ पहुंचने की आशा है। इस योजना के आकार को बढ़ा दिया गया है तथा अब 5,000 निराश्रित विधवाओं को बिना आयु-सीमा के 50 रु. प्रति मास की दर से पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार निराश्रित अपंगों को बिना आयु सीमा के 50 रुपये प्रति-मास की दर से अपंगता भत्ता दिया जा जा रहा है।

कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल—कार्यरत महिलाओं के लिये सोलन, कुल्लू, मण्डी, धर्मशाला, हमीरपुर, शिमला, ठियोग, चम्बा, नाहन, परवाणु और ऊना में 11 होस्टलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

समन्वित बाल विकास परियोजनाएं—पूह, लम्बा गांव, चच्योट (गोहर) निरमण्ड (आन्ती) तथा रामपुर में 5 समन्वित बाल विकास परियोजनाएं पहले सेही कार्यरत हैं। इसी प्रकार की तीन और परियोजनाएं वर्ष 1982-83 के दौरान आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

पूर्व शिक्षा अध्ययन केन्द्र—केन्द्रीय पुरस्कृत योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व परीक्षा अध्ययन केन्द्र आरम्भ किया जा चुका है। इस योजना का व्यय

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 क अनुपात में सहन किया जाता है।

केन्द्रीय विशेष सहायता के अन्तर्गत 5 लाख रुपये की लागत से वर्ष 1980-81 में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिये चम्बा में एक होस्टल तथा तरेला में एक सराय बनाने की स्वीकृति दी गई है। चालू वर्ष में इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये 4 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

7.11 पौषाहार कार्यक्रम

नवम्बर, 1970 से कल्याण विभाग द्वारा चलाये गए विशेष पौषाहार कार्यक्रम का उद्देश्य 0—6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करना है। वर्ष 1981-82 के दौरान 711 केन्द्र चलाने के लिये योजना के अन्तर्गत 26 लाख रु० और गैर योजना के अन्तर्गत 8 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है, जिससे 33,570 बच्चे, गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताएं लाभान्वित होंगी, जब कि इस कार्यक्रम के अधीन कल्याण विभाग द्वारा 30.00 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1981-82 में खुराक दर बढ़ा कर 20 से 25 पैसे प्रति बच्चा और 25 पैसे से 50 पैसे प्रति गर्भवती स्त्री को दिया गया है।

ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग द्वारा भी व्यवहारिक पौषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस का उद्देश्य लोगों की खान-पान की आदतों में सुधार लाना है। वर्ष 1981-82 के दौरान 5 और विकास खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह संख्या 44 हो गई है। ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग की अन्य उपलब्धियों का वर्णन अध्याय नं० 3.2 में किया गया है। स्वास्थ्य विभाग भी इस कार्यक्रम को “स्कूल स्वास्थ्य शृंखला” नाम से कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल विद्यार्थियों की स्वास्थ्य स्तर तथा उसे समयानुसार ठीक करने के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया।

7.12 श्रम प्रशिक्षण तथा श्रम कल्याण

श्रम रोजगार तथा प्रशिक्षण विभाग वर्तमान श्रम शक्ति तथा इस में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखता है। रोजगार ऐजन्सियों, इन्जिनियर, गैर-इन्जिनियरिंग में प्रशिक्षण तथा रोजगार सम्बन्धित सूचना के माध्यम से जन शक्ति की मांग तथा पूर्ति पर निगरानी रखता है। विभिन्न श्रम कानूनों को कार्यान्वित कर के श्रमिकों के कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है।

1. **श्रम कल्याण**—प्रदेश का श्रम विभाग विभिन्न प्रकार के कानूनों व अधिनियमों को श्रम कल्याण के लिये कार्यान्वित करता है। अधिक से अधिक उत्पादन और उत्पादकता के उद्देश्य से श्रमिकों में सांझीदारी व अपने-पन की भावना का जाग्रण उन्हें प्रबन्ध में सम्मिलित कर के किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये श्रमिकों को आवश्यक ज्ञान व सूचना “श्रमिक शिक्षा योजना” के माध्यम से प्रदान की जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना—कर्मचारी बीमा योजना एक्ट, 1948, कर्मचारियों को परिवार कल्याण, बीमारी, मौत, रोजगार में अपंग होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस एक्ट के अन्तर्गत खनन व रेलवे शैडज को छोड़ कर वह सभी समस्त गैर-मौसमी फैक्ट्रियां जो कि 20 या 20 से अधिक लोगों को रोजगार देती है तथा शक्ति को प्रयोग में लाती हैं, आती हैं। यह उन सब कर्मचारियों पर जिनका वेतनमान 1,000 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है लागू होता है। इस योजना के लिए वित्त मुख्यतः कर्मचारियों तथा मालिकों के अंशदान द्वारा प्राप्त होता है। राज्य सरकार भी उन खर्चों का 1/8 भाग सहन करती है। प्रदेश में 4. 6. 1977 से यह योजना सोलन जिला में केवल फैक्टरी कर्मचारियों पर ही लागू की गई थी। बाद में इस योजना को सोलन में निम्न रोजगारों पर जो एक्ट के प्रावधानों को पूरा करते थे पर भी लागू किया गया :—

1. होटलों
2. रेस्टोरेंट्स
3. दुकानों
4. पथ परिवहन संस्थाएं
5. सिनेमा तथा थियेटर
6. समाचार पत्र संस्थाएं जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 की धारा 2 (डी) के अन्तर्गत आते हैं (सेवा शर्तें व अन्य प्रावधान)

वर्तमान वर्ष में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु तथा महतपुर में भी इस एक्ट को लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा निगम व केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनोपरान्त राज्य कर्मचारी बीमा ऐक्ट 1948 की धाराओं को महतपुर व परवाणु क्षेत्रों में लागू किया है। प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने परवाणु, महतपुर तथा सोलन में कर्मचारियों के हित के लिये डिसपेंसरियां खोली हैं। राज्य कर्मचारी बीमा संघ इस योजना को ठीक कार्यान्वित करने के लिये जिम्मेदार है।

कर्मचारी भविष्य-निधि एक्ट-1952—कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत फैक्ट्री तथा अन्य संस्थाओं के

मालिकों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान समय में यह एक्ट उन फैक्ट्रियों या संस्थाओं में ही प्रचलित है, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूरे कर दिये हैं तथा 50 या 50 से अधिक कर्मचारी काम पर लगे हैं, अथवा 5 वर्ष पूरे कर दिये हैं तथा 20 से 49 तक आदमी काम पर लगा रखे हैं।

केन्द्रीय भविष्य निधि संघ का क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ में है और भविष्य निधि निरीक्षक जो कि शिमला में नियुक्त हैं, इस एक्ट को हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित करने के लिये जिम्मेदार है। एक्ट की शर्तों के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय कमेटी का संगठन श्रम सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में किया गया है जो कि समय-समय पर इस एक्ट के कार्यान्वयन की सीमाक्षा करती है। इस समय इस अधिनियम के अन्तर्गत 18,350 कर्मचारी आ गये हैं।

समाज के कमजोर वर्गों व औद्योगिक श्रमिकों के लिए एकीकृत सहाय अनुदान आवास योजना—इस योजना का वर्तमान नाम 1952 में चलाई गई औद्योगिक श्रमिकों के लिये “सहाय अनुदान आवास योजना व 1962 में चलाई गई कमजोर वर्गों के लिये आवास योजना के मिलाप से पड़ा। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है राज्य सरकार द्वारा अन्य स्वीकृत संस्थाओं को श्रमिकों के विशेष वर्गों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है।

कर्मचारी शिक्षा योजना—श्रम मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिये समस्त देश में एक योजना आरम्भ की है और इस का प्रशासन केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को सौंप रखा है। श्रमिक शिक्षा उन की भलाई, कार्यक्षमता व श्रेष्ठता को अधिक करने के लिये और वह उन में अधिकार व कर्तव्य की भावना का जाग्रण करने के लिये आवश्यक है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये अधिकारी आगे कार्यकर्ता-अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रकार से कुछ चुने हुये प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने अपने रोजगार के स्थान पर इकाई के स्तर पर श्रमिकों की कक्षाएं लेते हैं।

इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उन परिस्थितियों की सही जानकारी देना है जिस में वह कार्य करता है और नीतियां व दबाव जिन के अन्तर्गत उसे रहना पड़ता है, तथा कैसे वह सामूहिक शक्ति से संघ के माध्यम से इस दबाव को कम कर सकता है और किस प्रकार वह नीतियों के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है और किस प्रकार से वह अपने संघ के

माध्यम से श्रमिक वर्ग एवं समाज का हित कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में श्रमिक शिक्षा योजना का कार्य श्रमिक शिक्षा केन्द्र चण्डीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक की देख रेख में होता है। श्रम विभाग, हिमाचल प्रदेश की सहायता से श्रमिक शिक्षा के लिये कुछ शिविरों का आयोजन परवाणू, सोलन, महतपुर हमीरपुर तथा प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों जैसे किन्नौर व चिड़गांव (रोहड़ू) में भी किया गया है।

श्रम विभाग फैक्टरियों तथा संस्थाओं का निरीक्षण करता है और ध्यान रखता है कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी निश्चित समय पर ही मिले। मजदूरी न्यूनतम मजदूरी दर जोकि सरकार ने किसी विशेष रोजगार के लिये निश्चित कर रखी है से कम न मिले और मालिक द्वारा कोई फजूल की कटौती न की जाये। इस के अतिरिक्त पंजीकृत फैक्टरियों और चाए के बागीचों में लगे श्रमिकों को राष्ट्रीय व उत्सव-छुट्टियां, आकस्मिक व संतप्त अवकाश जोकि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय व उत्सव अवकाश अधिनियम 1969 के अन्तर्गत प्रकाशित है, दिये जाते हों यह भी ध्यान में रखा जाता है कि श्रमिकों को ठीक चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हों और दुर्घटना के समय उन्हें उचित राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाये।

(II) जनशक्ति और रोजगार योजना—रोजगार सेवा (i) उन रोजगार ढूढने वालों को जिन के पास भिन्न-भिन्न प्रकार का अनुभव व शैक्षणिक योग्यताएं होती हैं, को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देती है (ii) श्रमिकों/रोजगार से निकाले गये श्रमिकों को वैकल्पित रोजगार को पाने में सहायता करती है (iii) नियुक्तकर्ताओं को उन की संस्थाओं में खाली स्थान भरने के लिये उचित श्रमिकों की जानकारी देती है, (iv) विद्यार्थियों, अध्यापकों, माता-पिता और प्रशासकों को प्रशिक्षण व रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं से अवगत करवाती है तथा (v) युवकों और रोजगार ढूढने वालों को प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम कार्यक्रमों का मूल्यांकन और रोजगार की स्थिति के अनुसार बनाने में सहायता देती है।

‘श्रम रोजगार सहायता/सूचनाएं प्रचलित वर्ष में प्रदेश के 12 जिला रोजगार कार्यालयों द्वारा, एक परियोजना रोजगार कार्यालय, 9 उप-रोजगार कार्यालयों, 13 ग्रामीण जनशक्ति इकाईयों, एक राज्य रोजगार सम्बन्धी सूचना इकाई, 12 जिला स्तर पर रोजगार सम्बन्धी सूचना इकाईयों, एक व्यवसायिक मार्ग दर्शन इकाई और 2 जिला शिमला व धर्मशाला के रोजगार कार्यालयों की व्यवसायिक मार्ग-दर्शन इकाईयों के माध्यम से दी गई हैं। विश्व विद्यालय रोजगार सूचना/फार्म दर्शन कार्यालय हि.प्र. विश्व विद्यालय में कार्यरत है। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड रोजगार कार्यालय ग्रामीण

आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपंग/सेना से निवृत्त कर्मचारियों को रोजगार-व्यवस्था करने के लिये विशेष कक्ष बनाए गये हैं

1 अप्रैल, 1981 से 31-3-82 तक 68,135 प्रार्थियों को पंजीकृत किया गया और 7,731 को नौकरी दी गई। विभिन्न नियुक्तकर्ताओं द्वारा 10,929 रिक्त स्थानों को प्रकाशित किया गया जिस में से 5,162 की नौकरी दी गई। रोजगार कार्यालयों में प्रार्थियों की संख्या 31-3-82 तक 1,60,661 थी। भूतपूर्व सैनिकों की स्थापना के लिये विशेष कक्ष में, 1-4-81 से 31-3-82 तक 370 आरक्षित रिक्त स्थान थे, जिस में से 197 प्रार्थियों को नौकरी दी गई, अपंग लोगों के कक्ष में 1,493 प्रार्थियों को पंजीकृत किया गया था, जिस में से 31-3-82 तक 35 को नौकरी दे दी गई और 22 को विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण, केन्द्रों में प्रवेश दिया गया। बहुत से लोगों को रोजगार सम्बन्धी सूचना/मार्गदर्शन देने के अतिरिक्त 1-4-81 से 31-3-82 तक 20,872 प्रार्थियों को “वोकेशनल गाईडेंस व एम्प्लोमेंट कौंसिलिंग सेवा” में रोजगार भी दिया। रोजगार सम्बन्धी सूचनाएं एकत्रित की गई और छपवाई गई। हि० प्र० में “वोकेशनल ट्रेनिंग/रिहे-ब्लिटेशन केन्द्र” स्थापित करके अपंग व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में जैसे कुर्सियों का बुनना, दर्जी का काम, स्टैनोंग्राफी इत्यादि में प्रशिक्षण देने की योजना है। कार्य के स्तर में सुधार के लिये एक सतर्कता अनुभाग भी खोला जा रहा है।

(III) कारीगर प्रशिक्षण योजना—विभाग की प्रशिक्षण, शाखा कुशल श्रमिकों को उपलब्ध करवाने व श्रमिकों के श्रमिक प्रशिक्षण के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने और शिक्षित युवकों को उद्योगों में रोजगार दे कर बेरोजगारी को कम करवाने इत्यादि के लिये उत्तरदायी है। इस का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादन करना है जोकि कुशल श्रमिकों की कमी के कारण कम न हो। इस शाखा ने शिमला, शाहपुर, सोलन, शमशी, मण्डी, चम्बा, और नाहन में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल रखे हैं जिन में 1,864 प्रशिक्षण इन्जनियरिंग तथा गैर-इन्जनियरिंग धन्धों में “कारीगर प्रशिक्षण,” योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे हैं। वर्ष 1981-82 में 1,274 प्रशिक्षक इन केन्द्रों में भर्ती किये गए और 1,091 ने अखिल भारत रोजगार परीक्षा दी जोकि “व्यवसायिक और तकनीकी देशों के लिये राष्ट्रीय संस्था” ने आयोजित की थी। इस में 653 ने यह परीक्षा पास की है। फरवरी, 1982 में फेल हुये विद्यार्थियों के लिये अनुपूरक परीक्षा का आयोजन किया गया जिस में 454 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी। दिसम्बर 1981 में व्यवसायिक कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिये राज्य स्तर पर प्रशिक्षार्थियों की वक्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के लिये 2 प्रशिक्षक केन्द्रीय प्रशिक्षण

कन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे गए। इस से भी अच्छी प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त कराने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नाहन तथा चम्बा में भवनों का निर्माण जारी रहा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये विभाग ने "अप्रैन्टिसशिप एक्ट" को पूरी तरह से लागू कर रखा है जिस से स्थापित उद्योगों में और अधिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हों और प्रशिक्षक उस कुशलता को प्राप्त कर सकें जिसकी उद्योगों को आवश्यकता है। अप्रैन्टिसशिप प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य उद्योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्थान व आत्म निर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति करने के उद्देश्य से प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन तथा उत्पादिकता के स्तर को बढ़ाना है। इस योजना के अन्तर्गत 76 नए अप्रैन्टिस रखे गए। अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में 34 परीक्षार्थियों ने भाग लिया जिस में से 17 उत्तीर्ण हुये। 114 प्रशिक्षक 21.12.81 को प्रशिक्षण पा रहे थे। परीक्षार्थी जो विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं के कल्याण के लिये वजीफे की दरें व प्रशिक्षण अनुदान को बढ़ाने का कार्यक्रम है। विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों के लिये औजार व समान खरीदने को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। जनजातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 16 प्रशिक्षकों वाला हाऊस औद्योगिक केन्द्र की स्थापना का भी आयोजन है। तकनीकी तथा आधुनिकता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अच्छे प्रशिक्षित श्रमिकों को और अच्छा प्रशिक्षण देने के लिये एक "उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना भी चलाई गई है।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—श्रम कल्याण एक्ट के अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिये एक श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना का आयोजन है और वर्ष 1982-83 में इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। इसी वर्ष जिला जांच समितियों का आयोजन प्रदेश बन मजदूरों की जांच करने के लिये आयोजित की जायेगी। इसी प्रकार औद्योगिक झगड़ों का निपटारा करने के लिए भी एक संगठन बनाये जाने का प्रस्ताव है। रोजगार की दिशा में भी विभाग बेरोजगारों को बेहतर सुविधा देने के लिये भिन्न भिन्न पग उठायेगा। इस सम्बन्ध में रोजगार की और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रोहड़ू में उप-रोजगार कार्यालय, चम्बा जिले में तीसा में और हमीरपुर जिले में भोरंज में ग्रामीण जनशक्ति इकाइयों की स्थापना का आयोजन है। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में "विश्व-विद्यालय रोजगार, सूचना व भाग दर्शन ब्यूरो," की स्थापना तथा काजा के उप-रोजगार कार्यालय का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है कार्य के स्तर में सुधार के लिये एक सतकर्ता एवं

प्रवर्तन अनुभाग खोलने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति अनुभाग को भी और अधिक शक्तिशाली बनाया जायेगा। अपंग व्यक्तियों के लिये "व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र" स्थापित किया जायेगा।

प्रशिक्षण की दिशा में कमी वाले औजारों व उपकरणों का खरीदना, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का खोलना, वजीफे व प्रशिक्षण उपदान का बढ़ाना तथा [अप्रैन्टिसशिप प्रशिक्षण अनुभाग को शक्तिशाली बनाना सम्मिलित है।

7.13 नगरीय विकास तथा ग्रामीण नियोजन

नगरीय विकास तथा ग्रामीण नियोजन का गठन विकसित शहरों का वैज्ञानिक तरीके से विस्तार करके तथा अक्रमण विस्तार से बचने के लिये किया गया था। इस संघ द्वारा प्रचलित वर्ष 1981-82 में निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं :—

1. नगरीय विकास तथा ग्रामीण नियोजन अधिनियम जुब्बड़-हट्टी हवाई कम्प्लेक्स सोलन, बरोटीवाला, पियो, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, मण्डी और ऊना नियोजित क्षेत्रों में भी लागू कर दिया है। प्रचलित भूमि-प्रयोग के नक्शों को बना दिया गया है और उन का अनुसरण कर लिया गया है।

2. पांवटा साहिब नियोजित क्षेत्र का गठन किया गया और नगरीय विकास तथा ग्रामीण नियोजन अधिनियम को भी लागू कर दिया है।

3. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों में सुधार की योजना बनाई गई है और सरकार को भेज दी गई है।

4. सोलन, बरोटीवाला, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लू, ऊना, मनाली, शिमला (जुब्बड़-हट्टी) और परवाणू नियोजित क्षेत्रों का आवश्यक विकास निरीक्षण किया जा रहा है।

वर्ष 1982-83 में निम्न कार्यों को कार्यान्वित करने का प्रावधान है—

1. नैना देवी जी, पियो, काजा व शिमला कैपिटल-कम्प्लेक्स से "स्पिल ओवर वर्क" पूरा किया जायेगा। नियोजित शहरों में बचे हुये क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा किया जायेगा।

2. बरोटीवाला और पियो के लिये विकास योजना का बनाना।

3. गठित नियोजित क्षेत्रों का विकास निरीक्षण करना।

4. शिमला नियोजित क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए खण्डीय योजना बनाना ।
5. विभिन्न विभागों और स्थानीय संस्थाओं के लोक उपक्रमों सहित विकास कार्य में परामर्श देना ।
6. यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिये यातायात परिवहन योजनाएं बनाना ।
7. राष्ट्रीय तथा उच्च मार्गों में पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये विकास योजनाएं बनाना ।
8. कुल्लू मनाली के लिये क्षेत्रीय योजनाएं बनाना ।
9. न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम गन्दी-बस्ती योजनाओं को कार्यान्वित करना जिस से समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक सेवाएं/सुविधाएं प्राप्त हों ।
10. शिमला, कुल्लू, मनाली, परवाणु, और पियो विकास समितियों के लिये योजना बनाना ।
11. नियोजित क्षेत्र का गठन/नगरीय विकास तथा ग्रामीण योजना अधिनियम को लागू करना । धर्मशाला, पालमपुर, चम्बा, घुमारवीं और नालागढ़ में भूमि के प्रयोग को नियोजित करना ।
12. मण्डी और ऊना के लिये प्रारूप योजनाएं बनाना ।

7.14 भाषा एवं संस्कृति

भाषा एवं संस्कृति विभाग विभिन्न गतिविधियों व बहुमुखी कार्यों का एक समूह है जिसके अन्तर्गत छः प्रमुख प्रभागों से सम्बन्धित कार्य आते हैं यह हैं—भाषाएं, संस्कृति, कला, पुरातत्व, संग्रहालय तथा अभिलेखागार । इस वर्ष प्रत्येक अनुभाग तथा शाखाओं से सम्बद्ध कार्यों का पहली बार स्पष्ट व सुनिश्चित निर्धारण किया गया । प्रत्येक अनुभाग में की गई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1. प्रशासनिक संरचना—विभागीय गतिविधियों के वैज्ञानिक निष्पादन के लिये विभाग की कार्य अभिमुखी वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है । विभागीय भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में उचित संशोधन किया गया है विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों तथा प्राचीन ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिये दिए जाने वाले सहायता अनुदान से सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट निर्धारण कर लिया गया है ।

2. भाषाएं—प्रशासन में हिन्दी के प्रचालन को प्रोत्साहन देने के लिये पहले की भांति सेवारत कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि, टंकण तथा प्रशासनिक हिन्दी के कार्यकारी ज्ञान के लिए प्रशिक्षण कार्य जारी रखा । चालू वर्ष के दौरान

प्रदेश के विभिन्न विभागों को कार्यालय सम्बन्धी कार्यों के लगभग 1800 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद उपबन्ध करवाया गया । विभाग ने एक उपयोगी सहायक पुस्तक "प्रशासनिक हिन्दी सहायिका" का संकलन किया है जो कि मुद्रणाधीन है । वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुस्तकों का संकलन/सम्पादन किया गया । प्रशासनिक हिन्दी सहायिका, हिन्दी काव्य धारा (भाग 5) संस्कृत स्मारिका, कालिदास साहित्य, लोकगीत संग्रह, लोकोक्ति संग्रह, मुहावरों का संग्रह, हिन्दी स्मारिका (भाग-II) शोध पत्रावली, उर्दू काव्य संग्रह भाषा एवं संस्कृति विभाग की गतिविधियों आदि विभागीय त्रैमासिक पत्रिका हिमभारती का प्रकाशन कार्य इस वर्ष भी जारी रखा गया । इसके अतिरिक्त इस वर्ष दशहरा, स्मारिका, दिग्दर्शक विज्ञान एण्ड डिजाईन एक पम्फ्लेट), कल्चर हेरीटेज आफ हिमाचल प्रदेश (एक फोल्डर) तथा "हिमाचल प्रदेश के मंदिर" आदि पुस्तकों प्रकाशित की गईं । विभाग ने हिन्दी दिवस (14, सितम्बर) तथा पहाड़ी दिवस (1 नवम्बर) के अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया । इसके अतिरिक्त एक स्थानीय साहित्यिक संस्था के सहयोग सखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थानों को विभिन्न कवि सम्मेलन तथा लेखक सम्मेलनों के आयोजन के लिये सहायता दी गई । हिन्दी तथा पहाड़ी कक्षों के अतिरिक्त दो अन्य कक्षों, संस्कृत तथा उर्दू कक्ष द्वारा विभिन्न स्कीमों पर कार्य आरम्भ किया गया है । प्रदेश में इन भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिये 15 तथा 16 अगस्त को ठियोग में संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया । संस्कृत स्मारिका नामक पुस्तक मुद्रणाधीन है तथा एक अन्य पुस्तक कालिदास साहित्य का सम्पादन किया जा रहा है । वर्ष के दौरान विभाग द्वारा दो अखिल भारतीय उर्दू मुशायरों का आयोजन किया गया और एक उर्दू काव्य संग्रह का सम्पादन किया जा रहा है । पहाड़ी लोक कथा संग्रह तथा महासूची हिन्द शब्दकोष का संकलन किया जा रहा है ।

3. कला—विभाग ने एक स्थानीय स्वैच्छिक संस्था के सहयोग से दो अखिल भारतीय निष्पादन कला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया । धर्मशाला में कलावीथी के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया । सांस्कृतिक तथा साहित्यिक रंगमंच को प्रोत्साहन के लिये विभाग ने इस वर्ष आल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से 25वीं सहगल मैमोरियल अखिल भारतीय लोक नृत्य, लोक गीत तथा नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया । शक्ति देवी पर एक कला प्रदर्शनी तथा समकालीन चित्रकारों की एक राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । हिमाचल की मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला पर शोध के लिये दो व्यक्तियों को पी० एच० डी० हेतु फेलोशिप स्वीकृत की गई ।

4. **संस्कृति—अन्तर्राज्य** सांस्कृतिक आदान-प्रदान योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के सांस्कृतिक दल ने राज्य का दौरा किया तथा नाहन, शिमला, कुल्लू, हमीरपुर, धर्मशाला तथा चम्बा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के एक सांस्कृतिक दल ने दिसम्बर, 1981 में केन्द्र प्रदेश दिल्ली में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभाग ने कुल्लू दशहरा के दौरान विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग दिया, ये राज्य हैं, तामिलनाडू, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब। इसी समारोह के दौरान संगीत तथा नाटक प्रभाग दिल्ली द्वारा प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम की व्यवस्था करवाई तथा नेपाल के एक सांस्कृतिक दल ने भी इस में भाग लिया। विभाग ने हिमाचल मित्र मण्डल बम्बई के सहयोग से बम्बई में "हिमाचल नाईट" का आयोजन किया। विभाग ने कुछ प्रसिद्ध मेलों इत्यादि के आयोजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया, ये हैं :—कुल्लू दशहरा, शिमला ग्रीष्मोत्सव, मिजर मेला, सोलन ग्रीष्मोत्सव, त्रिलोकिनाथ मेला, बुद्ध जयन्ती, रिवाल्सर मेला, मण्टी शिवरात्रि तथा पालमपुर होली। "जिला निर्देशिका" जिसमें कि सम्बद्ध जिलों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व का वर्णन है, का संकलन कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान निरमंड तथा शोली भूँडा उत्सवों का विशेष अध्ययन तथा प्रलेखन कार्य किया गया।

5. **संग्रहालय**—वर्ष 1981 के दौरान संग्रहालय के सुधार तथा विकास हेतु योजना व गैर योजना के अधीन 8.40 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। राज्य संग्रहालय, शिमला में एक नृत्य बीथी की स्थापना की गई। राज्य संग्रहालय में "शक्ति देवी" पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर एक विस्तृत कैटेलाग का प्रकाशन भी करवाया गया। लगभग 20,000 लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा। स्थानीय मौसोनिक् हाल में प्रदेश के समकालीन चित्रकारों की एक राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 73 कलाकारों ने भाग लिया। सर्वोत्तम प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिये गए। वर्ष के दौरान 423 कला कृतियां तथा पुरावशेष राज्य संग्रहालय शिमला हेतु अर्जित किये गए। भूरिसिंह म्युजियम, चम्बा के नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है इस बीच वहाँ एक कजावीथी की स्थापना की जा रही है।

6. **पुरातत्व**—प्रदेश पुरातात्विक स्मारकों तथा स्थलों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। विभाग के अन्तर्गत एक "पुरातत्व कक्ष" ने कार्य आरम्भ कर दिया है। प्रदेश के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के पुरातात्विक स्मारकों के सर्वेक्षण,

संरक्षण तथा मरम्मत आदि के लिए वर्ष के दौरान 1.94 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 17 प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों की मरम्मत के लिए 85,000 रुपये की राशि सहायतानुदान के रूप में प्रदान की गई। पुरावशेष तथा कला सम्पदा पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान लगभग 432 कलाकृतियों तथा पुरावशेषों का पंजीकरण किया गया।

7. **अभिलेखागार**—हिमाचल प्रदेश राज्य अभिलेखागार की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं तथा इसके अन्तर्गत कुछ रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है। सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों, (स्थानीय निकायों सहित) में स्थायी संरक्षण के लिए छांटे गए रिकार्ड तथा फाईलों आदि को राज्य अभिलेखागार के लिए हस्तान्तरित कर लिया जाएगा। हिमाचल इतिहास, संस्कृति, कला तथा लोक गाथा आयोग द्वारा संकलित रिकार्ड की विवरणात्मक सूची तैयार की जा रही है। अभिलेख के संरक्षण के लिए शीघ्र ही एक मरम्मत तथा पुनर्वास प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी—अकादमी ने वर्ष 1981 के दौरान प्रदेश की विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं तथा संगठनों को उनके कार्यों के निष्पादन हेतु 40,700 रुपये की राशि सहायतानुदान के रूप में प्रदान की। इसी प्रकार विभिन्न लेखकों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सहायतानुदान के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी गई। प्रदेश में साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से अकादमी ने 13 लेखक सम्मेलन तथा कवि सम्मेलनों का आयोजन किया। इन सम्मेलनों में 200 से अधिक कवियों तथा लेखकों ने भाग लिया। प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु अकादमी ने आठ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। अकादमी ने व्यापार मेला के अवसर पर दिल्ली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिसम्बर, 1981 को प्रदर्शित किया। प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए अकादमी प्रदेश में कला प्रदर्शिनियों का आयोजन कर रही है। अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका सोमसी के चार अंक प्रकाशित किए गए। लोकगीतों की एक पुस्तक "हिमाचल के संस्कार लोकगीत" तथा पहाड़ी निबन्ध, कहानियां, एकांकी और कविता का एक अन्य संकलन प्रेस में है। "हिमाचल ज्ञान कोष" योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लेखों/पुस्तकों की ग्रंथावली सातवां संस्करण मुद्रणाधीन है और "देव गाथा" के सम्बन्ध में एक अन्य खंड सम्पादनाधीन है। अकादमी उच्च तथा विशेष प्रशिक्षण के

लिए 6 छात्रवृत्तियां देती है और हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी इन छात्रवृत्तियों से लाभ उठाते हैं।

वर्ष 1932-83 के लिये योजना—जनजातीय क्षेत्रों में पुराने स्मारकों के संरक्षण सम्बन्धी कार्य को आरम्भ किया जाएगा तथा जनजातीय योजना के अन्तर्गत अन्य कार्य इस वर्ष आरम्भ किए जाएंगे। प्रदेश में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जाएगा तथा भाषायी एवं सांस्कृतिक कार्य को तेज किया जाएगा। प्रदेश में अभिलेखागार सम्बन्धी एक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी तथा संग्रहालय में कलाकृतियों की वृद्धि की जाएगी। इस वर्ष धर्मशाला में कलावीथी कार्य आरम्भ कर देगी।

7.15 पर्वतारोहण

पर्वतारोहण तथा सम्बन्धी क्रीड़ा विभाग मनाली, देश व विदेश के नवयुवकों व नवयुवतियों को पर्वतारोहण, स्कींग, उच्चतुंगीय पदयात्रा, जलक्रीड़ा, चट्टानों पर चढ़ना तथा "स्नो एंड आईस कंडैस्ड कोर्सिज" पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्ष 1981-82 के दौरान, 7 प्राथमिक अनुक्रम, 4 अग्रिम अनुक्रम, एक चट्टानों पर चढ़ने का अनुक्रम, 2 कंडैस्ड कोर्स अनुक्रम, एक अनुदेश की विधि अनुक्रम, 13 पदयात्रा अनुक्रम, 4 स्कींग अनुक्रम तथा 6 जलक्रीड़ा अनुक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 309 लड़के तथा लड़कियां प्राथमिक अनुक्रमों में, 25 अग्रिम अनुक्रमों में 22 चट्टानों पर चढ़ने के अनुक्रमों में, 30 स्नो एंड आईस कंडैस्ड अनुक्रमों में, 5 अनुदेशों की विधि अनुक्रम में, 417 उच्च तुंगीय पद यात्रा में मनाली, धर्मशाला तथा भरमौर क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। 17 आदमी स्कींग प्रशिक्षण केन्द्र सोलांग नाला और 65 लड़के तथा लड़कियों को जल क्रीड़ा केन्द्र, पोंग डेम (तलवाड़ा) में प्रशिक्षित किया गया।

फरवरी, 1981 में एक शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया जिस से राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा स्कींग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिस में 300 लोगों ने भाग लिया। इस उत्सव का उद्देश्य स्कींग को देश के नवयुवकों में अधिक लोकप्रिय व आकर्षक बनाना व शीतकालीन पर्यटन को हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय बनाना था। सोलांग नाला में स्कींग लिफ्ट को बनाने से सम्बन्धित कार्य इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6.50 लाख रुपये को लागत से पूरा करने का आयोजन है।

जल क्रीड़ा योजना के अन्तर्गत पोंग बांध में एक नया केन्द्र खोला गया है, जिसके लिए 4 सेलिंग बोटस, 4 कंडैट कलास बोटस तथा 6 केनोज उपलब्ध किये गये हैं। इस योजना के उत्थान लिए के इस विभाग को 5 लाख रुपये पर्यटन के बजट के अन्तर्गत उपलब्ध किये गये हैं और विभाग ने सेल बोटस, पेडल बोटस व डीगी व डऊरी बोटस को खरीदने का कार्यक्रम बनाया है।

यह संस्थान धर्मशाला, मनाली, जिस्पा तथा भरमौर में विभिन्न अभियानों तथा पदयात्रा दलों को पर्वतारोहण तथा स्कींग सामग्री भी किराये पर देता है जिस से इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 रुपये से भी अधिक आय होने की सम्भावना है।

जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत संस्थान ने मढ़ी तथा कोकसर में 2 बचाव केन्द्र खोले हैं। इन केन्द्रों पर पर्वतारोहण में प्रशिक्षित प्रशिक्षक तथा पुलित कर्मियों की नियुक्ति की गई है जो रोहतांग क्षेत्र में बचाव कार्य करते हैं। बचाव कार्यों की आवश्यकता उस समय पड़ती है जबकि भारी हिमपात तथा तापमान के जमाव बिन्दु से नीचे गिरने के कारण यातायात रुक जाता है और लोग पैदल ही रोहतांग दर्रे को पार करते हैं। पिछले शीतकाल के दौरान ऐसे बचाव केन्द्रों ने 1,450 लोगों को रोहतांग दर्रे को पार करने के लिए सहायता दी।

लाहौल तथा भरमौर के जनजातीय लोगों को यह संस्थान विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर रहा है। इस कार्य के लिए जिलाधीश लाहौल/चम्बा 100 से अधिक लोगों के प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन कर रहे हैं।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—विभिन्न अनुक्रमों को आयोजित करने की सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त, 'आऊटवार्ड बाऊड मूवमेंट कोर्स' योजना के अन्तर्गत 500 लड़के तथा लड़कियों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। इस विभाग की कार्यकारी समिति ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी तथा गैर विद्यार्थी युवकों को पर्वतारोहण, स्कींग, जलक्रीड़ा, हाई एलेटीचियूड ट्रेकिंग तथा हेमगीलडिंग अनुक्रमों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाये। साहसिक यात्रा व पर्वतारोह के आयोजन के लिए कुछ निधि निर्धारित करने का प्रावधान है। एक औडिटोरियम तथा लड़कियों के लिए छात्रावास के दूसरे खण्ड के निर्माण का कार्य क्रमशः 19.00 लाख रुपये और 18.00 लाख रुपये की लागत से छत तक पूर्ण कर दिया गया है। और यह कार्य अगले वित्तीय वर्ष तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

8. विविध

8.1 आबकारी एवं कराधान

सरकार की आबकारी नीति आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह सरकारी कोष के लिए राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है। वर्ष 1981-82 में सरकार की आबकारी नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रही :—

- (1) गत वर्ष की भांति विदेशी तथा देशी शराब के अतिरिक्त कोटे को लाईसेंस फीस के अनुपात से मुक्त रखा गया परन्तु इसे उपलब्धता के आधार पर ही दिया गया।
- (2) बार में बीयर पर निर्धारित फीस की दरें लाईसेंस (एल-3, एल-4 तथा एल-5) के अन्तर्गत 650 मि. लिटर की बोतल पर 65 पैसे प्रति बल्क लीटर से बढ़ा कर 1 रु. प्रति बल्क लीटर कर दी गई है।
- (3) भारत में बनी विदेशी शराब व बीयर पर बिक्री कर गत वर्ष की भांति उनके उत्पादन स्थान पर ही लागू रहा।
- (4) पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देशी शराब की स्ट्रेन्थ को 50 डिग्री अंडर प्रफ रखने की आज्ञा दी गई।
- (5) घर की खपत तथा विशेष अवसरों पर प्रयोग के लिए देशी शराब के लाईसेंस को रियायती दरों पर देना जारी रखा गया।
- (6) बार लाईसेंस की निर्धारित फीस की निम्न दरें रही :—

(क) 10,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष।

(ख) 10,000 से 15,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान पर 7,500 रुपये प्रति वर्ष।

(ग) 15,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान पर 10,500 रुपये प्रति वर्ष।

- (7) भारत में बनी विदेशी शराब पर आबकारी शुल्क दरें गत वर्ष के बराबर ही रखी गईं जैसे विदेशी शराब पर 20 रुपये प्रति प्रूफ लिटर, देशी शराब पर 8 रुपये प्रति प्रूफ लिटर और बीयर की 650 मिलिलिटर वाली एक बोतल पर 75 पैसे।
- (8) एल-1 फार्म में भारत में बनी विदेशी शराब के थोक व्यापार के लाईसेंस जारी करने की स्थायी फीस 25,000 रुपये पर रही।
- (9) भारत में बनी विदेशी शराब तथा बीयर का निर्यात शुल्क क्रमशः 1.50 रुपये प्रति प्रूफ लिटर तथा 0.30 रुपया प्रति बल्क लिटर रहा।

इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में आबकारी नीति की अन्य विशेष विशेषताएं निम्नलिखित थीं :—

(क) इस वर्ष शुल्क दिनों की संख्या 76 से घटा कर 15 कर दी गई जिनका विवरण इस प्रकार है :—

- (1) गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी)।
- (2) स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त)।
- (3) महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस (2 अक्टूबर)।
- (4) मतदान दिवस तथा उससे पहले दो दिन।
- (5) वेतन वाला दिन।

(ख) वर्ष 1981-82 में निलाम की गई शराब की दुकानों की संख्या निम्नलिखित है :—

(1) देशी शराब की परचून दुकानें	..	251
(2) विदेशी शराब की परचून दुकानें	..	143
(3) झोल की दुकानें	..	33
(4) देशी शराब की थोक की दुकानें	..	25

कुल .. 452

(5) इस के अतिरिक्त चालू वर्ष में 11 नई बीयर बार खोली गई ।

(ग) इस वर्ष 15.00 लाख प्रूफ लिटर देशी शराब का कोटा निलाम किया गया ।

(घ) जनजातीय क्षेत्र में फलों से बनाई जाने वाली शराब रखने की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई ।

चालू वित्त वर्ष में कराधान नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही एवं उपलब्धियां प्राप्त की गईं :—

(1) हिमाचल प्रदेश जनरल सेलज टैक्स एक्ट, 1968—वित्त वर्ष 1981-82 के दौरान इस अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 1573.83 लाख रुपये तक की आय होने की संभावना है जब कि यह आय पिछले वर्ष 1229.69 लाख रुपये थी ।

(2) सेंटरल सेलज टैक्स एक्ट—यह केन्द्रीय अधिनियम है जिसे राज्य सरकार कार्यान्वित करती है। इस एक्ट के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 में 122.69 लाख रुपये तथा वर्ष 1980-81 में 79.10 लाख रुपये की आय हुई ।

(3) हिमाचल प्रदेश मोटर स्पिरिट (विक्री पर कराधान) अधिनियम, 1968—इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 46.96 लाख रुपये की आय हुई थी जब कि वर्ष 1981-82 में 45.14 लाख रुपये हुई ।

(4) हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एवं गुडज टैक्सेशन एक्ट, 1955—इस अधिनियम के अन्तर्गत 1980-81 में 377.14 लाख रुपये तथा वर्ष 1981-82 में 316.23 लाख रुपये की आय हुई ।

(5) दुर्घटना बीमा सरचार्ज—यात्री तथा सामान कराधान (संशोधित) अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत यात्री कर पर 20 प्रतिशत की दर से और कम से कम 5 पैसे प्रति यात्री दुर्घटना बीमा के लिए सरचार्ज के रूप में लेने की व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत इस योजना से पर्याप्त आय होने की सम्भावना है ।

(6) हिमाचल प्रदेश ऐंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1968—यह अधिनियम सारे प्रदेश में लागू है। इस कर की दर प्रवेश शुल्क का शत प्रतिशत है। वर्ष 1980-81 में 53.29 लाख रुपये (शो टैक्स सहित) तथा वर्ष 1981-82 में 65.38 लाख रुपये की आय हुई ।

(7) हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर (सिनेमाटोग्राफ शो) अधिनियम, 1968—इस अधिनियम के अनुसार

सारे प्रदेश के चलचित्र गृहों का वर्गीकरण शहरों की जनसंख्या, आकार और महत्व के आधार पर ए. बी. सी. डी. ई. और एफ. श्रेणियों में किया जाता है। इस अधिनियम से इस वित्तीय वर्ष में सरकार को पर्याप्त आय होने की आशा है ।

(8) हिमाचल प्रदेश कराधान मार्ग पर ढोए गए विशेष सामान पर) अधिनियम, 1976—इस अधिनियम के अन्तर्गत 1980-81 में 103.64 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई जो वर्ष 1981-82 में 176.56 लाख रुपये हो गई ।

(9) हिमाचल प्रदेश विलास पर कराधान (होटलों तथा अस्थायी वासस्थान) अधिनियम, 1979—वर्ष 1980-81 में इस अधिनियम के अन्तर्गत 3.15 लाख रुपये की आय हुई। वर्ष 1981-82 में 6.43 लाख रुपये की आय हुई ।

8.2 खाद्य एवं आपूर्ति

हिमाचल प्रदेश खाद्यान्नों के उत्पादन में आमनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उसे पड़ोसी राज्यों से आंशिक रूप से स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली द्वारा तथा आंशिक रूप में केन्द्रीय पूल के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाद्यान्न मिलते रहें। खाद्यान्नों के अतिरिक्त, विभाग ने नियन्त्रित वस्तुओं जैसे कि लेवी चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, खाने का तेल तथा दालों इत्यादि के वितरण का भी प्रबन्ध किया है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना—प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्षमतापूर्वक तथा स्थिर तरीके से चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है जो कि थोक में आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने तथा उन को उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से जनता को उपलब्ध करवाने का भार वहन कर सके । अतः 2 करोड़ रुपये की अधिकृत अंश पूंजी से हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम की स्थापना की गई। यह निगम मार्च, 1981 से कार्यरत है। निगम ने दालों, लेवी चीनी, गेहूं का आटा, नियन्त्रित कपड़ा, खाने का तेल, नहाने तथा कपड़े धोने का साबुन, टार्च के सैल, जूते, मार्चिस, नमक, मिट्टी का तेल, चावल, चाय तथा काफी-कित्तों इत्यादि का व्यापार किया है ।

निगम ने 26 परचून दुकानें खोली हैं। 31 मार्च 1982 तक प्रदेश में 2714 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत थीं इनमें से 2030 दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा, 535 निजी व्यक्तियों द्वारा, 123 पंचायतों द्वारा तथा 26 राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही हैं।

भण्डारण तथा परिरक्षण—विभाग ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सरकारी खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए अभी तक 21 गोदाम बनाए हैं जिनकी भण्डारण क्षमता 9,330 मी. टन है। इस के अतिरिक्त 31 दिसम्बर, 1981 तक भण्डारण हेतु विभाग द्वारा निजी पार्टियों से 149 गोदाम जिनकी भण्डारण क्षमता 7539 टन है, किराए पर लिए हैं। भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न हर समय उपलब्ध हों, इस को सुनिश्चित बनाने के लिए विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन तथा उपभोक्ता संघ को इन गोदामों के कुछ भाग किराए पर दिए गए हैं। इस तरह भारतीय खाद्य निगम, राज्य सहकारी संघ तथा खाद्य एवं आपूर्ति निगम को क्रमशः 2,780 टन, 500 टन तथा 250 टन की भण्डारण क्षमता (कुल 3,530 टन) के गोदाम किराए पर दिए गए हैं। इस के अतिरिक्त वर्ष 1982-83 में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 36 गोदाम निर्मित किए जायेंगे।

खाद्यान्नों पर सहाय अनुदान—वित्त वर्ष 1981-82 के दौरान सरकार ने दूरस्थ, दुर्गम तथा पिछड़े क्षेत्रों की जनता को 145 रुपये प्रति क्विंटल एक समान साहायित दर पर गेहूं वितरित करना जारी रखा। इसी प्रकार प्रदेश के शेष भागों में गेहूं 155 रुपये प्रति क्विंटल के समदर पर बेची जाती रही। इस के अतिरिक्त वर्ष 1981-82 के दौरान सरकार गेहूं का आटा भी साहायित क्षेत्रों में 165 रुपये प्रति क्विंटल की साहायित दर पर अन्य क्षेत्रों में 175 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध करवाती रही। ओलों से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को गेहूं, गेहूं का आटा तथा चावल, 120 रुपये, 135 रुपये तथा 150 रुपये क्रमशः प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया जोकि साहायित दरों से भी काफी कम थे।

इसी प्रकार लाहौल एवं स्पिति जिला में रियायती दर पर चावल उपलब्ध करवाए गए। इन क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों पर वस्तुओं के लाने पर 10 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक खर्च होने पर सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि जिला मुख्यालयों से परचून दुकानों तक चावल पहुंचाने पर यदि प्रति क्विंटल 10 रुपये से अधिक व्यय हो तो उस खर्च का भार सरकार द्वारा सहाय अनुदान के रूप में उठाया जाता है। वर्ष के दौरान 1,74,454 क्विंटल

गेहूं, 1,90,196 क्विंटल गेहूं का आटा तथा 1,65,702 क्विंटल चावल उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से वितरित किए गए। वर्ष 1981-82 के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने राज्य में कोष्ठागार-बाह्य मूल्य पर गेहूं तथा चावल उपलब्ध करवाने के लिए किल्लार का मुख्य वितरण केन्द्र स्वीकार कर लिया गया है।

चीनी पर सहाय अनुदान—केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 78 तक की प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर 1981-82 में इस प्रदेश को 1,588 टन उदग्रहण चीनी प्रतिमास आबंटित की। जनता को 400 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति प्रति मास की दर पर वितरित की जाती है। राशन कार्डों की संख्या के अनुसार प्रतिमास 1,800 से 1,990 मी. टन उदग्रहण (लेबी) चीनी की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार खुले बाजार भावों पर मिलों से खरीदी जाने वाली अतिरिक्त चीनी पर सहाय अनुदान दिया। असल दर तथा परचून बिक्री दर के अन्तर को राज्य सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन अप्रैल, 1982 से भारत सरकार ने लेबी चीनी के मासिक कोटे को 1,588 मी. टन से बढ़ा कर 1,801 मी. टन कर दिया है।

रेपसीड तथा पाम तेलों पर सहाय अनुदान :—पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार 9 रुपये प्रति किलोग्राम की परचून बिक्री सम दर पर रेप सीड तेल, पाम तेल तथा पामोलीन तेल बेचती रही। इस दर से ज्यादा व्यय मूल्य सरकार द्वारा सहाय अनुदान के रूप में वहन किया जाता है। अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को 3,650 टन रेपसीड तेल तथा 1,300 मी. टन तेल आबंटित किया गया। चालू वित्त वर्ष में इन तेलों की उपलब्धता सन्तोषजनक रही।

नियन्त्रित कपड़े :—नियन्त्रित कपड़े के कम उत्पादन के कारण, वर्ष 1976 से मार्च, 1981 तक नियन्त्रित कपड़े की 140 गांठे हिमाचल प्रदेश को आबंटित की जा रही है जब कि वर्ष 1976 से पहले 280 गांठे राज्य को आबंटित होती थी। अप्रैल, 1981 से केन्द्रीय सरकार ने इस को और घटा कर 114 गांठे कर दी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में नामांकित जिला सहकारी समितियों, तहसील सहकारी समितियां तथा अन्य सहकारी समितियों द्वारा नियन्त्रित कपड़े का मासिक कोटा दिया जाता है। वर्ष 1981 के अन्तिम तीन महीने में पूरे प्रदेश में नियन्त्रित कपड़े के थोक क्रय विक्रय का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम की सौंपा गया है। यह कपड़ा राशन कार्डों पर दिया जाता है तथा उन परिवारों की दिया जाता है जो आय कर नहीं देते तथा जिन के पास 5 एकड़ से कम भूमि

है। प्रति वर्ष, जिस परिवार के पांच सदस्य हैं उन को 10 मीटर तथा जिन परिवारों के सदस्यों की संख्या पांच से अधिक है को 15 मीटर कपड़ा दिया जाता है। मार्च, 1982 से 800 गांठों का अतिरिक्त प्राप्ति के कारण राज्य सरकार ने इस के कोटे को बढ़ा कर दो महीने के लिए 20 मी. प्रति राशन कार्ड कर दिया है। अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982 तक केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार को 1,381 कपड़े की गांठें आबंटित की थीं।

आयोडाइज्ड नमक—आयोडाइज्ड नमक की वितरण प्रणाली में कोई अन्तर नहीं आया इस के अन्तर्गत नमक का 24,000 टन वार्षिक कोटा रखा गया है, जिसे प्रदेश में नामांकित व्यापारियों की मांग अनुसार प्रति त्रैमास में वितरित किया जाता है। प्रदेश को त्रैमास के लिए दिए गए कोटे का 25 प्रतिशत राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम को आबंटित करने की अनुमति दी गई है जिस से इसे जन साधारण को पहुंचाया जा सके। दूरस्थ, दुर्गम तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उचित मूल्य पर नमक पहुंचाने के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 2 लाख रुपये का सहाय अनुदान दिया।

मण्डी चट्टानी नमक—मण्डी चट्टानी नमक की वितरण अवस्था सन्तोषजनक रही।

सीमेंट—वर्ष, 1981 के दौरान प्रदेश में 1,22,630 टन सीमेंट उपलब्ध था जिस में से 84,055 टन आर.सी./ओ आर.सी. संस्थाएं (विभागीय स्वायत्त संस्था) को आबंटित किया गया था तथा स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली के माध्यम से 38,575 टन सीमेंट वितरित हुआ। यह आबंटन वास्तविक आवश्यकता से बहुत ही कम था। वर्ष 1981 में प्रदेश में अधिकतर सीमेंट की कमी रही।

मिट्टी का तेल—वर्ष 1981-82 के दौरान, मिट्टी के तेल की प्राप्ति अवस्था सन्तोषजनक रही। भारत सरकार ने 24,161 किलोलीटर मिट्टी का तेल प्रदेश को दिया।

डीजल व पेट्रोल—वर्ष 1981-82 के दौरान डीजल व पेट्रोल की प्राप्ति अवस्था सन्तोषजनक रही तथा यह खुला उपलब्ध था।

तरस पेट्रोल गैस—वर्ष के आरम्भ तक शिमला में एक गैस एजन्सी कार्यरत थी। गैस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान शिमला नगर में इंडियन ग्रास कारपोरेशन ने एक गैस एजन्सी स्थापित की है। वर्ष, 1981-82 के दौरान गैस सिलिण्डरों की प्रदाय अवस्था ठीक रही।

एक गैस एजन्सी धर्मशाला में भी वर्ष के दौरान स्थापित की गई।

कच्चा एवं पक्का कोयला—कोयला एक अनियन्त्रित वस्तु है। वर्ष 1981 के दौरान भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की प्रयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,800 गाड़ियां सौफ्ट कोक, 600 गाड़ियां स्टीम कोल, 600 गाड़ियां हार्ड कोक तथा 1,056 गाड़ियां स्लेक कोल (12 रैक्स) का आबंटन किया गया। सौफ्ट कोक, स्टीम कोल, हार्ड कोक की प्रदाय अवस्था सन्तोषजनक रही। विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रदेश में 582 गाड़ियां सौफ्ट कोक, 277 गाड़ियां स्टीम कोल 4 रैक्स स्लेक कोल तथा 137 गाड़ियां हार्ड कोक की प्राप्ति हुई।

नियन्त्रित आदेशों तथा अन्य संवैधानिक उपायों का लागू करना—जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न आवश्यक वस्तुओं पर सहाय अनुदान प्रदान करके उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई है वहां दूसरी तरफ स्वतन्त्र व्यापार को काबू में करने के लिए वास्तविक प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस आशय से सरकार निम्नलिखित आदेशों को लागू करने के भरसक प्रयत्न कर रही है।

(1) हिमाचल प्रदेश जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण आदेश 1977 (2) हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्य सूची प्रदर्शन 1977, इस के अतिरिक्त एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट, 1955 के अन्तर्गत केन्द्रीय आदेश तथा अन्य केन्द्रीय आदेशों के अन्तर्गत निर्देश जारी किए हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 5 विभिन्न केन्द्रीय आदेशों की इकट्ठा करके एक एच.पी. ट्रेड आर्टिकलस (लाईसेंसिंग एण्ड कंट्रोल) ओरडर, 1981 बनाया जिसे इन्हें सूचारु रूप से लागू किया जा सके। वर्ष 1981-82 के दौरान विभाग ने 21,487 निरीक्षण किए और छापे मारे तथा फरवरी, 1982 तक 80 मामले पंजीकृत किए गए।

ग्रीवेन्सिज-कम-फूड एडवाइजरी कमेटी—आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धी तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धी की देख रेख हेतु राज्य, जिला तथा उपमण्डल स्तर पर फूड एण्ड एडवाइजरी कमेटियों की स्थापना की है।

टास्क फोर्स—क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण के कार्य के देख भाल के लिए प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स की स्थापना की है, जिस में एक उप-निदेशक तथा एक उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समिति सम्मिलित है। यह फोर्स

विभिन्न क्षेत्रों में सघन दौरे लगा कर उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में आने वाली कठिनाइयों को उसी समय दूर करती है। इसी कारण इस कार्य को सही रूप से चलाने के लिए इस फोर्स के सदस्य दो विभिन्न विभागों से लिए गए हैं।

विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं—सरकार द्वारा विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को गेहूं का आटा 120 रुपये प्रति क्विंटल एक्स मिलों/चक्की की दर तथा गेहूं 115 रुपये प्रति क्विंटल एक्स राशन की दुकान की दर से तथा चावल को उचित मूल्यों की दुकानों से निर्गम मूल्य से 25 रुपये प्रति क्विंटल कम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 400 ग्राम की दर से लेवी चीनी उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम छात्रों को सस्ते दामों पर कापियां एवं लेखन सामग्री भी उपलब्ध करवाती है।

8.3 लोक सम्पर्क

लोक सम्पर्क विभाग एक ओर तो जन साधारण को शिक्षित करके उन्हें जानकारी उपलब्ध कराता है तो दूसरी ओर सरकार को उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जनता की प्रतिक्रिया से अवगत करवा कर अपने कर्तव्य का पालन करता है। अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982 तक विभाग के 33 सिनेमा इकाइयों ने लोगों को 3,901 सिनेमा शो दिखाए। इसके साथ-साथ 1,895 जन-सभाओं में गण-मान्य व्यक्तियों के समारोहों, महत्वपूर्ण मेलों और उत्सवों पर सम्बोधित करने के लिए उपकरण सम्बन्धि सेवाएं प्रदान कीं। विभाग की तीन ड्रामा इकाइयों ने 235 शो दिखाए। इन इकाइयों ने अन्य दलों द्वारा मंच पर आयोजित 234 इकाइयों पर ध्वनि व प्रकाश का प्रबन्ध किया। चार संगीत दलों ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में 769 शो दिखाए। विभाग की प्रदर्शनी इकाई ने राज्य के विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण मेलों और त्यौहारों के अवसर पर 14 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों जैसे लघु बचत, परिवार कल्याण, छुआछात निवारण, अधिक अन्य उपजाओ, विकास सम्बन्धी प्रयत्न, आदि पर वार्ता तथा परिचर्चाओं का आयोजन किया और प्रचार सम्बन्धी साहित्य का व्यापक रूप से वितरण किया।

मासिक पत्रिका "हिमप्रस्थ" का प्रकाशन नियमित रूप से चलता रहा। इसके साथ-साथ 20 फोल्डर/पोस्टर और पैम्फलेट भी निकाले गए। विभाग अन्य विभागों की ओर से विज्ञापन जारी करता रहा। रेडियो और प्रैस से

निकट सम्पर्क बनाए रखने के उद्देश्य से विभाग ने 1,862 प्रैस नोट जारी किए। हिमाचल प्रदेश के समाचारों को पूरा स्थान दिलवाने के विचार से जालन्धर में भाषायी समाचार पत्रों से लाभदायक सम्बन्ध बनाए रखने के साथ साथ सम्वादादाता सम्मेलनों और संक्षिप्त चर्चाओं का आयोजन भी प्रायः किया गया। प्रदेश के विकास तथा सांस्कृतिक गतिविधियों पर कई लेख भेजे गए।

प्रदेश की विकास गतिविधियों को चित्रित करने वाला साप्ताहिक पत्र "गिरिराज" नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। यह पत्र सभी शिक्षा संस्थाओं, सभी ग्राम पंचायतों तथा आधिकांश सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और सामान्य जनता को उपलब्ध करवाया जाता है। इसका वर्तमान प्रचलन 10,597 प्रतियां प्रति सप्ताह है।

प्रदेश के जनजाति क्षेत्र निचार और भरमौर में दो सिनेमा इकाइयां स्थापित की गई हैं। दिल्ली में एक नया प्रैस सम्पर्क कार्यालय खोला जा रहा है जिसके लिए कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति मिल चुकी है। कम्युनिटी लिसनिंग स्कीम तथा कम्युनिटी व्यूइंग स्कीम को सरकार ने पुनर्जीवित कर लिया है। सरकार ने एक प्रकाशन कक्ष की स्वीकृति दी है और इसके लिए आवश्यक पदस्थापना कर ली है।

1982-83 के लिए योजना—विकास सम्बन्धी कार्यों का उचित प्रचार सुनिश्चित करने के विचार से अधिकाधिक समाचार रीलज तथा विकासशील फिल्में बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपये प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर व्यय होंगे जिससे सीमान्त क्षेत्रों में पर्याप्त प्रचार हो सके।

8.4 स्थानिय निकाय

प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का काम नगरीय स्थानीय निकायों की प्रगति करना है। आजकल प्रदेश में 47 नगरीय स्थानीय निकाये हैं जिन में छावनियां और शिमला नगर निगम भी सम्मिलित है।

कुछ और अधिक नगरीय स्थानीय निकायें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ये निकायें अपने सम्बन्धित नगरीय क्षेत्र में अपने लोगों को नागरिक सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ अनेक कार्यों जैसे सड़कों/गलियों का निर्माण/मुरम्मत, गलियों का पक्का करना, प्रकाश कार्यों, दुकानों/स्टालों/वर्षा आश्रालय का निर्माण, सब्जी/मांस बाजार, मुत्रालय, शौचालय/दाह-संस्कार स्थान, पौध-रोपण, सफाई

तथा शहरों की सुन्दरता, आदि सुविधाओं की सार्वजनिक मांग की भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रही है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र प्रायः पर्यटक स्थल हैं, अतः नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें तथा मनोहर सजावट के कार्यक्रम प्रदान करना आवश्यक हो गया है।

प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों के आय के साधन जैसे चुंगी, मकानों पर कर, सफाई कर आदि इतने सक्षम नहीं हैं कि सभी प्रकार की सुख-सुविधायें जुटा सकें। इसीलिए सरकार इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिवर्ष अनुदान देती है तथा सरकार ने अनुदान नियम बनाये हैं जिस के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकायों को स्वीकृत अनुदान 2 साल की अवधि में प्रयोग करने होते हैं। विभिन्न कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सरकार ने नगर निगम में एक अधीक्षण अभियन्ता नियुक्त किया है।

वर्ष 1981-82 के दौरान योजना तथा गैर-योजना के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को सरकार ने 72.51 लाख रुपये विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अनुदान के रूप में प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने शिमला नगर निगम के जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋणों के व्याज की विस्तों की अदायगी के लिये 16.00 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। सम्भवतः इसके अतिरिक्त सरकार ने शिमला नगर निगम को 15.00 लाख रुपये प्रदान करने हैं, जिससे 5.00 लाख रुपये नालियों के लिये और 10.00 लाख रुपये रुलदू-का-भट्टा ईदगाह उप-स्थान के कार्यों में खर्च करने हैं।

भिन्न-भिन्न नगरीय स्थानीय निकायों को 23.00 लाख रुपये सफाई तथा लोक स्वास्थ्य कामों के लिये और 15.51 लाख रुपये सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण के लिये नियत किये हैं। इसके अतिरिक्त 34.00 लाख रुपये नगरीय स्थानीय निकायों को निर्धारित किये हैं जो कि नगर विकास के सामान्य कार्यों जैसे-भवनों की मरम्मत और निर्माण, नई बनाई गई वाटिकाओं की मरम्मत, नई बनाई गई कमेटी की मदद, वर्षा आश्रालय, खच्चर शालाएं, गोदामों तथा लेवर होस्टलों का निर्माण, प्रादेशिक व केन्द्रीय सरकार के अनुदानों से मुक्ति हेतु मदद, प्रकाश, कार्यों, सब्जी और मांस बाजार निर्माण दाह-संस्कार, स्थान, दुकानों-स्टालों, बस स्टैण्ड, पशु बधगृह, सरायें और विश्रामगृहों आदि के निर्माण में खर्च किया जाता है।

उक्त धन राशि में से 5.00 लाख रुपये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शिमला नगर के वातावरण सुधार हेतु और 5.00 लाख रुपये अनुसूचित जाति के लोगों को आवश्यक सुविधायें देने के लिए नियत किये गए हैं।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना— वर्ष 1982-83 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों विभिन्न प्रचलित अनुदान योजनाओं को जारी रखेंगी।

8.5 विवरणिका

जिला विवरणिका एक प्रमाणित और विस्तृत लेखा है जिसमें जिले का सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विकास सम्बन्धी पूर्ण व्यौरा आंकित होता है। यह पुस्तक विद्यार्थियों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, मानव-शास्त्रियों अनुसंधान छात्रों तथा पर्यटकों को विश्वस्त तथा प्रमाणित सूचना प्रदान करती है और इसके अतिरिक्त प्रशासकों तथा विकास कार्य में लगे अधिकारियों का मार्ग-दर्शन करती है। ज्ञान जिज्ञासुओं का मार्ग दर्शन करने के अलावा विवरणिकाओं का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को अनूठी और पुरातन संस्कृति को लिखित रूप में सुरक्षित रखना भी है। विवरणिकाएं भारत सरकार द्वारा विकसित 19 अध्यायों की निर्धारित पद्धति पर तैयार की जाती हैं।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत, विवरणिका इकाई ने प्रदेश के 12 जिलों में से 5 जिलों चम्बा, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर की विवरणिकाएं भी प्रकाशित कर ली हैं। शिमला, मण्डी, कुल्लू तथा कांगड़ा की जिला विवरणिकाओं का केन्द्रीय सरकार के विवरणिका इकाई ने अनुमोदन कर दिया है। सरकार के सुझावानुसार इन विवरणिकाओं को भाषा की दृष्टि से सम्पादन के लिए भाषा विशेषज्ञ को भेजा गया था जिन्होंने जांच करने के उपरान्त प्रारूपों को लौटा दिया है। हमीरपुर तथा ऊना जिलों की विवरणिकाओं के प्रारूप भाषा विशेषज्ञों से जांच के उपरान्त वापिस आ चुके हैं।

1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1982-83 के दौरान शिमला तथा मण्डी की विवरणिकाओं को अध्ययन करके मुद्रण करने का प्रस्ताव है।

8.6 सांख्यिकीय

योजनाबद्ध विकास के इस युग में विस्तृत तथा विश्वसनीय आंकड़ों का विशेष महत्व है। सांख्यिकीय पद्धति जो विश्लेषण और नीति निर्धारण के लिए प्रयोग सिद्ध आंकड़े प्रस्तुत करती है की आवश्यकता अब बहुमुखी आकार प्राप्त कर चुकी है। आंकड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अर्थ एवं संख्या विभाग अपने जिला संख्या कार्यालयों की सहायता से निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु कार्यरत रहा:—

- (क) सभी आर्थिक वर्गों के आंकड़ों का समाहरण, संकलन, संवीक्षा और प्रकाशन,

- (ख) अनेक प्रकार के मूल्यांकन, अध्ययन और अन्य सर्वेक्षण जिनमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम भी सम्मिलित है, करते रहना,
- (ग) योजना प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना,
- (घ) सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सामयिक विवरणिकाओं को संकलित करना,
- (ङ) भाव इकट्ठे करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना, तथा
- (च) हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की वार्षिक गणना करना तथा इसके अतिरिक्त राज्य आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाना ।

इस वर्ष विभाग ने निम्नलिखित प्रकाशित निकाले :—

- (1) सांख्यिकीय पुस्तिका हिमाचल प्रदेश—1980 ।
- (2) सांख्यिकीय सारांश हिमाचल प्रदेश—1978 ।
- (3) हिमाचल प्रदेश का राज्य गृहोत्पाद 1970-71 से 1979-80 तक ।
- (4) जिला एक दृष्टि में—किन्नौर, शिमला, ऊना, हमीरपुर, चम्बा तथा कुल्लू ।
- (5) जिला सांख्यिकीय सारांश—1979—किन्नौर, शिमला और ऊना ।
- (6) चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, ऊना तथा कुल्लू जिलों में आधार भूत सुविधायें ।
- (7) हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े ।
- (8) हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना—1980 ।
- (9) क्षेत्रफल, कृषि उत्पादन, उत्पादकता इत्यादि के वर्ष 1970-71 से 1978-79 तक के सूचकांक ।
- (10) ऊना, लाहौल-स्पाति, चम्बा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर तथा किन्नौर जिलों के विकास खण्ड सूचकांक ।
- (11) आर्थिक गणना के तुरत परिणाम—1980 ।

- (12) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रस्तुता का सर्वेक्षण ।
- (13) त्रैमासिक भाव पुस्तिका—जून, सितम्बर, दिसम्बर, 1980 तथा मार्च, 1981 के त्रैमासिकों की ।
- (14) अन्वेषण, योजना तथा कार्यवाही हेतु अध्ययन के लिए केन्द्रस्थल नई देहली से गुजरात का सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण ।

जून 1982 तक प्रकाशित होने वाली पुस्तकें

- (1) हिमाचल प्रदेश की सांख्यिकीय पुस्तिका—1981
- (2) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम—1982-83
- (3) हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा—1982
- (4) बजट संक्षेप में—1982-83
- (5) हिमाचल प्रदेश का सांख्यिकीय सारांश—1980
- (6) स्थानीय निकायों के बजट का वर्गीकरण—1979-80
- (7) त्रैमासिक भावों की विवरणिका—जून, सितम्बर, तथा दिसम्बर, 1981
- (8) हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट का आर्थिक वर्गीकरण—1981-82
- (9) हिमाचल एक दृष्टि में—1981
- (10) राजपत्रित अधिकारियों की निर्देशिका (1 अक्टूबर, 1981)

इस वर्ष के दौरान राज्य आय के अनुमान वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक संशोधित किए गए । 1970-71 को आधार मान कर स्थिर कीमतों पर अनुमान तैयार किए गए । राज्य आय के अनुमानों से सम्बन्धित वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक के प्रचलित तथा स्थिर (1970-71) भावों पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई जबकि वर्ष 1980-81 के लिए इसी प्रकार के अनुमान तैयार किए जा रहे हैं । नगर पालिकाओं के बजट अनुमान 1977-78 के लिए (वास्तविक) 1978-79 के लिए (संशोधित) तथा 1979-80 के लिए (बजट अनुमान) निकाले गए तथा “स्थानीय निकायों के बजट का आर्थिक वर्गीकरण” नामक पुस्तिका चालू वर्ष के दौरान तैयार की गई । इसी प्रकार

से हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट का आर्थिक वर्गीकरण 1981-82 भी इसी अवधि में तैयार किया गया।

सामुदायिक विकास तथा गृह एवं भवन निर्माण आंकड़ों सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार की गई तथा इन्हें सम्बन्धित विभागों को भेजा गया। 31 मार्च, 1981 को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना सम्बन्धित रिपोर्ट का काम चलता रहा। भारत सरकार द्वारा विहित 54 वस्तुओं के पखवाड़ा आधार पर थोक व फुटकर भाव इकट्ठे किए, पर्यवेक्षण किया व प्रकाशित किए गए। उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक मूल्यों के इकट्ठा करने का काम 69 विकास खण्ड मुख्यालयों पर यह कार्य चालू वर्ष में चलता रहा तथा साप्ताहिक/मासिक भाव समीक्षा सरकार को लगातार भेजी जा रही है।

जुलाई से अक्टूबर, 1981 तक प्रदेश में सांख्यिकीय कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए "इन सर्विस बेसिक ट्रेनिंग" नामक कोर्स के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के 11 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण भी इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शिमला नगर में करवाया गया। विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों के लिए चार्टस, ग्राफस तथा मुख्य पृष्ठ भी चालू वर्ष में तैयार किए गए।

राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण कार्यक्रम में भी यह विभाग केन्द्र के साथ-साथ भाग ले रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 35वें और 36वें दौर का क्षेत्रीय कार्य समाप्त हो चुका है तथा 37वें दौर का कार्य जनवरी, 1982 से प्रारम्भ हो चुका है और प्रगति पर है। वास्तव में एन.एस.एस. का 35वां दौर सामाजिक उपभोग तथा निर्माण से सम्बन्धित है जबकि एन.एस.एस. का 36वां दौर जो कि केवल 6 माह की अवधि का था में अपंग व्यक्तियों को ही लिया गया। एन.एस.एस. के 37वें दौर में भूमि जोतें, पशुधन जोतें, ऋण तथा पूंजी लगान शामिल किया गया है। इस सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली के दौरान, भूमि जोतें पशुधन जोतें आदि दैनिक परिवारों की परिसम्पत्तियों का तथ्य दो चरणों में एकत्रित किया जाएगा। प्रथम चरण का कार्य जनवरी, 1982 से प्रारम्भ हो चुका है जिसमें खरीफ 1981-82 की सूचना जो कि 30 जून, 1981 की अवस्था पर आधारित होगी एकत्रित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण का कार्य कृषि वर्ष 1981-82 की सकल, सम्पत्ति और दायित्व से सम्बन्धित है तथा यह तथ्य 30 जून, 1982 की अवस्था पर आधारित होगा। एन.एस.एस. से सम्बन्धित निम्नलिखित 3 प्रतिवेदन तैयार हो चुके हैं तथा प्रकाशन के लिए भेजे दिये गये हैं।

1. हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार तथा बेरोजगार सम्बन्धी प्रतिवेदन।
2. हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वयं कार्यरत परिवार जो कि गैर कृषि उद्यमों से सम्बन्धित हैं, कि दो प्रतिवेदनाएं।
3. हिमाचल प्रदेश में लघु सिचाई सम्पन्न प्रतिवेदन।

माननीय मुख्य मन्त्री ने दिनांक 27 मार्च, 1981 को बजट पर हुए भाषण में शहरी क्षेत्रों के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान की सूचना एकत्र करने का विश्वास विधान सभा में दिया था। इसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग को इसके सर्वेक्षण का कार्य सौंपा। हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सर्वेक्षण संपादन किया और इसके तुरंत परिणाम सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए।

'ट्राईवल रिसर्च इन्सटीच्यूट स्कीम' के अन्तर्गत 'सेरपा' द्वारा गुजरो का सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण का सम्पादन किया गया तथा प्रकाशित प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश के गुजरो की समस्या पर गहरा दृष्य दर्शाया गया।

बजट प्रकाशनों (i) हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा—1982, (ii) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम—1982-83 तथा (iii) बजट संक्षिप्त में—1982-83 जो कि बजट प्रलेख का ही भाग है, को तैयार करने का कार्य आजकल चला हुआ है तथा इन प्रकाशनों के चालू वित्त वर्ष के बजट के साथ प्रकाशित होने की संभावना है।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना—विभाग में एक सुदृढ़ सांख्यिकीय प्रणाली की स्थापना के पश्चात् अब 1982-83 में विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है इसके अतिरिक्त चालू कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी जारी रहेगा।

8.7 लोक प्रशासन संस्थान

हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1974 को विभिन्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण देने के विचार से की गई थी ताकि वे समाज की बदलती हुई आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकें।

भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सभी राज्य सरकारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेज करने के लिए दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते

हुए इस संस्थान में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई। चालू वर्ष में चलाए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

1. दीर्घ अवधि पाठ्यक्रम :

1. आधारभूत पाठ्यक्रम—8 से 10 सप्ताहों की अवधि के ये पाठ्यक्रम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में सीधे नियुक्त पदाधिकारियों और उन पदाधिकारियों के लिए हैं जो (अ) अराजपत्रित से राजपत्र स्तर तथा (आ) द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी को पदोन्नत किए जाते हैं। संस्थान ने एक ऐसा पाठ्यक्रम इस वित्त वर्ष में आयोजित कर लिया है।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम—एक वर्ष की अवधि के इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को यहां की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों तथा प्रदेश में प्रचलित राजस्व तथा फौजदारी सम्बन्धी कानूनों से परिचित कराना है। ऐसा एक कोर्स शुरु हो चुका है।

3. हिमाचल प्रशासनिक सेवा परीक्ष्यमाण के लिए व्यावसायिक कोर्स—हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अभिकल्पित इन पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से चलाया जा रहा है ताकि इन्हें प्रदेश में प्रचलित विभिन्न प्रकार के कानूनों से परिचित करवाया जा सके और उन्हें क्षेत्र प्रशिक्षण का अभ्यास भी करवाया जाता है जिससे वे क्षेत्र की कठिनाइयों को समझ सकें। संस्थान ने एक ऐसे पाठ्यक्रम का आयोजन इस वर्ष कर लिया है।

4. सरकार में प्रबन्ध—इस प्रकार के दो सप्ताह के कोर्स अभिकल्पना भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को सार्वजनिक पद्धति में प्रचलित प्रबन्ध के सिद्धान्त और व्यवहार के ज्ञान से परिचित करवाने के विचार से की गई है। 1981-82 में संस्थान ने एक ऐसा कोर्स पूरा कर लिया है।

5. खंड स्तरीय योजना—संस्थान भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के सहयोग से राज्य के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए खंड स्तरीय योजना पर एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वालों को खंड स्तरीय योजना को कार्यान्वित करने वाले विभिन्न विभागों के कार्य से परिचित करवाया जाता है। संस्थान ने एक ऐसा पाठ्यक्रम वर्ष 1981-82 में पूरा कर लिया है।

6. खादी ग्रामोद्योग आयोग का विशेष पाठ्यक्रम—यह विशेष पाठ्यक्रम ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय की

आर्थिक सहायता से उत्तरीय क्षेत्र के राज्यों और संघीय क्षेत्र के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया, इस में सम्मिलित होने वालों को ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के नवीनतम पद्धति से अवगत करवाया गया।

7. अराजपत्रित अधिकारियों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम—चार सप्ताह की अवधि का यह पाठ्यक्रम हिमाचल प्रदेश में प्रचलित नियम तथा अधिनियम की जानकारी के लिए सहायक और अधीक्षक स्तर के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है। वर्ष 1981-82 में एक ऐसा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है।

II. अल्पावधि पाठ्यक्रम

(क) राजपत्रित अधिकारियों के लिए—6 से 10 दिन की अल्पावधि के पाठ्यक्रम मध्यम स्तर के अधिकारियों के लाभ के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों जैसे कार्यालय प्रबन्ध तथा कार्य-प्रणाली, सम्प्रेरण द्वारा प्रबन्ध, प्रबन्ध सूचना पद्धति, हस्पताल प्रशासन, ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम, सेवाओं में आरक्षण, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (बर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम, रोकड़ लेखा, सेवा निवृत्ति, सामान्य भविष्य निधि-नियम तथा लोक सम्पर्क पर आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सात पाठ्यक्रम संस्थान ने आयोजित कर लिये हैं।

इस वर्ष के दौरान इस संस्थान में उत्तरी क्षेत्र के लिए 'ग्रामीण विकास कार्यक्रम में युवकों का सहयोग' विषय पर एक विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

(ख) अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए

1. पब्लिक काउंटर प्रबन्ध सुधार पर विशेष पाठ्यक्रम—6 दिन की अवधि का यह पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है जो जिलों से सम्मिलित होते हैं, उन्हें नवीनतम तकनीकी कुशलता तथा आचार-व्यवहार के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे अपने कर्तव्य का पालन अच्छे ढंग से कर सकें। इस वित्त वर्ष में इस प्रकार का एक पाठ्यक्रम आयोजित किया जा चुका है।

2. प्रशासन के अन्तिम छोर पर लोक सम्पर्क तथा अचार पर विशेष पाठ्यक्रम—प्रशासन के अन्तिम छोर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कानूनगो, प्रसार अधिकारी, निरीक्षक आदि के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे लोक सम्पर्क के नवीनतम उपकरणों तथा तकनीकीयों से परिचित होकर अपने आचार व्यवहार को जनता

की आकांक्षाओं के अनुरूप ढाल सकें। दो ऐसे पाठ्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।

3. तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बजट तैयारी पर विशेष पाठ्यक्रम—6 दिन की अवधि का यह विशेष पाठ्यक्रम प्रदेश के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (जो बजट का कार्य करते हैं) के लिए आयोजित किया जाता है। चालू वित्त वर्ष में एक ऐसा पाठ्यक्रम आयोजित किया जा चुका है।

4. व्यावहारिक निपुणता तथा वित्तीय प्रबन्ध पाठ्यक्रम—3 दिन की अवधि का यह पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय खजाना नियमों तथा नवीनतम तकनीकी, निपुणता और आचार-व्यवहार की जानकारी देना है ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन भली प्रकार कर सकें। इस वर्ष एक ऐसा पाठ्यक्रम आयोजित किया जा चुका है।

5. खजाना लेखा पर विवेक पाठ्यक्रम—10 दिन की अवधि का यह विशेष पाठ्यक्रम प्रदेश के विभिन्न खजानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है। इस में कर्मचारियों को वित्तीय खजाना नियमों तथा खजाने के कार्य और रोकड़ लेखा का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे खजाना प्रणाली को कारगर रूप से कार्यान्वित कर सकें। इस वर्ष एक ऐसा पाठ्यक्रम आयोजित किया जा चुका है।

6. रोकड़-लेखा अनुवृत्ति और सामान्य भविष्य निधि पर विशेष कोर्स—8 दिन की अवधि का यह पाठ्यक्रम राज्य के विभिन्न विभागों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें कर्मचारियों को रोकड़-लेखा, अनुवृत्ति, सामान्य भविष्य निधि, वित्तीय तथा खजाना नियमों आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष संस्थान ने एक ऐसे पाठ्यक्रम का आयोजन कर लिया है।

7. अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लिए के लिए पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम—इस वर्ष राज्य के अनुसूचित जाति तथा जन जाति के उम्मीदवारों के लिए जो मैडिकल कालेज में प्रवेश पाना चाहते थे पूर्व चिकित्सा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

8. तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम—छ: अल्पावधि के पाठ्यक्रम तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के विभिन्न विषयों पर जैसे नायब-तहसीलदार और कानूनगो को राजस्व प्रशासन, लिपिकों के मूलभूत कोर्स तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों, नागरिक आपूर्ति वितरण पद्धति के सम्बन्ध में कार्यालय पद्धति वित्तीय प्रबन्ध और प्रशासनिक नियमों के पाठ्यक्रम चालू वित्त वर्ष में आयोजित किए गए।

III. विभागीय परीक्षाएं—हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभागीय परीक्षाओं की पद्धति आरम्भ की है। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1976 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा। हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भारतीय वन सेवा, हिमाचल प्रदेश वन सेवा और हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्य सभी राजपत्रित अधिकारियों को विभागीय परीक्षा राजपत्रित काल की अवधि में एक बार उत्तीर्ण करने की अपेक्षा होती है। विभागीय परीक्षाओं के लेने का कार्य हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षाओं के बोर्ड के नियन्त्रण में इस संस्थान को सौंपा गया है। साधारणतया विभागीय परीक्षाएं वर्ष में दो बार अप्रैल/जुलाई तथा सितम्बर/दिसम्बर में ली जाती हैं।

उपर्युक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त आबकारी तथा कराधान विभाग के निरीक्षकों की विभागीय परीक्षाएं इस संस्थान द्वारा ली जाती हैं। वर्ष 1981 के दौरान बोर्ड ने उपर्युक्त श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की परीक्षा ली जिनमें 36 भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, 96 तहसीलदार/नायब तहसीलदार, 264 भारतीय वन सेवा/हिमाचल प्रदेश वन सेवा तथा अन्य सभी राजपत्रित पदाधिकारियों और 50 आबकारी तथा कराधान निरीक्षक परीक्षा में बैठे।

1982-83 के लिए योजना—वर्ष 1982-83 में संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के अतिरिक्त भारत सरकार प्रशिक्षण मण्डल के सहयोग से कुछ विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जायेंगे। संस्थान के भवन निर्माण का कार्यक्रम भी 1982-83 में जारी रहेगा।

भाग II.
सांख्यिकीय तालिकाएं

	पृष्ठ
1. हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या	159
2. जिलानुसार क्षेत्रफल और जनसंख्या	159
3. जनसंख्या का श्रमिकों एवं अश्रमिकों के अनुसार वितरण	160
4. कर्मियों का वितरण तथा वर्गीकरण	160
5. जिलावार अर्पण व्यक्तियों की जनसंख्या	161
6. प्रमुख फसलों का उत्पादन	162
7. प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रों के सूचकांक	163
8. प्रमुख फसलों के कृषि उत्पादन के सूचकांक	164
9. पशुधन, कुक्कुट और कृषि उपकरण	165
10. हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की गणना	165
11. वनोत्पादित मुख्य एवं अल्प वस्तुएं और उनका मूल्य	166
12. वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	166
13. सहकारिता	167
14. विद्युत उत्पादन एवं उपभोग	168
15. औद्योगिक उत्पादन	168
16. फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	169
17. फलों का उत्पादन	169
18. रोजगार सम्बन्धी आंकड़े	169
19. शिक्षा	170
20. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	170
21. सड़कें	171
22. राष्ट्रीयकृत पथ परिवहन	171
23. हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता भाव सूचकांक	172
24. भारतवर्ष में थोक मूल्यों के सूचकांक	172
25. योजना उद्देश्य	173
26. अपराधों की घटनाएं	175

मीट्रिक यूनिट	पुराने यूनिट के बराबर
एक किलोमीटर	.. 0.62137 मील
एक हेक्टेयर	.. 2.47105 एकड़
एक लीटर	.. 0.22102 गैलन
एक मिटर	.. 2.6792 सन
एक मीट्रिक टन	.. 0.98420 टन
एक घन मीटर	.. 35.37319 घन फुट

चिन्ह जो प्रयोग में लाये गए हैं ।—

.. अनुपलब्ध
शून्य अथवा नगण्य

तालिका—1

हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाखों में)	दस वर्षीय प्रतिशत वृद्धि दर	स्त्री पुरुष अनुपात (हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या)	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलो- मीटर	साक्षरता (प्रतिशत)	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1951	.. 23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	.. 28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	.. 34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	.. 42.38	22.46	988	76	41.94	7.7
मध्यवर्षीय अनुमानित जनसंख्या						
1975	.. 37.86					
1976	.. 38.64					
1977	.. 39.42					
1978	.. 40.20					
1979	.. 40.98					
1980	.. 41.76					
1981	.. 42.53					
1982	.. 43.30					

स्रोत :—भारत की जनगणना 1971 और 1981 एवं जनसंख्या
पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट सीरीज 1, पेपर 1, 1979

तालिका—2

जिलानुसार क्षेत्रफल और जनसंख्या

(अनंतिम)

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या 1981	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर
1	2	3	4
बिलासपुर	.. 1,167 (2.1)	2,44,614	210
धरमपुर	.. 6,528 (11.8)	3,09,562	47
हमीरपुर	.. 1,118 (2.0)	3,14,942	282
कांगड़ा	.. 5,750 (10.4)	9,65,488	168
किल्लोद	.. 6,401 (11.5)	59,154	9
कुल्लू	.. 5,503 (9.9)	2,39,123	43
साहीब-सियाली	.. 13,688 (24.7)	32,063	2
मंडी	.. 3,950 (7.1)	6,41,175	162
शिमला	.. 5,132 (9.1)	5,07,793	99
सिरमौर	.. 2,825 (5.1)	3,05,927	108
सोलन	.. 1,936 (3.5)	3,01,854	156
ऊना	.. 1,540 (2.8)	3,15,874	205
हिमाचल प्रदेश	.. 55,538 (100.0)	42,37,569	76

स्रोत :—भारत की जनगणना 1981

टिप्पणी :—कोष्ठ में आंकड़े कुल जनसंख्या का प्रतिशत हैं।

तालिका—3

जनसंख्या का श्रमिकों एवं अश्रमिकों के अनुसार वितरण

(1981 जनगणना)

जिला	कुल जनसंख्या	कुल मुख्य श्रमिक	सीमान्त श्रमिक	अश्रमिक	मुख्य श्रमिकों का कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
बिलासपुर	2,44,614	76,213	24,256	1,44,145	31.16
धम्बा	3,09,562	1,07,100	39,488	1,62,974	34.60
हमीरपुर	3,14,942	75,992	34,789	2,04,161	24.13
कांगड़ा	9,65,488	2,48,393	63,095	6,54,000	25.73
किन्नोर	59,154	32,210	1,409	25,535	54.45
कुल्लू	2,39,123	1,07,400	15,833	1,15,890	44.91
लाहौल-स्पीति	32,063	18,587	2,499	10,977	57.97
मंडी	6,41,175	2,35,746	59,888	3,45,541	36.77
शिमला	5,07,793	2,35,540	24,409	2,47,844	46.39
सिरमौर	3,05,927	1,22,061	18,318	1,65,548	39.90
सोलन	3,01,854	1,03,872	21,085	1,76,897	34.41
ऊना	3,15,874	73,170	13,515	2,29,189	23.16
हिमाचल प्रदेश	42,37,569	14,36,284	3,18,584	24,82,701	33.89

स्रोत :—भारत की जनगणना—1981—

टिप्पणी :—सभी आंकड़े अनुमानित हैं।

तालिका—4

कर्मियों का वितरण तथा वर्गीकरण

(1981 जनगणना)

जिला	खेतीहर	कृषि मजदूर	घरेलू उद्योग	अन्य कर्मी
1	2	3	4	5
बिलासपुर	58,696	1,137	2,065	14,315
धम्बा	74,463	720	2,056	29,861
हमीरपुर	54,353	1,638	2,881	17,120
कांगड़ा	1,49,142	14,575	13,100	71,576
किन्नोर	20,181	1,697	856	9,476
कुल्लू	86,228	2,152	1,434	17,586
लाहौल-स्पीति	9,394	443	46	8,704
मंडी	1,82,938	3,134	4,940	44,734
शिमला	1,59,359	6,726	3,794	65,661
सिरमौर	89,216	2,647	2,364	27,834
सोलन	68,145	2,538	2,057	31,132
ऊना	45,215	4,615	2,403	20,937
हिमाचल प्रदेश	9,97,330	42,022	37,996	3,58,936

स्रोत—महापंजीकार—भारत सरकार
प्रकाशन—1981

तालिका—5

जिलावार अपंग व्यक्तियों की जनसंख्या

(1981 जनगणना)

जिला	कुल अंगे	पूर्णतः अंगहीन	पूर्णतः बहरे	कुल संख्या
1	2	3	4	5
विलासपुर ..	180	194	201	575
धम्बा ..	268	229	365	862
हमीरपुर ..	209	203	253	665
कांगड़ा ..	520	509	668	1,697
फिन्नोर ..	189	24	277	490
कुड्लू ..	230	177	411	818
लाहौल-स्पिति ..	32	16	26	74
मंडी ..	685	549	665	1,899
शिमला ..	639	305	549	1,493
सिरमौर ..	432	180	288	900
सोलन ..	240	203	216	659
ऊना ..	298	168	175	641
हिमाचल प्रदेश ..	3,922	2,757	4,094	10,773

स्रोत :—महापंजीकार—भारत सरकार प्रकाशन—1981

फसलें	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6
खाद्यान्न :—					
अनाज—					
1. चावल	124.07	117.52	133.91	117.29	80.34
2. मक्की	485.96	465.53	457.20	427.63	448.71
3. रागी	9.38	9.40	9.20	8.19	7.50
4. छोटा अनाज	18.81	16.83	14.09	15.06	15.58
5. गेहूं	402.78	253.99	331.05	403.61	273.23
6. जौ	56.45	34.62	50.22	45.46	32.96
समस्त अनाज	1,097.45	897.89	995.67	1,017.24	858.32
दालें—					
7. चना	16.58	10.39	22.99	22.39	9.53
8. अन्य दालें	14.92	14.70	14.74	14.73	14.54
समस्त दालें	31.50	25.09	37.73	37.12	24.07
समस्त खाद्यान्न	1,128.95	922.98	1,033.40	1,054.36	882.39
रोकड़-सस्य (कैश करोप्स)—					
9. आलू	76.51	73.44	68.36	70.72	63.30
10. गन्ना (गुड़ के रूप में)	6.63	6.85	6.75*	7.01	7.67
11. अदरक	1.02	1.20	1.30	1.32	2.70
12. तोरिया और सरसों	1.46	1.30	1.85	1.87	1.32

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र के सूचकांक

(आधार: त्रिवाषिक समाप्ति
1969-70-100)

वस्तुएं/समूह	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6	7
1. खाद्यान्न :—						
(क) अनाज—						
(1) खरीफ अनाज						
चावल	93.95	96.41	100.63	102.93	96.21	92.89
मक्की	105.51	105.52	107.62	108.46	107.88	112.22
रागी	87.62	83.43	84.74	80.77	76.59	91.85
छोटा अनाज तथा अन्य खरीफ अनाज	125.43	88.27	85.88	83.32	83.14	77.33
कुल खरीफ अनाज	103.58	101.03	103.26	104.01	101.79	103.81
(2) रबी अनाज—						
गेहूं	99.66	103.33	106.10	99.77	103.86	108.30
जौ	93.28	91.09	81.67	84.50	83.35	79.51
कुल रबी अनाज	98.95	101.84	103.12	97.90	101.36	104.79
समस्त अनाज	101.33	101.42	103.19	100.65	101.58	104.28
(ख) दालें—						
चना	137.02	167.45	133.57	221.90	197.43	108.44
माश	92.53	95.77	91.45	92.18	94.22	89.39
अन्य दालें	81.57	83.91	80.17	87.17	96.98	113.67
समस्त दालें	102.12	112.91	100.26	127.98	124.64	101.82
समस्त खाद्यान्न	101.39	102.30	102.97	103.14	103.35	104.09
2. अखाद्य						
(क) तिलहन—						
मूंगफली	72.11	73.65	71.76	59.40	61.89	55.64
तिल	116.12	114.57	109.42	90.45	76.63	122.13
तोरिया व सरसों	96.41	80.42	71.30	97.99	106.97	91.32
अलसी	97.40	96.09	95.86	90.76	88.92	88.44
समस्त तिलहन	100.75	95.85	91.44	89.07	86.42	83.31
(ख) अन्य—						
आलू	85.46	83.86	80.21	80.04	78.27	85.54
गन्ना	93.84	91.01	100.73	101.53	92.18	77.28
अदरक	117.69	123.20	129.80	148.50	156.35	151.62
चाय	82.12	85.54	85.58	84.67	78.02	80.25
समस्त अन्य	88.11	87.50	86.95	87.94	84.90	87.47
समस्त अखाद्य	93.79	91.25	88.97	88.45	85.59	85.60
समस्त उपज	100.94	101.65	102.65	102.29	102.31	95.67

स्रोत :—अर्थ एवं सख्या विभाग, हिमाचल प्रदेश।

प्रमुख फसलों के कृषि उत्पादन के सूचकांक

(आधार : त्रिवाषिक समाप्ति
1969-70--100)

वस्तुएं/समूह	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6	7
1. खाद्यान्न						
(क) अनाज						
(1) खरीफ अनाज						
चावल	88.79	113.06	107.09	122.03	106.88	73.21
मक्की	119.70	117.26	112.33	110.32	103.18	108.27
रागी	83.59	90.53	90.74	88.78	79.06	72.44
छोटा अनाज तथा अन्य खरीफ अनाज	141.52	120.49	107.81	91.31	96.49	99.81
कुल खरीफ अनाज	111.31	115.77	110.41	112.59	103.59	97.86
(2) रबी अनाज						
गेहूं	129.67	145.38	91.68	119.08	145.68	98.62
जौ	87.52	104.09	63.84	91.50	83.82	60.77
कुल रबी अनाज	123.35	139.19	87.50	114.94	136.40	92.94
समस्त अनाज	115.73	124.37	101.99	113.45	115.64	96.05
(ख) दालें						
चना	215.41	191.28	119.85	265.14	258.27	109.93
भाज	110.46	111.86	111.76	102.24	115.70	94.62
अन्य दालें	92.61	91.66	88.33	99.63	83.92	107.53
समस्त दालें	137.08	130.19	107.84	150.36	149.82	102.71
समस्त खाद्यान्न	116.54	124.59	102.21	114.84	116.93	96.30
2. अखाद्य						
(क) तिलहन						
मूंगफली	72.00	75.68	72.20	60.87	65.98	44.14
तिल	113.97	107.70	98.79	77.78	81.80	81.42
तोरिया व सरसों	103.04	76.66	67.82	95.87	97.65	69.28
अलसी	116.79	108.96	113.80	100.34	100.11	81.16
समस्त तिलहन	105.52	95.94	91.90	85.59	88.05	72.58
(ख) अन्य						
आलू	96.56	97.68	94.34	96.70	90.84	81.31
गन्ना	142.15	139.75	144.30	142.32	147.73	161.58
अदरक	95.59	83.51	98.88	107.01	108.66	222.49
चाय	114.33	110.53	110.69	86.45	85.48	98.81
समस्त अन्य	100.52	100.43	99.01	101.05	96.68	97.39
समस्त अखाद्य	101.54	99.51	97.56	97.89	94.92	92.32
समस्त उपज	115.32	120.55	101.83	113.46	115.14	95.98

स्रोत :—अर्थ एवं संख्या विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

तालिका—9

पशुधन, कुक्कुट और कृषि उपकरण

(हजारों में)

सद	1966	1972	1977
1	2	3	4
क. पशुधन			
1. गोधन	1,892	2,176	2,106
2. भैंस	415	544	560
3. भेड़ें	1,049	1,040	1,055
4. बकरियाँ	813	906	1,035
5. घोड़े व टट्ट	14	16	15
6. खच्चर व गधे	11	12	14
7. सूअर	3	3	5
8. अन्य पशुधन	4	5	5
कुल पशुधन	4,201	4,702	4,795
ख. कुक्कुट	207	189	330
ग. कृषि उपकरण			
1. हल	518
2. बैल गाड़ियाँ	3
3. गन्ना पेलने की मशीनें	4
4. धानी	1

नोट:—आंकड़े सितम्बर, 1977 में की गई पशुधन गणना के आधार पर लिए गए हैं।

स्रोत:—सू-अभिलेख विभाग, हिमाचल प्रदेश।

तालिका—10

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की गणना

गणना की तिथि	नियमित	अनिश्चित वैतनिक	कार्य-प्रभारित वैतनिक	प्रतिदिन वैतनिक कर्मचारी
1	2	3	4	5
31 मार्च—				
1973	67,162	4,671	5,111	85,199
1974	69,742	6,661	3,555	72,174
1975	71,516	3,800	5,483	54,101
1976	72,706	4,190	5,140	43,230
1977	74,228	4,094	5,281	58,790
1978	76,283	3,485	3,958	77,717
1979	77,691	4,041	5,163	1,32,738
1980	80,518	3,739	5,604	1,15,638

स्रोत:—अर्थ एवं संख्या विभाग, हिमाचल प्रदेश।

तालिका—11

वनोत्पादित मुख्य अन्य वस्तुएं और उनका मूल्य

वर्ष	मुख्य वस्तुएं (परिमाण '000 घन मीटर)		अल्प वस्तुएं (मूल्य '000 रुपए)		
	इमारती लकड़ी	ईंधन*	गोंद व राल	चारा व चराई	अन्य उत्पादन
1	2	3	4	5	6
1973-74	458.8	175.5	21,311	1,095	1,000
1974-75	470.5	163.4	19,788	692	2,140
1975-76	477.5	140.7	12,252	648	1,890
1976-77	525.3	185.8	8,786	1,066	5,370
1977-78	483.6	178.1	14,830	955	4,912
1978-79	564.0	162.0	12,226	1,126	5,371
1979-80	463.7	158.5	22,938	1,326	3,031
1980-81	560.0	133.8	21,635	863	3,947

*इस में जलाने की लकड़ी और लकड़ी का कोयला सम्मिलित है।

स्रोत:—वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

तालिका—12

वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

(वर्ग किलोमीटर)

वर्ष	सुरक्षित वन	रक्षित वन	अवर्गीकृत वन	अन्य वन	वन जो वन विभाग के नियन्त्रण में नहीं हैं	योग
1	2	3	4	5	6	7
1973-74	1,873	17,431	797	669	898	21,668
1974-75	1,873	17,408	797	635	934	21,647
1975-76	1,826	17,620	742	641	934	21,763
1976-77	1,826	17,704	743	665	904	21,842
1977-78	1,826	17,701	743	673	904	21,847
1978-79	1,823	17,631	718	640	904	21,716
1979-80	1,825	17,128	731	602	904	21,190
1980-81	1,825	17,129	731	580	904	21,169

स्रोत:—वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

मद	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6
I. समितियां (नम्बर)					
कृषीय ..	2,772	2,675	2,673	2,661	2,640
अकृषीय ..	848	851	846	844	775
नगरीय बँक ..	11	11	11	11	10
राज्य व केन्द्रीय बँक ..	4	4	4	4	4
अन्य माध्यमिक समितियां ..	56	55	55	55	58
योग ..	3,691	3,596	3,589	3,575	3,487
II. सदस्यता ('000)					
कृषीय समितियां ..	550.1	566.0	580.0	597.0	616.0
अकृषीय समितियां ..	52.4	54.0	52.0	57.0	63.0
नगरीय बँक ..	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
राज्य व केन्द्रीय बँक ..	13.0	11.0	15.0	12.0	12.0
अन्य माध्यमिक समितियां ..	15.9	16.0	18.0	17.0	15.0
योग ..	633.4	650.0	668.0	686.0	710.0
III. कार्यशील पूंजी (लाख रुपए)					
कृषीय समितियां ..	2,063.25	2,223.68	2,404.86	2,689.15	3,109.26
अकृषीय समितियां ..	264.84	349.31	395.76	479.70	864.02
नगरीय बँक ..	57.37	55.46	68.07	73.70	89.85
राज्य व केन्द्रीय बँक ..	2,433.17	2,602.85	2,835.72	3,401.90	4,101.58
अन्य माध्यमिक समितियां ..	551.90	609.27	580.17	646.34	1,069.11
योग ..	5,370.53	5,840.57	6,284.58	7,290.79	9,233.82
IV. विपणन ऋण (लाख रुपए)					
कृषीय समितियां ..	581.39	585.17	609.35	649.59	615.95
अकृषीय समितियां ..	44.78	48.59	45.72	72.08	96.26
नगरीय बँक ..	21.66	41.15	50.51	156.35	35.40
प्राथमिक भू-बन्धक बँक एवं राज्य व केन्द्रीय बँक ..	830.61	629.99	677.96	703.97	821.23
V. बकाया ऋण (लाख रुपए)					
कृषीय समितियां ..	1,144.19	1,238.60	1,307.95	1,404.37	1,409.42
अकृषीय समितियां ..	68.26	62.19	66.83	78.96	101.59
नगरीय बँक ..	35.79	39.48	41.56	47.86	36.77
प्राथमिक भू-बन्धक एवं राज्य व केन्द्रीय बँक ..	915.42	1,030.73	1,067.94	1,076.80	1,278.07

स्रोत :—सहकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

विद्युत उत्पादन एवं उपभोग

(दस लाख किलोवाट घंटों में)

वर्ष	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7
1. विद्युत उत्पादन ..	182.2	189.0	212.8	397.6	354.9	244.1
2. भाखड़ा आदि से ली गई बिजली ..	225.0	226.2	179.3	216.3	232.9	265.4
3. विद्युत उपभोग :						
(क) घरेलू उपभोग ..	42.4	46.1	50.0	49.8	54.9	62.4
(ख) वाणिज्य कार्यों तथा सार्वजनिक जल प्रदान कार्यों और मल वाहक नालियों में उपभोग ..	24.0	23.1	23.9	27.0	28.0	32.6
(ग) औद्योगिक उपभोग ..	53.8	59.9	40.9	70.0	93.3	107.5
(घ) सड़कों पर रोशनी के लिए ..	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0
(ङ) सिंचाई व कृषि में ..	2.6	3.4	5.5	3.3	5.4	5.8
(च) अन्य उपभोग ..	96.0	91.5	80.2	39.2	32.8	54.4
कुल उपभोग ..	220.5	225.7	202.4	191.3	216.3	264.7
4. दूसरे राज्यों को विद्युत विक्रय ..	107.7	115.4	107.4	309.2	258.5	147.1
5. ग्रामीण विद्युतिकरण —						
(क) विद्युतिकृत गांव ..	6,721	7,246	7,753	8,329	8,921	10,050
(ख) विद्युतिकृत गांवों का समस्त गांवों से प्रतिशत ..	39.7	42.8	45.8	49.2	52.7	59.4

स्रोत :—राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश ।

तालिका—15

औद्योगिक उत्पादन

वर्ष	डिस्टीलरी एवं बरयूरीज							
	बिरोजा (मीट्रिक टनों में)	तारपीन ('000 लीटर)	कुल ढलाई (कास्टिंग) (मीट्रिक टनों में)	बीयर ('000 बल्क लीटर)	माल्ट स्पोरिट ('000 प्रक लीटर)	हाथ से बुने हुए शाल (हजारों में)	चाय (क्विंटल)	बन्दूकें (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1972	9,348	2,337	1,853	5,350	584	17.3	12,328	1,748
1973	9,590	2,450	2,018	7,000	543	17.1	11,294	2,425
1974	11,767	2,842	2,231	7,361	622	46.0	5,167	2,460
1975	10,384	2,447	1,665	6,116	758	19.3	5,911	2,490
1976	10,514	2,569	1,724	6,257	801	19.5	7,324	2,385
1977	9,228	2,342	1,799	7,450	866	23.6	8,728	2,520
1978	6,415	1,587	1,525	3,447	772	28.8	7,175	2,520
1979	5,795	1,484	1,100	5,577	706	91.2	5,605 (अ)	2,470
1980	..	1,676	1,210	7,386	731	78.9	5,509	2,520

स्रोत—हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत कारखाने ।

- बिरोजा एवं तारपीन— हिमाचल प्रदेश बिरोजा एवं तारपीन फैक्टरी, बिलासपुर और नाहन, नवल स्टोर निगम ऊना ।
- कुल ढलाई — नाहन फांडरी लिमिटेड, नाहन ।
- बीयर एवं माल्ट स्पोरिट — मोहन मेकन बरयूरीज, सोलन, कसौली डिस्टीलरी, कसौली और नेशनल सिरियलज परोडक्ट्स लिमिटेड, कसौली ।
- हाथ से बुने हुए शाल — कांगड़ा जिले में सरकारी औद्योगिक तकनीकी विस्तार केन्द्र नूरपुर एवं जिला औद्योगिक आफिसर, कुल्लू व लाहौल स्थिति, हमीरपुर, चम्बा, किन्नौर तथा मण्डी ।
- चाय— चाय बोर्ड, पालमपुर ।
- बन्दूकें— मैसर्स प्रेम सागर एण्ड सन्ज, हेंसबी एण्ड कम्पनी, वीर सिंह एण्ड कम्पनी तथा कजन एण्ड कम्पनी, मंडी ।

टिप्पणी :—दूसरे, तीसरे और चौथे खानों के आंकड़े वित्त वर्ष पर आधारित हैं ।

अ—अस्थायी

तालिका—16

फलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

वर्ष	सेब	अन्य शीतोष्ण फल	अखरोट एवं सूखे सेबे	निम्बू प्रजाति	अन्य समशीतोष्ण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1974-75	33,628	10,931	3,121	7,048	5,795	59,523
1975-76	35,076	12,078	3,543	7,554	5,136	63,385
1976-77	36,734	13,331	4,028	8,528	6,129	68,750
1977-78	38,924	14,421	4,779	9,648	7,132	74,904
1978-79	40,655	15,235	5,401	11,062	7,990	80,343
1979-80	41,947	16,374	6,020	12,465	9,127	85,933
1980-81	43,356	17,464	6,892	14,174	10,284	92,467

स्रोत:—उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

तालिका—17

फलों का उत्पादन

('000 मीट्रिक टन)

वर्ष	सेब	अन्य शीतोष्ण फल	अखरोट एवं सूखे सेबे	निम्बू प्रजाति	अन्य समशीतोष्ण फल	योग
1	2	3	4	5	6	7
1974-75	43.30	9.00	0.72	17.15	6.27	76.44
1975-76	200.00	17.43	1.91	15.66	10.88	245.88
1976-77	119.23	6.81	1.29	2.68	4.80	134.81
1977-78	131.62	10.30	2.83	4.20	1.60	150.55
1978-79	121.90	6.18	0.70	4.18	4.27	137.23
1979-80	135.48	11.71	0.77	5.13	6.98	160.07
1980-81	118.01	9.27	1.78	4.40	6.37	139.83

स्रोत:—उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

तालिका—18

रोजगार संबंधी आंकड़े

वर्ष	पंजीकृत प्रार्थियों की संख्या	काम पर लगाए गए प्रार्थी	सूचित रिक्त स्थानों की संख्या	चासू रजिस्टर पर आवेदकों की संख्या
1	2	3	4	5
1973	84,353	14,785	21,280	65,472
1974	70,408	9,771	14,107	67,753
1975	63,444	8,070	11,860	71,408
1976	67,555	8,587	12,988	84,207
1977	58,810	7,143	10,062	92,555
1978	65,882	7,035	12,547	1,08,527
1979	66,565	6,610	9,833	1,19,624
1980	79,811	6,088	11,217	1,35,464
1981	72,536	7,075	12,093	1,59,985

स्रोत:—रोजगार कार्यालय, हिमाचल प्रदेश ।

तालिका—19

शिक्षा

मद	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 (अ)	1980-81 (अ)
1	2	3	4	5	6
प्राथमिक जूनियर बेसिक शिक्षा —					
1. संस्थाएं ..	4,276	4,397	4,416	4,503	6,092*
2. विद्यार्थी (कक्षा 1—5) 6—11 वर्ष ..	4,72,000	4,79,300	4,94,700	5,12,400	5,45,700
3. अध्यापक ..	8,191	8,060	8,518	8,645	15,305
माध्यमिक/सोनियर बेसिक शिक्षा—					
1. संस्थाएं ..	968	969	981	1,028	1,033*
2. विद्यार्थी (कक्षा 6—8) 11-14 वर्ष ..	1,43,900	1,52,000	1,62,200	1,76,000	1,96,600
3. अध्यापक ..	8,020	8,201	8,290	8,378	5,256
उच्च/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा —					
1. संस्थाएं ..	559	600	614	655	664*
2. विद्यार्थी (कक्षा 9—11) 14-17 वर्ष ..	66,400	69,100	66,100	62,700	63,300
3. अध्यापक ..	9,967	10,661	10,607	10,765	8,727
सामान्य शिक्षा के कालिज—					
1. संस्थाएं ..	25	27	27	27	27
2. विद्यार्थी ..	11,560	12,360	12,751	14,466	16,564
3. अध्यापक ..	613	621	626	643	692

अ—अस्थायी
*ये शिक्षा इकाईयां हैं।

स्रोत:—शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश।

तालिका—20
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा

मद	इकाई	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8
1. एलोपैथिक संस्थाएं—							
क. चिकित्सालय ..	संख्या	42	42	43	49	53†	53†
ख. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ..	"	77	77	77	77	77	77
ग. औषधालय ..	"	174	179	179	194	196**	199**
योग ..	"	293	298	299	320	326	329
उपलब्ध शैयाएं							
उपलब्ध शैयाएं ..	"	5,035	5,035	5,176	5,176	5,176	5,220
2. आयुर्वेदिक संस्थाएं—							
क. चिकित्सालय ..	"	2	2	4	4	5	5
ख. औषधालय* ..	"	401	401	404	404	404	424
ग. आयुर्वेदिक फार्मसी ..	"	2	2	2	2	2	2
घ. अनुसंधान संस्थाएं ..	"	1	1	1	1	1	1
योग ..	"	406	406	411	411	412	432
उपलब्ध शैयाएं ..	"	253	273	273	348	412	412

अ—अस्थायी

स्रोत:—चिकित्सा विभाग, हिमाचल प्रदेश।

*इसमें 3 युनानी औषधालय सम्मिलित हैं।

**इसमें एक ई. एस. आई. पुलिस, एक रेलवे, 2 कन्टोनमेंट बोर्ड तथा 6 अन्य औषधालय सम्मिलित हैं।

†5 कन्टोनमेंट बोर्ड, 3 मिशन, 3 स्वयंसेवी संस्थाएं, 4 प्रोजेक्ट तथा एक पुलिस चिकित्सालय सम्मिलित हैं।

तालिका—21

सड़कें (31 मार्च को)

(किलोमीटर)

सड़क का प्रकार	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7
1. दोहरी चौड़ाई वाली ..	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994
2. इकहरी चौड़ाई वाली ..	8,196	8,636	8,929	9,408	9,999	10,611
3. जीप योग्य ..	691	637	627	634	594	633
4. अन्य सड़कें जो जीप योग्य नहीं हैं ..	3,464	3,417	3,778	3,772	4,002	4,195
योग ..	14,345	14,684	15,328	15,808	16,589	17,433

स्रोत :—लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

नोट :—आंकड़ों में राष्ट्रीय मार्ग भी सम्मिलित हैं ।

तालिका—22

राष्ट्रीयकृत पथ परिवहन

वर्ष	मोटर गाड़ियों की संख्या				परिचालित मार्गों की संख्या	तय की गई दूरी ('000 किलोमीटर)	ले जाये गए यात्री (लाखों में) (अनु.)	होया गया माल (लाख ट्रिबटल) (अ)
	बस	ट्रक	अन्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1973-74 ..	500	131	67	698	290	21,906	160.0	7.6
1974-75 ..	733	145	63	941	379	30,329	230.0	8.0
1975-76 ..	773	143	53	969	411	32,630	250.0 (अनु.)	7.0 (अ)
1976-77 ..	776	115	56	947	482	36,572	290.0 (अनु.)	6.5 (अ)
1977-78 ..	761	107	47	915	510	39,783	310.0 (अनु.)	7.1 (अ)
1978-79 ..	781	51	42	874	557	43,131	335.0 (अनु.)	3.2 (अ)
1979-80 ..	815	36	38	889	627	51,903	410.0 (अनु.)	2.0 (अ)
1980-81 ..	839	31	42	912	662	56,128	455.0 (अ)	..

स्रोत :—हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला ।

अनु-अनुमानित
अ-अस्थायी

हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता भाव सूचकांक

वर्ष/मास	औद्योगिक मजदूरों के लिए (आधार : 1965-100)		शहरी गरी गरी गैर- मजदूर दूर दूर कर्म- चारियों/र्यों र्यों के लिए लिए (आधार : 1960-10-100) शिमला ला ला केन्द्र
	सामान्य सूचकांक	खाद्यान्न सूचकांक	4 4 4
1	2	3	4 4 4
1976	221	222	25258258
1977	234	241	27274274
1978	241	245	28287287
1979	254	257	29298298
1980	287	293	33332332
1981	324	334	37375375
1982—			
जनवरी	335	340	39392392
फरवरी	335	340	39396396
मार्च
अप्रैल
मई

स्रोत—(i) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार।

(ii) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार।।।।

तालिका—24

भारतवर्ष में घोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार : 1970-71-100)

समूह	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
	2	3	4	5	6 6
1	2	3	4	5	6 6
सभी वस्तुएं	176.6	185.8	185.8	217.6	225 257.3
प्राथमिक वस्तुएं	167.2	183.8	181.4	206.5	23 237.5
खाद्य वस्तुएं	155.3	173.6	172.4	186.6	20 207.9
खाद्योत्तर वस्तुएं	167.4	178.0	178.4	194.6	21 217.7
खनिज पदार्थ	449.4	477.0	490.7	779.9	1,011,010.2
ईंधन, पावर, बिजली और चिकनाई के पदार्थ	230.8	234.3	244.7	283.1	35 354.3
निर्मित वस्तुएं	175.2	179.2	179.5	215.8	25 257.3
खाद्य पदार्थ	189.1	184.3	157.0	214.8	30 308.7
पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू से बनी चीजें	168.2	171.2	178.2	186.6	21 210.7
वस्त्र उद्योग	155.3	172.8	179.0	203.2	21 212.7
कागज और कागज से बनी वस्तुएं	180.1	184.5	196.0	237.4	20 262.2
चमड़ा और उससे बनी वस्तुएं	227.8	228.2	265.4	345.0	38 380.1
रबड़ और रबड़ से बनी वस्तुएं	157.2	156.9	181.9	214.9	24 248.8
रसायन और रसायनिक उत्पाद	171.4	172.8	177.2	198.7	24 241.3
अधात्विक खनिज उत्पाद	191.0	194.6	213.7	249.5	27 278.7
मूल धातुएं, मिश्र धातुएं तथा धातु से बनी वस्तुएं	190.1	193.8	211.2	251.9	27 272.1
मशीन और परिवहन उपकरण	170.1	172.6	183.9	215.9	23 237.4
विविध उत्पादन	166.0	179.4	187.8	209.8	23 232.8

अ—अनन्तिस

स्रोत :—आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार।

विकास के शीर्ष	1980-81 का ध्यय	1981-82 का वास्तविक ध्यय (अ)	1982-83 का उद्ध्यय
1	2	3	4
(क) कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं—			
1. कृषि ..	317.03	332.51	403.50
2. उद्यान ..	287.95	360.89	290.00
3. मृत्ति सुधार ..	98.47	120.78	225.00
4. लघु सिंचाई ..	407.19	595.60	482.00
5. मू एवं जल संरक्षण ..	238.08	189.36	244.50
6. खाद्यान्न ..	73.93	110.72	107.50
7. पशुपालन ..	129.93	156.72	150.00
8. दुग्ध विज्ञान एवं दुग्ध वितरण ..	86.01	84.59	90.00
9. मत्स्य पालन ..	15.00	28.76	35.00
10. वन ..	424.83	518.88	690.00
11. ग्रामीण एकीकरण विकास ..	45.35	47.28	49.00
12. पंचायत ..	13.39	17.84	18.00
13. एकीकरण ग्रामीण विकास कार्यक्रम ..	170.55	163.35	306.00
14. मरुस्थल विकास परियोजना ..	28.00	32.88	25.00
15. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ..	34.90	120.00	133.00
कुल कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं ..	2,370.31	2880.16	3248.50
(ख) सहकारिता—			
16. सहकारिता ..	149.50	150.44	138.00
कुल सहकारिता ..	149.50	150.44	138.00
(ग) जल एवं विद्युत विकास—			
17. मध्यम परियोजनाएं ..	206.97	149.99	158.00
18. बाढ़ नियन्त्रण ..	58.65	51.53	70.00
19. विद्युत ..	2,159.09	2,224.33	2,992.00
कुल जल एवं विद्युत विकास ..	2,424.71	2425.85	3,220.00
(घ) उद्योग एवं खानें—			
20. बड़े और मध्यम उद्योग ..	161.24	} 385.15	199.50
21. ग्रामीण और लघु उद्योग ..	112.72		185.00
22. खानें ..	30.46		15.00
कुल उद्योग एवं खानें ..	304.42	385.15	399.50

तालिका—25
योजना—उद्ध्यय

(लाख रुपयों में में)

विकास का शीर्ष	1980-81 का व्यय	1981-82 का वास्तविक व्यय (अ)	1982-83 का उद्ध्यय
1	2	3	4
(इ) परिवहन एवं संचार—			
23. सड़कें एवं पुल	1,717.23	2,182.11	1,615.00
24. पथ परिवहन	160.00	170.00	170.00
25. जल परिवहन	—	—	2.00
26. पर्यटन	70.04	93.19	120.00
27. दूर संचार	0.03	3.00	3.00
28. नागरिक उद्ध्यय	—	35.00	40.00
कुल परिवहन एवं संचार	1,947.30	2,483.30	1,950.00
(ख) सामाजिक तथा सामुदायिक विकास—			
29. सामान्य और विश्वविद्यालय शिक्षा	311.70	372.46	505.00
30. तकनीकी शिक्षा	9.95	14.69	49.00
31. पर्यटनरोहण एवं सम्बन्धित खेलें	18.90	17.69	25.00
32. विवरणिका	2.27	1.96	3.55
33. कला और संस्कृति	8.69	13.44	22.00
34. ऐलोपैथी चिकित्सा	187.68	278.01	330.00
35. आयुर्वेद चिकित्सा	15.53	21.36	33.00
36. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	99.62	126.68	120.00
37. जल प्रदूषण बोर्ड	1.00	2.43	2.00
38. जलपूर्ति	713.52	832.89	1,000.00
39. विकास	3.88	4.77	30.00
40. आवास	352.11	302.93	248.00
41. शहरी विकास	49.43	88.00	133.00
42. श्रम तथा श्रम कल्याण	6.27	14.29	18.00
43. पिछड़े वर्गों का कल्याण	51.52	77.72	112.55
44. समाज कल्याण	31.22	30.00	41.00
45. आहार पोषण	55.78	53.00	67.00
46. सूचना और प्रसार	6.74	7.70	26.00
कुल सामाजिक तथा सामुदायिक विकास	1,935.81	2,262.47	2,765.00
(घ) आर्थिक सेवाएं—			
47. राज्य योजना यंत्र	3.30	4.80	10.55
48. आर्थिक और सांख्यिकी	2.50	3.40	5.00
कुल आर्थिक सेवाएं	5.80	8.20	15.55
(ज) सामान्य			
49. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	15.00	20.14	28.00
50. भवन निर्माण योजना (लोक निर्माण)	211.27	216.51	190.00
51. लोक प्रशासन संस्थान	15.00	11.00	12.55
52. जन-जातीय विकास धन्त्र	—	—	2.00
53. जन जातीय क्षेत्रों के लिए नामिक बजट	25.00	35.00	25.00
54. गैर-जन जातीय क्षेत्रों के लिए बजट	—	—	6.00
कुल सामान्य सेवाएं	266.27	282.65	263.55
कुल योग	9,404.12	10,878.22	12,000.00

अपराधों की घटनाएं

जिला	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6
बिलासपुर ..	405	383	423	438	480
चम्बा ..	482	608	574	646	609
हमीरपुर ..	199	190	293	309	301
कांगड़ा ..	1,357	1,392	1,563	1,864	1,892
फिन्नीर ..	135	141	193	284	194
कुल्लू ..	471	518	527	573	587
साहोब-स्विति ..	40	36	73	79	72
मंडी ..	1,127	1,214	1,097	1,241	1,177
शिमला ..	1,218	1,197	1,200	1,295	987
सिरमौर ..	598	560	746	827	698
सोलन ..	624	605	746	832	651
ऊना ..	326	340	296	441	412
रेलवे एवं यातायात ..	9	6	13	14	10
हिमाचल प्रदेश ..	6,991	7,190	7,744	8,843	8,070

स्रोत:—पुलिस विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110017
DOC. No. 253
Date 27/7/82